खण्ड-284, अंक-6
बुधवार, 27 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(17 जून, 1970 ई0)

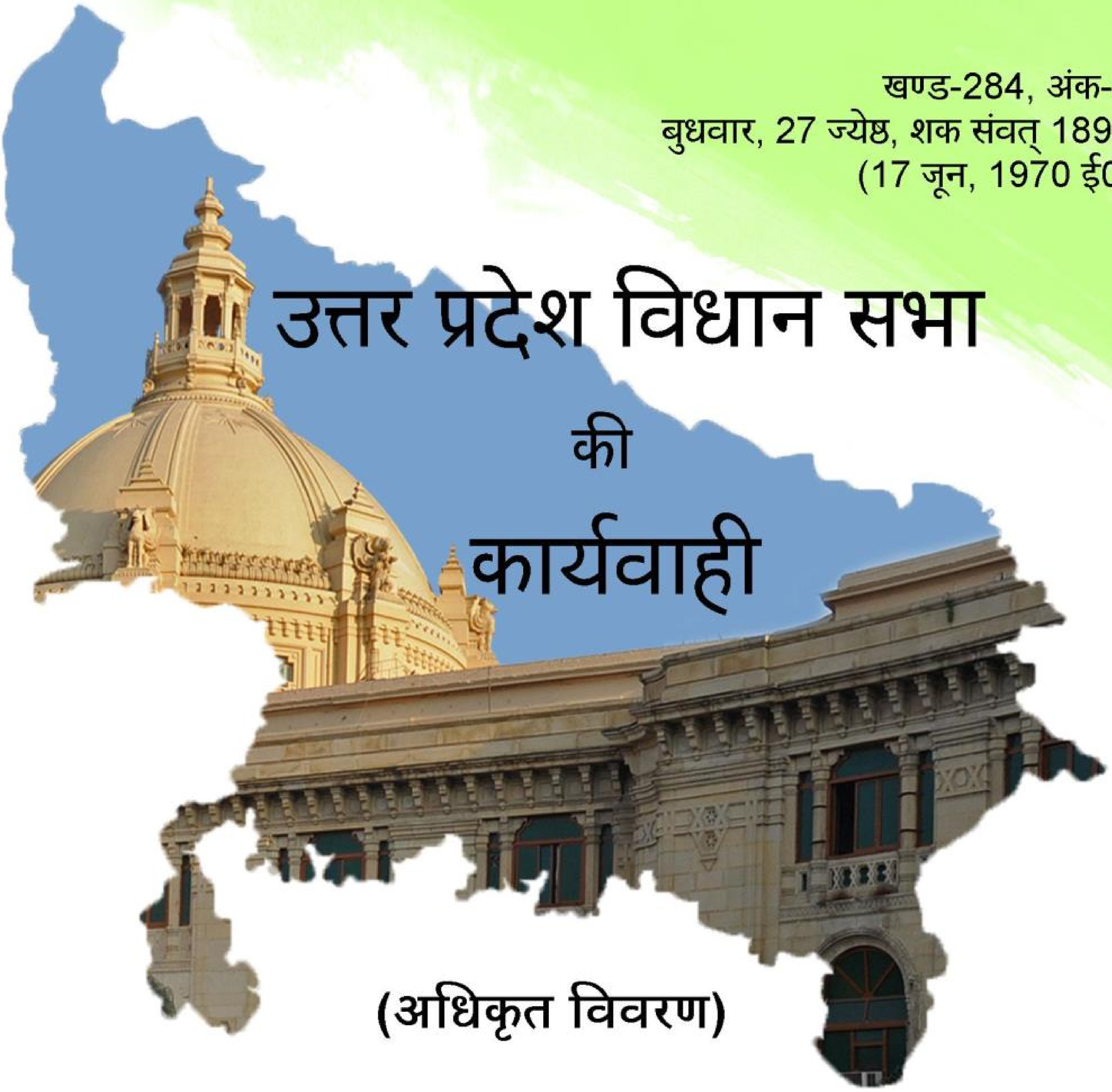

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 284 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
९९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	५८५–५८९
प्रश्नोत्तर	५८९–६२८
सूचना मंत्री श्री गेंदा सिंह के मंत्रि परिषद से त्याग पत्र से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न	६२९–६३५
राजस्व मंत्री द्वारा अलीगढ़ जिले की कुछ भूमि हरियाणा प्रदेश को देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	६३५–६३६
कतिपय विषयों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न	६३६–६३९
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्तियां	६३९–६४३
भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	६४३
मुख्य मंत्री के विरुद्ध चीनी मिलों के राष्ट्रीय करण न करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गयी)	६४३–६४४
स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध आयुर्वेदिक कालेजों को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने की घोषणा के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई ..	६४४–६४७
मुख्य मंत्री के विरुद्ध सूचना पर कथित दबाव डाल कर कतिपय समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन बन्द करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई ..	६४७–६४८
विशेषाधिकार समिति के लिये नामांकित सदस्यों के नामों की सूचना ..	६४८
कृषि मंत्री पर व्यक्ति गत संदेह के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न ..	६४८–६५१
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास, अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय, तथा अनुदान संख्या ४७–कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (जारी)	६५१–६८६
वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	६८७
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	६८७
हरिद्वार के हैवी इलेक्ट्रिकल्स में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने क सम्बन्ध में वक्तव्य	६८७–६९४
प्रदेश के आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में छात्रों द्वारा हड़ताल करन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	६९४–७१७
नत्थियां	७१८–७२६

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १७ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३५९

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह , श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद , श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह , श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र लाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमा दत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमा शंकर तिवारी, श्री
उमा शंकर शुक्ला, श्री
ऋषि पाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री

गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाल सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री

बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
वसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल , श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलीइया, डाक्टर
भगवती सिंह, विशारद , श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान , श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसा राम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद , श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाब, श्री
महाबीरसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद , श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मस्तफा कामिल किदवाई, श्री
महम्मद नबी, श्री
महरबान सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपूर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)

रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसेन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण वाजपेयी, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री

सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेंद्र विक्रम सिंह श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा-फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १७ जून, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बलिया जिले में बैरिया बांध का सुदृढ़ीकरण

**१—श्री नित्या नन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को प्रधान मंत्री का हाल ही में एक पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश के बलिया बरिया सीमा पर या थाईधार ग्राम के लगभग ५०,००० नागरिकों का जीवन तथा उनकी सम्पत्ति भावी बाढ़ के कारण घोर संकट में है और उस स्थान पर नियंत्रण की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है ? यदि हां, तो सरका ने क्या कार्यवाही की ?

सिंचाई उप मंत्री (श्री जगरनाथ चौधरी)—

इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्य नहीं हुआ । बलिया—बेरिया बांध के सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ बचाव कार्यों के लिये भारत सरकार से ३.००० करोड़ की विशेष सहायता दिलाने के लिये प्रधान मंत्री को मुख्य मंत्रीजी ने एक पत्र लिखा था । उसका उत्तर प्रधान मंत्री ने हाल ही में मुख्य मंत्री जी को भेजा है जिसमें उक्त बिशेष सहायता देने में असमर्थता प्रकट की गई है । कहा गया है कि चतुर्थ योजना में उपलब्ध धन से ही इस कार्य की व्यवस्था की जाय ।

गत वर्षों की भाति इस वर्ष भी अस्थाई सुरक्षा कार्यों द्वारा बांध की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जा रहा है । स्थाई कार्यों के संबंध में विचार किया जा रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि प्रधान मंत्री का पत्र क्या है ? उसे पढ़ कर सुनायेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

सारे पत्र को पढ़ूं जो अंग्रेजी में है.....

श्री उपाध्यक्ष—

सिर्फ आशय बता दें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उन्होंने कहा है कि प्लान में जो १७५ करोड़ रुपये का प्राविजन किया है, वह ऐसे राज्यों के लिये किया गया है, जहां कुछ प्लान में अपने ढंग से वह रुपया दर्शा नहीं सके थे और उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है । जिस लिये उस १७५ करोड़ रुपये में से कोई भी सहायता देने में वह असमर्थ हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि अस्थायी सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध हो गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उसके लिये कार्य चालू है, शायद ६–७ लाख रुपया इस वर्ष खर्च करने का विचार है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

बलिया-बेरिया बांध के बारे में अर्से से एक समस्या उठ खड़ी हुई है, तो क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि जहां पर निकटवर्ती इलाकों में जन-धन की इतनी क्षति हो रही है, उसे बचाया जा सके ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, अस्थायी कार्य इस समय हो रहा है, लेकिन प्रतिवर्ष अस्थायी कार्य किये जाने से पूर्व उसका सर्वे कराने के बारे में डाइरेक्टर रिसर्च रुड़की की राय के लिये भेजा जाता है । पिछले वर्ष १ करोड़ ३० लाख रुपये का उसका एस्टीमेट आया था, किन्तु गत वर्ष के बाद उसका पुनः जो एस्टीमेट बनाया गया वह एक करोड़ ८० लाख का तैयार हुआ है, जो कि अभी ११ मई को हमें प्राप्त हुआ है । उस पर एक्सपर्ट कमेटी अभी कोई निर्णय नहीं ले सकी है और न वह अभी कैबिनेट के सामने गया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि बलिया-बेरिया के निकट के ५०,००० नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति को खतरा है वाकई में बाढ़ से ? अगर हां, तो यह खतरा कब से विद्यमान है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वैसे तो यह कटाव १९६४–६५ से जारी है । सरकार की तरफ से भी इसके बचाव के लिये प्रति वर्ष कुछ न कुछ रु० खर्च होता है और अभी तक १७ लाख रु० खर्च किया जा चुका है । लेकिन सिंचाई विभाग के उच्चाधिकारियों की राय के मुताबिक इससे उसकी रक्षा संभव नहीं है । इसलिये उन्होंने सुझाव दिया था कि एक रिटायर्ड बांध बांध दिया जाय जिससे पूरी सुरक्षा हो सके लेकिन उसके लिये गांव के आदमी तैयार नहीं हुये । हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दायर की जिस

में वह हार गये लेकिन उनका विरोध जारी रहा जिसकी वजह से रिटायर्ड बांध को छोड़ दिया गया और जो मौजूदा बांध है उसकी सुरक्षा के लिये निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

गत वर्ष कमलापति त्रिपाठी जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि वे प्रधान मंत्री पर इस प्रकार का दबाव डालेंगे कि बलिया-बेरिया बांध बनाया जाय जिसके कारण ५० हजार लोगों का जन जीवन खतरे में रहता है वह समाप्त हो। सरकार बतलाये कि कौन से कारण है कि भारत सरकार ने १ करोड़ ८० लाख रुपया इस प्रदेश की सरकार को देने से इनकार कर दिया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री ने जो सिंचाई मंत्री भी थे ९ सितम्बर, १९६९ को प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था इस बलिया-बेरिया बांध के लिये कि ३ करोड़ रुपया की व्यवस्था की जाय लेकिन डा० के० एल० राव ने इंकार कर दिया। फिर मैंने २८ फरवरी को लिखा कि कुछ धन दे दिया जाय और दुबारा पत्र लिखा। फिर मुख्य मंत्री जी ने लिखा और डा० के० एल० राव व प्रधान मंत्री ने रुपया देने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

वेतन-मान की अंतिम सीमा पर कार्य करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को इन्क्रीमेन्ट

**२---श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद), तथा श्री अनन्त राम जायसवाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जो अराजपत्रित कर्मचारी अपने वेतन-मान की अन्तिम सीमा पर ५ वर्षों से अधिक से कार्य करते आ रहे हैं ऐसे कर्मचारियों को एक और इन्क्रीमेंट देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

जी नहीं।

श्री विश्वनाथ कपूर---

किन कारणों से माननीय मंत्री इंक्रीमेंट देने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

आर्थिक संस्थानों की कमी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

भारत सरकार ने अपने ऐसे कर्मचारियों को इंक्रीमेंट दिया है जो अन्तिम वेतन पा रहे थे, तो क्या यह इस सरकार को ज्ञात है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

समाचार पत्रों में ऐसा सामाचार प्रकाशित हुआ था कि नेशनल कौंसिल ने ज्वायंट कंसल-टेटिव मशीनरी ने कुछ ऐसा निर्णय लिया है लेकिन अभी यह जानकारी नहीं है कि ज्वायंट कंसल-टेटिव मशीनरी की यह सिफारिश भारत सरकार ने स्वीकार कर ली है

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या यह विषय सरकार के विचारधीन रहा है ? यदि रहा है तो इसमें कितने वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या कर्मचारियों की ओर से कोई ऐसी वेतन-वृद्धि की मांग सरकार के पास आई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, इतना तो वे बता ही सकते हैं कि इस पर कितना पैसा लग जायगा । आप उत्तर देने दीजिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह प्रश्न इतना विस्तृत है कि सारे प्रदेश से इस बात की जानकारी करने में बड़ा समय लग जायेगा । इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

माननीय वित्त मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है—जी नहीं, दूसरा प्रश्न किया गया तो उत्तर उन्होंने दिया कि वित्तीय साधन नहीं हैं । तो मेरा कहना यह है कि यह दो बातें हो गईं । एक तो जब सरकर ने इस पर विचार ही नहीं किया है तो यह कैसे हो सकता है कि वित्तीय संसाधन नहीं हैं । अतः मैं मननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे वित्तीय साधनों को जुटाने का प्रयास करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

विरोधाभास तो इस प्रश्न में नहीं है किन्तु हो सकता है कि वित्तीय साधन नहीं हैं इसीलिये विचार नहीं किया गया हो ।

श्री राम करन—

जब तक विचार ही नहीं करेंगे तब तक यह जवाब कैसे दे सकेंगे कि वित्तीय साधन ही नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब विचार ही नहीं किया है तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, प्रश्न तो यह था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जो अराजपत्रित कर्मचारी अपने वेतन-मान की अंतिम सीमा पर ५ वर्षों से अधिक से कार्य करते आ रहे हैं ऐसे कर्मचारियों को एक और इन्क्रीमेन्ट देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? तो मान्यवर, जब उनसे पूछा गया कि इसके क्या कारण हैं, उन्होंने जवाब दिया कि वित्तीय कठिनाई है । इसका मतलब हुआ कि इस पर विचार हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष—

संसाधनों की कमी के कारण ही उन्होंने कहा कि विचार ही नहीं किया जा रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, यह कर्मचारियों के जीवन से सम्बन्धित प्रश्न है अतः इसमें थोड़ा समय अवश्य दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया समय नष्ट न करें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध बनती चली जा रही है । इस प्रश्न का उत्तर आप दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न तो वही होगा जो उपयुक्त हो । अगर वह कहते कि विचार कर रहे हैं, तब तो प्रश्न उठ सकता था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह प्रश्न सारे प्रदेश से संबंधित है इसलिये निवेदन कर रहा हूं ।

श्री रामकरन—

श्रीमन, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं । इस समय जो प्रश्न हो रहे हैं उनमें माननीय मंत्री जी की ओर से उत्तर दिलाने के बजाय आप स्वयं उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कुछ कोशिश नहीं कर रहा हूं । मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, उसको स्पष्ट कर रहा हूं । अधिक से अधिक प्रश्न एक घंटे में हो जायं उसके लिये प्रयत्न कर रहा हूं ।

इलाहाबाद में शांति भंग होने की आशंका से गिरफ्तारियां

**३—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने इलाहाबाद में दिनांक २७ मई, १९७० से दफा १४४ लगा दी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? इस सम्बन्ध में कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

इलाहाबाद शहर में साम्प्रदायिक तनाव होने तथा शांति भंग होने की आशंका होने के कारण, दिनांक २७–५–७० से जाब्ता फौजदारी की धारा १४४ लागू की गई ।

शांति एवं व्यवस्था के हित में ३ व्यक्तियों को धारा ११४ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

श्री राम गोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वे कौन से कारण थे जिनके कारण साम्प्रदायिक-तनाव हुआ और क्या अब वे साम्प्रदायिक तनाव के कारण दूर हो गये हैं जो सरकार नगरमहापालिका का चुनाव कराने जा रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

इसके पहले ही माननीय मुख्य मंत्री जी बता चुके हैं कि २१-५-७० से २६-५-७० तक हिन्दू महासभा की ओर से एक अधिवेशन हुआ जिसमें विभिन्न नेताओं के भाषण हुये, वीर सावरकर जयन्ती के उपलक्ष्य में। उस सम्बन्ध में २७ तारीख को यह देखा गया कि शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। उधर कुछ मुस्लिम नेताओं के भी ऐसे भाषण हुये जिनसे हिन्दू मुस्लिम तनाव की संभावना हुई, इसलिये २७-५-७० को दफा १४४ लगा दी गयी।

श्री रामगोपाल संड---

अभी-अभी मंत्री जी ने बताया कि वीर सावरकर की जयन्ती मनायी गयी थी जिसके लिये भारत सरकार ने भी डाक टिकट जारी किये और यह भी बताया कि मुस्लिम नेताओं के भी इस प्रकार के भाषण हुये जिनसे तनाव पैदा होता था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह तीन जो गिरफ्तारियां हुईं वह एक ही सम्प्रदाय की हुईं अथवा दोनों की ?

श्री राजमंगल पांडेय---

श्रीमन, २६ तारीख तक जो वीर सावरकर जयन्ती के उपलक्ष में भाषण हुये थे उससे उत्तेजना हुई और शांति भंग होने की आशंका हुई, इस सिलसिले में जो तीन व्यक्ति गिरफ्तार हुये वे तीनों हिन्दू सभाई थे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

साम्प्रदायिक भाषण जिन लोगों ने दिये क्या उन पर कोई मुकदमा चलाया गया ? तीन व्यक्ति जो गिरफ्तार हुये उनके लिये मंत्री जी ने बताया कि वे हिन्दू सभाई थे तथा आगे उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे सम्प्रदाय के लोगों ने भी उत्तेजनात्मक भाषण दिये, क्या उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री राजमंगल पांडेय---

यह तो डिग्रीज का फर्क है कि किस भाषण से कितनी उत्तेजना हो रही है। यह आथोरिटीज के विवेक पर होता है। २६ तारीख तक चार आदमियों के विरुद्ध यह चार्ज था कि उनसे ब्रीच आफ पीस की संभावना है। उनमें से ३ गिरफ्तार कर लिये गये, चौथा एब्सकांड कर रहा है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

जिन भाषणों के बाबत सरकार ने बताया कि उनसे साम्प्रदायिक तनाव फैलने की संभावना थी, क्या उन भाषणों के उन अंशों को सरकार ने अपने कानूनी मशीरों से जांच कराया था कि वे नियम विरुद्ध थे या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

भाषणों की प्रतिलिपियां तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन आफीशियल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि सीरियस इनसाइटमेंट की बात थी। अगर नोटिस मिलेगा तो भाषण भी बता दिये जायेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जिन तीन व्यक्तियों को पकड़ा गया इन्होंने क्या अपराध किया था ? क्या ये भाषण देने वालों में से थे अथवा दफा १४४ को तोड़ने वालों में से थे या साम्प्रदायिक दंगा करने वालों में से थे ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

उपाध्यक्ष महोदय, दंगा तो हो ही नहीं पाया। दंगे को रोकने के लिये ही तो गिरफ्तारी हुई। जो भाषण वगैरह दिये और जो गतिविधियां थीं उनसे यह अन्दाजा हुआ कि कम्युनल टेन्शन हो जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उपाध्यक्ष महोदय, कोई प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट तो है नहीं। या तो १४४ धारा तोड़ी गयी या कोई साम्प्रदायिक दंगे कराये गये तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह तो भाषण दिये या १४४ धारा तोड़ी या साम्प्रदायिक दंगे किये। मेरा तो बिल्कुल निश्चित प्रश्न है।

श्री राजमंगल पांडेय---

२१ से २६ तक तो डिस्कशन हुआ। २७ और २८ को इन लोगों ने जुलूस और सभायें निकालने की योजना बनायी और जब सरकार को यह मालूम हुआ कि इससे अशान्ति बहुत ज्यादा फैलेगी तो इनमें से जो खास लोग थे चार उसमें से दो आदमी २७ को पकड़े गये और एक को अगले दिन पकड़ा और एक अभी तक एक्सकांड कर रहे हैं। ब्रीच आफ पीस का इमकान था इसलिय उनको पकड़ा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरा प्रश्न यह है कि किस दफा के अन्दर इनको गिरफ्तार किया? आखिर कोई कानून तो होगा। यह तो बतलाया जाय कि किस कानून के अन्तर्गत इनको पकड़ा गया? आखिर इस प्रदेश के अन्दर कोई कानून है या नहीं?

श्री चरण सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में ही दफा बतला दी गयी थी। दोबारा फिर उसको दोहराया इसलिये नहीं गया कि हमारा खयाल था कि माननीय स्वामी जी शायद वकालत करते हैं। दफा ११४ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत उनकी गिरफ्तारी हुई।

जिला सुल्तानपुर के ग्राम बंधुआ में डकैती

**४---श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)---

क्या गृह मन्त्री को यह ज्ञात है कि दिनांक ३० मई, १९७० के रात में श्री विन्देश्वरी हलवाई, ग्राम बन्धुआ कलां, जिला सुल्तानपुर के यहां एक भयानक डकैती पड़ी जिसमें डाकुओं ने १७ नागरिकों को गोली से घायल करके लाखों रुपये की सम्पत्ति उठा ले गये? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरण सिंह---

दिनांक ३१-५-७० को थाना कोतवाली, जिला सुल्तानपुर में श्री विन्देश्वरी, निवासी ग्राम बन्धुवा कला, थाना कोतवाली, सुल्तानपुर ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक ३०/३१-५-७० की रात में उसके घर पर एक डकैती पड़ी जिसमें डाकुओं के हमले से १२ व्यक्तियों को चोटें भी आईं। इनमें से ९ को बन्दूक की गोली की व शेष ३ को लाठी से चोटें आईं। इस डकैती में रुपया १७,५६० की संपत्ति लूटे जाने का अनुमान है।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली, सुल्तानपुर में उसी दिन एक मुकदमा धारा ३९५/३९७ भा०दं०वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया और जांच आरम्भ की गई। अभी तक इस डकैती के संबंध में एक अभियुक्त तथा डकैती का माल रखने के अपराध में २ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। दिनांक १२-६-७० को लटे हुये माल में से लगभग रु० ६३२५ का जेवर सोना-चांदी बरामद किया गया। जांच जारी है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

बुलन्दशहर जिले की तहसील सिकन्दराबाद के लिये बुलन्दशहर के किसानों के लिये फसली कुलाबे और नलकूप

*१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले की तहसील सिकन्दराबाद व बुशन्दशहर में गत अतिओला वृष्टि से समस्त फसल के बरबाद होने के कारण उपरोक्त दोनों तहसीलों के किसानों को नहरों व नलकूपों का पानी विशेष रूप से दिये जाने की मांग जनता व जिलाधीश द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो किसानों की इस मांग पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ? क्या सिंचाई मन्त्री यह बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले की तहसील सिकन्दराबाद तथा बुलन्दशहर में नहरों में फसली कुलाबे तथा निजी नलकूपों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है ? यदि हां, तो इन मांगों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगरनाथ चौधरी—

जिलाधीश द्वारा सिकन्दराबाद और बुलन्दशहर की ओला ग्रस्त तहसीलों के किसानों को नहरों व नलकूपों का पानी विशेष रूप से दिये जाने की कोई मांग नहीं की गई। जनता ने जरूर पानी की व्यवस्था तथा फसली कुलाबों की मांग की है। अधीक्षक अभियन्ताओं को आदेश दिये गये कि जैसे ही बर्फ पिघल कर नहरों में पानी की मात्रा बढ़े आवश्यक फसली कुलाबे लगा दिये जायें। कुछ फसली कुलाब मांठ ब्रांच पर स्वीकृत किये गये हैं।

बुलन्दशहर जिले की तहसील सिकन्दराबाद तथा बुलन्दशहर में नहरों में फसली कुलाबों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। नहरों पर पानी की वृद्धि होने पर फसली कुलाबे लगाने के आदेश दे दिये गये हैं और कुछ लग भी चुके हैं।

उपरोक्त तहसीलों में निजी नलकूपों को प्राथमिकता देने की कोई मांग नहीं प्राप्त हुई है। फिर भी निजी नलकूप काश्तकार प्रायः स्वयं ही इच्छानुसार बनवाते हैं और उसके लिये शासन द्वारा ऋण देने व बोरिंग आदि का समुचित प्रबन्ध है और उक्त क्षेत्र में निजी नलकूप निरन्तर बन भी रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फसली कुलाबे लगाने का आदेश सरकार की तरफ से कब गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जब उनकी प्रार्थना आयी उसी समय आदेश दे दिये गये थे।

श्री रामचन्द्र विकल—

फसली कुलाबे कितने लगा दिये गये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मांठ ब्रांच में तीन कुलाबे।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फसली कुलाबे किस तारीख से दिये जाते हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

पहली वर्षा हो जाने के पश्चात ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि ओलों से न सिर्फ सिकन्दराबाद और तहसील बुलन्दशहर की जनता पीड़ित हुई और प्रभावित हुई बल्कि अनूपशहर में भी काफी नुक्सान हुआ ? क्या वहां भी, जहां यह मांग की जायगी टेम्पोरेरी कुलाबों की, वह स्वीकार करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

सवाल केवल दो तहसीलों के बारे में है । तीसरी तहसील के विषय में अगर मंत्री जी को मालूम हो तो बता सकते हैं ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामचन्द्र विकल--

उन्होंने बताया कि प्राइवेट जो नलकूप लगा रहे हैं उनको सरकार ऋण देती है तो फरवरी स, जब से ओला वृष्टि हुई है तबसे इन तहसीलों में नलकूपों क लिय कितना ऋण दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

इस से तो यह प्रश्न उठता नहीं है । इसकी सूचना एकत्रित करानी पड़ेगी ।

देहरादून के समीप रसपना नदी पर पुल

*२--श्री मुमताज मोहम्मद खां--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि १९ अगस्त, १९६९ को बरसाती नदी रसपना में जो कि देहरादून नगर के पच्छिम में बहती है, एकाएक गम्भीर बाढ़ आ जाने के कारण डालन वाला में सैकड़ों मकान गिर गये, अस्सी फिट नगरपालिका की चन्दर रोड बह गई और कितने ही ट्रक, मोटर कारें, जीपें व ट्रैक्टर बह गये और ४० व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हो गई ? क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दहरादून नगरपालिका और वहां के क्षति-ग्रस्त नागरिकों क बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद भी देहरादून नगर को रसपना नदी की बाढ़ स सुरक्षित रखने क लिय सरकार ने कोई व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की ? क्या सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान देगी ?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

१९ अगस्त, १९६९ को बरसाती नदी रिस्पना में अचानक बाढ़ आ जाने से नगरपालिका देहरादून की लगभग ४० फीट चन्दर रोड बह गई थी तथा कुछ प्राइवेट सम्पत्ति को भी नुक्सान पहुंचा था । डालनवाला में कोई मकान नह गिरा । ७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी । एक मोटर कार, एक ट्राली व एक ट्रैक्टर नदी में फंस गये थे जो बाद में कुछ क्षतिग्रस्त दशा में निकाल लिये गये थे । उक्त सड़क की मरम्मत इत्यादि नगरपालिका द्वारा की जा रही है ।

शहर को बाढ़ से बचाने के लिये रिस्पना नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन है । नगरपालिका देहरादून ने नदी पर बड़े बड़े पुश्ते बनाने का भी सुझाव दिया है परन्तु साधनों की कमी क कारण इस कार्य को करने में असमर्थता जाहिर की है । यह प्रस्ताव भी शासन क विचाराधीन है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको ज्ञात है कि रसपना नदी में पिछले साल एकाएक बाढ़ आ जाने से बहुत बड़े-बड़े पुश्ते बह गये और ८० फीट सड़क बह गई और सैकड़ों मकान गिर गये ? वह पुश्ते गिर गये हैं तो क्या नये पुश्ते बनाने का प्रश्न विचाराधीन है और क्या सरकार ने यह मालूम किया है कि इस प्रकार की बाढ़ अगर फिर आ गई तो १/३ देहरादून नगर बह जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो भावी आपत्ति के बारे में आपने पूछा ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह विचार कब तक होता रहेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)---

मान्यवर, सबसे पहले दो दरख्वास्तें सितम्बर में आईं, और उसके बाद अक्टूबर में रिपोर्ट मंगाई गई तो रिपोर्ट से यह नहीं मालूम होता कि पुश्ते बह गये, जैसा कि खां साहब ने बताया। लेकिन मैं इनकार नहीं करता कि पुश्ते थे या नहीं थे, लेकिन पुश्तों के निर्माण की आवश्यकता है और इसके अलावा पुल के निर्माण की भी आवश्यकता है। जहां तक नगरपालिका का ताल्लुक है सड़क बन रही है। इसके लिये अनुदान भी बांट दिया गया है । पुश्तों का अनुदान नगरपालिका से नहीं दिया जाता है और जो पुल बनाने का काम है उसका भी अनुदान नहीं दिया जाता है । पुल पी०डब्लू०डी० बनवाती है। अक्टूबर के बाद जब खां साहब जो इस समय प्रश्न कर्ता हैं, गन्ना एवं विकास मंत्री थे, उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को लिखा तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यह लिखा कि यह काम पी०डब्लू० डी० का है। पी० डब्लू० डी० ने फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट को लिखा । हमारे विभाग में तब से यह मामला चल रहा है। तब हमारे विभाग ने स्कैयरसिटी विभाग को लिखा तो उन्होंने कह दिया कि हम ग्रेचुइटी नहीं दे सकते । तो फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट को लिखा गया । इरिगेशन डिपार्टमेंट ने फिर लिखा कि यह काम पी०डब्लू०डी० का है। तो इसका जहां तक सवाल है, खां साहब का दौर था तो इसको वह करते लेकिन चार महीने तक कुछ न करवा सके। अब यह दोनों काम शासन के विचाराधीन हैं और इन पर जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

माननीय मंत्री जी हमारी सूचना को सही मान कर चलें, क्योंकि हमारी कांस्टीटुएंसी है, रसपना नदी में बाढ़ आने से बहुत मकान बह गये, सड़क बह गई और बहुत-सा सामान बह गया । तो मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये क्या वह विशेष अनुदान देकर वहां बन्ध बनवाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान---

मैंने अर्ज किया कि यह मसला विचाराधीन है। पी०डब्लू०डी० को लिखा जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि इस नदी पर हो कर एक सड़क देहरादून को और दूसरी सड़क जहां आर्डिनेंस फैक्टरी है वहां को जाती है, तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि उस सड़क पर भी पुल बनवायेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान---

इस वक्त तो एक ही पुल का निर्माण-कार्य हो जाय, तो काफी है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला देवरिया की तहसील हाटा और पडरौना के गांवों को गंडक नहर व इसकी शाखाओं द्वारा विभक्त करना तथा उन पर पुल

*१—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील हाटा और पडरौना, जिला देवरिया के अन्तर्गत निकलने वाली गंडक नहर तथा उसकी शाखायें किन-किन गांवों को या गांवों की खेती को दो हिस्से में विभक्त करती हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिला देवरिया की तहसील हाटा एवं पडरौना में मुख्य गंडक नहर और उसकी शाखाय जैसे राजबहे व माइनरें आदि लगभग ८०० गांवों या/व उनकी खेती को विभक्त करती हैं। गांवों के नाम संलग्न †सूची में दिये गये हैं।

*२—श्री रामधारी शास्त्री (अनुपस्थित) तथा श्री हरिवंश सहाय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नहर द्वारा विभक्त उन गांवों में कैटिल ब्रिज और फुटब्रिज बनाये गये हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

संबंधित पूरे क्षेत्र की सुविधा के लिये ग्रामीण सड़कों के पुल व पक्की सड़कों के पुलों की व्यवस्था की गई है। अधिकतर मुख्य गंडक नहर पर औसतन डेढ़ मील पर और शाखाओं पर औसतन एक मील पर पुल प्रस्तावित किये गये हैं। जिन गांवों की जमीन दो भागों में विभक्त हो गई है उनमें अधिकतर ग्रामीण सड़क के पुल बनाने का प्रयास किया गया है। जहां पर ग्रामीण सड़क नहीं थी, वहां किसानों की सुविधा के लिये पशु तथा पद सेतु बनाने का प्रयास किया गया है, फिर भी कुछ ऐसे गांव रह गये हैं जहां किसी भी प्रकार का पुल नहीं बना है।

ब्लाक हाटा, जिला देवरिया के किसानों को मुआविजा

*३—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतलायेंगे कि देवरिया जिले में ब्लाक हाटा के अन्तर्गत निकाली जा रही नहर में जिन ग्रामों की जमीन ली जा रही है वहां के किसानों को मुआविजा दिया गया है या नहीं ?

श्री जगरनाथ चौधरी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१८ पर)

श्री बांके लाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थरवाडीह ग्राम के मुआवजे के लिये २६-५-७० को राजस्व परिषद् को लिखा गया था ? अबतक स्वीकृति नहीं आई, क्या वजह है, माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, इसका मुआवजा प्रारम्भ में २६-९-६९ को राजस्व परिषद् को भेजा गया था। उन्होंने उसमें कुछ दोष बताया। पुनः ११-२-७० को राजस्व परिषद् को भेजा गया। फिर उन्होंने कुछ दोष बताया। पुनः २ मई को राजस्व परिषद् को भेजा गया और उन्होंने फिर कुछ दोष बताये और अब २६ मई को भेजा गया है।

श्री बांके लाल—

नहर के किनारे किसानों के खेत से जो मिट्टी ठेकेदार लोग नहर के काम के लिये निकाल रहे हैं उसका मुआविजा किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है, क्या इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है। यह हो सकता है कि अस्थायी रूप से जमीन एक्वायर की गई हो। फिर भी माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो हम जांच करा लेंगे।

श्री बांके लाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे जिले में नहर निकाली जा रही है और उसकी शाखाय निकाली जा रही हैं और किसानों के खेत से मिट्टी ली जा रही है और उसका मुआविजा नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा कि लिखकर आप दे दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उसके आधार पर हम जांच करा लेंगे।

ग्राम समाज, भोगपुर, जिला सहारनपुर की जमीन का वितरण तथा उससे आय

*४—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर के ग्राम भोगपुर, तहसील रुड़की की कितनी एकड़ जमीन कृषि योग्य तथा बंजर ग्राम समाज के पास है तथा पिछले तीन सालों में उक्त कृषि योग्य जमीन तथा बंजर से कितनी आमदनी हुई ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

ग्राम भोगपुर में ७२५ एकड़ कृषि योग्य तथा बंजर भूमि है जिसमें पिछले ३ सालों में ३,५७४ रुपया ७४ पैसे आमदनी हुई थी।

*५—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जमीन को किन-किन लोगों को पट्टे पर दिया गया है तथा देने की क्या शर्तें हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उपरोक्त भूमि में से ११९ एकड़ भूमि असामियान के रूप में २० खेतिहर मजदूरों तथा २ अन्य परिवारों को सामान्य शर्तों पर उठाई गई थी। इनमें से ११ पट्टे अनियमितता के आधार पर बाद में खारिज किये गये थे। उक्त व्यक्तियों की सूची का सदस्य महोदय यदि चाहें तो मेरे कार्यालय में अवलोकन करने का कष्ट करें।

ग्राम मन्सूरपुर, जिला रामपुर की कोसी नदी के पुल से सम्बन्धित जमीन का मुआविजा तथा लार्ज लैन्ड होल्डिंग टैक्स से इसकी मुक्ति

*६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन ग्राम मन्सूरपुर, जिला रामपुर की कोसी नदी के पुल बनाने से संबंधित सड़क के लिये सन् १९६५ में एक्वायर की गई थी उसका मुआविजा दिनांक २५ अप्रैल, १९७० तक क्यों नहीं दिया जा सका ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री वीरबहादुर सिंह)—

१३६.६८ एकड़ अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर ५५६७.२८ रुपया अवधारित किया गया था । इसमें से ५१६५.६४ रुपया २५-४-७० के पहिले बांटा जा चुका है। शेष ४०.४१ एकड़ भूमि का प्रतिकर इस कारण नहीं बांटा जा सका है क्योंकि भूमि अभी अर्जित नहीं की जा सकी है ।

*७—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि उपर्युक्त सड़क के लिये एक्वायर की गई जमीन को लार्जलैण्ड होलडिंग टैक्स से बरी नहीं किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उपर्युक्त सड़क के लिये जमीन अभी एक्वायर नहीं की गई है इसलिये टैक्स से बरी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जरा आप स्वयं प्रश्न को पढ़कर देख लें । मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें कंट्राडिक्शन है । मंत्री जी ने कहा कि १३६.६८ एकड़ जमीन एक्वायर की गई और उसका मुआविजा ५ हजार रुपया दिया गया और फिर कहते है कि शेष ४०.४१ एकड़ का मुआविजा नहीं दिया जा सका क्योंकि वह जमीन एक्वायर नहीं की जा सकी । पहले कहा एक्वायर की गई और फिर दुबारा कह रहे है कि एक्वायर नहीं की जा सकी । श्रीमन्, मौके पर सड़क बनी हुई है । साथ ही साथ मैं आपको मान्यवर, यह बतलाऊं कि जो ३२ एकड़ जमीन एक्वायर की गई उसका १६९ रु० लगान १९६९ फसली से छोड़ दिया गया है जब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा तब से । और मंत्री जी अब कहते हैं कि एक्वायर नहीं की गई ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)—

मान्यवर, जो प्रश्न का उत्तर है वह सही है । आप देखेंगे प्रश्न में दो तरह की लैंड है । एक टेम्पोरेरी है और दूसरी परमानेंट है । तो श्रीमन्, जो यह उत्तर दिया गया कि १३६.६८ एकड़ का कम्पेनसेशन दिया गया वह टैम्पोरेरी लैन्ड का है और परमानेंट लैन्ड का ४०.४१ एकड़ जो है उसके कागजात अभी तैयार नहीं हुये इसलिये उसका कम्पेनसेशन नहीं दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुये कि सन् ६५ में यह जमीन एक्वायर की गई थी और आज ७० हो गया किन्तु यह ३२ एकड़ जमीन जिसका लगान १६५ रु० है, उसको अब तक लार्ज होल्डिंगटैक्स से मुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि इसके कागजात आपके पास पड़े हुये हैं । इन सब बातों को देखते हुये क्या मंत्री महोदय, इसमें तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे जिससे उस जमीन को लार्ज होल्डिंग टैक्स से बरी किया जा सके और उसको मुआवजा मिल सके ?

श्री धर्म सिंह---

यह जमीन डी०आई आर० के अन्तर्गत एक्वायर की गई थी। यह सही है कि इस देरी अवश्य हुई है। मैं इस संबंध में विशेष रूप से आदेश भिजवाने की व्यवस्था करूंगा।

श्री राम कुमार शास्त्री----

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि टैम्पोरेरी और परमानेंट जमीन की क्या मुराद है ?

श्री धर्म सिंह---

सड़क बनवाने के लिये दो प्रकार से जमीन ली जाती है। जिस पर सड़क बननी हो उतनी लम्बाई को परमानेंट तरीके से लिया जाता है और अगर मिट्टी उठाना है तो यह टैम्पोरेरी तरीके से ली जाती है जैसे दो वर्ष के लिये।

जिला इलाहाबाद की तहसील सोरांव में गांव सभाओं की भूमि तथा कछारी भूमि पर अवैध कब्जा का वितरण

*८---श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव में गांव सभाओं की भूमि को कब तक भूमिहीन हरिजनों में वितरित किया जायगा ?

राजस्व उपमंत्री (श्री रामकिंकर)---

प्रश्नगत गांव सभाओं की भूमि का वितरण ३० जून, १९७० तक निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार कर दिया जावेगा।

*९---श्री रामपूजन पटेल---

क्या राजस्व मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त तहसील के कछारी भूमि पर अवैध रूप से किन-किन लोगों ने कब्जा कर रखा है और सरकार क्या उक्त लोगों से जमीन निकाल कर भूमिहीन हरिजनों में बांटने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किंकर---

(क) तहसील सोरांव की कछारी भूमि पर २०९ व्यक्तियों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। व्यक्तियों की सूची सदस्य महोदय यदि चाहें तो मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

(ख) नाजायज कब्जेदारान के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन चल रही है। बेदखली की कार्यवाही पूरी होने के बाद भूमि का कब्जा गांव सभा को सौंप दिया जावेगा। भूमि का कब्जा पाने के बाद नियमानुसार भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बांटी जावेगी। आशा की जाती है कि भूमिहीनों को भूमि ३० जून, १९७० तक बांटी जा सकेगी।

श्री रामपूजन पटेल---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस जमीन पर बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने कर्मचारियों से मिलकर कब्जा कर लिया है, तो सरकार उस नाजायज कब्जे से उनको हटाकर भूमिहीनों और हरिजनों को जमीन दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

नाजायज कब्जे को हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है और उनको हटाकर भूमिहीनों और हरिजनों को ही जमीन दी जायगी । यह कार्यवाही शीघ्र की जायगी जैसा कि उत्तर में बता दिया गया है ।

जिला फर्रुखाबाद में राजेपुर से अमृतपुर तक तथा राजेपुर से गुजरपुर तक सड़क का निर्माण

*१०--श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में राजेपुर से अमृतपुर तक पी०डब्ल्०डी० द्वारा बनाई जाने वाली सड़क एक लम्बे अरसे से बनाई जा रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी ? यदि हां, तो इसका कार्य कब प्रारम्भ किया गया तथा उसे पूरा करने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं और अब उसे कब तक पूरा कर दिया जायगा?

श्री वीरबहादुर सिंह--

राजेपुर से अमृतपुर तक सड़क का निर्माण कार्य नवम्बर १९६३ में प्रारम्भ हुआ था परतु कार्य स्थल तक निर्माण कार्य के लिये मिट्टी, डामर, ग्रिट इत्यादि पहुंचाने में कठिनाई होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही । इस सड़क का निर्माण कार्य मार्च, १९७१ तक होने की आशा है ।

*११--श्री महरम सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में राजेपुर से गुजरपुर होकर बदायूं जाने वाली रोड को गुजरपुर तक बनाने का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा और उसमें खर्च करने के लिये क्या धनराशि स्वीकार की गई है? यदि हां, तो कितनी और कब और उसका कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब क्यों है?

श्री बीरबहादुर सिंह--

अमृतपुर से गुजरपुर तक सड़क का निर्माण कार्य १७.८५ लाख रु० की अनुमानित लागत पर जुलाई१९६९ में स्वीकृत किया गया था । इसके ४ फरलांग में मिट्टी का कार्य हो चुका है । शेष निर्माण कार्य के लिये भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है । भूमि अध्याप्त होने पर शेष कार्य प्रारम्भ किया जायगा ।

श्री मरहम सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि राजेपुर से अमृतपुर तक सड़क निर्माण का कार्य सन् १९६३ से आरम्भ हुआ था और सन् १९७१ तक पूरा होने की आशा है, कि उस समय कितना एस्टीमेट स्वीकार किया गया था और इतनी लम्बी अवधि में कार्य पूरा होने तक वह एस्टीमेट कितना बढ़कर अधिक हो जायगा ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

इसके दो भाग हैं । एक राजेपुर से अमृतपुर सड़क ४ मील २ फरलांग जिसकी लागत है ५.४० लाख रुपया, और दूसरी अमृतपुर से जरेनपुर सड़क ६ मील ३ फरलांग जिसकी लागत है ११.२५ लाख ।

श्री महरम सिंह---

श्रीमन्, मेरा उत्तर नहीं आया । मैंने पूछा कि उस समय सन् ६३ में प्रारम्भ होने के पहले कितना एस्टीमेट स्वीकार किया गया था और अब नौ वर्ष में सड़क पूरी हो जायेगी तो वह एस्टीमेट बढ़कर कितना हो जायेगा ?

श्री धर्म सिंह---

जहां तक पहली सड़क का संबंध है, जैसा कि उप मंत्री जी ने बताया, यह ४ मील २ फरलांग लम्बी है और इसकी अनुमानित लागत ५.४० लाख रुपया थी । यह बात सही है कि इसमें देरी हुई और उसका कारण यह है कि गंगा और रामगंगा के बीच में पीपे का पुल है जहां से सामान इत्यादि ले जाना पड़ता है । साल भर में सात महीने ही काम हो पाता है क्योंकि ट्रक इत्यादि में बोझा अधिक होने की वजह से वह पास नहीं हो सकता है । इसलिये देरी हुई ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस कार्य में कुछ अधिकारियों की भी ढिलाई हुई और यदि हुई हैं तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्म सिंह---

कोई ढिलाई तो मालूम होती नहीं है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, नौ-नौ और सात-सात वर्ष तक सड़क न बने और वह भी चार मील का टुकड़ा उसमें भी सरकारी अधिकारियों की ओर से ढिलाई की कोई सूचना क्या माननीय मंत्री जी को नहीं मिली ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो उन्होंने बता दिया कि नहीं मिली ।

श्री महरम सिंह---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पीपे का पुल है और उससे सब सामान उतरता है । श्रीमन्, उस पर बड़े-बड़े काम हो जाते हैं जैसे पी० डब्ल्यू० डी० ने पूरी गंगा में एक पक्का पुल बना दिया है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस मामले में पुनः जांच करायंगे कि क्यों देरी हुई और जो अधिकारी दोषी होंगे क्या उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री धर्म सिंह---

मान्यवर, कारण मैंने बताया अभी कि यों देरी हुई । फिर भी सदन की भावना को देखते हुए मैं विशेष रूप से जांच करा लूंगा और अगर किसी सरकारी आदमी के कारण देर हुई होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

जिला अलीगढ़ के ग्रामों की भूमि तथा आबादी का गंगा नदी द्वारा काटना

*१२---श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील अतरौली के हारनपुर कलां, किरतोली तथा फतेहपुर गंग नामक ग्रामों की कितनी-कितनी भूमि तथा उनकी आबादी गंगा से कट चुकी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

गंगा नदी के रुख बदलने के कारण जिला अलीगढ़ की तहसील अतरौली में स्थित ग्राम हारनपुर कलां, किरतौली तथा फतेहपुरगंज की क्रमशः लगभग १४१, ५७२ तथा २०४ एकड़ भूमि कट चुकी है तथा हारनपुर कलां में २८ मकान व किरतौली में २५ मकान कट गये हैं । ग्राम फतेहपुर गंग गैर-आबाद है ।

*१३--श्री कल्यान सिंह (अनुपस्थित) तथा श्री वासुदेव सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार धुर धारा के प्राविधानों में संशोधन करके उपरोक्त तीनों ग्रामों की जो भूमि गंगा की धारा से कटकर उत्तर दिशा में पानी से ऊपर जिला बदायूं की सीमा की ओर निकल गई है, उसे उक्त ग्रामों के उन कृषकों को देने की कृपा करेगी कि जिनकी भूमि गंगा की धारा से कट चुकी है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

वर्तमान शासनादेशानुसार उपर्युक्त ग्रामों की जो भूमि गंगा के रुख बदलने के फलस्वरूप उत्तर दिशा में जिला बदायूं की ओर निकल आई है उसके पाने के हकदार वही खातेदार हैं जिनकी भूमि कटी है । तदनुसार कार्यवाही की जा रही है । अतएव प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता है।

जिला कानपुर में बिल्हौर से रसूलाबाद, झींझक से सिकन्दरा तथा रसूलाबाद से झींझक तक पक्की सड़क का निर्माण

*१४--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की सिकन्दरा से बिल्हौर की पी० डब्लू० डी० की सड़क में दिनांक २० अगस्त, १९६९ को विधान सभा में प्रश्न सं० ५४ के उत्तर में यह बताया गया था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ८ मील ३ फरलांग पक्का करने का प्रस्ताव है? यदि यह सही है, तो इस ८ मील ३ फरलांग को इस सड़क के किस स्थान पर पक्का कराया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । बिल्हौर से रसूलाबाद तथा झींझक से सिकन्दरा तक सड़क के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

*१५--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के रसूलाबाद झींझक सड़क को पक्का कराने के लिये १९६९-७० के बजट में ५ लाख ५० हजार रुपया स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो इस सड़क को पक्का कराने का कार्य कब से शुरू होगा और कितने समय के भीतर उक्त धनराशि से यह सड़क पक्की की जा सकेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत सड़क को पक्का कराने का कार्य वर्ष १९६९ में स्वीकृत किया गया था । इस सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसके लिये १९६९-७० के आय-व्ययक में धन का कोई प्राविधान नहीं था ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बिल्हौर से रसूलाबाद की दूरी कितनी है और इसके लिये कितना धन स्वीकृत हुआ है तथा झींझक से सिकन्दरा की दूरी कितनी है और उसके लिये कितना धन स्वीकृत हुआ है?

श्री धर्म सिंह---

श्रीमन्, कानपुर की जिस सड़क का जिक्र किया गया है वह सड़क सिकन्दरा से बिल्हौर ७४ किलोमीटर लम्बी है और जो आदेश इत्यादि भेजे गये हैं उसमें झींझक से रसूलाबाद का पुनः निर्माण १६ किलोमीटर का है । ९.५ लाख रुपये लागत होगी । २७-४-७० को जो अलग से आदेश गये हैं उसके अनुसार झींझक से सिकन्दरा तक की लम्बाई २६ किलोमीटर है और नानामऊ बिल्हौर-उपवन-रसूलाबाद की लम्बाई ४० किलोमीटर है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बिल्हौर से रसूलाबाद और झींझक से सिकन्दरा इन स्वीकृत सड़कों का निर्माण कब से शुरू हो जायगा और कितने दिनों में यह कार्य पूरा हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इन सड़कों की स्वीकृति के आदेश २७-४-७० को दिये जा चुके हैं । इनका विस्तृत आगणन प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू हो सकेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ६४ किलोमीटर में से यह सड़क ८ किलोमीटर बनेगी तो वह किस स्थान से किस स्थान तक बनेगी ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

यह बिल्हौर से रसूलाबाद और झींझक से सिकन्दरा सड़क बनाई जायगी । यह ६६ किलोमीटर बनेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं यह जानना चाहता हूं कि ६४ किलोमीटर जो लम्बी सड़क है वह केवल ८ किलोमीटर बनेगी तो वह किस स्थान से किस स्थान तक बनेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह ८ किलो मीटर नहीं बनाई जा रही है बल्कि २६ किलोमीटर बनाई जा रही है और दूसरी ४० किलो मीटर बनाई जा रही है । बाकी सड़क बन चुकी है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि झींझक से रसूलाबाद और बिल्हौर से रसूलाबाद की जो सड़क है वह इस समय बिलकुल टूटी है जिसके लिये इस बजट में रुपया स्वीकृत किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---

जी हां, यह सही है कि यह सड़क पहले कंकड़ की बनी थी । उसका थोड़ा सा हिस्सा बीच में रह गया था अब बजट में उसके पुनर्निर्माण के लिये धन रखा गया है ।

अतिरिक्त कमिश्नर फैजाबाद के न्यायालय में अपीलों की संख्या तथा रिमान्ड

*१६---श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त कमिश्नर, फैजाबाद के न्यायालय से वर्ष १९६९ से अप्रल, १९७० तक कितनी अपीलों का फैसला किया गया और उनमें से कितनी अपीलें रिमांड की गईं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

३९१० अपीलों का फैसला किया गया तथा १०२७ रिमांड हुईं ।

प्रतापगढ़ के सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय से मिसिलें आदि की चोरी

*१७—श्री जयराम यादव—

क्या सरकार को जानकारी है कि अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, प्रतापगढ़ के न्यायालय से मिसिलें, नकल की दरख्वास्तें, फोलियों स्टाम्प सहित दिनांक ३ दिसम्बर, १९६९ को गायब हो गई हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

३ दिसम्बर, १९६९ को सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी प्रतापगढ़ के न्यायालय से कोई मिसिलें, नकल इत्यादि गायब नहीं हुई । लेकिन इसी कार्यालय में जनवरी २/३, १९७० की रात्रि को चोरी की घटना हुई जिसमें कोई मिसिल गायब नहीं हुई परन्तु कुछ नकलों की दरख्वास्तें, फोलियों स्टाम्प सहित गायब हुई । इस चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाने में ३ जनवरी, १९७० को की गयी थी । पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया और उन्होंने तफतीश खतम कर दी ।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १०२७ केसेज में साल भर में रिमांड किया गया तो इन रिमांड का क्या कारण था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

रिमांड तब होता है जब किसी केस में पूरा-पूरा फैसला पूरे फैक्ट्स पर नहीं होता है । यही कारण है कि उनमें रिमांड किया गया ताकि फिर पूरी जांच हो जाय । पूरे वाकयात पर जजमेंट नहीं दिया गया ।

श्री जयराम यादव—

रिमांड की संख्या को देखते हुये क्या यह नहीं कहा जा सकता कि अतिरिक्त कमिश्नर अकर्मण्य हैं और काम नहीं करना चाहते हैं, यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस तरह का इंफरेंस माननीय सदस्य निकालते हैं तो निकाला जा सकता है लेकिन यह भी हो सकता है कि वाकयात ऐसे हों जिनकी वजह से पूरी तरह से नहीं देखे गये हों । माननीय सदस्य को अगर किसी विशेष केस की जानकारी हो जिसमें २,४,१० केस इस तरह के हों वे बतलायेंगे तो मैं उनकी जांच करूंगा और जिनकी गलती पाई जायगी उनको सजा दी जायगी ।

श्री जयराम यादव—

श्रीमन्, हमारा प्रतापगढ़ जिला अपील के मामले में फैजाबाद में शामिल है और प्रतापगढ़ व फैजाबाद में यह आम शोहरत है कि वह मेहनत नहीं करते और उनको रिमांड कमिश्नर कहा जाता है, तो क्या सरकार उनके खिलाफ जांच करायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह जो रिमांड हुये हैं तो फैसले तो उन्होंने किये ही हैं, यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह मेहनत कम करते हैं । इसके लिये २ आफिसर थे, एक थे श्री मुबारक हुसेन, इन्होंने १-१-६९ से ३१-१२-६९ तक २५०२ फैसले किये और ६०८ केस रिमांड हुये

और १-१-७० से ३०-४-७० तक ९१० फैसले किये और ३३० रिमांड हुये और दूसरे आफिसर थे श्री आर० के० गर्ग, इन्होंने भी १-१-६९ से ३१-१२-६९ तक ४९९ फैसले किये और ८१ रिमांड हुये । इस तरह से फैसले भी काफी हुये हैं लेकिन अगर कोई बात ऐसी है तो जैसा मैंने कहा माननीय सदस्य उसकी सूचना दें तो देख लेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

चूंकि फाइनल रिपोर्ट लग गई है और सरकारी कार्यालय से कागजात गायब हुये हैं और चोरी पकड़ी गई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस पेशकार और अहलमद की कस्टडी में यह कागजात थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैंने आज ही आदेश दिये हैं कि जिसकी कस्टडी में यह कागजात रहे हैं उनसे जवाब तलब किया जाय और यदि उनकी लापरवाही पाई जाय तो उनको सजा दी जाय और इसके अलावा जो सुपरवाइजिंग आफिसर रहे हों यदि उनकी भी गलती पाई जाय तो उनकी भी चरित्र पंजिका में एंट्री की जाय और तम्बीह की जाय ।

श्री जयराम यादव---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कुल कितनी नकल की दरख्वास्तें थी जो गायब हुई हैं ?

श्री राम किंकर---

यह कोई २५० नकल की दरख्वास्तें थीं ।

श्री जयराम वर्मा---

जिन लोगों ने अपना पैसा लगाकर यह नकल की दरख्वास्तें दीं वह गायब हो गईं, तो क्या मंत्री जी ऐसा कोई आदेश देगें कि सरकारी खर्च पर निर्णयों की प्रतिलिपि उन लोगों को दी जायें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा

ऐसे आदेश तो नहीं दिये जा सकते लेकिन जिसकी गल्ती होगी उनको सजा दी जायेगी ।

श्री बांके लाल---

जब नकल की दरख्वास्तें सरकारी दफ्तर से गायब हुई हैं तो यह खर्च सरकार को बरदाश्त करना चाहिये ।

जिला उत्तरकाशी में मनेरी बांध हेतु अर्जित की गई भूमि तथा किसानों के पुनर्वास की व्यवस्था

*१८---श्री गोविन्द सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उत्तर काशी में सरकार ने मनेरी बांध के लिये किन-किन गांवों की कितनी भूमि अर्जित की है ?

*१९---कितने किसानों से बिना मुआविजा दिये हुये भूमि का सरकार द्वारा कब्जा ले लिया है तथा जिन किसानों को भूमि अर्जित की गई है उनके पुनर्वास के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री जगर नाथ चौधरी---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मंत्री जी बताने कृपा करेंगे कि क्या वह इस अधिवेशन में ही यह सूचना एकत्र करके सदन के सामने रखेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्योंकि प्रश्न में यह था कि किन-किन गांवों की कितनी कितनी भूमि अर्जित की गई है तो यह ब्योरे बात है इस लिये अब कार्यवाही चल रही है और कोशिश यही है कि अल्प ही सूचना एकत्र करा ली जाय ।

श्री गोविन्द सिंह—

चूंकि श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है इसलिये निवेदन है कि इसको आप मुल्तवी कर दें और किसी अन्य दिन की कार्यवाही में इसे रख लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष

यह उत्तर आयेगा ।

प्रश्नों का समय समाप्त ।

गाजियाबाद जिले के एक राजबहा के पुल का टूटना

*२०—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ), श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा फतेहाबाद) तथा श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद से ७ मील १ फरलांग पर राजबहा का पुल लगभग एक वर्ष से टूटा पड़ा है जिसका एक वर्ष पूर्व टेंडर हो कर निर्माण भी शुरू हो गया था परन्तु कच्चा पुल बनने के बाद अचानक निर्माण बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला मेरठ के नाला डासना पर बने पुल के पास के रास्ते को समतल करना

*२१—श्री प्यारेलाल, श्री हुकुमसिंह परिहार तथा श्री भीमा प्रसाद—

क्या सिचाई मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि नाला डासल, मेरठ पर कल्लू गढ़ी के पास पुल का निर्माण १९६८ में पूर्ण हो गया था, परन्तु पुल ज्यादा ऊंचा बनने के कारण तथा पुल और आम रास्ते के बीच ऊंचाई का भराव न होने के कारण पुल का निर्माण निरर्थक हो गया है ? यदि हां, तो पुल व आम रास्ते को समतल कराने हेतु मिट्टी का भराव कराने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नाला डासना, (न कि नाला डासल) जिला मेरठ पर कल्लू गढ़ी ग्राम के पास पुल का निर्माण सन् १९६८ में करवाया गया था । इसके रेम्पों (ढालों) पर मिट्टी की भराई अवश्य कम हुई थी जिसको अब पूर्ण कराया जा रहा है और आशा की जाती है कि यदि कोई अदृष्टि कठिनाई न पड़ी तो यह कार्य ३१-७-७० तक पूर्ण हो जावेगा ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

[१७ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला बलिया के सूखा ग्रस्त लोगों के लिये मुफ्त भोजनालय का संचालन तथा भारत सेवक समाज द्वारा राहत कार्य

*१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६७ में सूखाग्रस्त लोगों को राहत दिलाने के लिये सरकार ने बलिया जिला में मुफ्त भोजनालय का संचालन किया था ? यदि हां, तो ऐसे भोजनालय किसके संरक्षण में और कहां-कहां संचालित हुये तथा उन पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं । १९६७ में सूखाग्रस्त लोगों को राहत दिलाने के लिये बलिया जिले में सरकार द्वारा मुफ्त भोजनालय नहीं चलाये गये थे । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बलिया में सन् १९६७ में सूखा और सन् १९६८ में भीषण बाढ़ से लोगों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार ने बलिया, भारत सेवक समाज को वितरण हेतु सामान और धनराशि दिया था ? यदि हां, तो नकद रकम और वस्तुओं की पूरी तालिका क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सरकार द्वारा भारत सेवक समाज को वितरण हेतु कोई सामान या धनराशि नहीं दी गई अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

जिला अलीगढ़ में नाला सिकन्दराराऊ को गहरा करने तथा पुल बनाने की योजना

*३—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील सिकन्दराऊ, जिला अलीगढ़ में ग्राम बरई शाहपुर के पास रजबाहा सिकन्दराराऊ व नाला सिकन्दरारऊ एक दूसरे को काटते हैं उस जगह नाले में केवल ३ दरवाजें होने के कारण पानी ठीक से नहीं पास हो पाता और एक्वेडेक्ट के पश्चिम ओर के गांव बरई शाहपर, सभोखर, नगला ढक व बरगवां वर्षा में जलमग्न हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नाले को और गहरा तथा चौड़ा करवाने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ग्राम बरई शाहपुर के पास जिस स्थान पर नाला सिकन्दराराऊ रजबाहा सिकन्दराराऊ को काटता है, उस स्थान पर नाले के पानी के निकास के लिये तीन दर का एक्वेडक्ट है जिसमें प्रत्येक दर की चौड़ाई ८.३३ फुट है जो नाले के पानी के निकाल के लिये पर्याप्त है । अधिक वर्षा काल में ग्राम बरई शाहपुर के लगभग १३० एकड़ क्षेत्र में नीची जमीन होने के कारण पानी भर जाता है जो एक सप्ताह के अन्दर निकल जाता है ।

इस नाले को गहरा व चौड़ा करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है और न इस समय इसकी आवश्यकता है ।

*४—श्री जगदीश गांधी—

आसपास के गांवों की सुविधा के लिये क्या सरकार उक्त एक्वेडक्ट से एक मील पश्चिम नाला सिकन्दराराऊ पर ग्राम बरई शाहपुर के निकट एक ३ फुट चौड़ा फुट ब्रिज बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

धन उपलब्ध होने पर पैदल पुलिया का निर्माण सम्भव हो सकता है।

*५—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

मथुरा जिले की तहसील छाता के ग्रामों को गर्की से बचाने की योजना

*७—श्री तेजपाल (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री को मालूम है कि मथुरा जिले में छाता तहसील के ग्राम गढ़ी बरबारी, सिरथला, कामर, लालपुर दहगांव, हुलवाना परवरपुर कादौना सांचोली गिड़ोह खिटावटा बदनगढ़, लौहरवाली, नन्दगांव रीठौरा ग्रामों में गत २४ वर्ष से लगातार गर्की रहती है और खरीफ की फसल कतई होती नहीं, रबी भी हजारों एकड़ भूमि बिना बोये रह जाती है सरकार गर्की से इन ग्रामों को बचाने का क्या उपाय कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, इस क्षेत्र को गर्की से बचाने के लिये एक बांध बनाने के प्रस्ताव पर आवश्यक सर्वेक्षण भी किया गया था परन्तु इसका निर्माण अधिक लम्बाई होने तक आर्थिक कारणों से उचित नहीं पाया गया। अब इस क्षेत्र के पानी को निकाल कर गोवर्धन नाले में डालने के लिये एक नाले का सर्वेक्षण किया गया है। यह प्रस्तावित नाला हुलवाना, खितवरा, बदनगढ़, लोहरवारी तथा रीठौरा आदि ग्रामों की सीमाओं में होता हुआ कामा रेगुलेटर के समीप गोवर्धन नाले में मिल जायेगा। किन्तु इस कार्य को भी जब तक नहीं कराया जा सकता जब तक कि गोवर्धन नाले का पुनरुद्धार कर इसकी क्षमता को बढ़ा न दिया जाय।

*८—श्री तेजपाल—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

रामपुर जिले में सड़कों तथा पुलों का निर्माण

*९—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रामपुर जिले के लिये कितनी सड़कें निर्माणधीन रखी गई हैं ? उन सड़कों के नाम क्या हैं ?

श्री वर्मसिंह—

जिला रामपुर में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो सड़कें निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७१९ पर)

*१०—श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने पुल निर्माणधीन रखे गये हैं ? और उनका निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

श्री धर्मसिंह—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अभी सभी पुलों के संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

*११–१२—श्री रामनिहोर राय—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१३—श्री प्रेम नारायण अहरवार (एडवोकेट)—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

जौनपुर जिले में जौनपुर से खुटहन तथा आरा जाने वाली सड़क का निर्माण

*१४—श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के जौनपुर से खुटहन और जौनपुर से आरा जाने वाली सड़क के निर्माण की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका कार्यान्वयन कब तक होगा ?

श्री धर्मसिंह—

जी नहीं ।

*१५—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[पुनर्विचार के कारण स्थगित]

*१६–१७—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री रामचरण—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१८—श्री धर्मवीर—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

नागर क्षेत्र स्थानीय निकायों का अवक्रमित होना तथा चुनाव

*१९—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय नगर क्षेत्रीय कौन-कौन से स्थानीय निकाय अतिक्रमित (सुपरसीड) हैं तथा उनका अतिक्रमण काल कब-कब समाप्त हो रहा है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७२० पर)

*२०—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतायेंगे कि सरकार उपरोक्त प्रश्न में उल्लिखित स्थानीय निकायों के चुनाव भी नगर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के आम चुनाव के ही साथ करायेगी यद्यपि अतिक्रमण काल पूरा न हो सका ?

श्री अतीकुर्रहमान—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*२१—श्री उमानाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं का स्थायीकरण

*२२—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले तीन वर्षों से अस्थायी सहायक अभियन्ताओं का स्थायी करण किया गया ? यदि हां, तो कितने पदों का तथा यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह—

जी हां । पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग में २० सहायक अभियन्ता सिविल व ३ सहायक अभियन्ता विद्युत् / यांत्रिक का स्थायीकरण किया गया है ।

हरदोई जिले में शाहाबाद से पिहानी तक पक्की सड़क का निर्माण

*२३—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में शाहाबाद से पिहानी तक लगभग १६ मील के मार्ग को जनता की मांग के आधार पर सरकार ने पक्की सड़क बनाने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो वह सड़क कब तक बनेगी ?

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं ।

जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद म सीलिंग द्वारा निकाली गई जमीन का बितरण

*२४—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद के अन्तर्गत सीलिंग के आधार पर कितनी भूमि है जिसका पट्टा भूमिहीन काश्तकारों को किया गया है और उसमें हरिजनों के नाम कितने पट्टे हुये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद में सीलिंग के अन्तर्गत सरकार को ७३६.८४ एकड़ भूमि प्राप्त हुई है । इसमें से भूमिहीन व्यक्तियों को ४१४.७८ एकड़ भूमि पट्टे पर उठाई गई है जिसमें से हरिजनों को १२५.०० एकड़ भूमि दी गई ।

*२५–२६—श्री नगीना सिंह—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२७—श्री इन्द्रलाल—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२८—श्री जयराम यादव—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

गाजियाबाद नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें तथा उनका ट्रान्सफर

*२९—श्री प्यारेलाल, श्री नगीना सिंह (जिला बलिया) तथा श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि गाजियाबाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की शिकायतों का ज्ञापन ३१ जनवरी, १९७० को स्वायत्त शासन समिति की बैठक में तथा दूसरा २८ फरवरी, १९७० को स्वायत्त शासन मन्त्री जी को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उस ज्ञापना पर सतर्कता (विजिलेंस) से जांच कराई गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां । ३१ जनवरी, १९७० का ज्ञापन प्रशासक नगर पालिका गाजियाबाद को तथा २८ फरवरी, १९७० के ज्ञापन को सतर्कता विभाग को जांच हेतु भेजा गया है ।

*३०—श्री प्यारेलाल, श्री नगीना सिंह तथा श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मन्त्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त अधिशासी अधिकारी को उसी पद पर कार्य करते चार वर्ष हो गये हैं ? यदि हां, तो उसका तबादला आज तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री अतीकुर्रहमान—

श्री एस० पी० झा नगरपालिका गाजियाबाद में १–९–६६ से अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं । उनके तबादले के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

*३१–३२—श्री शीतलाप्रसाद सिंह तथा श्री दीपनारायण बन—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३३–३४—श्री महातम—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३५—श्री रघुनाथ सिंह—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३६—श्री अनीसुर्रहमान—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३७—श्री रामपूजन पटेल—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

मथुरा में गोवर्द्धन ड्रेन का रिमाडलिंग तथा पुल निर्माण योजना

*३८—श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मथुरा में गोवर्धन ड्रेन को रिमाडल करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या योजना है और कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, मथुरा जिले में गोवर्द्धन ड्रेन की रिमाडलिंग करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इस ड्रेन से हरयाना, राजस्थान एवम् उत्तर प्रदेश के गरकी क्षेत्र का जलोत्सारण होता है। यह ड्रेन ५० मील ४ फरलांग २६८ फीट लम्बी है तथा राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की

सीमा पर बने कामा रेगुलेटर से प्रारम्भ होती है इसकी क्षमता इस समय कामा रेगुलेटर के नीचे कुल ८४० घनफुट प्रति सेकेंन्ड तथा अन्त में १,८४० घनफुट प्रति सेकेंन्ड है। पुनरुद्धार में इसकी क्षमता को ८४० से बढ़ाकर २,६०० घनफुट प्रति सेकेंड तथा १,८४० से बढ़ाकर ३,६०० घनफुट प्रति सेकेन्ड करने का प्रस्ताव है। इस कार्य की अनुमानित लागत ४८३ लाख रुपये है। इस योजना से तीनों राज्यों को लाभ होगा। योजना का व्यय भार तीनों साझीदार राज्यों को वहन करना है परन्तु इस सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि यह योजना कब कार्यान्वित होगी।

*३९—श्री कन्हैयालाल—

क्या सरकार को जानकारी है कि गोवर्धन ड्रेन पर स्थित ग्राम ढाना खेमा पर कोई पुल नहीं है फलतः समस्त ग्रामवासियों को जिनकी समस्त काश्त ड्रेन के दूसरे किनारे पर है अकसर नाले को अपनी मवेशियों के साथ पैदल पार करना पड़ता है और कई मवेशी व आदमी दुर्घटना ग्रस्त होते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र यहां एक पुल का निर्माण करायेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

थाना खेमा ग्राम गोवर्धन नाले के मील ४–५ से ५–६ के बीच स्थित है। इस गांव के ऊपर मील ६–३–४५० तथा नीचे मील ४–६–४३४ पर नाले पर पुल बने हुये हैं। उक्त दोनों पुल पक्की सड़क पर बने हुये हैं। इसके अतिरिक्त थाना खेमा गांव से फरह तक एक कच्चा रास्ता मील ५–१–३१० पर है जिस पर कोई पुल नहीं है और न ही कोई पुल बनवाने का प्रस्ताव है क्योंकि इस स्थान से मील ४–६–४३४ पर पुल केवल २ फरलांग ५३६ फ़ुट की दूरी पर है।

*४०–४१—श्री महरम सिंह—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

कानपुर जिले में नलकूपों की व्यवस्था

*४२—श्री राम कुमार (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कानपुर जनपद में कितने सरकारी नलकूप लगाने की योजना है ? यह नलकूप किस क्षेत्र में तथा किस आधार को मानकर लगाये जा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

राजकीय नलकूपों का कार्यक्रम अब उपलब्ध संसाधनों के अनुसार वर्ष प्रति वर्ष बनता है अतः कानपुर जनपद में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में कुल कितने नलकूप लगाये जायेंगे यह इस समय बता सकना सम्भव नहीं है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९६९–७० में कानपुर जनपद में लगाये गये तथा चालू वर्ष में निर्धारित नलकूपों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७२१ पर)

*४३—श्री रामकुमार—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*४४–४५—श्री रामचन्द्र विकल तथा श्री रियासत हुसैन—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*४६—श्री नगीना सिंह—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*४७–४८—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*४९—श्री कल्यान सिंह—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

बलिया के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में लगान माफी

*५०—श्री निर्भयनारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६९ के बाढ़ के समय बलिया जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में लगान माफी के आदेश दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, छूट के आदेश दे दिये गये हैं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

दोहरीघाट पम्प नहर की क्षमता बढ़ाने की योजना

*५१—श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितना तथा यह योजना कब तक पूर्ण होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। अभी दोहरी घाट पम्प नहर की क्षमता ६०० घनफुट प्रति सेकेन्ड से बढ़ाकर ७२० घनफुट सेकेन्ड किया जाना प्रस्तावित है।

इस परियोजना पर कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ किया जायगा और इसके चतुर्थ योजना काल में पूर्ण होने की आशा है।

*५२–५३—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*५४—श्री गोपाल दत्त तथा श्री कृष्ण कान्त—

[११वें गुरुवार के प्र० सं० ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के ग्रामों का नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण

*५५—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर) तथा श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील के किन-किन ग्रामों में सिंचाई-हेतु १ जनवरी, १९६७ से ३१ मार्च, १९७० तक कितने नलकूप लगाने के लिये जांच करके सर्वेक्षण किया गया, क्या सरकार फरेंदा तहसील में रबी व गन्ने की एरिया को देखते हुये सिंचाई की कोई व्यवस्था करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

प्रश्न का प्रथम भाग---

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के निम्नलिखित गांवों में नलकूप निर्माण हेतु सर्वेक्षण किया गया :

१---नवापार २---बजही ३---गोपालपुर ४---जंगल बिहुली ५---बसन्तपुर ६---उदितपुर ।

प्रश्न का द्वितीय भाग---

जी नहीं ।

बहराइच जिले के इकौना कस्बे को टाउन एरिया बनाना

*५६---श्री भगौती प्रसाद (जिला बहराइच)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बहराइच में इकौना कस्बा का टाउन एरिया करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अतीकुर्रहमान---

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में जिलाधीश, बहराइच तथा निदेशक पंचायत राज से रिपोर्ट मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा ।

*५७---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला प्रतापगढ़ के पट्टी के परगनाधिकारी द्वारा वादों का निर्णय

*५८---श्री जयराम यादव---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी पट्टी जिला प्रतापगढ़ के न्यायालय में जनवरी सन् १९६९ से १० मई, सन् १९७० तक धारा १९८ ऐक्ट नं० १ सन् १९५१ के अन्तर्गत पट्टा मंसूखी के कितने वाद निर्णीत किये गये, उनमें कितने पट्टे बहाल व कितने पट्टे मंसूख हुये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६९ से १० मई, १९७० तक १८१५ वाद निर्णीत किये गये थे । इनमें से १४७२ पट्टे बहाल हुये तथा ३४३ पट्टे निरस्त किये गये ।

इलाहाबाद जिले में होलागढ़ से फूलपुर तक की सड़क में व्यय तथा इस सड़क को मंसूराबाद तक मिलाना

*५९---श्री रामपूजन पटेल---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के होलागढ़ से फूलपुर की सड़क के निर्माण में अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है तथा कितनी लम्बी सड़क बन चुकी है ?

श्री धर्म सिंह---

फूलपुर से होलागढ़ तक की सड़क की लम्बाई २१ मील है जिसमें से फूलपुर से सौरांव तक १६ मील लम्बे मार्ग का निर्माण हो चुका है । यह मार्ग सोरांव फूलपुर हंडिया मार्ग के आगणन के अन्तर्गत बन रहा है और इस आगणन पर कुल खर्च २७.१२ लाख रुपये हो चुका है ।

*६०—श्री रामपूजन पटेल—

क्या मन्त्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त सड़क को दहियावां, आनापुर, इन्टरमीडिएट कालेज से होते हुये मंसूराबाद की पक्की सड़क से मिलाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह—

जी नहीं ।

*६१—श्री कृष्ण दत्त—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६२-६३—श्री सूबेदार प्रसाद—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६४—श्री अवधेश कुमार सिन्हा तथा श्री हरिवंश सहाय—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६५-६६—श्री राम निहोर राय—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला कानपुर के ग्राम पहलवाड़ा में अग्निकाण्ड

*६७—श्री महरम सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है कि ग्राम पहलवाड़ा थाना व ब्लाक सिकन्दरा, जिला कानपुर में कुछ दिन पहले भीषण अग्निकांड के कारण ११ बच्चे जलकर मर गये थे ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार कितने बच्चे अग्निकांड में जले थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कथित ग्राम में दिनांक २१ मई, १९७० को किसी व्यक्ति ने बीड़ी पीकर उसका जलता हुआ टुकड़ा असावधानीवश पास के पड़े हुये फूस के ढेर पर फेंक दिया । फलस्वरूप आग ने धीरे-धीरे सुलग कर प्रचंड रूप धारण कर लिया जिससे एक मकान को मुख्य प्रवेश द्वार की ओर आग की लपटों ने घेर लिया और घर के अन्दर एक प्रौढ़ और ८ बच्चे, जिनकी आयु ४ वर्ष से ११ वर्ष के अन्दर थी, शरण पाने के लिये मिट्टी से पटी कोठरी में घुस गये । वे सभी धुयें की घुटन से मर गये ।

*६८—श्री राम प्यारे—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*६९-७०—श्री पन्नालाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*७१—श्री गयाप्रसाद तथा कुंवर तेजभान सिंह—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

विधान सभा

जिला आजमगढ़ के सेमरी जमालपुर ड्रेन के निर्माण-कार्य की जांच तथा इसकी खुदान

*७२—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

दिनांक ११ मार्च, १९७० के तारांकित प्रश्न संख्या ८२–८३ के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेन के निर्माण-कार्य की मौके पर किस अधिकारी द्वारा तथा कब जांच करायी गयी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ड्रेन के निर्माण-कार्य का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड आजमगढ़ द्वारा २७ सितम्बर, १९६९ तथा १२ फरवरी, १९७० को किया गया था ।

*७३—श्री लालसा—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि १००० फीट के सम्बन्ध में क्या विवाद है और इस समय उसकी क्या स्थिति है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

स्वीकृत मार्ग रेखा पर कृषकों द्वारा अवरोध किये जाने के फलस्वरूप ग्राम लखनी मुबारकपुर में नाले की लगभग १००० फीट लम्बाई में कार्य नहीं किया जा सका है । इस विवाद ग्रस्त लम्बान में जिलाधिकारी के सहयोग से खुदान का कार्य प्रारम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है ।

*७४—श्री इन्द्र लाल—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*७५–७६—श्री जय नारायण सिंह—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*७७—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

*७८–७९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*८०—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

मेरठ जिले के मुरादानगर ब्लाक में सरकारी नलकूपों का निर्माण

*८१—श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ के मुरादनगर ब्लाक में वर्ष १९७०–७१ में सरकार कितने सरकारी नलकूप कहां लगाने का विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिला मेरठ के मुरादनगर ब्लाक में वर्ष १९७०–७१ में किसी सरकारी नलकूप के लगाने की योजना नहीं है ।

*८२—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

माण्डा से मेजा तक अधूरी सड़क

*८३—श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माण्डा से मेजा तहसील तक जन शक्ति योजनान्तर्गत (आर० एम० पी०) निर्मित सड़क के बीच में लगभग ३ मील का टुकड़ा छोड़ दिया गया है। यदि हां, तो बाकी पर कब से कार्य शुरू होगा ?

श्री धर्म सिंह—

धनाभाव के कारण कथित ४ मील लम्बे टुकड़े का निर्माण नहीं किया जा सका है। इस के भाग के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

उन्नाव जिले के सधीरा ग्राम में अग्निकांड

*८४—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत तहसील हसनगंज के ग्राम सधीरा में आग लगने से अप्रैल मास में खलिहान जल गये हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी हानि हुई तथा सरकार द्वारा कितनी सहायता पहुंचाई गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। लगभग ४५९ मन गल्ला और १३ पेड़ जले जिसकी अनुमानित कीमत १६,०४० रूपये आंकी गई। भूमिहीन अग्निपीड़ितों को कुल १२० रु० की अहेतुक सहायता दी गई। जो लोग आपदा तकावी लेना चाहते हैं उन्हें तकावी देने का प्रबन्ध किया गया है।

जिला इलाहाबाद के ग्राम सेमरी तरहा के व्यक्तियों द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा

*८५—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम सेमरी तरहा परगना बारा, जिला इलाहाबाद के कई व्यक्तियों ने ग्राम सभा की करीब १०० बीघा जमीन पर नाजायाज तौर से करीब ५ वर्षों से कब्जा कर रखा है तथा गांव सभा के कई पेड़ों को भी काट लिया है ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

—श्री चतुर्भुज शर्मा—

गांव सभा सेमरी तरहार में गांव सभा की ३ बीघा ६ बिसवा भूमि पर आठ व्यक्तियों ने अनधिकार कब्जा किया है। इनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही हो रही है।

गांव सभा के पेड़ नहीं काटे गये हैं। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*८६—श्री जयराम यादव—

[११ वें गुरुवार के ता० प्र० ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बस्ती नगरपालिका का चुनाव तथा उसके द्वारा रोड टैक्स का लगाना

*८७—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बस्ती नगरपालिका कितने दिनों से भंग है ? क्या सरकार नगरपालिका के चुनाव कराने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अतीकुर्रहमान—

नगरपालिका बस्ती दिनांक ५ जनवरी, १९६८ से अवक्रमित है। उक्त बोर्ड का चुनाव कब कराया जाय इस सम्बन्ध में शासन ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

*८८—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, बस्ती ने रोड टैक्स १९६८ में केवल एक रुपया रखा था? और उसे अब बढ़ा कर दो रुपया पचास पैसा नगरपालिका ने कर दिया है? यदि हां, तो नगरपालिका, बस्ती की आमदनी १९६९-७० में कितनी बढ़ोत्तरी हुई?

श्री अतीकुर्रहमान—

नगरपालिका, बस्ती ने कोई रोड टैक्स नहीं लगाया है अतएव उसमें वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

*८९-९०—श्री शमीम आलम—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*९१—श्री रामलाल राही—

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित]

आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क चलाने में व्यय

*९२—श्री लालसा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६९-७० में आजमगढ़ जनपद के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में टेस्ट वर्क चलाने में कुल कितना धन खर्च हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आजमगढ़ जन पद के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सन् १९६९-७० में टेस्ट वर्क नहीं चलाये गय और न कोई खर्च हुआ।

आजमगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ितों को बसाने की योजना

*९३—श्री लालसा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद की तहसील घोसी में घाघरा नदी के भीषण कटाव से क्षतिग्रस्त ग्राम बरोहा के बाढ़ पीड़ितों को बसाने के लिये सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की जा रही है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कटाव से अति ग्रस्त परिवारों के बसने के लिये पड़ोस के ग्राम चित्तूपुर में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी, परन्तु भूमि के खातेदारों ने इस पर आयुक्त के यहां प्रार्थना-पत्र दे कर एतराज किया है। इस पर निर्णय के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

*९४-९५—श्री राजित राम पांडेय तथा श्री राम पूजन पटेल—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*९६—श्री श्याम लाल—

[१२ वें बुधवार के प्र० सं० १११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मथुरा नगरपालिका को सड़क अनुदान

*९७—श्री कन्हैया लाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मथुरा को सड़क अनुदान व कच्चे मोहल्लों में पक्के फर्श बनवाने हेतु अनुदान के अन्तर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्ष में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि नगरपालिका ने कितना मैंचिंग ग्रान्ट के बतौर अपने साधनों से जुटाया और उसको किस प्रकार उपयोग किया ?

श्री अतीकुर्रहमान—

नगरपालिका मथुरा को सड़क कार्यों के लिये गत तीन वितीय वर्षों में कुल ३,३७,५८४ रुपये का शासकीय अनुदान स्वीकृत किया गया। नगरपालिका, मथुरा ने अपने साधनों से मैंचिंग ग्रान्ट के बतौर कुल ९५,४३५.६६ रुपये उक्त मद पर व्यय किया।

*९८—श्री कन्हैयालाल—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

बरेली के कलारा ग्राम को सहायता

*९९—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम कलारा, तहसील बरेली, परगना भोजीपुरा में ७ मई, १९७० को आग लगी और पूरा गांव जल गया तथा ६ बच्चे और २ आदमी तथा १० पशु जीवित जल गये ? यदि हां, तो सरकार की तरफ से अब तक क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। दिनांक ७ मई, १९७० को आग लगी जिससे कुल ६० परिवार प्रभावित हुए। इस आगजनी की घटना के फलस्वरूप ३ बच्चे और ६ पशु जल कर मरे।

प्रभावित परिवारों में अब तक १,५०० रु० आकस्मिक सहायता के रूप में बांटी जा चुकी है तथा इसके अतिरिक्त ४,५०० रुपये गृह निर्माण अनुदान तथा मुख्य मंत्री जी के आपदा सहायता निधि से प्राप्त २,००० रुपये की और सहायता के बांटने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

*१००—श्री मोहन लाल कपूर—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

*१०१-१०२—श्री शेरअली खां, श्री आशाराम इन्दु, श्री लक्ष्मण स्वरूप तथा श्री ईश्वरदयाल त्यागी—

[वापस ले लिये गये]

*१०३—श्री हरी सिंह बिष्ट—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया।]

*१०४—श्री इन्द्रमणी तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१०५—श्री इन्द्रमणी तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

[११ व गुरुवार के ता० प्र० सं० ८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०६—श्री मंजूर अहमद—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१०७–१०८—श्री गया प्रसाद तथा श्री हरिवंश सहाय—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१०९—श्री भाभी—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

बाराबंकी जिले की ग्राम सभा मेडवा द्वारा भूमि वितरण

*११०—श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा मेड़वा, तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी में बचत की जमीन किन-किन लोगों में वितरित की गई और उन लोगों के पास पहले से कितनी जमीनें थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गांव सभा मेडुवा तहसील रामसनेहीघाट में गांव सभा की भूमि ८ प्रतिशत से कम होने के कारण पट्टे पर नहीं उठाई जा सकती थी परन्तु फिर भी ७१ व्यक्तियों को भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पट्टे किये गये जिन्हें निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इन ७१ व्यक्तियों के नाम तथा उनके पास पहले से उपलब्ध भूमि संबंधी सूची को इच्छुक सदस्य महोदय मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

*१११—श्री मंजूर अहमद तथा श्री राजित राम पाण्डेय—

[१२वें बुधवार के लिए स्थगित]

*११२—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

[१२ वें बुधवार के प्र० सं० ११७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११३—श्री शेष नारायण शुक्ल—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*११४—श्री श्याम लाल—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*११५—श्री चेतराम गंगवार—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*११६—श्री गोविन्द सिंह—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

मिर्जापुर जिले के दुद्धी क्षेत्र में उपलवृष्टि से हानि

*११७—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम सांगों बांध कुड़पान, मनरू आदि (दुद्धी क्षेत्र) मिर्जापुर में भयंकर ओले से सम्पूर्ण रबी की फसल नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो सरकार ने ग्रामीण जनता को राहत देने की अब तक कौन-कौन कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बुद्धी क्षेत्र जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत सागोबांध, कुड़पान, मनरूटोला और अहीर बुड़वा गांवों में मार्च, १९७० में हुई उपलवृष्टि के कारण मनरूटोला एवं अहिरबुड़वा में फसलों को क्षति केवल २५ प्रतिशत हुई तथा सागोबांध एवं कुड़पान में यह क्षति क्रमश १५ प्रतिशत तथा १० प्रतिशत रही है। नियमतः इतनी थोड़ी क्षति में किसी प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता नहीं है।

*११८—श्री दुर्जन—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता का तय न होना तथा अधिशासी अभियन्ताओं का रिवर्शन

*११९—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता अभी तक तय नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

श्री धर्म सिंह—

जी हां। १९६० के कुछ तथा उसके बाद स्थायीकरण के लिये चुने गये सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता अभी नहीं निर्धारित हो पाई है। कारण यह है कि ज्येष्ठता निर्धारित करने के सिद्धान्त के बारे में विचार होता रहा। उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता।

*१२०—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६७ में कितने अस्थायी अधिशासी अभियन्ताओं को रिवर्ट किया गया और कितनो ने रिट पेटिशन रिवर्शन के विरुद्ध दायर किये? कितनों में विरोध सरकार के विरुद्ध हुआ?

श्री धर्म सिंह—

२० अस्थायी अधिशासी अभियन्ता १९६७ में रिवर्ट किये गये। परन्तु बाद में उसी वर्ष इनमें से ६ को पुनः पदोन्नत कर दिया गया। इनमें से ७ ने रिवर्शन के विरुद्ध रिट पेटीशन दायर की। ६ में निर्णय शासन के विरुद्ध हुआ। परन्तु इस निर्णय के विरुद्ध शासन ने स्पेशल अपील दायर कर दी है जो अभी उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

*१२१—श्री प्रियदर्शी जेटली—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

बस्ती जिले की तहसील हरैया में राजकीय नलकूप योजना

*१२२—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के तहसील हरैया में राजकीय नलकूप लगवाने का विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो उसमें कितने नलकूप सर्वे होकर स्वीकृत हो चुके हैं एवं नलकूप लगाने का काम कब से चालू होगा?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां।

बस्ती जिले को इस वर्ष (१९७०-७१) में ५ नलकूप दिये गये हैं। इसमें से हरैया तहसील में कितने नलकूप लग सकेंगे यह अभी तै नहीं है क्योंकि नलकूपों के स्थान का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है जो इस कार्य को अभी नहीं कर पाई है।

रुद्र प्रयाग नगर के घरों में नल लगाने की योजना

*१२३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे है कि रुद्र प्रयाग नगर गढ़वाल में पीने के पानी के जो पब्लिक के लिये नल स्थान-स्थान पर लगे थे उन्हें सरकार ने हटा कर निजी घरों में लगाये जाने की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अतीकुर्रहमान—

ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

पशुओं को अड़गड़े में रखे जाने की फीस में कमी

*१२४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार शहरों में पशुओं की अडगडे में रखे जाने की प्रति दिन की फीस को कम करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या कमी की जा रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

१ जून, १९७० से कैटिल पाउन्ड में कमी की गई है। सम्बन्धित विज्ञप्ति की प्रतिलिपि नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७२२-७२४ पर)

लखनऊ की बादशाहपुर कालोनी में बने न्यू टाइप के क्वाटर्स में बीच की मंजिल के निवासियों को छत देने की व्यवस्था

*१२५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास बादशाहनगर कालोनी, लखनऊ के ऐसोशियेशन की तरफ से ऐसा कोई सुझाव अभी हाल में प्राप्त हुआ है कि यू० टाइप के क्वार्टर्स में बीच की मंजिल में रहने वाले लोगों के लिये छत की व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं।

कन्ट्रोलिंग अथारिटी के सामने अपीलें

*१२६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ८ अप्रैल, १९७० को प्रदेश की विभिन्न कन्ट्रोलिंग अथारिटी के सामने कितनी अपीलें निलम्बित थीं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

३२१।

"कोटद्वार में जमीन का अवैधानिक रूप से दर्ज होना

*१२७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को ऐसी शिकायत मिली है कि कोटद्वार नगर में रेलवे लाइन के पास स्थित प्लाट नं० ७ की लगभग ३० बीघा जमीन सरकार के नाम न होकर किसी व्यक्ति के नाम अवैधानिक रूप से दर्ज हो गई है ? और सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस संबंध में एक समाचार गढ़वाल के स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा जांच करने पर मालूम हुआ कि इस प्रकार की कोई जमीन सरकार के नाम न होकर किसी व्यक्ति के नाम अवैधानिक रूप से दर्ज नहीं हुई है। अतः किसी नुकसान अथवा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठाता।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री पारसनाथ सिंह—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

२—श्री भाभी—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

३–४—श्री जगन्नाथ प्रसाद—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

५–६—श्री जगन्नाथ प्रसाद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिये गये]

नलकूप मण्डल अलीगढ़ में एक नये खण्ड के खोलने की योजना

७—श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ नलकूप विभाग में एक नया खण्ड नं० ०२ खोला गया है ? यदि हां, तो उस खण्ड को खोलने के कारण क्या है ? तथा उसके लिये कार्यालय आदि की व्यवस्था क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां नलकूप मंडल, अलीगढ़ के प्रखंडों में कार्यभार अधिक होने के कारण तथा पुनस्संगठन के फलस्वरुप नलकूप खंड द्वितीय अलीगढ़ खोला गया। इस खंड के कार्यालय की व्यवस्था अभी पूर्व नलकूप खंड अलीगढ़ के कार्यालय की इमारत में कर दी गयी है।

८—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

[१२ वें बुधवार के लिये स्थगित]

उन्नाव जिले के ग्राम सुधारी खुर्द में अग्निकांड

९—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की तहसील हसनगंज के ग्राम सुधारी खुर्द में मई, १९७० में आग लग जाने से कितनी हानि हुई है तथा सरकार से कितनी सहायता दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

ग्राम सुधारी खुर्द में दिनांक १० मई, १९७० को दिन में २ बजे आकस्मिक आग लग जाने से लगभग २५,०९४ रुपये की हानि हुई। ८ असहाय व्यक्तियों को १२५ रुपये अहेतुक सहायता वितरित की गई। अन्य प्रभावित व्यक्तियों ने किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा नहीं की है।

देवरिया जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के विद्यार्थियों को सहायता

१०--श्री हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में गत बाढ़ के समय कितने विद्यार्थियों को किस आधार पर शुल्क सुविधा दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

देवरिया जिले में ५,२८६ विद्यार्थियों को फीस में सहायता दी गई। यह सहायता ऐसे विद्यार्थियों को दी गई जिनके माता पिता अथवा अभिभावक निर्धन थे और उन गांवों के रहने वाले थे जिन्हें बाढ़ अथवा जलप्लावन से ज्यादा नुकसान हुआ था और जिन्हें कोई छात्रवृत्ति अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार को किसी योजना के अन्तर्गत सहायता नहीं मिल रही थी।

तहसील मेरठ तथा मवाना में गांव समाज की भूमि पर अवैधानिक कब्जे करने वालों पर मुकदमें

११--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या माल मन्त्री बतायेंगे कि तहसील मवाना व मेरठ जिला मेरठ में कुल कितने मुकदमे १ अप्रैल, १९७० से १ मई, १९७० तक गांव समाज की जमीन पर नाजायज कब्जा करने के चलाये गये और उनका क्या परिणाम निकला तथा उपरोक्त मुकदमों में से कितने ऐसे मुकदमे थे जिन्हें हरिजन भूमिहीनों पर चलाया गया और क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

(क) प्रश्नगत तहसीलों में चलाये गये मुकदमों की सूचना निम्न है--

				मुकदमे
तहसील मेरठ	..	..	..	१८१
तहसील मवाना	..	..	..	१,१४७

(ख) दायर किये गये मुकदमों (जिसमें १-४-१९६९ के पूर्व के मुकदमे शामिल हैं) की प्रगति निम्न है --

तहसील		कुल दायर मुकदमों की संख्या	मुकदमों की संख्या जिन में बेदखली के आदेश हुये	मुकदमे जो खारिज हुये
मेरठ	..	२१७	८६	४२
मवाना	..	१,२३४	४७०	५१

(ग) चूंकि रजिस्टर और मिसलों आदि में जाति नहीं लिखी जाती, इसलिये यह बताना मुमकिन नहीं है कि कितने मुकदमे हरिजन भमिहीनों पर चलाये गये।

आजमगढ़ जिले के सेमरी जलालपुर में पानी के निकास के लिये नालों का निर्माण

१२—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत विकासक्षेत्र घोसी के सेमरी जलालपुर में पानी के निकास के लिये १९६७–६८ में नाला निर्माण के निमित्त कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नवम्बर सन् १९६७ में १३,७२३ रुपये की धनराशि इस कार्य के लिये स्वीकृत की गई थी। कार्य प्रारम्भ करके अब तक ११,२७४.४१ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

१३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

कानपुर की तहसील अकबरपुर में वाटरलागिंग

१४—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर में तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत सन् १९६६ में पानी के भराव का क्षेत्रफल वाटर लागिंग एरिया कितना था और अप्रैल, सन् १९७० तक उस क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कानपुर जनपद के तहसील अकबरपुर में सन् १९६६ में किसी भी क्षेत्र में वाटरलागिंग नहीं था अतः सन् १९७० तक उसमें कमी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

१५—श्री भगवती सिंह विशारद—

[१२वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला इटावा के ग्राम बखरिया की ग्राम समाज की भूमि का वितरण

१६—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम बखरिया, तहसील औरैया, जिला इटावा में चकबंदी के पश्चात् कितनी भूमि ग्राम समाज के पास थी और उसमें से कितनी भूमि भूमिहीनों को दी गई तथा कितनी भूमि ऐसे लोगों को दी गई जिनके पास संयुक्त परिवार में पहले से ही भूमि थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ग्राम बखरिगा में २४.८३ एकड़ बंजर भूमि उपलब्ध थी जो ८ प्रतिशत से कम होने के बावजूद समस्त भूमि सुनियोजित उपयोग के लिये सुरक्षित न रखकर दिनांक ७ फरवरी, १९६७ को २.५७ एकड़ भूमि १२ भूमिहीनों को तथा ९.०९ एकड़ भूमि ऐसे ४१ व्यक्तियों को जिनके पास पहिले से संयुक्त परिवार में भूमि थी पट्टे पर दी गई।

सूचना मंत्री श्री गेंदा सिंह के मंत्रि परिषद् से त्याग पत्र से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि पिछली ११ तारीख को माननीय गेंदासिंह का इस्तीफा हुआ और आज उस इस्तीफे को सात दिन हो गये। इस प्रदेश में एक विकराल स्थिति पैदा हो गई है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी एक तरह से ठप्प हो गया है। क्या सरकार ने इस बात की कोशिश की कि वे अपना इस्तीफा वापिस ले लें। या क्या कारण हैं जिन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। इस पर सरकार से बयान दिलाने की कृपा करें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमको यह सूचना चाहिये कि क्या माननीय गेंदासिंह जी इस सदन में मंत्री पद लिये बैठे हैं या नहीं ?

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय गेंदासिंह जी ने जो इस्तीफा दिया उसकी क्या वजह है। प्रान्त के तमाम कामों में उनके इस्तीफे से बाधा उपस्थित हो रही है। वे अपने इस्तीफे का कारण स्वतः बतावें या मुख्य मंत्री जी बतायें।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

माननीय गेंदासिंह जी ने चौधरी चरणसिंह के रवैये से उक्ताकर जो ११ तारीख को इस्तीफा दिया था उसके बारे में १२-१३ तरीख को समाचार पत्रों में छापा गया और यह भी छापा गया कि चौधरी साहब ने माफी मांग ली और गेंदासिंह जी ने इस्तीफा वापिल भी ले लिया। आपको यह व्यवस्था देनी चाहिये कि कौन-सी बात सही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर का जो काल होता है उसमें केवल चौथाई हिस्सा प्रश्न ही आ सकते हैं। मगर जो प्रश्न बाकी रहते हैं उनके उत्तर तो आ जाने चाहिये। पिछले दिनों भी इसके बारे में काफी कहा गया है। मेरे १५-६-७० के प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर छपते हैं, कार्यवाही छपती है, जवाब मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री मंजूर अहमद—

आप व्यवस्था दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

सब कह रहे हैं कि व्यवस्था दे दी जाय लेकिन कोई व्यवस्था के लिये प्रश्न भी हो ।

(श्री बांकेलाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय मंजूर अहमद को इजाजत दी है । एक ही वक्त आप कैसे बोलेंगे । एक वक्त एक ही बोलेंगे । व्यवस्था का क्या प्रश्न है, इस बात को समझकर अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न होगा तो व्यवस्था दूंगा । मंत्रि परिषद् का गठन और निर्माण का कार्य तो माननीय राज्यपाल करते हैं । मुझे तो इस्तीफा दिया नहीं है । (शोर)

श्री रामकरन—

अभी आपने यह कहा कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मुझे यह निवेदन करना है कि यह व्यवस्था का प्रश्न इसलिये है कि आज स्थिति यह है कि माननीय गेंदासिंह जी के कमरे में जब माननीय विधायक जाते हैं तो लौट आते हैं, उनका कमरा बन्द मिलता है । अब अगर अपनी बात हमें उस विभाग के बारे में कहनी हो तो हम किस से कहें ? हमारे हितों की रक्षा कैसे होगी ? यह बहुत अहम सवाल है । आज हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है । हम जाते हैं और लौट आते हैं । इस पर आप कृपया अपनी व्यवस्था दें ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय सदस्य जाते ही क्यों हैं ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न यहां उठा है, आपने कह दिया कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । हम मान्यवर, पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव हैं वे भी हैं, आखिर हमें यह तो पता चलना चाहिये कि उनके विभाग को आजकल कौन देख रहा है । यह औचित्य का प्रश्न है, अगर इस पर आप व्यवस्था नहीं देंगे तो हम कहां जायेंगे । इससे तो कुव्यवस्था पैदा हो जायेगी । ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब इसी तरह से औचित्य के प्रश्न यहां सदन में उठाये गये हैं । आज सूचना मंत्री के कमरा भी बन्द है, विधायक चारों तरफ घूमते फिरते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, अब इसका आपके द्वारा भी अगर निराकरण नहीं होगा तो मान्यवर कौन करेगा ? अभी ५ आदमी लौटकर आये, माननीय गेंदासिंह जी हैं नहीं । हमें कुछ मालूम होना चाहिये । इस पर आप अपनी कृपया व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुझे कृपया यह आश्वस्त करें कि किन नियमों के अन्तर्गत मुझे इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं । मंत्रि परिषद् का गठन या त्यागपत्र का संबंध मुझ से नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

पहले अनेक ऐसे अवसर आये हैं कि आपने व्यवस्था दी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनमें और इसमें अन्तर है । त्यागपत्र के बारे में माननीय मंत्री चाहें तो वक्तव्य दे सकते हैं, न चाहें तो नहीं दे सकते हैं । आप ठंडे दिल से जरा इस पर विचार करें इसमें स्थिति क्या है क्या मुझे इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है ? आप कृपया मुझे वे नियम बतायें जिनके अन्तर्गत मैं व्यवस्था दूं और वह कहां तक पालनीय है और मैं किस तरह सरकार को बाध्य कर सकता हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, जो प्रश्न आपने हमलोगों से किया है वह प्रश्न अपने स्थान पर सही है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के लिये यह चिन्ता की बात है कि सदन का कार्य सुचारु रूप से चलता है या नहीं। सदन के कार्य में सरकार का कार्य भी सम्मिलित है क्योंकि सरकार इस सदन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है और सरकार का सूचना विभाग एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विभाग है। इस सदन को इस बात की चिन्ता है कि आजकल वाकई में सूचना विभाग का कार्य हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या वह कार्य केवल हवा में पड़ा है। माननीय मंत्री जी तो उस कार्य से रूठे हुये हैं, वे तो कार्य करते नहीं हैं, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, है। सरकार की ओर से कहा नहीं गया है कि इस्तीफा मंजूर हुआ या नामंजूर हुआ, तो यह सदन के लिये चिन्ता की बात है। सदन यह जानना चाहता है कि आखिर सूचना मुहकमें का हुआ क्या ? सदन को यह बतलाया जाय कि सूचना मुकहमें का कार्य सुचारु रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुख्य मंत्री जी तो यहां हैं भी नहीं। यह सही है कि माननीय मंत्री जी का त्यागपत्र आ जाने के बाद वह स्वीकार नहीं हुआ है। मैं विश्वसनीय तौर पर अपनी सूचना के अनुसार कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने तो त्यागपत्र देने के बाद कभी एक क्षण के लिये भी अपने महकमे का कार्य नहीं किया। तो उस कार्य को माननीय मुख्य मंत्री जी कर रहें हैं या वयोवृद्ध मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा जी कर रहें हैं, कौन इस कार्य को कर रहा है। यदि कोई नहीं कर रहा है तो इस सदन के लिये चिन्ता की बात है और सदन पूछना चाहता है कि इस कार्य को कौन कर रहा है। मुख्य मंत्री जी आज हैं भी नहीं, और उप मुख्य मंत्री शायद अभी हुये नहीं हैं, लेकिन पंडित चतुर्भुज शर्मा जो हमारे वयोवृद्ध मंत्री हैं उनसे ही पूछा जाय।

श्रीमन्, , मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे जितने मेम्बर हैं उन सब के प्रतीक हैं, आप हमारे समस्त सदन के सिम्बल हैं, इसलिये आप ही हमें बतला दें कि हम क्या करें। हम भी आपकी कठिनाई को महसूस करते हैं कि श्रीमन्, मंत्रि परिषद् के गठन, उसके संगठन, उसके त्याग-पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति, इन सब से सम्बद्ध नहीं हैं, उनसे आपका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन हमारा सम्बन्ध इस सदन से है। यह सदन आखिर क्या करे ? अनिश्चितता की स्थिति को सदन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुख्य मंत्री जी से या जो भी मंत्री हों, श्री चतुर्भुज शर्मा जी हों या जो भी हों, उनसे पूछें और सदन को बतलावें कि सूचना महकमे का कार्य कौन कर रहा है। इस सदन के तमाम सदस्यगण जानना चाहते हैं कि सूचना विभाग के कार्य को कौन कर रहा है, आप उनसे बात करके बतलावें क्योंकि इस अनिश्चितता की स्थिति में यह सदन नहीं रखा जा सकता।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर. संविधान के अनुसार मंत्रि-परिषद् की ज्वाइंट रिस्पांसबिलिटी है और इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के हर मेम्बर से सूचना मांगे। जैसा कि आचार्य जी ने आपके सामने अपनी बात रखी कि ११ तारीख से जब से कि माननीय सूचना मंत्री ने त्यागपत्र दिया है, मेरी सूचना के अनुसार उन्होंने कोई भी आफिशियल कार्य नहीं किया है। जितने प्रोग्राम उनके लगे थे सबको डी० एम० से कह कर कैंसिल करा दिया जिससे एक भ्रम पैदा हो गया है। डी० एम० या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जब यह कहा कि अभी आपका त्यागपत्र कबूल नहीं हुआ है तो उन्होंने कहा कि त्याग पत्र कबूल हो या न हो, मैंने सूचना मंत्री की हैसियत से काम करना छोड़ दिया। तो श्रीमन्, इसमें भ्रम पैदा होने की बात है और आज ११ तारीख से १७ तारीख तक एक हफ्ता गुजर चुका, तो इस सरकार के सूचना विभाग को कौन देख रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

इस सदन में सूचना मंत्री की हैसियत से कौन जवाबदेह है ? इस बात को माननीय सदन जानना चाहता है। संविधान की धारा के अन्तर्गत ज्वायंट रिस्पांसिबिलिटी है और माननीय सदस्यों को अधिकार है कि उनकी हर चीज का जवाब कैबिनेट दें। इस्तीफा देने वाले मंत्री तो नियम के अनुसार अपना बयान देंगे ही लेकिन माननीय सदन का यह भी अधिकार है कि वह किसी भी वरिष्ठ मंत्री से पूछे कि आखिर सूचना महकमे को कौन देख रहा है या इस महकमें का काम बिलकुल हो ही नहीं रहा है। इसलिये माननीय सदन चाहता है कि आप इस चीज की सूचना दिलवावें क्योंकि एक हफ्ता गुजर चुका।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, मैं नियमावली के नियम ३०० की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें दिया है—"औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय—(१) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।" मेरा निवेदन यह है कि हमारी नियमावली के अन्दर हमको प्रश्न उठाने का अधिकार दिया जाता है। प्रश्न ऐसे किये जाते हैं—

श्री उपाध्यक्ष—

३०१ भी आप पढ़ लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह—

इन नियमों के अन्तर्गत हम मंत्री महोदय से प्रश्न पूछते हैं। अखबार में यह खबर छप गई कि माननीय मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है और यह भी खबर छप गई कि उन्होंने समझाने पर भी इस्तीफा वापस लेने से इन्कार कर दिया। कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य यह कहने को तैयार नहीं है कि आज वह सूचना मंत्री की हैसियत से काम कर रहे हैं या नहीं। न मुख्यमंत्री इस बात को सदन के अन्दर कबूल करते हैं कि माननीय गेंदा सिंह जीआज भी मंत्रिपद पर काम कर रहे हैं। मेरी अपनी व्यक्तिगत सूचना है कि उनका दफ्तर बिलकुल बन्द है, वे वहां नहीं आते हैं, और कोई अन्य मंत्री भी वहां काम नहीं कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुये माननीय सदस्य को जो अधिकार है प्रश्न पूछने का, उसकी रक्षा यहां नहीं हो रही है। इसलिये मान्यवर, मैं औचित्य के रूप में ही यह प्रश्न मैं आपके सामने पेश करता हूं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जिस नियम का हवाला श्री गोविन्दसिंह जी ने दिया है, उसी का मैं भी हवाला दे रहा हूं तो उस नियम में आगे यह आता है कि सदन की व्यवस्था बनाये रखने के लिये औचित्य का प्रश्न उठाया जा सकता है। तो इस प्रश्न पर रोज अव्यवस्था हो जाती है, लोगों की शंकायें आपके सामने आती हैं, किन्तु उसका निस्तारण नहीं हो पाता है। मिसाल के तौर पर श्री मंजूर अहमद ने भी यह सूचना दी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी अनुनय—विनय या माफी के द्वारा गेंदासिंह जी को राजी करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वह अपना इस्तीफा वापस ले लें। दूसरी तरफ अखबारों में एक अटकल यह आई है कार्टून के रूप में। माननीय गेंदासिंह जी को एक गैंडा बना दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी पूंछ पकड़े घसिटते चले जा रहे हैं और वह गैंडा कमलापति त्रिपाठी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री जी गेंदासिंह जी से एक बयान दिलवाना चाहते थे, 'नवभारत टाइम्स' और 'टाइम्स आफ इंडिया' जो काटे गये हैं, वह इसलिये काटे गये हैं.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विषय के बाहर पहुंच गये हैं । अब केवल प्रश्न यह है कि एक मंत्री इस्तीफा देता है, वह मंत्री सदन में न आये और न अपना वक्तव्य देता है, तो ऐसी हालत में.....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मेरी बात आप एक मिनट सुन तो लें---

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें सुनने की कोई बात नहीं है । 'वह क्या कहना चाहते थे' क्या करना चाहते थ और 'क्या करने जा रहे थे' इससे हमारा आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह उनकी नैतिकता की बात है कि वह यहां आकर कहते, जो कुछ कहना था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

तो अब आप हमारा आशय समझ गये कि वह क्या कहलवाना चाहते थे, और वह गेंदा सिंह जी ने नहीं कहा । वह मुख्य मंत्री के उस गलत काम में शरीक नहीं हुये और अपनी बात पर डटे रहे । तो इस प्रकार की बात को लेकर यहां पर रोज अटकलबाजियां होती हैं क्या ऐसी हालत में यह उचित नहीं होगा कि मुख्य मंत्री जी, गेंदा सिंह जी या मंत्रिमंडल का अन्य कोई सदस्य इस बात की सफाई दे दे कि उस इस्तीफे का क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और वह निर्णय के किस स्टेज पर है। वह यदि हो जाये तो सदन में व्यवस्था बनी रहेगी इसको आप औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करें और इस पर अपनी व्यवस्था दें कि क्या ऐसी हालत में मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिये या नहीं देना चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न कर दें उसका जवाब मैं दिलवा दूंगा । प्रश्न करने का अधिकार आपको है और उसका जवाब उन्हें देना होगा (व्यवधान) अब आप दूसरों की बात का हवाला दे रहे हैं तो सवाल यह है कि किस नियम के अनुसार मैं उनसे कहूं कि इसमें मुझे दखल देना चाहिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

सदन किस से कहे ?

श्री उपाध्यक्ष---

जो कुछ सदन में हो रहा है उसका ही प्रभाव बहुत होता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

आप सदन के प्रतीक हैं । आपको सहायता देनी होगी । सरकार को कुछ नहीं कहना चाहिये तो श्रीमन् को इस सरकार से कहना होगा ।

श्री रामकरन---

नैतिकता की दृष्टि से सरकार को जवाब देना चाहिये लेकिन सरकार नहीं देती है और हम सरकार को अनैतिक कह दें तो आपको एतराज हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

उनको जरूर स्पष्टीकरण देना चाहिये लेकिन अगर नहीं देते हैं तो मजबूर नहीं किया जा सकता । अब आप उनकी तरफ से यह सवाल उठा रहे हैं तो आप भी अनधिकृत हैं ।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

समाधान हो जाय ।

(श्री चतुर्भुज शर्मा के उठने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये । पहले मैं उत्तर दे दूं । मैं कतई इस चीज को पसन्द नहीं करता जो यहां हो रही है। कोई मंत्री बयान देना चाहे तो देना चाहिये लेकिन अगर बयान नहीं देता है तो यह भी उसको अधिकार है न दे और उसको हक है कि इस्तीफा दे दें । अब जैसा कहा जाता है बहुत जोश से आप चाहेंगे और जोर देंगे लेकिन वह अगर नहीं बैठेंगे तो मामला कैसे उठेगा ? व्यवस्था बनाये रखने के लिये हमारा काम बढ़ जाता है। तो हमारी मदद होनी चाहिये दोनों तरफ से । व्यक्ति तो नगण्य है लोकतांत्रिक सरकार में। मंत्री आते जाते रहते हैं । एक मंत्री आया दूसरा गया । लेकिन जो संयुक्त जिम्मेदारी है वह मंत्रिपरिषद की है । किसी एक मंत्री के हटने न हटने से लोकतांत्रिक ढांचा में कोई फर्क नहीं पड़ता है और न पड़ना चाहिये । इस पर आपने सवाल नहीं किया । सवाल किया होता तो तुरन्त मैं उसको भेज देता ।

श्री गोविन्द सिंह—

मैंने प्रश्न किया था गेंदा सिंह जी मंत्री हैं या नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न आपने नहीं किया ।

श्री मंजूर अहमद—

जानकारी ही दिलवा दें आप सरकार से।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न कर लीजियेगा । जानकारी मिल जायगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके अल्पसूचित तारांकित प्रश्न मैं कराये देता हूं ।

श्री मंजूर अहमद—

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

हम यहां जो इकट्ठे हुये हैं किसी संविधान, प्राविधान अथवा नियम के अन्तर्गत हुये हैं, आप बतला दें उस नियम को जिसके अनुसार मैं उनको जानकारी देने के लिये मजबूर करूं ।

श्री गोविन्द सिंह—

माननीय चतुर्भुज शर्मा स्वयं खड़े हुये थे । उनको देने दीजिये ।

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अभी माननीय शर्मा जी कुछ कहने जा रहे थे । आपने उनको रोक दिया । अब आप उनसे कहिये कि वह क्या कहने जा रहे थे ?

इससे हम लोगों का भ्रम दूर होगा ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

पूरे प्रदेश की जनता में असंतोष का वातावरण हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कई दफे आप लोगों को टोकता हूं कि कहीं पर यदि जानकारी देने की बात होगी तो मैं जरूर कहूंगा कि जानकारी भेजें । किन्तु यह प्रश्न जानकारी का नहीं है ।

राजस्व मंत्री द्वारा अलीगढ़ जिले की कुछ भूमि हरियाणा प्रदेश के देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान संविधान की धारा २६३ की ओर दिलाना चाहता हूं । अपने प्रदेश के अन्दर कल एक ऐसी घटना घटी है जिससे इस सदन को क्षोभ है कि हमारे राजस्व मंत्री ने कुछ राजनीतिक दबाव के अन्दर आकर श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के साथ मिलकर हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बंशीलाल को उत्तर प्रदेश की भूमि दान दे दी । मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो राज्यों के बीच में कोई बाउन्डरी डिस्प्यूट हो.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप भाषण दे रहे हैं या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का ही प्रश्न उठा रहा हूं और वह यह है कि कल हमारे उत्तर प्रदेश की भूमि दान हो गई । वह केवल इसलिये कि चंडीगढ़ पंजाब को दिये जाने के कारण हरियाणा नाराज था । तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या इस विधान सभा को यह अधिकार नहीं है कि इस प्रदेश की भूमि का दान माननीय राजस्व मंत्री जहां चाहें कर दें उसके बारे में जान सके । कल एक पोलिटिकल फैसला हो गया । मैं इसे पोलिटिकल फैसला इसलिये कहता हूं कि यहां के राजस्व मंत्री, हरियाणा के मुख्य मंत्री और हेमवती नन्दन बहुगुणा द्वारा आपस में बैठकर इस बाउन्डरी डिस्प्यूट को सुलझाया गया । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या यह सदन के अधिकार के बाहर की बात थी ? इसके लिये राष्ट्रपति को यह चाहिये था कि धारा २६३ के अन्तर्गत इस बाउन्डरी डिस्प्यूट के लिये एक कौंसिल सेट अप करते ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भाषण दे रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैं इसी पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या मंत्रि-परिषद् को इस बात का अधिकार है कि वह प्रदेश की भूमि को राजनीतिक कारणों के आधार पर दूसरे प्रदेश को सौंप दे और विधान सभा को कानफिडेंस में न लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपने काल्पनिक प्रश्न किया । इस सदन को अवश्य अधिकार है किन्तु किसी नियम के अन्तर्गत ही हुआ है । जैसा कि आप कहते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि क्या यह सदन का अधिकार नहीं है?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि माननीय नित्यानन्द जी ऐसे एक वकील और माननीय सदस्य इस तरह के हल्केपन से ऐसा चार्ज लगा सकते हैं यहां की कोई भूमि दान में दी गई । मुझे बड़ा अफसोस है कि उनको यह मालूम नहीं है आखिर झगड़ा क्या था और क्या उसमें हुआ । अगर उनके दिल में ऐसी कोई बात थी तो वे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछकर सवाल कर सकते थे इतना बड़ा चार्ज बिना किसी बात के लगा दिया । उन्हें चाहिये यह था कि पहले मुझसे सूचना तो मांग लेते । झगड़ा यह था कि अलीगढ़ जिले के समस्तीपुर गांव की कुछ जमीन जमुना के कटाव से उधर हरियाणा में चली गयी और उस पर हरियाणा के लोगों ने कब्जा कर लिया । उसके बारे में बहुत से मुकदमें चलने लगे । इस झगड़े को निबटाने के लिये कि यह जमीन हमारे काश्तकारों को मिल जाय, जिनका उस पर कानूनी अधिकार है, हरियाणा के मुख्य मंत्री से हमने बातचीत की । उसमें तय यह हुआ कि कानून के अनुसार जो जमीन आइडेंटीफियेबिल होगी उनको मिलेगी । इसके लिये गुड़गांव के कलेक्टर और अलीगढ़ के कलेक्टर मिल कर देख लेंगे । इस प्रकार से आप देखेंगे कि किसी जमीन का दान नहीं दिया गया है बल्कि ऐसा फैसला किया गया है जिससे दोनों ओर के काश्तकारों में गुड़ विल पैदा होगी । इस बात को हरियाणा के मुख्य मंत्री ने बड़ी फराग दिली से स्वीकार कर लिया । उन्होंने कहा कि जमीन हिन्दुस्तान के बाहर जायगी नहीं जो कानूनी बात हो वह तय हो जाय । इस चीज को माननीय नित्यानन्द जी ने कह दिया कि चन्डीगढ़ के बदले में दान कर दिया । कोई आदमी अगर इस तरह की बात करेगा तो किस प्रकार से सही बात लोगों के सामने आ पायगी । मुझे इस बात का खेद है । मैं वैसे नित्यानन्द जी की बहुत प्रतिष्ठा करता हूं लेकिन इस समय उन्होंने बिला वजह की बात को इतना तूल दे दिया ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को एक सूचना देना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अलीगढ़ जिले के एक गांव की जमीन है उसी प्रकार मेरठ कमिश्नरी के मेरठ, बुलन्दशहर, देहरादून आदि जिलों की जमीनों का भी झगड़ा है । वहां की जमीनों के झगड़े के किस्से भी रोजाना सदन में आते हैं । इसलिये मंत्री जी सारे जिलों की समस्या को एक साथ बैठकर निबटायें तो बहुत अच्छा होगा । चाहे तो दोनों प्रदेशों के माल मंत्री बैठ जायं, चाहे चीफ मिनिस्टर बैठ जायं और इस समस्या को जो आये दिन पैदा होती है, निबटा लें । हजारों किसानों के मुकदमें चल रहे हैं, रोज कत्ल होते हैं । अतः मंत्री जी इस समस्या को समुचित रूप से सुलझाने का प्रयत्न करें ।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री अजब सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

हमें भी तो कहने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सवाल वह उठा रहे हैं, क्या वह आप भी उठाना चाहते हैं ।

श्री अजब सिंह—

हम उठाना कुछ नहीं चाहते, हमें तो जो तकलीफ है उसको कहना चाहते हैं । हम तो कुछ नहीं उठाते, यह कोई कतई परवाह नहीं करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कौन परवाह कर रहे हैं कि अनुमति ले कर बोल रहे हैं । मैं उनकी व्यवस्था पर व्यवस्था यह दे रहा हूं कि औचित्य के प्रश्न को नियमानुसार उठाना ठीक है। लेकिन अभी एक सवाल उठा था । वह सवाल जरूरी है जो पिछले दिनों भी उठा था । तो उस प्रश्न को मैं समझ सकता हूं कि माननीय सदस्य उत्तेजना में हों इसलिये उस पर थोड़ी बहस में सुनना चाहता था । बीच में माननीय नित्यानन्द स्वामी ने दूसरा प्रश्न उठा दिया । आप यह स्वयं सब जानते हैं। कानून की अवस्था से भी आप पूर्णतया परिचित हैं । किसी हिसाब से आपको प्रश्न करना चाहिये । माननीय नित्यानन्द स्वामी को तो सब से कम शिकायत होनी चाहिये शायद शिकायत होनी ही नहीं चाहियेक्योंकि वह सवाल जो पूछते हैं वह ज्यादा तर ऐसे होते हैं कि आ जाते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

कम से कम सरकार की कृपा तो है ही ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मैंने जो जानकारी चाही थी उसका उत्तर नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई जरूरी नहीं है कि सब का उत्तर मिले ।

श्री मंजूर अहमद—

आप ही तो हमारी हिफाजत करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

हिफाजत तो मैं कर रहा हूं । (श्री मंजूर अहमद के फिर खड़े होने पर) आपको मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । सवाल यह है कि आपने कोई प्रश्न किया । उस प्रश्न के बारे में जो स्थिति होती है वह मैं बता देता हूं । दूसरा सवाल उठाना है तो नियमानुसार उठाइये । प्रश्न पूछिये ।

श्री मंजूर अहमद—

वह जानकारी बड़ी जरूरी है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

कभी हमें भी इजाजत दिया करें । हमारी बात उनसे ज्यादा जरूरी हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा सा रुक जायें । जो कुछ कह रहे हैं नियमानुसार उसका जवाब सरकार देगी । माननीय अनन्तराम जायसवाल ने नियमानुसार सवाल पूछा उसका जवाब आया ।

श्री चन्द्रभानु शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मौसम बरसात शुरू हो गया है। आपके इस हाउस के तीन दरवाजे हैं । एक दरवाजा आपने बन्द कर रखा है। छतरी लाने की इजाजत नहीं है। अगर बाहर रखते हैं तो चोरी हो जाती है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस दरवाजे को बरसात में खुलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री मंजूर अहमद के फिर खड़े हो कर बोलने की कोशिश करने पर) आप कृपा करके बैठिये । आप बार बार क्यों बोलते हैं ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मेरी अर्ज यह है कि आजकल बजट चल रहा है । डेढ़ दिन कृषि विभाग के लिये मिला है। एक घंटा व्यवस्था और गैर-व्यवस्था के प्रश्न पर बीत जाता है। एक मिनट में इस सदन का ६० रुपया सर्फा में आता है। मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि आप अपनी तरफ से माननीय सदस्यों को यह तो सूचित कर ही दें कि बजट के जमाने में बजट स्पीचेज में सवालात पैदा कर सकते हैं और जो नियम दिया हुआ है उसके अन्तर्गत सवाल कर सकते हैं । यह एक घंटा जो रोज जाता है इसकी ऐसी व्यवस्था कीजिये कि न जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मेरा निवेदन है कि उधर के लोगों को शिकायत रहती है कि हम को बोलने का कम अवसर मिलता है। यह बात गलत है। उधर वालों को ज्यादा अवसर मिलता है, एक मिनिस्टर ४ आदमियों के बराबर बोलता है । यहां जितने लोग बैठे हुये हैं वह भिन्न भिन्न विचार के हैं, तो सब की बात आयेगी आपके द्वारा । उनकी नींव एक है जितनी चीजें सरकार के सामने आती हैं वह उनका समर्थन करते हैं, सरकार के पीछे बैठते हैं । हम लोग सरकार का मार्ग प्रदर्शन करते हैं तो हमको तो आपके मुकाबले में कम से कम दूना समय मिलना चाहिये ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

आपने फिर वही समय गारत करने की कोशिश की । मैंने तो जो बात कही थी उसके मुताल्लिक त्रिपाठी जी ने कहा ही नहीं । मैंने यह कहा है कि बजट का जमाना है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाय उतना ही अच्छा है । एक घंटा, सही या गलत तरीके से रोजाना व्यवस्था के प्रश्न में बरबाद हो जाता है जबकि एक मिनट में इस सदन के समय में ६० रुपया सर्फ होते हैं । तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि यह सवाल कुछ नियम के तरीके से आयें, कायदे में आयें, भाषण न हुआ करें । क्योंकि व्यवस्था होती है तो भाषण होता है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्योंकि सरकार का रवैया ऐसा होता है कि उठाना पड़ता है सवाल · · ·

श्री उपाध्यक्ष—

नियम के पालन की व्यवस्था एक जीवित सवाल है और उसका कोई फारमूला नहीं है । अब ये जो प्रश्न उठाये जाते हैं तो माननीय सदस्य सभी चुन कर इस प्रदेश के आये हैं और सर्वेसर्वा हैं, स्वयं विधि और नियम जानते हैं । हो सकता है कि कुछ बात कही जाय जो उचित न मालूम पड़े लेकिन समझदारी की अपेक्षा सब से की जानी चाहिये । न तो समझदारी इधर की ही है और न उधर की ही है । समझदारी एक सोशलिस्ट, मिली जुली व्यवस्था है। तो जो माननीय सदस्य बात उठाते हैं उससे भी लोकतंत्र में, हालांकि मालूम पड़ता है या दिखाई पड़ता है कि समय कुछ नष्ट हुआ है पर ऐसा नहीं लेकिन यदि ११ से ५ तक का समय आप सिर्फ अनावश्यक चर्चा में बिताना चाहें तो कैसे कोई अध्यक्ष रोक देगा ? नियम हम बता देंगे । आप नहीं मानते हैं तो क्या होगा ? यह इधर के लिये भी है, उधर के लिये भी है । तो जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, मेरा प्रयास है कि जो ग्रुप का पूरे

समाज का अनुशासन है वह एक पक्ष की तरफ से नहीं, पूर्णतया में अनुशासन हो, यह मेरी कोशिश रहती है। क्या हमको यह अच्छा लगता है कि इस प्रकार का कार्य हो ? यह भी कोई न चाहेगा कि यह सदन एक पालतू घर रहे, लड़ाकू रहे सदन लेकिन, पर एक दूसरे के साथ व्यवहार में समीप भी रहें तो लोकशाही की यह एक प्रथा होगी । अब कार्य-सूची के अनुसार आगे चलें न ?

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्तियां

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

कार्य-सूची के अनुसार दूसरा प्रश्न लेने के पूर्व अगर इजाजत हो तो कुछ कहूं ? मैं यह कहना चाहता था कि आप अक्सर कह देते हैं और अध्यक्ष जी भी कह देते हैं कि अल्पसूचित प्रश्न पूछ लिया जाय । श्रीमन्, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि हमको ऐसा महसूस होता है कि अल्पसूचित प्रश्नों पर आपका अधिकार नहीं रह गया है, सरकार का अधिकार रह गया है और सिर्फ एक शब्द की आड़ सरकार ले लेती है, अथवा आप भी दे देते हैं । वह यह कि "अगर सरकार उत्तर देने की स्थिति में न हो ।" सिर्फ एक शब्द है । मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने एक अल्पसूचित प्रश्न अध्यक्ष जी की आज्ञा से आपके सचिव की चिट्ठी प्राप्त करने" के बाद उस चिट्ठी का हवाला उस प्रश्न पर लिख कर जो मूल पत्र प्राप्त हुआ था आपके सचिवालय से, उसको उसके साथ नत्थी करके मैंने भेजा और श्रीमन्, न तो मुझे इस बात की ही सूचना आजतक मिली कि वह प्रश्न स्वीकार हुआ और न यह सूचना भी मिली · · · ·

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में कैसे बतलाया जाय?

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप सुनिये ।

आप सदन में क्यों नहीं बता सकते ? मैं भी इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित करने का आदी नहीं हूं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है । अगर असरार अहमद साहब प्रश्न करें तो उसका उत्तर देने के लिये शिवराज सिंह जी तैयार हैं । आप आजकी अल्पसूचित सूचना पर जो प्रश्न किये गये हैं उनका क्या क्या उत्तर दिया आप उठा कर देख लें । यह सब आपके एजेंडा में है। मैंने पूछा था सरकार से संबंधित, लेकिन उत्तर आज तक नहीं प्राप्त हुआ । इस व्यवस्था से अगर आप छुटकारा दिलाना चाहें तो छुटकारा दिलाइये और आप भी छुटकारा लीजिये, वरना कभी महीलाल जी खड़े हो जायेंगे और कभी असरार अहमद साहब खड़े हो जायेंगे और श्रीमन् उसमें आप भी एक आध कड़ी जोड़ देंगे । तो यह ठीक नहीं है । लेकिन अगर सरकार इतनी [* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

आगे चलने दीजिये या यही काम होता रहेगा । आप उनको कहते हैं और वह आपको कहते हैं । आपके वक्त में भी वही बातें होती थी जो आज यहां हुई हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इनके वक्त में भी ये बातें होंगी और हमारे वक्त में भी होंगी यह प्रश्न नहीं है । यह प्रश्न नहीं है कि कौन कहां पर बैठा है। प्रश्न सिर्फ यह है कि नियमों के अन्तर्गत अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर तीन दिन के भीतर आ जाना चाहिये । तो यह उत्तर तीन दिन के भीतर मिला करेगा या नहीं और इस पर आपका काबू है या नहीं ?

[* * *] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर आपका काबू है तो मेहरबानी करके इस को कंट्रोल में ले आयें और अगर काबू नहीं है तो आप खामोश हो जायें और देख लें कि यह क्या करते हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहूंगा । अगर हम कोई गलत बात कह रहे हैं तो जो सजा चाहें दें, लेकिन अगर आप देखें कि जो व्यवस्था या अव्यवस्था के प्रश्न उठाये गये हैं वह उस पक्ष की तरफ से उठाये गये हैं और हम तो आपके कहने पर हमेशा खामोश रहते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, जब यह अव्यवस्था करते हैं तभी हम व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

श्रीमन्, आपने कह दिया तो मैं बैठ गया । जो मैं कह रहा हूं उसको वह सुनना भी नहीं चाहते कि आखिर मैं क्या कह रहा हूं । उनको सुनना और समझना चाहिये । लेकिन उस पक्ष के साथियों ने कोई न कोई हल्ला किया है और ऐसे काम किये हैं जिससे सदन की मर्यादा भंग हुई है । न मालूम ये बाहर क्या करेंगे और सदन में क्या करेंगे । यह सदन कोई दंगल की जगह है? अगर ये इसके लिये तैयार हैं तो हमें भी सोचना पड़ेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अब असरार अहमद साहब आखिर इस बात पर आ ही गये । श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब सरकारी पक्ष अव्यवस्था पैदा करेगा तो व्यवस्था पैदा करने के लिये हमें भी आपका ध्यान आकर्षित करना होगा । यह हमारा पुनीत कर्त्तव्य है। अगर इसमें सरकारी पक्ष को बुरा लगे तो बुरा लगा करे लेकिन मैं अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करूंगा । श्रीमन्, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस धौंस से मैं भी डरने वाला नहीं हूं । मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्री जी की सरकार सिर्फ धौंस, दबाव और दल बदल की नीति पर ही आधारित है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको आलोचना का अधिकार है, जो कुछ कहना चाहें कहें लेकिन जहां तक अल्पसूचित प्रश्न का संबंध है उसमें नियम की स्थिति यह है । आपने पूछा और निश्चयात्मक ढंग से पूछा कि क्या जबाव दिलाया जायगा । नियम अन्तर्गत जरूर जवाब दिलाया जायगा और सरकार को जबाव देना पड़ेगा । नियम भी आपको के देखना होगा । अल्प सूचित प्रश्न के यदि संबद्ध मंत्री उत्तर देने की स्थिति में न हों और अध्यक्ष की यह राय हो कि वह पर्याप्त लोक महत्व का है तो वे निदेश दे सकेंगे कि उसको उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाये जिस दिन नियम के अनुसार तारांकित प्रश्न के रूप में उत्तर के लिये उसकी बारी है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं वही चाहता हूं । आप स्पष्ट कर दें कि क्या मतलब उसका निकला ? आप यह कहेंगे कि अल्प सूचित प्रश्न पूछ लीजिये और जब पूछा जायगा तो सरकार कह देगी कि वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वयं कार्य सूची देखें। आज की सूची आप ले लीजिये। चार प्रश्न पूछे गये और फिर २६ (४) के अन्तर्गत आप देखें। ११-५-७० को सवाल पूछे गये। सरकार को भेजने की तिथि यह है : जो समय हमारे दफ्तर में लिया गया वह तो हम अपनी कार्य क्षमता के अनुसार करेंगे। २०–५–७० को सरकार को भेजा गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सरकार को भेजा गया ११–५–७० को श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। उसका जबाव आ गया। इसी तरह से ३८ (२) के अन्तर्गत आप देखे लें। वह भी जो भेजे गये उनके जबाव आ गये हैं। तो इस तरह से देरी नहीं होती है। अब सवाल यह है कि सरकार कोई उत्तर ही न देना चाहे और उसके लिये आप कहिये कि जबाव दिला दीजिये वह बात दूसरी है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अल्पसूचित के लिये जब आपने कहा तो इसके माने आपने उसे अविलम्बनीय और लोक महत्व का माना। अब इसके उत्तर प्राप्त करने का मतलब होता है कि निश्चित अवधि के अन्दर उसका जवाब आये। अगर वह उस अवधि के अन्दर नहीं आता तो उसका मतलब ही खत्म हो गया। अब आप देखें कि जो प्रश्न ११–५–७० को भेजे गये सरकार को उसके उत्तर आज १७–६–७० को आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह तीन दिन का महत्व कहां रह गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह की मैं अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि आपने पूरी जानकारी हासिल नहीं की। नियमों की स्थिति साफ है। संबद्ध मंत्री को भी स्थगन लेने का अधिकार है। आप इस तरह से वक्तव्य न कीजिये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

इसी सम्बन्ध में आपने यह व्यवस्था की है कि हम अल्पसूचित प्रश्न करें। इसका उत्तर विद इन थ्री डेज देना चाहिये। आप ही अपने विवेक से सोचिये कि प्रश्नकर्त्ता लोक महत्व का प्रश्न अल्प सूचना पर आपको देता है, और एक महीने बाद उसका उत्तर दिया जाय तो....

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा कोई समय नियम में नहीं है।

श्री राम कुमार शास्त्री—

श्रीमन्, मेरा कहने का आशय यह है कि अगर उसका उत्तर एक महीने में दिया जाता है तो सारा का सारा महत्व चला जायगा। यह तो आपका फर्ज होता है कि जो अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और अल्पसूचित है उसको फौरन ही लिया जाना चाहिये, न कि एक महीने बाद। इससे सारा का सारा महत्व नष्ट हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसीलिये मैं कहता हूं कि आप नियम पढ़ लें और अगर परिवर्तन की आवश्यकता हो तो किया जाय जैसा नियम हो।

श्री राम कुमार शास्त्री—

नियमों के जाल में फंस कर जो लोक महत्व के प्रश्न हैं उनको नहीं लाया जा सकता। और फिर नियम में अगर तरमीम की आवश्यकता है तो वह किये जा सकते हैं। हम लोगों का मतलब यह है कि उनको आप गम्भीरतापूर्वक सोचें और जो अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न हैं उनको अल्पसूचना पर तुरन्त लिया जाना चाहिये। जो पुराने नियम हैं और उनकी व्यवहारिकता नहीं है तो आप उन्हें बदल सकते हैं।

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरी यह प्रार्थना है कि आप उसके लिये कोई समय निश्चित कर दें। सरकार को सूचना मंगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। सन् १९६७ से पहले यह परम्परा थी कि सदन इसके लिये ५ या ४ बजे का समय निश्चित कर देता था, इसलिये आप से निवेदन यह है कि ऐसा कोई समय निश्चित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा आप कह रहे हैं उसको मैं देख लूंगा कि ऐसा कब किया गया है।

श्री दीपनारायण मणि—

जैसा मैंने कहा शायद यह सन् १९६७ से पहले का है या १९६२ का। बजट के अनुदान के पहले सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलता, इसलिये ४--५ बजे का समय रखा गया। ध्यान आकर्षण का लक्ष्य यह है कि जो घटना घटित हुई है और वह लोक महत्व की घटना है तो आप तत्काल लें, अगर ऐसा न हो सके तो नेक्स्ट डे रखें। यह सदस्य के अधिकारों का प्रश्न है और व्यवस्था का प्रश्न है। कोई दल विशेष का नहीं है। सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इसलिये लम्बी तिथि डालने से सारा अभिप्राय ही समाप्त हो जाता है। इसलिये श्रीमन्, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। एक दिन मैंने और कहा था कि हमारे नियमों में संशोधन की जरूरत है। जैसे यहां हल्ला होता है जिस पर बाहर भी टीका टिप्पणी होती है। या तो यह तय कर दिया जाय कि आधा घंटा पहले हल्ला के लिये, उसमें अध्यक्ष जी भी नहीं बोलेंगे। लेकिन इस तरह से हल्ला होता रहे और टीका टिप्पणी हो यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो हमारे नियमों में व्यवस्था है उसे आप देख लें। फिर नियम समिति है, उसमें मामले को उठायें, अगर वह संशोधन उन्हें स्वीकृत हो तो वह हो सकते हैं।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आप स्वीकार करते हैं और उसकी सूचना सरकार को भेजी जाती है। जबाव मंगाने के लिये तिथि निर्धारित की जाती है लेकिन आप अपने कार्यालय से मालूम कर लें कि निर्धारित तिथि पर उत्तर नहीं आता। क्या यह सरकार के लिये उचित है? दूसरी बात यह है कि सरकार अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को टालना चाहती है या गोलमोल जबाव देती है और आपसे समय मांग लेती है। इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ताकि हमें ठीक से उत्तर मिले।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम समिति में इसे आप उठायें। आप भी सरकार में थे, यह भी सरकार में थे, आप देख लें कि कितने स्थगन हुये। नियम की स्थिति के बारे में दो कानून नहीं हो सकते हैं जो परिवर्तन आप नियम में चाहते है उस पर नियम समिति में विचार कर लें।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

श्रीमन्, नियमों में यह है कि जो तिथि सरकार को दी जाय उत्तर मांगने की उस तिथि को या तो उत्तर दे या आपसे समय मांगे। अब अगर सरकार समय भी नहीं मांगती और उत्तर भी नहीं देती तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

इधर आ जायंगे तो सब भूल जायंगे और ऐसे ही यह उधर चले जायंगे तो सब भूल जायंगे।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

जो ऐसा करते हैं, गलत करते हैं....

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

श्रीमन्, अगर किसी को कुछ कहना है तो आपके कमरे में कहे। अब तो बजट पर विचार होना चाहिये।

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृत के लिये प्राप्त भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७२५–७२६ पर)

मुख्य मंत्री के विरुद्ध चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण न करने के सम्बन्धमें विशेषाधिकार की अवहेलना की प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक प्रश्न माननीय सुखपाल पांडेय और माननीय रामकरनसिंह जी द्वारा उठाया गया है वह यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक उप समिति का निर्माण करके चीनी मिलों का राष्ट्रीय करण करने का सुझाव तीस दिन के अन्दर लेने की घोषणा की थी परन्तु उस समिति की रिपोर्ट निश्चित समय के अन्दर न देकर विलम्ब किया गया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया था चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये लेकिन पुनः गलत बयान दिया कि टेक ओवर किया जायगा। इस कमेटी के एक सदस्य श्री गेंदा सिंह ने यह घोषणा किया कि चीनी मिल मालिकान वर्तमान सरकार को गिराना चाहते हैं, तमाम समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ जिस दिन कमेटी के सदस्यगण अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री को प्रस्तुत किया उसी दिन तुरन्त गेंदा सिंह जी जो कमेटी के सदस्य हैं अपने बयान में कहा कि कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। तत्काल चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

माननीय गेंदा सिंह जी ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने की नीति से मा० मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह को अलग होते हुये देख कर दिनांक ११–६–७० को मन्त्रि परिषद से इस्तीफा दे दिया। यह आपका प्रश्न है। मेरा यह कहना है कि इसमें विशेषाधिकार के अवमान का प्रश्न नहीं उठता है। प्रादर्शन में इसके लिये अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिये इसको अस्वीकृत किया गया है।

*श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

इस पर मुझे यह निवेदन करना है कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर यह देखना है कि इसमें गलत बयानी हुई है या नहीं ? इस प्रश्न पर पूरे प्रदेश में एक क्षोभ के वातावरण की स्थिति पैदा हो गई है या नहीं ? यदि इस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश में पैदा हो गई है तो फिर इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा होता है या नहीं ? यह विचार करने की बात है। आप देखें कि तीन आदमियों की एककमेटी बनी। एक महीने में उसकी रिपोर्ट आने की बात कही गई वह एक महीने में नहीं आई। फिर तीन महीने में वह आई। गेंदा सिंह जी ने २।। महीने तक इन्तजार किया। फिर कहा गया कि सरकार को गिराने का मिलमालिक प्रयत्न कर रहे हैं। जो सम्मानित सदस्य कमेटी में थे और जिन्होंने रिपोर्ट की वह कहते हैं कि इसमें कोई वैधनिक आपत्ति नहीं है। चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। यही नहीं १० तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसमें चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आता है। उसके बाद एक सम्मानित मन्त्री अपना त्यागपत्र भेज देते हैं। अगर इसमें कोई गलत बयानी की बात नहीं है तो यह मामला कैसे हल होगा ? यह अपनी बात पर जमे हुये नहीं हैं। सारे प्रदेश में जनता इस बात को जानना चाहती है कि इस विषय में सरकार का क्या फैसला है ? जब तक माननीय मन्त्री इस सदन में आकर अपना स्पष्टीकरण न दें तब तक आपको इसे अस्वीकृत नहीं करना चाहिये। उसके बाद जनता के सामने वस्तुस्थिति आ जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

उनके क्या विचार हैं यह आपको ज्यादा मालूम है।

स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध आयुर्वेदिक कालेजों को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से संबद्ध करने की घोषणा के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक माननीय कृष्ण स्वरुप जी वैश्य का विशेषाधिकार का प्रश्न है। वह कहते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उसके एक प्रवक्ता ने यह घोषणा की है कि सरकार ने प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की घोषणा की है। इससे सदन का अवमान हुआ है। यह अखबारों में छपा है जिसके आधार पर यह सूचना उन्होंने दी है। पर सदन चल रहा है। एक दिन पहले मंत्रिपरिषद् के सदस्य यदि बाहर जाकर इस प्रकार का कोई एलान कर दें तो उस पर सोचा जा सकता है। आपका इस विषय को उठाने का आधार क्या है ?

श्री कृष्ण स्वरुप (जिला बदायूं)—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान मंडल का सत्र यहां चल रहा है। यह आयुर्वेदिक कालेज और यूनानी कालेजों का प्रश्न यहां पर कई दफा आ चुका है कि किस विश्वविद्यालय से इनको सम्बद्ध किया जाय। मंत्रि मंडल इस विषय में निर्णय कर रहा था। इस सम्बन्ध में जो भी मंत्रिमंडल का निर्णय हो उसको पहले यहां सदन में आना चाहिये था। यहां विधान सभा में उसकी जानकारी न दे कर मंत्रिमंडल के एक प्रवक्ता ने बाहर उसकी जानकारी दी। बाहर इसकी नहीं सूचना देनी थी। इस कारण यह प्रश्न विशेषाधिकार का है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपकी जानकारी का आधार है वह क्या है यह जरा आप बतायें ? अखबारों में छपे के आधार पर यह आपने दिया है या नहीं ? आपने सरकार से इस प्रकार का सवाल किया था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या उन्होंने ऐसा बयान दिया हो प्रेस वालों को तब तो बात होती लेकिन वह कहते है कि बयान नहीं दिया। तो यह समाचार-पत्र की बात तो कोई आधार नहीं होती..

श्री कृष्ण स्वरूप—

यह ठीक है लेकिन मेरी यह व्यक्तिगत जानकारी है कि सरकारी प्रवक्ता ने समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों को बताया है कि मंत्रि मंडल ने ऐसा निर्णय किया है

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यही नहीं, श्रीमन्, मंत्रि परिषद् की ओर से विद्यार्थियों को भी कहा गया कि हम ने आप के कालिजों को आयुर्वेदिक कालेज के साथ सम्बद्ध कर दिया है। मेरा कहना है कि इसको सरकार अगर स्वीकार कर ले तो कम से कम इस पर चर्चा के लिये ही समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तभी होगा जब आप सिद्ध करेंगे कि ऐसा किया गया है सरकार की ओर से। इसमें औचित्य का सवाल होता है, अवमान का नहीं होता। मान लीजिये कि वह कोई घोषणा न करें और उसी दिन शाम को बयान दे दें तो औचित्य का प्रश्न हो जाता है लेकिन प्रश्न उसमें अवमान का नहीं होता। मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर आप ने सवाल किया होता और उस का मंत्री जी जवाब दिये होते कि हमने प्रेस कांफ्रेंस.....

एक सदस्य—

यह दफा ५२ में भी आज शाम को २ घन्टे की बहस इसी विषय पर है। उसी वक्त इस पर चर्चा हो सकती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह तो श्रीमन्, अलग विषय है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

यह तो श्रीमन्, अलग विषय है।

नीति संबंधी महत्वपूर्ण विषय को विधान मंडल में न लाते हुये....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर सरकार ने कोई प्रेस कांफ्रेंस कर के कोई बयान दे दिया है

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह नहीं कहता, अगर मान लिया जाय कि आप सरकार से पूछें और उसका कोई उत्तर न आये और उसी समय या दूसरे दिन सवेरे ही वह समाचार-पत्रों को कोई ऐसा उत्तर दें तो औचित्य का प्रश्न तो उठेगा और उचित यही होता है कि वह घोषणा सदन में ही की जाती लेकिन श्री कृष्ण स्वरूप ने जैसा कहा उससे यह बात साबित नहीं होती कि मंत्री जी ने या किसी सहकारी प्रवक्ता ने अखबार वालों के सामने कोई बात कही....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सरकारी प्रवक्ता ने विद्यार्थियों को बताया....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें अवमान की बात नहीं है, औचित्य की हो सकती है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा कहना यह है कि अगर प्रेस कांफ्रेंस की बात छोड़ भी दी जाय और अगर सूचना विभाग एक प्रेस नोट जारी कर दे तब क्या हो, सरकार को स्थिति स्पष्ट करने दिया जाय. . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो काल्पनिक बात आप कह रहे हैं. . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

सरकार से आप उत्तर दिलायें, मेरी सूचना यह है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप निश्चित सूचना दें तब तो ठीक है, इसमें अगर कोई सवाल नहीं है, तब तो काल्पनिक प्रश्न हो गया । अगर आप अपनी कोई निश्चित जानकारी बतायें तो मैं देखूं लेकिन उस हालत में भी प्रश्न अवमान का न होकर केवल औचित्य का ही होगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह बहुत गम्भीर प्रश्न है इसको इस वक्त आप रहने ही दें । अगर यह भी औचित्य की बात हो जायगी तो फिर विशेषाधिकार और अवमान का प्रश्न क्या होगा ? यह एक प्रश्न हमारे सामने आता है ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

श्रीमन्, मुझे आप केवल २ मिनट का समय दें, मेरा निवेदन यह है कि मेरी यह व्यक्तिगत जानकारी है कि सरकारी प्रवक्ता ने समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों को और विद्यार्थी नेताओं को इस तरह की जानकारी दी कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि आयुर्वेदिक कालेजों को गुरुकुल विश्वविद्यालय से तथा यूनानी कालेजों की जामेमिलिया से सम्बद्ध कर दिया जायगा । जबकि इसी विषय में ११ व १० तारीख को मैंने प्रश्न उठाया था और विशेषाधिकार का प्रश्न चला कि नीति संबंधी प्रश्न की विधान मंडल में क्या स्थिति होगी । सरकारी प्रवक्ता का इस प्रकार बताना विधान भवन का अपमान है । हमारा यह अधिकार है कि जब सेशन चल रहा हो तो नीति सम्बन्धी घोषणा वे यहां करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अवहेलना और अपमान का प्रश्न नहीं है । औचित्य का प्रश्न देखा जा सकता है । औचित्य का प्रश्न भी तब जब आरोप सत्य हो । जब मात्र अखबार में छप गया, यही आधार न हो बल्कि सचमुच कोई आधार हो तभी औचित्य भी हो सकता है ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

श्री अनवार अहमद स्वास्थ्य मंत्री हैं । सरकारी प्रवक्ता के रूप में उन्होंने बताया है । वे नीति संबंधी विषय विधान सभा में लायें ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप की ओर से और अध्यक्ष महोदय की ओर से यह तय हो चुका है इस सदन में और कई बैठकों में कि इस किस्म के सवाल पर कोई अवहेलना और अवमान का प्रश्न नहीं उठता है । यह प्रश्न प्रिटीकेट का है । इस विशेषाधिकार की अवहेलना कहां हुई है । इस पर तो रूलिंग हो चुकी है ।

उपाध्यक्ष—

यही तो मैं कह रहा हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सरकार की ऐटीकेट का तकाजा तो कर नहीं सकते। इसलिये तकाजा उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे भी कोई तकाजा नहीं है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

श्रीमन्, आप भी आश्वस्त हैं कि सरकार के मंत्रियों में एटीकेट नहीं है।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध सूचना पर कथित दबाव डाल कर कतिपय समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन बन्द करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय और माननीय सुरेन्द्र विक्रम ने विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है वह इस प्रकार है—

मुख्य मंत्री ने इस सदन तथा मंत्रि परिषद् के सदस्य श्री गेंदा सिंह पर दबाव डाला कि दो समाचार पत्रों के विज्ञापन रोकने के विषय में वे विधान सभा में यह वक्तव्य दें कि कतिपय समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों की विज्ञापन सम्बन्धी शिकायत पर ऐसा किया गया है। श्री गेंदा सिंह ने यह असत्य बात कहने से इन्कार किया जिससे मुख्य मंत्री रुष्ट हुए और श्री गेंदा सिंह ने कल इस्तीफा भेज दिया। मुख्य मंत्री अपने मंत्रिपरिषद् तथा दल के सदस्यों को जो इस सदन के सदस्य उन पर अनुचित दबाव डाल कर सदन में असत्य वक्तव्य देने पर विवश किये हैं। ऐसे ही उनकी बात मानने से श्री उदित नारायण शर्मा को भारतीय क्रान्ति दल से निकालने की उन्होंने धमकी दी तथा नोटिस दी थी। मुख्य मंत्री द्वारा इस प्रकार सदस्यों पर अनुचित दबाव सदन में असत्य बोलने के लिये देना इस सदन का सबसे बड़ा अवमान है। अतः इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति भेजने की कृपा करें।

प्राग्दर्शन में इससे भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रतीत नहीं होता। इस पर भी प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मुख्य मंत्री ने श्री गेंदा सिंह पर यह दबाव डाला और उनको इस्तीफा देने पर बाध्य होना पड़ा। एक तरफ तो हम देखते हैं कि कोई मंत्रि परिषद् छोड़ना नहीं चाहता। पर गेंदा सिंह जी मजबूर हो गये। वे भले आदमी हैं। वे गलत बयानी करना नहीं चाहते हैं। मुख्य मंत्री ने उन पर दबाल डाला जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन पर आज तक भी दबात डाला जा रहा है कि वे अपना इस्तीफा वापिस ले लें। श्रीमन्, आज ही इस विषय पर एक घंटे का समय वाद विवाद में बीता है पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है कि गेंदा सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है या नहीं। इसी प्रकार से श्री उदितनारायण शर्मा जी का प्रश्न है। आज जो डिस्कशन आ रहा है उस पर मैं बताऊंगा कि स्वास्थ्य मंत्री ने ११ तारीख को आश्वासन दिया था कि कानपुर विश्वविश्वालय से प्रदेश के आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को सम्बद्ध कर दिया जायेगा....

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न तक ही आप अपने को सीमित रखिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

वह आपकी जानकारी है कि कितना दबाव डाला गया। उसी कारण से उनको त्याग-पत्र देना पड़ा। अब वे न अपने कमरे में बैठते हैं न उसमें जाते हैं। इस लिये इस प्रश्न को आप विशेषाधिकार समिति को भेजने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

१० फरवरी से पहले क्या हुआ जब गुप्ता सरकार अल्पमत में थी और उससे इस्तीफे की मांग की गयी थी मगर उसने नहीं दिया....

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

त्याग-पत्र देने के मामले में गुप्ता जी कभी किसी से पीछे नहीं रहे, जब भी उसका मौका आया उन्होंने सबसे पहले त्याग-पत्र दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आपने ही अपनी व्यवस्था भेजे हुये इस संबंध में अभी कहा कि उचित होता यदि हमारे सामने यह बताया जाता कि क्या स्थिति है या मंत्री महोदय स्वयं वक्तव्य देते। मान्यवर, यह प्रश्न इसलिये भी विशेषाधिकार का बनता कि अगर दबाव वाली बात गलत होती तो माननीय मंत्री महोदय यहां कह सकते कि उन पर कोई जबाव नहीं डाला गया। अगर यह सही नहीं है तो वे कह सकते हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया, प्रश्न यहीं समाप्त हो जायेगा। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिये आप इसे विशेषाधिकार समिति में भेज दें क्योंकि उधर से कोई बात नहीं आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर यह बात सत्य भी है तो यह नियम २७६ में आना चाहिये। अब मैं विशेषाधिकार समिति के सदस्यों की नामों की सूचना देता हूं।

विशेषाधिकार समिति के लिये नामांकित सदस्यों के नामों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

जो नयी विशेषाधिकार समिति गठित हुई है उसके यह सदस्य हैं—१—श्री उपाध्यक्ष। २—श्री नारायणदत्त तिवारी। ३—श्री स्वामी प्रसाद सिंह। ४—श्री सोहन लाल धुसिया। ५—श्री रघुनाथ सिंह (आगरा)। ६—श्री जगवीर सिंह। ७—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य। ८—श्री विश्वनाथ कपूर। ९—श्री कृष्ण स्वरूप। १०—श्री श्याम सूरत उपाध्याय। इनमें ३ कांग्रेस (शासन) के हैं, २ भारतीय क्रान्ति दल के हैं, २ कांग्रेस (संगठन) के हैं, १ जनसंघ और १ संसोपा के हैं।

कृषि मंत्री पर व्यक्तिगत संदेह के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

(माननीय कृषि मंत्री को बुलाये जाने पर।)

श्री राम करन—

मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मुझे खेद के साथ आपके माध्यम से इस सदन से यह निवेदन करना है कि माननीय कृषि एवं सामुदायिक विकास मंत्री के ऊपर इस सदन को और मुझे व्यक्तिगत

रूप से संदेह है क्योंकि सेन्टर से जो ६ करोड़ रुपया मिला, उसमें से डेढ़ करोड़ रुपया, मंत्री होने के नाते, इन्होंने हजम कर लिया.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह सब अपने भाषण में कहिये, यह व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री राम करन—

जो बजट माननीय कृषि मंत्री पेश करने जा रहे हैं उसमें मुझे संदेह है कि वे पिछड़े हुये २२ जिलों के साथ न्याय करेंगे। मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं।

(श्री राम करन सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

कुछ दिनों से मान्यवर, यह बात चली आ रही है कि इतने करोड़ रुपया सेन्टर से मिला जिसको बदायूं, रायबरेली और प्रतापगढ़ को दे दिया गया। भारतवर्ष में जो ५८ जिले गरीब हैं उनमें २२ यू० पी० के हैं और उसमें बस्ती भी है जहां ९८ फीसदी लोग गरीब हैं। आज चारों तरफ क्षोभ व्याप्त है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिये माननीय मंत्री जी अपने भाषण में कुछ कहें क्योंकि यह बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध है कि किसी को कुछ बांटने के लिये दिया जाय और वह पहले अपने आप ले ले, फिर दूसरे को दे। जानबूझ कर चाहे कोई मैनेजर हो, चाहे कोई मंत्री हो या कोई दूसरा हो, यदि वह उस क्षेत्र के लिये पैसा खर्च न करे जो उसके लिये मुस्तहक हो, जिसको देने की जरूरत हो और पक्षपातपूर्ण ढंग से अपने क्षेत्र में वह पैसे खर्च करे तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि क्या यहां चले हो हवा उड़ाने, हमारे लिये तो वहां कुछ करते नहीं, और कृषि मंत्री ने अपने क्षेत्र के लिये इतना खर्च किया। पूर्वी जिलों में बस्ती भी आता है लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि मंत्री ने प्रधान मंत्री को खुश करने के लिये उनका क्षेत्र ले लिया, श्री दिनेश सिंह को जो कांटा इधर से उधर करने में माहिर है, उनके क्षेत्र को ले लिया और इसी बहाने उन्होंने अपना क्षेत्र बदायूं जिला भी ले लिया। मान्यवर, मैं यह कोई आक्षेप नहीं करता लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आक्षेप पर आक्षेप लगाये जाने पर भी वही काम करता रहे तो हृदय असन्तुलित हो जाता है कि जिसके सुपुर्द यह कार्य किया गया है वही अन्याय कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि वे अपने भाषण में ही सारी बातों को एक्सप्लेन कर दें ताकि सब को सही स्थिति की जानकारी हो जाय।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने जिले के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है और इसलिये मैं उनका विरोध करता हूं। देश के जो ५१ पिछड़े जिले हैं उनमें २२ जिले इस प्रदेश में हैं जिनमें एक जौनपुर जिला भी है। प्रदेश के पूर्वी जिलों में चार जिले जो सबसे पिछड़े हैं उनमें एक जौनपुर जिला ही है। माननीय मंत्री जी ने जौनपुर जिले के साथ घोर अन्याय किया है, इसके विरोध स्वरूप मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री उमानाथ सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता था कि कोई दूसरा मंत्री कृषि सम्बन्धी डिमांड को पेश करेगा लेकिन यह संयोग की ही बात है कि वह सरकार जिसके ऊपर पक्षपातपूर्ण कार्य करने का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

आरोप है वह आज भी मौजूद है, और माननीय मंत्री महोदय, सदन के सामने अनुदान रखने के लिये तैयार हैं। श्रीमन्, इनके विरुद्ध केन्द्रीय अनुदान के वितरण के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप हैं लेकिन सरकार की ओर से उसकी सफाई आज तक इस सदन में नहीं हो सकी है। उन्होंने एक ऐसा भेदभाव पूर्ण काम किया है जिससे प्रदेश के अन्दर लोगों के मन में एक बिलगाव की सी मनोवृत्ति पैदा की है और इस सरकार के कुकृत्यों के प्रति एक घृणा का वातावरण पैदा किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका भाषण तो हो जाने दें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, उनके कुकृत्यों की बात कर रहा हूं। उनका भाषण तो हो चुका। उनकी बात क्या सुनूं। जिस तरह का गड़बड़ घोटाला उन्होंने किया है उसको अब क्या सुनना है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था के प्रश्न में कोई दम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

व्यवस्था का सवाल है। पहले आप इनको रोकिये। इसलिये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस सरकार ने बिलगाव की मनोवृत्ति पैदा करने की [×××] की है।

श्री उपाध्यक्ष—

शायद वे वही बात कहें तो आप उनसे कहलाना चाहते हैं। तो कैसे आप कल्पना करते हैं कि वे क्या कहेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हम लोग दो मिनट के लिये आज सदन का त्याग करते हैं।

(श्री कल्पनाथ सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, बस्ती जिला भी पूर्वी क्षेत्र का पिछड़ा जिला है। उसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। हम बस्ती जिले के प्रतिनिधि हैं लेकिन जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां की जनता हमारी मजमत करती है कि बस्ती को छोड़ कर बदायूं जिला पिछले जिले में कैसे आ गया जब कि वास्तव में वह पिछड़ा जिला नहीं है। इसलिये हम आपको सूचना देकर दो मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं क्योंकि उनके इस थोथे भाषण को हम सुनना नहीं चाहते।

(श्री राम कुमार शास्त्री सदन त्याग कर चले गये।)

[×××] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आज पांच छः साल हुये, दिल्ली की लोक सभा में श्री विश्वनाथ गहमरी जब जौनपुर गाजीपुर, आजमगढ़ और देवरिया जिले के सम्बन्ध में वे भाषण कर रहे थे तो भाषण करते-करते वे रो पड़े थे और उसी आधार पर पटेल आयोग का गठन किया गया था। उसमें जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और देवरिया जिले शामिल थे लेकिन कृषि मंत्री जी ने उनके बदले अपने जिले बदायूं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है इसलिये मैं विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम सागर जी ने दल के साथ सदन का त्याग किया।)

१९७०—७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास, अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय तथा अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

*कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,४२,९८,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४८,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्य क धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,५२,९६,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,४९,७२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, प्रस्तुत अनुदानों के वित्तीय विश्लेषण के संबंध में और अन्य विवरण का समुचित ब्योरा प्रस्तुत लेखा अनुदान के विभिन्न ग्रान्टों में दिया हुआ है, इसलिये मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं अधिकांश वक्त में यह चाहूंगा कि अपने माननीय सदस्यों के विचारों को सुनूं तथा उनके अनुभव और उनके विचारों से लाभान्वित होकर अपने विभाग की कार्य क्षमता बढ़ाऊं। मान्यवर, पेश्तर इसके कि मैं सुनूं, मैं सदन के समक्ष इन अनुदानों के दो पहलू रखना चाहता हूं। श्रीमन्, एक पहलू वित्तीय पहलू है। वित्तीय पहलू के दो आस्पेक्ट्स सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हम जानते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में हम पदार्पण कर रहे हैं। मान्यवर विभिन्न विभागों की चौथी पंचवर्षीय योजना के ऐलोकेशन में सीलिंग नियत है। उसमें न केवल इतना ही है, बल्कि वर्ष प्रति वर्ष के लिये भी सीलिंग निर्धारित है। इसलिये जो बजट का अनुमान इस विभाग के संबंध में हुआ है, वह उन सीलिंग की तहत में ही हुआ है। दूसरा पहलू यह है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजसिंह]

बजट का निर्णय इस प्रकार से ही हुआ है, इस बात पर आदरणीय सदन ध्यान दे। बजट एक आर्गनिक ग्रोथ है, इसका निर्माण कार्य गत वर्ष में प्रारम्भ होता है। ग्रान्टों के लिये जो धनराशियां इस समय प्रस्तुत हैं, उनकी तैयारी पूर्व सरकार के समय में प्रस्तावक के रूप में की गई थी। तो जो तैयारियां पूर्व सरकार द्वारा की गई थीं, जो विभाग के संबंध में एक ढांचा बनाया गया था, मैंने उनको एक रूप दिया है। वर्तमान ग्रान्ट्स में जितनी धनराशियां हैं, जितनी परियोजनाएं हैं वे पूर्णतया हमारे बुद्धि विवेक के साथ-साथ पूर्वगामी सरकार के बुद्धि विवेक से निर्धारित हुई हैं। यह सरकार ऐसे समय में आई जब कि पूर्वगामी जो सरकार जा रही थी, उसका बजट तैयार हो चुका था, पेश होना था, योजनायें सारी रखी जा चुकी थीं। उसमें अधिक परिवर्तन करना सामयिक और उचित नहीं जान पड़ा, संभव भी नहीं था। इसलिये इस बजट में पूर्वगामी सरकार के भी बुद्धि-विवेक की एक छाप है। मान्यवर, जो मैंने परिवर्तन इस साल और आने वाले साल में वित्तीय दृष्टि से करने का विचार किया है, उसे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैंने देखा जो ग्रान्ट्स सदन से पारित किये जाते हैं, उससे ज्यादा विभाग खर्च कर देता है। अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेता है। और कुछ खर्चे ऐसे कर लेता है जिनकी अगले वर्ष की ग्रान्ट में पूर्ति की जाती है। मिसाल के लिये मेरे विभाग ने पिछले वर्ष फार्म कांटिजेंसी के अन्दर ३० लाख रुपये अधिक व्यय कर दिये इस सदन की स्वीकृत से ज्यादा और उनका भुगतान इस वर्ष करना पड़ेगा। इसलिये जो ग्रान्ट ८३·२७५ लाख की फार्म कांटिजेंसी की इस वर्ष स्वीकृत की गयी है वह उस रकम की अदायगी की वजह से फार्म्स के खर्चों के लिये कम पड़ जायगी और अधिक धनराशि की जो आवश्यकता पड़ेगी उसको कांटिजेंसी फंड से मीट किया जायगा। प्रयास इस बात का किया जायगा कि इस वर्ष के अन्दर जितनी स्वीकृति फार्म्स कांटिजेंसी के लिये यह सदन दे उतना ही खर्च किया जाय और स्वीकृति से अधिक खर्च करने की जो प्रथा विभाग के अन्दर है उसे समाप्त किया जाय।

टी० ए० की दूसरी मिसाल मैं देना चाहता हूं। सन् ६८ में दो लाख रुपया स्वीकृत किया गया था और गत वर्ष ६ लाख रुपया ज्यादा खर्च किया जा चुका है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सदन की स्वीकृत धनराशि से अधिक खर्च करने की जो मनोवृत्ति आज से नहीं पिछले कई वर्षों से चली आ रही है मेरा यह प्रयास होगा कि वह मनोवृत्ति खत्म हो और सदन के फैसले की गरिमा को कायम रखा जाय।

इसी प्रकार सस्पेंस का एक एकाउन्ट है। उसके माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में हल इत्यादि खरीदे जाते हैं। उसके लिये भी हमारा प्रयास यही है कि जितना हमारा प्राविधान उसके लिये हो उतने ही हल क्रय किये जायं और उसी के अन्दर उनका भुगतान करने की कोशिश की जाय। मैं बहुत आभारी हूं सदन का कि सदन ने जिन बातों के प्रति अपनी चिन्ता प्रकट की है, कृषि मंत्री की हैसियत से वे सब बातें मेरे विभाग को परेशान किये हुये थीं।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि बावजूद फैमिली प्लानिंग के उत्तर प्रदेश में पापुलेशन का एक्सपेंशन होने जा रहा है। मैं उसके आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा। सन् ६०–६१ में जहां उत्तर प्रदेश की आबादी ७०.३ मिलियन थी वहां अब वह बढ़कर ८८.७ मिलियन हो गयी। इसी के फलस्वरूप जहां प्रति व्यक्ति क्राप एरिया .३२ हेक्टर था वह घट कर प्रति व्यक्ति .२७ हेक्टर हो गया। मेरी चिन्ता यह है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में प्रति व्यक्ति क्राप्ड एरिया घटता जायगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि कृषि योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रारूप इस प्रकार निर्मित किया जाय जिससे क्रापिंग इंटेंसिव रूप से हो। इसके लिये भी दो उपाय हैं। एक लैन्ड तो अंडर कल्टिवेशन है और दूसरे वेस्ट लैण्ड है। वेस्ट लैण्ड का रिक्लेमेशन किया जाय लेकिन वर्तमान बजट के अन्दर उसका कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था वर्तमान बजट का निर्माण मैंने नहीं किया है, इससे पूर्व सरकार ने किया है और बहुत कुछ इसका आधार पूर्व सरकार द्वारा निर्मित बजट के आधार पर है।

(इस समय १ बजकर ३९ मिनट पर अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविन्द खेर पीठासीन हुए।)

मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी बजट में अगर मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो इस प्रदेश में जो ऐसा लैण्ड है उसको रिक्लेम करने का प्रयास किया जायगा चाहे उसके लिये रुपया कहीं से भी लेना पड़े ताकि जो जमीन काबिले काश्त है उस पर काश्त की जाय। मैं आपके समक्ष उस जमीन के प्रतिशत आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जो काबिले काश्त तो है लेकिन जिस पर काश्त नहीं हो रही है। वे आंकड़े इस प्रकार हैं—पहाड़ के अन्दर कुल भूमि का २२·७ प्रतिशत, पश्चिमी प्रदेश में २२.५ प्रतिशत, बस्ती अंचल में ८.४ प्रतिशत, पूर्वी अंचल में ७.६ प्रतिशत, बुन्देलखंड में २३.९ प्रतिशत है। श्रीमन्, इन आंकड़ों से आप देखेंगे कि बुन्देलखंड का जो क्षेत्र है वह बहुत बीमार है जिसके अन्दर एक बहुत बड़ा रकबा काबिले-काश्त है किन्तु उसमें हमारी तवज्जह न होने के कारण ऐसा ही है। मान्यवर, आज विज्ञान ने हमको वह शक्ति दी है कि हम उसे क्लाइमेक्स पर ले जा सकते हैं। दूसरा प्रयास यह होना चाहिये कि प्रति व्यक्ति क्राप एरिया में सघनता लाई जाय। जहां तक फसल उग सकती है वहां हम दो फसलें उगायें और जहां दो फसलें उगा सकते हैं वहां ३ फसलें उगाने की बात करें। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि नेट एरिया सोन जो है वह १७,३१९ हजार हैक्टियर है। जिस क्षेत्र पर एक से अधिक फसल काटी गई वह ४,७३६ हजार हेक्टियर है। इस प्रदेश की २७ प्रतिशत भूमि में एक से अधिक फसल काटी गई।

मुझे दुनिया के कुछ भाग देखने का मौका मिला। दुनिया के कुछ बड़े-बड़े भागों को देखने के बाद मुझे लगा कि परमात्मा ने उत्तर प्रदेश का एग्रिकल्चरल इस्पेक्ट्रम सबसे अच्छा है। यहां की एग्रो-क्लाइमेट दुनिया में सबसे अच्छी है। यहां की क्रापिंग इन्टेंसिटी बड़ी आसानी से २०० तक ले जाई जा सकती है। मैं आपके सामने प्रदेश के विभिन्न अंचलों की क्रापिंग इन्टेंसिटी एग्रो क्लाइमेट की दृष्टि से रखना चाहता हूं। पहाड़ों में २२·९ प्रतिशत, पश्चिम में ३१ १ प्रतिशत, बस्ती में ३१ ४ प्रतिशत, पूर्वी अंचल में, ४३०·९ प्रतिशत, बुन्देल-खंड में ९·६ प्रतिशत। इन आंकड़ों की दृष्टि से प्रदेश का पूर्वी अंचल पश्चिमी अंचल से किसी माने में कम नहीं है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि बुन्देलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बीमार है। वहां पर गुंजाइश है कि इसमें क्रापिंग को अधिक से अधिक किया जाय। मैं आपके सामने इसके दो पहलू रखना चाहता हूं। मान्यवर, इस प्रदेश के अच्छे किसानों की पैदावार दुनिया के सबसे प्रगतिशील किसानों की पैदावार से कम नहीं है। मैं इस संबंध में मिसाल दे सकता हूं। उत्तर प्रदेश में चावल की पैदावार १२५ क्विंटल प्रति हेक्टियर हो गई है। मान्यवर जापान की पैदावार दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है किन्तु वहां की पैदावार ९८ क्विंटल प्रति हेक्टियर है। तो इस प्रकार जापान के अच्छे किसानों को हमारे यहां के किसानों ने पैडी में पीट दिया है। गेहूं की पैदावार हमारे प्रदेश में १०० क्विंटल प्रति हेक्टियर का औसत है। इतनी पैदावार आस्ट्रेलिया, कनाडा और यू० के० के अच्छे किसानों में नहीं है। यह इस बात को साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में पोटेन्शियल एग्रो-क्लाइमेटिक दृष्टि से बहुत ज्यादा है। यहां अच्छी से अच्छी औसत पैदावार हो सकती है। दूसरा पहलू इस्पेक्ट्रम का है। यहां की अच्छी से अच्छी पैदावार और औसत पैदावार में एक बहुत बड़ी खलीज है। पैडी की अधिकतम पैदावार १२५ हजार प्रति हेक्टियर हो गई है किन्तु औसत देखने में तो इस प्रदेश में बहुत कम है। यू०के० का औसत ६.४६ क्विंटल प्रति हेक्टियर है और जापान में औसत है ५०.९ क्विंटल प्रति हैक्टियर। श्रीमन्, मैं यही बात कह रहा था कि दूसरे देशों के प्रगतिशील किसान की अधिकतम पैदावार में और औसत

[श्री शिवराज सिंह]

पैदावार में ज्यादा खलीच (अन्तर) नहीं है लेकिन हमारे प्रदेश के अच्छे किसान की पैदावार में और औसत पैदावार में बहुत अन्तर है। इस प्रकार से गेहूं की पैदावार में जो हमारा औसत है वह ११.६२ क्विंटल प्रति हैक्टर है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश की अधिकतम पैदावार और औसत पैदावार में पैडी में १५ गुना अन्तर है और गेहूं में वह अन्तर है ९ गुना। यह इस बात का द्योतक है कि कहीं कोई कारण जरूर है। जो संभावनायें भगवान ने हमको दी हुई है, उनको हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाये। यह प्रश्न केंद्रीय सरकार के चिन्तन में आया और इस सदन में जब आने को हुआ तो गरमी पैदा हो गयी। जब कोई सदस्य अपनी सफाई देना चाहता हो तो उसकी बात को शांतिपूर्वक सुनना चाहिये। मान्यवर, केंद्रीय सरकार ने जब चारों योजनाओं की ओर अवलोकन किया तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंची और इस प्रदेशीय सरकार ने भी इस बात को महसूस किया कि तीन विगत पंचवर्षीय योजनाओं में साधन सम्पन्न कृषकों ने लाभ उठाया है लेकिन छोटे किसान उन योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो सके हैं। आप इस बात को जानते हैं लेकिन फिर मैं कुछ आंकड़े इस संबंध में देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर किसान छोटे किसान ही हैं। उत्तर प्रदेश में औसत होल्डिंग १.८६ हैक्टेयर है जब कि सारे भारत में २.६९ हेक्टेयर है। जबकि पंजाब में ४.५ है, महाराष्ट्र में ५.२ गुजरात में ४.४५, मैसूर में ३.८९, राजस्थान में ५.५८ हैक्टेयर है। राजस्थान में हमारे यहां से तिगुना है। इन आंकड़ों के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में छोटे किसान बसते हैं। जनसंख्या के हिसाब से सारे देश के २४.३ प्रतिशत छोटे किसान उत्तर प्रदेश में बसते हैं।

मान्यवर, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार की यह पूरी चेष्टा होगी कि कृषि में मिलने वाली सुविधायें जितनी हों, उनमें से अधिकतम छोटे किसानों को मिलें। केंद्रीय सरकार ने इस राज्य के आधार पर कुछ एक्सपेरीमेंटल पायलेट प्रोजेक्ट चलाये। श्रीमन्, मैं सन् ५२ से इस सदन का सदस्य हूं। सन् ६७ से ६९ तक के कुछ दिनों को छोड़ कर, मुतवातिर मैं इस सदन में बैठा हूं। मेरी यह अभिलाषा थी कि आहिस्ता-आहिस्ता और प्रदेशों की भांति हमारा प्रदेश भी उन्नति करे और उसके लिये इस सदन के कार्यसंचालन में हम लोकतंत्रीय विधियों को अपनायें। लेकिन मुझे खेद है कि बावजूद आपके प्रयास के, वैसा वातावरण न रह पाया जिससे शांतिपूर्ण ढंग से हम एक दूसरे की बातों को सुन सकें और समझ सकें। श्रीमन्, आर्ग्युमेंट्स में किसी का नुक्सान नहीं होता। सरकार के विरोध में भी जो बात कही जाती है उससे भी सरकार को लाभ ही होता है। जो प्रश्न किये जाते हैं उससे भी हमें लाभ होता है। मैं प्रश्नकर्ताओं का आभार मानता हूं और खिचड़ी की डेगची में चावल के समान वे विभाग के कार्यों की ओर हमें आकृष्ट करते हैं। अगर किसी एक जिले का ही प्रश्न होता है तो हम उसके बिना पर सारे जिलों को आदेश प्रसारित करते हैं। इस प्रकार जो प्रश्न किये जाते हैं उनसे सरकार को मौका मिलता है कि वह अपनी खामियों को जाने, पहचाने। लेकिन मैं इस मौके पर केवल यह आपसे निवेदन कर रहा था कि सदन के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा होना चाहिये कि सुना जाय। तो मैं कह यह रहा था कि केंद्रीय सरकार ने योजनायें चलायी हैं सारे भारत के अन्दर कि छोटे किसानों के अन्दर जो पोटेंशल उनकी जोतों के अन्दर निहित है उसको कैसे रिएलाइज किया जाय जो अब तक अनरियलाइज्ड पड़ा हुआ है।

छोटे किसानों की जोतों की संख्या बहुत ज्यादा है और यह असम्भव है कि छोटे किसान पिछड़े हुये रह जायं और प्रदेश तरक्की करता जाय। अगर उनकी पोटेंशल हम रियलाइज नहीं कर पायेंगे तो कैसे उन्नति हो सकती है। इस प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के अन्दर छोटे किसानों के सहायतार्थ चार प्रकार की योजनायें चलायी जा रही हैं। मैं पुनः दोहराऊंगा कि ये योजनायें प्रयोगात्मक हैं और उनके नतीजों पर अगली परियोजनायें बनेंगी। इसलिए ये तमाम प्रीकाशन्स केंद्रीय सरकार ले रही है कि ये परियोजनायें किन्हीं अल्प कारणों से

किन्हीं एक्सट्रेनुअस रीजन्स से विफल न हो जायें । मैंने आपके आदेशानुसार यह तमाम मापदंड जो इन परियोजनाओं के तहत में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये गये थे इस सदन के अन्दर अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कर के रख दिये हैं । मैंने इन परियोजनाओं के अन्दर उत्तर प्रदेश को पूरी-पूरी संख्या में जिले दिलाने के संबंध में जो भगीरथ प्रयत्न किए हैं मैं स्वयं उससे संतुष्ट हूं । मैं तीन बार प्रधान मंत्री से मिला, तीन बार केंद्रीय खाद्य मन्त्री से मिल चुका हूं, । दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर चुका हूं और केंद्र के प्लानिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सचिवों और ज्वाइंट डायरेक्टर को खाने पर बुला कर मैं उत्तर प्रदेश का मुकदमा पेश कर चुका हूं । इसके परिणाम अच्छे निकले हैं। जिन स्कीमों में दो जिले मिलने जा रहे थे चार जिले, मिले जहां एक मिलने जा रहा था वहां दो मिल गये । श्रीमन्, आप उस दिन मुखातिब नहीं थे, बड़ा शोर मचा था कि मैंने इन जिलों को तय करने में कोई ईमानदारी का व्यवहार नहीं किया । मुझे बड़ा संतोष है कि इन अनुदानों को पेश करते समय मुझे अपना मुकदमा सदन के अन्दर रखने को मिला । वह परियोजनायें संख्या में चार हैं। सदन में इस समय उपस्थिति कम है। जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपा कर के ध्यानपूर्वक सुन लें कि वह परियोजनायें क्या क्या हैं, उनके संबंध में जिलों का चयन करने के मापदंड क्या थे और कहां आपके राज्य के कृषि मंत्री ने बेईमानी बरती है, आप इसका खुद फैसला कर लें ।

पहली योजना लघु कृषक उन्नत परियोजना है। लघु कृषक की परिभाषा ढाई एकड़ से लेकर साढ़े ७ एकड़ तक के किसान की है। ढाई एकड़ से कम और साढे ७ एकड़ से ज्यादा भूमि न हो ऐसे कृषकों को लघु कृषक की संज्ञा दी जायगी। ऐसे कृषकों को ५० हजार की संख्या में प्रदेश के किसी एक जनपद में छांटना पड़ेगा और केंद्र ने निश्चित रूप से यह कहा है कि जिलों के चयन में इस बात को विशेष रूप से देखा जाय कि उस विशेष जनपद के अन्दर इन्फ्रा स्ट्रक्चर खेती के उन्नति के लिये उपलब्ध है या नहीं । मान्यवर, उन्होंने विशेष रूप से यह कहा कि उस इफ्रा स्ट्रक्टर के अन्दर यह विशेष रूप से दे दिया जाय कि वहां पर आबपाशी के साधन हैं या या नहीं, सरफेस इरीगेशन है या नहीं, नलकूप है या नहीं, नहरें हैं या नहीं, भूतल में भी पानी है या नहीं । उन्होंने चेतावनी यह भी दी कि इस बात की एहतियात बरती जाय कि प्रारम्भ में यह लघु कृषक उन्नत योजनायें कहीं ऐसे जिले में न प्रारम्भ कर दी जाय जहां इन्फ्रा स्ट्रक्टर न हो और योजनायें विफल हो जायं और आगे के लिये केंद्रीय सरकार हतोत्साहित हो जाय और आगे के लिये और अधिक एलोकेशन न मिले ।

मान्यवर, जहांतक माप–दंडों की बात है, किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव यहां से नहीं किया गया । उसको पूर्वगामी सरकार ने स्वीकार किया और उसके आधार पर मैंने जैसा प्रारंभ में निवेदन किया, ये आंकड़े रखना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में सारे भारत के २५ फीसदी किसानों की संख्या है । ४६ परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश को ११ का हक है। यह बात मैंने आई० सी० आई० की मीटिंग में, प्रधान मंत्री से और खाद्य मंत्री से कही और वहां कि तमाम सचिवों और प्रेस कानफ्रेंस में इस पर जोर दिया । प्रदेश के लिये ४ जिले प्राप्त हुए हैं, और तीन और योजनाएं हैं उनकी बात बाद को करूंगा । चूंकि पहले बदायूं का मुकदमा रखना चाहता हूं । बदायूं जिले के संबंध में मान्यवर, मैं यह तथ्य रखना चाहता हूं कि उन्नति के श्रीमन्, क्या क्या मापदंड हो सकते हैं । एक तो सकता है श्रीमन्, कृषि सघनता कि किस जिले के अन्दर कितनी कृषि सघनता है, इस बात से उस जिले का उन्नतिशील स्थान नियत हो सकता है । मैं निवेदन करूंगा कि बदायूं की खेती सघनता ११४.७ है । अब मैं पूर्वी जिलों के अंचल के आंकड़े पढ़ना चाहता हूं । जिले हैं—इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर और मिर्जापुर । इनके संबंध में खेती की सघनता का प्रतिशत है क्रमशः १२६.९, १२४.५, १३९.१, १३०.७, १३१.५,

[श्री शिवराज सिंह]

१३६.०, १३३.३, १२२.५, १४१.४, १३५.८, १२५.४ और १३२.१। मान्यवर, इसी प्रकार आगे देखें....

श्री अध्यक्ष—

और जिलों के कहने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवराज सिंह—

छोटे किसानों की संख्या बदायूं की इस प्रकार है—ये मेरे बनाये आंकड़े नहीं हैं, डिपार्टमेंट के हैं। बदायूं में छोटे किसानों की संख्या ढाई एकड़ से साढ़े सात एकड़ तक वालों को ४७.७ परसेंट है जोकि पूर्वी जिलों से, पिछड़े जिलों से कहीं अधिक है। आप देखें कि बस्ती में ३७.४ परसेंट, गोरखपुर में ३२.५ परसेंट, देवरिया में ३४.२ परसेंट, आजमगढ़ में ३५.१, जौनपुर में ३३.६ परसेंट है। बदायूं में सबसे अधिक है:

इतना ही नहीं। एक मापदंड यह भी है कि देश और प्रदेश में कार्य करने वालों की, वर्कर्स की संख्या जितनी ज्यादा होती है। आप देखेंगे कि बदायूं की ज्यादा है। जिले हैं—बदायूं, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर बलिया, आजमगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी। इनमें है क्रमशः ८४.२, ५९.२, ७४.५, ७८.९, ७४.१, ८१.०, ८२.४, ८३.९ जबकि उत्तर प्रदेश का है ७५.२।

इतना ही नहीं, बदायूं के जिले के संबंध में दो बातें और निवेदन कर दूं। आप श्रीमन् जानते हैं कि पटेल कमीशन की रिपोर्ट १९६४–६५ में ६ जिलों के संबंध में आयी थी। कमीशन १९६३ में आया था। उसके आंकड़े १९६२ की कृषि पैदावार पर आधारित हैं। यदि उन ६ जिलों की तुलना बदायूं के आंकड़ों से की जाय और इन तमाम जनपदों का तुलनात्मक समीक्षा करें तो ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आपको भी आश्चर्य होगा। वे जिले हैं—आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, और बस्ती।

श्रीमन्, कोई भी जिला ले लें। पटेल कमीशन के अन्दर जो सबसे खराब जिला है और जो पैदावार में सब से पिछड़ा है वह है बदायूं का जिला। पटेल कमीशन के हिसाब से जौ की पैदावार बस्ती में ६.५ मन प्रति एकड़ है और बदायूं की २.४ मन प्रति एकड़ है। इसी प्रकार से गेहूं में देखें, सबसे खराब जिला बदायूं है जिसकी पैदावार पटेल कमीशन की रिपोर्ट में ६.२४ मन प्रति एकड़ दिखाई गई है और बदायूं की पैदावार है ५.३५ मन प्रति एकड़। मान्यवर, इसी तरह से बाजरा को देखें, जो सबसे खराब जिला पड़ता है पटेल कमीशन की रिपोर्ट में वह है बलिया जिसकी पैदावार ८.६३ मन प्रति एकड़ है और बदायूं की है ४.८ मन। मान्यवर, इस दृष्टि से देखें तो कृषि की पैदावार में बदायूं सब से पीछे है। पटेल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बदायूं में लिट्रेसी भी सब से कम है। सं० १९६२ के आंकड़े पटेल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से इस प्रकार हैं:

	परसेन्ट
आजमगढ़	१६.३
देवरिया	१४.८
जौनपुर	१७.२२
गाजीपुर	१८.००
बलिया	१९.४
बस्ती	११.४
बदायूं	९.६

इसमें बदायूं सब से पीछे है।

बाम्बे प्लान के आधार पर जितनी सड़कें उपलब्ध हैं उनका परसेन्टेज निकालें तो भी बदायूं का परसेन्टेज पटेल कमीशन के हिसाब से बहुत कम है।

वह इस प्रकार है।

आजमगढ़	६६.४
देवरिया	८५.०
जौनपुर	८१.१
गाजीपुर	५६.६
बलिया	६०.४
बस्ती	५४.६
बदायूं	५०.५

इसमें भी बदायूं सब से पीछे है।

तो मान्यवर, जो आंकड़े पटेल कमीशन के पढ़ कर सुनाये उनसे सिद्ध हो गया कि बदायूं जिला सब से पिछड़ा हुआ है।

अब मान्यवर, मैं दूसरी योजना का नाम लेना चाहता हूं। वह है अग्रगामी परियोजना, यह मार्जिनल किसानों के लिये है। मार्जिनल किसान की परिभाषा है कि वह छोटे किसान जिनके पास ढाई एकड़ से कम भूमि है। ऐसे किसानों के लिये केन्द्रीय सरकार ने दो करोड़ रुपया भेजा है, लेकिन कोई रुपया केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार के हाथ आने वाला नहीं है। हर जिले में जहां परियोजनायें स्थापित की जायेंगी वहां एक डेवलपमेंट एजेन्सी की स्कीम होगी। उसका रजिस्ट्रेशन होगा, जिलाधीश उसके चेयरमैन होंगे। लेकिन जितना रुपया केन्द्र से प्राप्त होगा वह उस एजेन्सी को प्राप्त होगा। तो मान्यवर, इस आधार पर उत्तर प्रदेश को मैंने कोशिश की कि १० जिले मिलने चाहिये। ४० जिले के लिये मारजिनल और खेत मजदूर की उन्नति के लिए उनकी परियोजनायें इस वर्ष के अन्दर थीं। मैंने उनसे आग्रह किया उनके तमाम माध्यमों से कि हमें १० जिले दें। मान्यवर, अब तक दो जिले इस संबंध में उन्होंने हमें देने के लिये कहा है और अभी तक उन जिलों को निश्चय नहीं किया गया है। संभावना है कि पूर्वी जिलों के कुछ जिले हो जायं। मान्यवर, सम्भावना है कि मथुरा और आगरा की जो ट्रांस जमुना योजना है उसको वह चुन लें। जहां बहुत सूखा पड़ता है उसके लिये भी परियोजना है। क्रानिकली ड्राउट एफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जहां बहुधा दो एक वर्ष बाद सूखा पड़ जाता है वहां की परियोजना के लिये हमने १४ जिलों के नाम भेज रखे हैं केन्द्र के पास और आग्रह किया है कि हमें १४ परियोजनायें दें। पहले तो केवल मिर्जापुर जिला निश्चित हुआ था। मान्यवर, मैं कल दिल्ली से आ रहा हूं और जो कुछ हो सका मैंने प्रयास किया। मुझे जानकारी हुई है कि केन्द्र ने बांदा और स्वीकार कर लिया है। श्री कृष्ण चन्द्र जी बैठे हैं उनके संतोष के लिये निवेदन करदूं कि झांसी का जिला भी एक परियोजना के लिये आ गया है और उसके लिये भी दो करोड़ रुपया मिलेगा। वह परियोजना है ड्राई फार्मिंग एरिया के अन्तर्गत जो आई० सी० ए० आर० की तहत में चलती है। जहां बारिस कम होती है और सिंचाई के साधन कम हैं वहां छोटे किसानों के अन्दर जो अधिकतर उत्पादन की सम्भावनायें छिपी हुई है उनको हासिल करने के लिये यह परियोजना है। यह परियोजना आपके जिले के लिये स्वीकृत करदी गई है और तीन जिलों में और प्रदेश में यह परियोजना लागू करने की आशा है। केन्द्र विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से इस प्रकार कार्य करना चाहती है जिससे अगले वर्षों में और अगली पंचवर्षीय योजनाओं में इस तरह का काम कर सके जिससे छोटे किसानों को ज्यादा सुविधा मिल सके और उनकी पैदावार जो छिपी हुई है वह बढ़ सके।

[श्री शिवराज सिंह]

मान्यवर, मैं यहीं पर यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। हमने तकावी फर्टीलाइजर देने के लिये जो गत वर्ष में रखी गई थी उसे घटा दी है। हमने १५ करोड़ करदी है जबकि यह पहले ज्यादा होती थी। इसका कारण यह है कि फर्टीलाइजर अन्य श्रोतों से भी मिलना शुरू हो गया है। बैंक्स हमारे बीच में कर्जा देने के लिये आ गये, ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन भी फर्टीलाइजर बांटता है और प्राइवेट एजेन्सी के माध्यम से फर्टीलाइजर मिलता है। श्रीमन्, राज्य सरकार का निर्देश है कि प्रयास यह किया जाय कि तकावी पर फर्टीलाइजर अधिक से अधिक छोटे किसानों को दी जाय। मान्यवर, हमने १५ लाख रुपया इम्प्लीमेन्टस के लिए भी रखा है जो कर्जे के रूप में दिया जायगा। इनमें भी चेष्टा है कि छोटे किसानों को ज्यादा से ज्यादा दिया जाय। मान्यवर, यह आप कह कहते हैं कि छोटे किसानों के अन्दर क्षमता नहीं है कि वह इन इम्प्लीमेन्ट्स को खरीद कर इस्तेमाल कर सकें। श्रीमन्, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस बात की कोशिश की है कि ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के माध्यम से ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायं जहां से उनके माध्यम से उनके खेतों को ट्रैक्टर से जुतवायें। ऐसे ३० केन्द्र स्थापित करने का इस वर्ष विचार है। मान्यवर, लिस्ट बड़ी है लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि जो लीफलेट हमने प्रस्तुत की है, उसके अन्तिम पृष्ठ पर उन स्थानों के नाम उल्लिखित हैं। मान्यवर, जैसा कि हमारा प्रयोजन है, हमने प्राविधान इस प्रकार का किया था कि छोटे किसानों की जोत पर जितना खर्चा हो उनको एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन सब्सिडी दे। और जो कुछ भी वह लाभ कमायें, हम छोटे किसानों को उन्होंने जो कुछ खर्चा किया है उस खर्चे को भी सब्सिडाइज करें। इस तरह से कृषि उद्योग निगम छोटे किसानों की सेवा करना चाहता है।

इतना ही नहीं, श्रीमन्, हम जिसने इम्प्लीमेंट्स और ट्रैक्टर्स का वितरण प्रदेश में करने जा रहे हैं, उनको कैश न देकर उसको हायर परचेज पर देना चाहते हैं। छोटे किसानों के पास उनके खेत में क्षमता है, लेकिन उनके पास सामान नहीं हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि वह प्रतीक्षा करें कि कब धन संचय हो और हम ट्रैक्टर खरीदें। कृषि उद्योग निगम उनको इम्पलीमेंट्स व दूसरे कृषि यंत्र देने की व्यवस्था कर रहा है। श्रीमन्, आज प्रदेश के अन्दर १.४ मिलियन जोत ऐसी हैं जिन्हें ट्रैक्टर की आवश्यकता है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर के लिये दरख्वास्त निगम के पास आयी हुई हैं। मैंने केन्द्र के प्रधानमंत्री और केन्द्र के खाद्य मंत्री जी से बराबर इस बात के निवेदन किया है कि शीघ्रातिशीघ्र छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये एक फैक्ट्री स्थापित की जाय। मान्यवर, दिल्ली के अन्दर मैं विदेशी एम्बेसीज के ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव से भी मिला और उससे बातचीत की। मैंने इस बात की कोशिश की है कि उनके कोलैबोरेशन से किसी फैक्ट्री की स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश में हो जाय और मुझे बहुत कुछ आशा है कि हम चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो हम एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के माध्यम से प्रदेश के अन्दर निकट भविष्य में कोई इस प्रकार के ट्रैक्टर बनाने का एक मैन्यफैक्चरिंग प्लान्ट स्थापित कर पायेंगे।

एक बात और श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं और वह यह कि आजकल भी गाड़ियों में लकड़ी का पहिया इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे खुशी होगी, श्रीमन्, कि मैं अपने कार्यकाल में वह पहिया लकड़ी का म्यूजियम में रखवा सकूं। कहने का तात्पर्य यह है कि, श्रीमन्, लकड़ी के पहिये के स्थान पर रबर के टायर का पहिया इस्तेमाल किया जाना चाहिये। ऐसा करने से जो गाड़ी १० मन गल्ला ले जा सकती है, वहीं श्रीमन्, ४० मन ले जा सकती है। मैंने इस सम्बन्ध में रबर फैक्ट्री का निरीक्षण किया और रबर के लिये जिस के मैटीरियल की आवश्यकता है वह हमारे पास उत्तर प्रदेश में बहुतायत में मौजूद है। केवल आवश्यकता है टैक्निकल जानकारी की, कोलाबरेशन की और धन की। मेरा प्रयास जारी रहेगा और मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में श्रीमन्, यह काम मैं पूरा कर सकूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, २ बजे का समय हो गया। यह नैतिक जिम्मेदारी है कि सदन में कोरम पूरा हो। हमारी सरकार भी इस सम्बन्ध में काफी उदासीन है और वह स्वयं नियम का निर्वाह नहीं करती क्योंकि यह सरकार नियम नहीं मानती है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, सामान्य योजना के अतिरिक्त जो विशेष योजनाएं हमारे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। प्रदेश में उत्तम अधिक उपज देने वाली प्रजातिय के बीज के उत्पादन एवं वितरण हेतु नैनीताल में विश्व बैंक की सहायता से तराई बीज विकास निगम की स्थापना की गयी है। श्रीमन्, दस करोड़ रुपया प्रदेश की प्लान सीलिंग के अतिरिक्त इस प्रदेश को प्राप्त हो गया है। यह बीस वर्ष में देना होगा। श्रीमन्, इसके लिये मैं वहां के वाइस चांसलर को, जो इस निगम के चेयरमैन हैं, बधाई देना चाहता हूं।

श्रीमन्, सीड प्रोसेसिंग प्लान्ट्स की स्थापना जिन जिलों में की गयी है वे हैं–कानपुर, नवाबगंज (बरेली,) मसौधा (फैजाबाद), दोराला (मेरठ), और झांसी। श्रीमन्, गत वर्ष से सीड ऐक्ट कार्यान्वित हो गया है इसलिए उन जिलों के अन्दर यह प्रोसेसिंग प्लान्ट्स लगा दिये गये हैं और जिला कृषि अधिकारी को निरीक्षण का अधिकार दे दिया गया है। अल्मोड़ा जिले की विवेकानन्द प्रयोगशाला में पहाड़ी प्रदेशों के लिये नवीन प्रजातियां विशेष रूप से संकर मक्का,संकर ज्वार, संकर बाजरा, संकर प्याज तथा मशरूम, के विकसित करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। उर्वरक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के सब पहाड़ी जिलों में परिवहन व्यय माफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वगामी सरकार ने जो तीन प्रतिशत सेल्स टैक्स उर्वरक पर लगाया था वर्तमान सरकार ने उसे भी समाप्त कर दिया है। प्रदेश के पहाड़ी अंचल मेंउर्वरक पर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाती है। अलीगढ़ जिले में पैकेज प्रोग्राम है। इसके अलावा कृषि सघन कार्यक्रम धान पर सहारनपुर, बांदा, वाराणसी, बस्ती और गोरखपुर में कार्यान्वित किया जा रहा है। गेहूं पर सघन कृषि कार्यक्रम मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, गोंडा, फैजाबाद, रायबरेली, और इटावा में कार्यान्वित किया जा रहा है।

पश्चिमी जर्मनी की सहायता से अल्मोड़ा जिले में एक बहुउद्देशीय कृषि योजना कार्यान्वित की जा रही है जो इस वर्ष से अलीगढ़ जिले के सघन कृषि कार्यक्रम के तदनुरूप कर दी जायगी। लखनऊ एवं उन्नाव जिलों में फ्रीडम फ्राम हंगर के अन्तर्गत उर्वरकों के वितरण की सघन योजना कार्यान्वित की जा रही है।

श्रीमन्, वाराणसी, आजमगढ़, एटा तथा लखीमपुर खीरी में छोटे किसानों को कृषि ऋण देने की एक योजना स्टेट बैंक द्वारा चलायी जा रही है। इलाहाबाद बैंक ने छोटे किसानों को ऋण देने के लिए शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद तथा बदायूं जिलों को चुना है। पंजाब नेशनल बैंक ने छोटे किसानों को वित्तीय ऋण देने के लिये गोरखपुर, गाजीपुर, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद जिले की अमरोहा तहसील के चुनने का प्रस्ताव किया है। जूट उत्पादन के लिये सघन कार्यक्रम में तीन जिलों सीतापुर, लखीमपुर–खीरी तथा बहराइच है को चुना गया है। तिलहन (मूंगफली) का सघन उत्पादन कार्य निम्निलिखित १४ जिला में कार्यान्वित किया जा रहा है। सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, बिजनौर, मैनपुरी, एटा, सहारनपुर और फर्रुखाबाद।

[श्री शिवराज सिंह]

तिलहन (अंडी) की अधिक उपज देने वाली जातियों का प्रदर्शन कार्यक्रम रामपुर, नैनीताल, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर, जालौन तथा हमीरपुर जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

कपास का सघन उत्पादन कार्यक्रम अलीगढ़ एवं बुलन्दशहर जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

हार्टिकल्चर का विकास यानी फलों के सघन खेती का कार्य क्रम जिन विभिन्न जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है उनका विवरण इस प्रकार से है:--

केले के विकास के लिये बस्ती और गोरखपुर को चुना गया है । अनन्नास के विकास के लिये गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और आजमगढ़ को चुना गया है । अंगूर के लिये मेरठ और बुलन्दहर । पपीता के लिये मेरठ और बुलन्दशहर और नींबू के लिये बुन्देलखंड में कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । देहरादून जिले के जौनसार बावर पिछड़े क्षेत्र में कृषि विभाग तथा अन्य पहाड़ी जिलों में फलोपयोग विभाग द्वारा फल पट्टी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

शाकभाजी का सघन कार्यक्रम निम्नलिखित बीस जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है । देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, कानपुर, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, आगरा, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, बस्ती गोरखपुर, वाराणसी जौनपुर, लखनऊ, झांसी और फैजाबाद ।

इसी प्रकार से भूमि संरक्षण प्रसार में इस समय १०३ इकाइयां कार्य कर रही हैं जिनकी जिलेवार संख्या में पर्वतीय जिले हैं । प्रदेश के अन्दर जो भूमि की क्षमता है उस क्षमता को हम प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं । हम यह जानते हैं कि जब तक भूमि की पूरी क्षमता प्राप्त न हो हम प्रदेश में उन्नति नहीं कर सकते हैं ।

अभी तो मैं एक ही ग्रान्ट पर अपने विचार प्रकट कर पाया था । पर बहुत से माननीय सदस्य अपने सुझाव देना चाहते हैं तो उनके भाषण सुनने के बाद जो उनसे मुझे रोशनी मिलेगी उससे मैं अपनी कार्य क्षमता को ठीक करने की चेष्टा करूंगा और जो प्रश्न उठाये जायंगे उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)--

इस समय लोग लाबी में सो रहे हैं । हम लोगों को यहां पर रोक रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं यह महीलाल जी का फर्ज है कि वह यहां पर कोरम कायम रखें । अब की बार मैं घंटी बजाता हूं और अगर इसके बाद तीसरी बार घंटी बजानी पड़ी तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा । जो लोग इस पर बोलना चाहते हैं उनका भी तो फर्ज है कि वह यहां पर बैठें ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से अनुदान संख्या २१--कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२--उपनिवेशन, अनुदान संख्या २६--नियोजन और समन्वय तथा अनुदान संख्या ४७--

कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक एक रुपया कर दी जाय जिसका कारण मैं प्रस्तुत करूंगा। पहला कारण यह है कि यह जो इन अनुदानों का बजट है वह सम्पूर्ण वर्ष के बजट का एक अंग है जो कि घाटे का बनाया गया है। घाटे का बजट आज सारे देश और प्रदेश के लिये एक अभिशाप बना हुआ है। मैं जब अभिशाप की बात करता हूं तो मेरी बात मंत्री जी को चुभती होगी, सच्ची बात योगी लोगों को तो अच्छी लगती है लेकिन जो भोगी होते हैं उनको वह सच्ची बात भी कड़वी मालूम होती है। मैं इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिये उपप्रधान मंत्री के भाषण के उस अंश को उद्धृत कर रहा हूं जो कि उन्होंने १०–४–६७ को मुख्य मंत्रिगण के सम्मेलन में दिया था। यह पुस्तिका भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है। इस में लिखा है कि "इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि घाटे की अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ती हैं जिसके कारण आम आदमी को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिये यह परमावश्यक है कि घाटे की अर्थ व्यवस्था को बिलकुल समाप्त किया जाय और केन्द्र तथा राज्य, दोनों में सन्तुलित बजट बनाए जाएं।" लेकिन दुःख की बात है कि इस हिदायत के बाद भी यह सरकार उसी रफ्तार से चल रही है, उसमें कोई अन्तर नहीं आया। मैं साफ कहूंगा कि चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों जो सामने बैठे हैं यह सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, उन के सोचने का, विचार करने का और काम करने का जो तरीका है वह समान रहा है और इस कारण से उनसे परिवर्तन या बदलाव की आशा करना ऐसा लगता है कि बेकार की ही बात होगी-आप देखें कि घाटे की अर्थ व्यवस्था बनते ही चीजों के भाव उत्तर प्रदेश में बढ़ना आरम्भ हो गये और इस को मैं इन आंकड़ों से सिद्ध कर रहा हूं। यह आंकड़े इसी सरकार ने छापे हैं—आर्थिक समीक्षा १९६८–६९ और ६९–७०। यह सरकार फरवरी सन् ७० में आई और उस समय चीजों के भाव क्या रहे और किस प्रकार से वह बढ़े इसका इस में उल्लेख मिलता है। इसमें पृष्ठ ५ पर दिया है, कि फरवरी सन् ७० में यह सूचकांक यानी कृषीय थोक भाव सूचकांक, २२२.६ था जो पिछले वर्ष के अन्तिम मास अर्थात् मार्च, १९६९ के सूचकांक से ९.२ प्रतिशत अधिक था तथा मार्च, १९६८ के सूचकांक से ९.६ प्रतिशत कम था। इस तरह से ज्यों ही लेखानुदान की रिपोर्ट पर चर्चा आरम्भ हुई त्यों ही चीजों के भाव यहां बढ़ते चले गये। यह अन्न के भावों का बढ़ना घाटे की अर्थ व्यवस्था का एक प्रधान कारण है।

सबसे प्रधान कारण की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊं। यह सरकार जो रही है वह जनता की तरफ निहारी नहीं है। यह मालूम होता है कि इसको जनता से लगाव नहीं है। क्योंकि अगर लगाव रहता तो कृषि को सबसे प्रधानता मिली होती इस देश में या प्रदेश में। क्योंकि भारत का और उत्तर प्रदेश का कृषि सबसे प्रधान व्यवसाय है। खेती में लगभग ७०–७२ प्रतिशत लोग, कहा जाता है, लगे हुए हैं और उद्योग धधों में १०.६ प्रतिशत लगे हुए हैं। लेकिन देश से लेकर इस प्रदेश तक देखें तो सरकार उद्योगीकरण की तरफ अधिक झुकी है। पूंजीपतियों के बढ़ावा देने की बात अधिक होती है और खेती की तरफ इनका रुझान कम होता चला जा रहा है। अभी जो वित्त मंत्री का भाषण छपा है, मैं उसी से सिद्ध करना चाहता हूं। मंत्री जी देख लेंगे। कृषि के बारे में उनका उल्लेख है पृष्ठ ४ पर—

'यहां पर इस बात का उल्लेख करना रुचिकर होगा कि १९६०–६१ में राज्य की कुल आय में कृषि का अंशदान जहां ६०.९ प्रतिशत था, वहां १९६८–६९ में वह ५६.३ प्रतिशत और १९६९–७० में लगभग ५६ प्रतिशत रहा। इस अवधि में उद्योगों से राज्य को होने वाली आय १०.२ प्रतिशत से बढ़कर ११.५ प्रतिशत और व्यापार तथा वाणिज्य से होने वाली आय १२.३ प्रशित से बढ़कर १४.१ प्रतिशत हो गयी।

इस प्रकार चार प्रतिशत की प्रगति की बात खुद वित्त मंत्री साहब अपने भाषण में कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार कृषि की हमेशा उपेक्षा करती जा रही है। जब इस प्रकार

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

कृषि की उपेक्षा हो और वित्त मंत्री खड़े होकर अन्न में आत्मनिर्भरता की बात करें तो यह विरोधाभास प्रतीत होता है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस समय की ओर खींचूंगा जब वे विपक्ष में बैठते थे। उस समय उनकी बातें ऐसी लगती थीं जैसे कि वे एक राजनीतिज्ञ के रूप में बैठे हुए हैं और ज्यों ही उधर चले गये तो ऐसा मालूम होता है कि काशी के पंडे हैं और धर्म की बातें सिखा रहे हैं। धर्म और राजनीति में बड़ा अन्तर है। यों तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि धर्म अच्छाई को देखता है और अच्छाई के लिये प्रेरणा करता है। राजनीति बुराई देखती है और बुराई के विरोध में ही संघर्ष करती है। लेकिन इधर से उधर बदलने में माननीय मंत्री की तस्वीर इतनी बदली कि मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि कब हिन्दुस्तान में बोल और कर्म का एका होगा। क्योंकि जब तक देश और प्रदेश में बोली और कर्म में एकता नहीं हो पायेगी तब तक एक नहीं चौथी पंचवर्षीय योजना ही क्या, आप हजारों और लाखों योजनायें बनायेंगे उनसे भी लाभ नहीं होगा। जो आप छोटे किसानों की बात करते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आपके नेता कथनी और करनी कहते हैं, एक-सी होना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जब तक आप कथनी और करनी में एका नहीं करेंगे तब तक योजनाओं से लाभ नहीं होने वाला है। इसलिये मैं इस बात की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि कृषि में सुधार हो, तो कृषि के लिये चाहिये क्या? जमीन चाहिये, दूसरी बात पानी चाहिये, मजदूर चाहिये, खाद चाहिये, बीज चाहिये। इस रूप से आप सोचें। अपने लम्बे चौड़े भाषण में न आपने जमीन के बारे में न सिंचाई के बारे में, न खाद के बारे में, न बीज के बारे में कुछ कहा बल्कि केन्द्रीय सरकार की परियोजनायें हमको सिखाने लगे। आपकी योजना नहीं है, केन्द्रीय सरकार की परियोजनायें हैं। मान्यवर, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो भोगी लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनका आज धरती से नाता नहीं रहा। इसलिये धरती कहां है, कहां से हरियाली उगाई जा सकती है यह देख नहीं रहे हैं।

मान्यवर, सारे हिन्दुस्तान में इस समय १६ करोड़ एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है और आज तक उसको हल के नीचे लाने के लिये कोई योजना नहीं बनायी गयी। इस सरकार की जो भी योजनायें हैं वे सभी अनुत्पादक हैं। जितना रुपया इन पर खर्च होता है उनमें उनका ८० फी सदी वेतन आदि पर ही खर्च हो जाता है। जो हमारी चौथी योजना है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अनुमानतः राज्य में लगभग २.८४ लाख एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है, इसको आप शुद्ध कर लें, यह २२.८४ लाख होना चाहिये क्योंकि इसी में आगे लिखा है कि लगभग १२.२ लाख एकड़ भूमि बंजर और ऊसर है जो इसमें सम्मिलित है तो यह २.८४ लाख तो हो ही नहीं सकती। इसको आप ठीक करा लें। इस ऊसर और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये राज्य सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी है। इसब जट से हमें पता नहीं चलता कि कौन से ठोस कदम इस सरकार ने उसके लिये उठाये हैं। आप कोई ४० करोड़ के करीब रुपया हम से इन अनुदानों के जरिये मांग रहे हैं लेकिन जो-जो जमीन ऊसर और बंजर है जो खेती के काम में लायी जा सकती है उसके लिये आप कोई योजना नहीं बना रहे हैं। मैंने भारतीय क्रान्ति दल के चुनाव घोषणा-पत्र को, जिसको कभी देखा नहीं था, आज देखा, उसमें कहीं इसका नाम तक नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि उनकी दृष्टि में उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसी जमीन है ही नहीं, उनको कहीं वह दिखायी ही नहीं देती। हमारे नेता सदैव कहते थे कि अन्न सेना बनाओ। अन्न सेना के द्वारा इस भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकता है। अगर यह कार्य किया जाय तो हम आत्म निर्भर हो सकते हैं और २४ करोड़ टन गल्ला हम पैदा कर सकते हैं, फिर

हमें अमेरिका, रूस या अन्य किसी देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपनी धरती की ओर न निहारना, इससे बढ़ कर देशद्रोह का दूसरा काम हो नहीं सकता।

हमारे मंत्री जी ने बड़ा राग अलापा कि हमने बड़ी तरक्की कर ली, यह कर लिया, वह कर लिया, तीन तीन फसलों के गीत गाये, मगर आप अपने यहां की औसत फी एकड़ पैदावार को भी नहीं बढ़ा पाये। औसत फी एकड़ पैदावार आज भी अन्य प्रदेशों के मुकाबले आपके यहां कम है। यही नहीं वह पिछले सालों के मुकाबले घटी है। अपने ही राज्य में १९६४–६५ में, मैं धान और ज्वार की पैदावार को लेता हूं, चावल फी एकड़ ७.४ क्वींटल पैदा हुआ, वही १९६८–६९ में ६.४ हो गया। हरियाणा में उसकी फी एकड़ पैदावार १३.२ है। केरल में १३.८ क्विंटल प्रति एकड़ है और मद्रास में १५.५ क्विंटल प्रति एकड़ है। इस तरह से इसमें भी हमारी पैदावार औरों की अपेक्षा घटी और अन्य राज्यों की अपेक्षा तो हमारी कोई तरक्की है ही नहीं।

अब हम मोटे अनाज में ज्वार को ले लें। १९६४–६५ में इस प्रदेश में प्रति एकड़ ज्वार की उपज ६.६ क्विंटल थी जो १९६८–६९ में ५.५ क्विंटल हो गयी। मध्य प्रदेश में ज्वार की उपज ८.३, मद्रास में ७.४, महाराष्ट्र में ५.४ क्विंटल प्रति एकड़ औसत उपज थी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रदेश में उसकी प्रति एकड़ उपज आज सबसे कम है। गेहूं के मामले में गुजरात, हरियाणा, पंजाब में उत्तर प्रदेश से अधिक पैदावार है। इस बार हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो सारे हिन्दुस्तान का पांचवां हिस्सा है, जो देश का वक्षस्थल कहा जाता है, और जिसको लेकर सारा उत्तर प्रदेश दूसरी जगहों पर घमंड करता है उसमें कृषि की इतनी उपेक्षा हो रही है कि हमारी प्रति एकड़ पैदावार घटती चली जा रही है। माननीय मंत्री जी पूर्वी प्रदेश में अंगूर की खेती, केले की खेती और पपीते की खेती की योजना अपने बंडल में डाले पड़े हैं। मैंने बंडल को खोल कर देखने की कोशिश की लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का अंगूर मुझे नहीं मिला। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से सुझाव के रूप में साफ कहूंगा यदि आप चाहते हैं कि आपका देश और प्रदेश अन्न के मामले में आत्म निर्भर हो तो ५२–५३ लाख एकड़ जमीन जो बंजर व परती पड़ी हुई है उसे हल के नीचे लावें। अगर हम सवा ६ एकड़ तक लगान माफ करने की बात कहें तो उसे आप मानेंगे नहीं, भले ही आप साढ़े ६ एकड़ की बात मान लें लेकिन सवा ६ एकड़ नहीं करेंगे। हम अन्न सेना की बात करेंगे तो उसको भी आप नहीं मानेंगे, आप तो अपने मन की ही बातें करेंगे। हम चाहते हैं कि जो बंजर व परती जमीन है उसको आप हल के नीचे लावें।

जहां तक सिंचाई की बात है, आज उत्तर प्रदेश की एक चौथाई भूमि में सिंचाई हो रही है। यह कौन सी योजना है आपकी? मैं चाहता हूं कि सिंचाई की एक पूर्ण योजना बने, एक निश्चित लक्ष्य रख कर बने चाहे वह सात वर्षीय क्यों न हो कि सरकार ७ वर्ष के अन्दर खेतों की तमाम भूमि में पानी की व्यवस्था कर देगी। गत माह जब माननीय मंत्री जी बलिया गये थे तो उन्होंने १० नलकूपों का प्राविधान किया था। लोगों ने समझा कि देवता आ गया है। लोग वहां पहुंचे और उन्होंने मांग की कि पानी कहां है? २० नलकूपों से क्या होगा। १३ लाख की आबादी वाले जिले में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। जब माननीय मंत्री जी को लोगों ने बहुत घेरा तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि लो १०० प्रतिशत बढ़ा देते हैं। १० से २० कहने में उनको लज्जा आती और १०० प्रतिशत कहने में माननीय मंत्री जी की ख्याति बढ़ती है कि १०० प्रतिशत तक दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि १० के बदले २० दे रहे हैं। यह अधिक दिनों की बात नहीं है। बलिया में आपने यह बात कही थी, क्या आप उसको भूल गये? आप सोच लें कि बलिया का, प्रदेश का किसान चाहता है कि हमको पानी मिले। तो हम खेत की हरियाली बढ़ा देंगे, फी एकड़ पैदावार बढ़ा देंगे। आज

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

उत्तर प्रदेश का किसान चाहता है कि अगर सरकार हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दे तो सरकार भले ही यह कानून बना दे कि फी एकड़ उपज इतने से कम होगी तो वह किसान दंडित किया जाएगा, तो उसे भी किसान बरदाश्त करने को तैयार है। लेकिन यह सरकार खेती के लिये पानी की व्यवस्था नहीं करेगी।

बीज शोध केन्द्र बने हुए हैं। लेकिन बीज की व्यवस्था यह है कि खेती का समय खत्म हो जाए तब उनका बीज पहुंचता है। जब धान का रोग लग गया तब दवा का छिड़काव हुआ। उनके आदमियों को पता ही नहीं कि कब किस फसल की खेती होती है? यह तो पढ़े लिखे सामन्तवादी बाबू हैं, ये खेती के बारे में जानें क्या? जब धान के खेत खत्म हो गये, जल गये, खेत राख हो गये तो उन्होंने छिड़काव कराया . . .

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आप यह इस वर्ष की बात कर रहे हैं या पिछले वर्ष की?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

सुनिये तो। मैंने पहले ही कहा है कि सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे आप लोग हैं। तो धान खत्म हो गया, बाद में छिड़काव हुआ। उधर इन्दिरारानी की कृपा हुई, ऊपर से भी छिड़काव होने लगा। उसमें कई जानवर मर गये। आज जो किसानों के खेतों को खा रहे हैं, उनके घर पर बीज रखने की क्षमता नहीं है। सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि छोटे से छोटा किसान भी बीज रखने के काबिल बन सके। पहले के कृषि मंत्री को मालूम हुआ कि चूहे कृषि उपज को अधिक खा जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा चूहे में विटामिन होता है, इस कारण से चूहे खा जाओ। लेकिन चूहे से कृषि की रक्षा करने के लिए वर्तमान कृषि मंत्री ने कोई योजना पेश नहीं की है। शायद बाद में करें।

श्री अध्यक्ष—

आप पांच मिनट और बोल लें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मुझे एक घंटा का समय दीजिए। मंत्री जी एक घंटा बोले हैं।

श्री अध्यक्ष—

५ मिनट नहीं तो १० मिनट, ३ बजे तक बोल लीजिए। लेकिन इससे ज्यादा नहीं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अब मैं खाद पर आता हूं। बड़ा गीत आज गाया जाता है विदेशों की खाद का। अपने यहां खाद कहां बेकार पड़ी है, उसका उपयोग कैसे होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। देशी लोगों को देशी चीज दिखाई नहीं पड़ती है। मनुष्यों के मल मूत्र से बड़ी अच्छी खाद तैयार की जा सकती है, किन्तु सरकार से कहे कौन? मल-मूत्र आज खाद बनाने के काम नहीं आ रहा है। कहां काम आता है। उससे गंगा जमुना के पवित्र जल को गन्दा किया जाता है। इससे बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है। यह गांधी जी के मित्र हैं, उनकी किताब से मैं कुछ उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह किताब है "भारत की खूराक की समस्या।" इस किताब में लिखा है "कि मनुष्य का मैला अच्छी तरह ठिकाने लगाया जाय, तो प्रत्येक मनुष्य के मैले से हर साल २ रु० की आमदनी हो सकती है। अनेक जगहों में तो आज सोने जैसा खाद यों ही पड़ा-पड़ा नष्ट हो जाता है और उल्टे उससे बीमारियां फैलती हैं। उक्त लेखक ने प्रोफेसर बलटीनी की 'कूड़े कचरे का उपयोग' नामक पुस्तक से जो उद्धरण दिया है उसमें कहा गया है कि "दिल्ली में

रहने वाले २,८२,००० मनुष्यों के मैले से जो नाइट्रोजन पैदा होता है, उससे कम से कम दस हजार एकड़ और अधिक से अधिक २५ हजार एकड़ जमीन को पर्याप्त खाद मिल सकती है।" मगर चूंकि हमने अपने भंगियों के साथ अच्छी तरह बरताव करना नहीं सीखा है, जिससे प्राचीन कीर्ति वाली दिल्ली नगरी में भी आज जैसे तैसे नरक कुंड देखने में आते हैं कि हमें अपना सिर शर्म से नीचा कर लेना पड़ता है। अगर हम सब भंगी बन जायं तो हमें यह मालूम हो जायगा कि हमें खुद अपने प्रति कैसा बरताव करना चाहिये और यह ज्ञान भी हो जायगा कि आज जो चीज जहर का काम कर रही है उसे हम पेड़ पौधों के लिये किस प्रकार उत्तम खाद में बदल सकते हैं। अगर हम मनुष्य के मल का सदुपयोग करें तो डाक्टर फाउलर के हिसाब से भारत की तीस करोड़ आबादी से साल में साठ करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है।" यह महात्मा गांधी ने निष्कर्ष निकाला था लेकिन उनका नाम लिया जाता है वोट के खातिर लेकिन उनकी सलाह के अनुसार कार्य नहीं किया जाता। गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है लेकिन उसको ८० प्रतिशत ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कम्पोस्ट खाद गांधी जी ने बनाने के लिये कहा था लेकिन इस बजट में उस योजना का कोई जिक्र नहीं आया और न कम्पोस्ट खाद बनाने के लिये किसानों को अनुदान देने का ही कोई जिक्र आया है।

खेतिहर मजदूर का भी हाल आप जरा सुन लें। २२ प्रति सैकड़ा जहां उत्तर प्रदेश में किसान है वहां ४८ प्रति सैकड़ा खेतिहर मजदूर है। सरकार किसानों से वोट के लिये बहुत कुछ उसके बारे में कहती है लेकिन मजदूरों के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। भारत सरकार ने खेतिहर मजदूरों की निम्नतम वेतन के लिये एक कमेटी बिठाई थी लेकिन आज तक उसको कार्यान्वित नहीं किया गया और मैं अभी बलिया में गायघाट पर खेतिहर मजदूर संघ की मीटिंग से होकर आया हूं। अभी वहां पर ५ पैसे रोज पर जबरन काम कराया जाता है और वहां पर इसके लिये आन्दोलन होने जा रहा है तब आप नेक्सलाईट की बात कहने लगेंगे। सरकार इस तरफ देखे। प्रदेश के खेतिहर मजदूरों के लिये आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी और खर्च करना पड़ेगा और किसान के साथ उसे जोड़ कर उसकी उपेक्षा न करें।

अब मैं नियोजन की बात कहता हूं। आज नियोजन में सबसे बड़ा दोष यह आ गया है कि समाज का अथवा व्यक्ति का नियोजन नहीं हो रहा है। निपोजन हो रहा है मंत्रियों के परिवारों का, बिरला सेठ का और नौकरशाही सेठों का। वह भी इस श्रेणी में आ जाते हैं। इनका विकास हो रहा है। जब उनका विकास होगा तो व्यक्ति और समाज का विकास अवरुद्ध हो जायेगा। जब वे योजनायें बनाते हैं तो उनका आधार उत्पादन के बजाय खर्च में आंका जाता है, लक्ष्य में नहीं बल्कि खर्च में कि कितन खर्च किया गया। यह आपकी योजना का एक अंग है। रूस में भी योजनायें बनती हैं। उनका आधार आय-उत्पादन है और आपका आधार आय-कर्ज है। जब कर्ज रहेगा तो क्या होता है जैसे ही जनवरी से महीना आगे फरवरी और मार्च आया तो अन्न की समस्या होती चली गई। यही कारण है कि एक आदमी ने कहा है कि आज विकास के केवल ये काम रह गये हैं—नक्शा, मीटिंग, शोर और सलाम। जब कर्ज रहेगा तो योजनायें कैसे काम करेंगी। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि आप अपने दृष्टिकोण को बदलें और जब आप दृष्टिकोण को बदलेंगे तभी आप की योजना विस्तारमुखी होगी। आज इस प्रदेश की सरकार की योजना हिस्सामार अर्थ व्यवस्था की है। जब हिस्सामार अर्थ व्यवस्था होती है तो देश परावलम्बी होता है स्वावलम्बी नहीं होता। गांव, विकास खंड पर आधारित होता है, विकास खंड जिले पर आधारित होता है, जिला राज्य पर आधारित होता है, राज्य केन्द्र पर आधारित होता है और केन्द्र अमेरिका और रूप पर आधारित है। आज आप चौथी पंचवर्षीय योजना का राग अलाप रहे हैं। इसमें ४८ करोड़ रुपये विशेष पूंजी लगाने की सोच रहे हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि आपकी ज्यों-ज्यों योजनायें बनती गईं त्यों-त्यों विदेशी बिल भी बढ़ता गया है—पहली योजना में २० करोड़, दूसरी में ४८ करोड़ और तीसरी में १०० करोड़ रुपया।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मान्यवर, सिर्फ १० मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। तो मैं कह रहा था कि ये जो योजनायें बनती हैं वह देश को आत्म-निर्भर करने के लिये बनाई जाती हैं। देश को कर्जदार बनाने के लिये योजनायें नहीं बनती हैं। हमारे यहां ये योजनायें आत्म निर्भरता के लिये नहीं बल्कि कर्जदार बनने के लिये बनाई गई। इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप इसे उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें। उत्पादन का वितरण नहीं हुआ। रोज हजरतगंज आकर देखें तो फैशन बदलते दिखाई देंगे। आज आप किसानों की हालत देखें तो हजार डेढ़ हजार वर्ष पुराने अपने बाप-दादाओं के हल को न पकड़ते यदि आप उनमें आधुनिकता लाये होते। इसलिये वे हजार डेढ़ हजार वर्ष पहले के हल पकड़े हुये हैं। आप नये-नये प्रकार के बीज और खाद उन्हें दे देते हैं किन्तु अन्य साधन न होने के कारण वे निराश हो जाते हैं। इसको मैं कहना चाहता हूं कि इन सरकारों ने जनता को निराशा में गाड़ दिया है और जिस देश और प्रदेश की जनता निराशामय बन जाती है, वहां का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से और उधर की कुर्सियों पर बैठने वाले माननीय सदस्यों से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप अपनी योजनाओं का रूप बदलें। जब आप अपनी योजनाओं का रूप बदलेंगे तो समाज में बदलाव आयेगा, जब समाज में बदलाव आयेगा तो गांवों में जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें श्रम करना महान पाप समझा जाता है, जिसके कारण हल की मूठ पकड़ना, चोटी, जनेऊ, और धर्म का नष्ट होना समझा जाता है, उसमें बदलाव आयेगा। जब उस तरह से आप योजनाओं को प्रारम्भ करेंगे तो उस वर्ण व्यवस्था को आघात पहुंचेगा। जब उसको तोड़ने की प्रक्रिया करेंगे तो वही करेंगे जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कहती है। यानी उन लोगों को तरक्की करने का मौका मिलेगा जो शोषित हैं, हरिजन हैं, स्त्रियां हैं, मुसलमान हैं, जिनको आज तक तरक्की करने का मौका नहीं मिला, जिन लोगों को हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था में कोई विशेष अवसर नहीं मिल पाया। तब जाकर सामाजिक उत्थान आरम्भ होगा। आज तो मंत्रियों को बाजार का भाव भी नहीं मालूम होता, क्योंकि सब सामान नौकर ही लाते हैं लेकिन जब इस प्रकार से योजना चलेगी तो उनको जीवनोपयोग की सब चीजों का दाम मालूम होगा और उन्हें इस बात की आवश्यकता होगी कि हमारी दाम बांधो नीति पर आयें।

हिन्दुस्तान में छोटे किसानों पर तो यह आपकी दाम नीति दो तरफा मार कर रही है। एक ओर तो छोटे किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और दूसरी ओर उनके उपभोग की वस्तुओं का मूल्य मिल मालिक दुगने और तिगुने दामों में वसूल करते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि मिट्टी के तेल की लागत खर्चा २-३ पैसा वह आज बाजार में आठ आना में मिल रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन २-३ आना की पड़ती है जो एक-डेढ़ रुपया में मिलती है और चीनी जिसका मूल्य १०-११ आना होता है वह बाजार में दो रुपया मिलती है। इस प्रकार से प्रत्येक चीज कम से कम ढ्योढ़े दुगने दामों पर बिक रही है। इसलिये जब आप विकास और नियोजन की बात सोचेंगे तो आपको यह आवश्यक होगा कि आप दाम नीति को अपनायें और इस नतीजे पर आयेंगे कि अनाज के दाम खलिहान और बाजार में एक आना प्रति सेर से अधिक नहीं होना चाहिये और मिल के माल का दाम लागत से ढ्योढ़े से ज्यादा नहीं होना चाहिये। जो किसान माल पैदा करता है और जो मिल में तैयार होता है उन दोनों के दामों में कोई न कोई संतुलन तो अवश्य ही होना चाहिये। लेकिन देखा यह जाता है कि आज ऊख और चीनी के दामों में कोई सन्तुलन ही नहीं है। चीनी का दाम निरन्तर बढ़ता जाता है और ऊख का दाम बराबर घटता जा रहा है दोनों के दामों में आज तक कोई रिश्ता ही कायम नहीं कर पाये हैं। उसका कारण यही है कि आपने अपनी योजनाओं में इन नीतियों को अपने सामने नहीं रखा है।

इसलिये मेरा कहना है कि अगर इन विकास योजनाओं से समाज और व्यक्ति का विकास नहीं हुआ तो आपकी कोई योजना सफल नहीं हो सकती और व्यक्ति का विकास गुण पर निर्भर करता है। अब यह गुण कहां से आयेगा। कहा जाता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। आजादी के बाद जो योगी लोग थे वह कुर्सी पर बैठते ही भोगी बन गये, भोग विलास में लिप्त हो गये। जनता ने जब योगी को भोगी बनते देखा तो सोचा कि हम भी छलांग मारें, हम क्यों पीछे रहें। जब राजा ही भोगी बनता जा रहा है तो जनता भी उस तरफ उन्मुख हुई। नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान में एक तरह का स्वार्थपरता का बाजार गरम हो गया स्वार्थ-परता के बाजार में कहीं-कहीं सरकारों का उलट फेर हो जाया करता है। यही नहीं, इधर से उधर तुरन्त हो जाते हैं। एक स्वार्थ आया, दल बदल गया। कहीं चेयर सिंह बन गये, क्या बन गये लोग कहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर व्यक्ति का विकास हुआ होता तो जिस तरह से आपने गैरकांग्रेसवाद के साथ रिश्ता कायम किया था वैसे ही आज भी इधर ही बने होते। आज इन्दिरा कांग्रेस के साथ साठगांठ कौन करेगा। इसलिये मैं साफ कहना चाहता हूं कि व्यक्ति का स्वार्थ समूह को ले बैठता है।

मैं तो बातें और बता देता हूं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है। मैंने एक प्रश्न किया था लखीमपुर खीरी के विकास अधिकारी के बारे में। मैंने ही बरख्वास्त भी दी थी। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया कि ३३ हजार कुछ सौ रुपये की उसने लूट किया, लेकिन उन्होंने कहा अनियमितता है, गबन नहीं है। मान्यवर, मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अनियमिततायें ही साधन बनती हैं गबन का। अनियमितताओं के कारण कृषि अधिकारी ने गबन किया या नहीं। और वह वहीं बना हुआ है। यहां के निवेशक ने उसका तबादला किया लेकिन माननीय मंत्री जी ने तबादला रोक दिया। वह फैजाबाद का रहने वाला था। वहां चुनाव हो रहा था। पता नहीं कहां तक सत्य है लेकिन मुझे बताया गया कि उस आदमी से चुनाव कोष में चार हजार रुपये भी लिये गये। इस प्रकार की बातों पर मंत्री जी रोक लगायें।

एक नियुक्ति की बात कह दूं। एक नियुक्ति हुई अभी सितम्बर, १९६९ में कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में। वहां मथुरा प्रसाद उपाध्याय रसायन शास्त्र के प्रवक्ता थे। भू-संरक्षण अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। रसायन शास्त्र के प्रवक्ता का पद खाली हुई। उस जगह के लिये सब से योग्य व्यक्ति थे विश्राम सिंह जो सहायक प्रवक्ता थे। उन्होंने मैट्रिक से लेकर एम० एस-सी० (कृषि) तक ७३-७४ प्रतिशत से कम अंक नहीं प्राप्त किये थे। लेकिन उस योग्य आदमी की नियुक्ति नहीं हुई। नियुक्ति किस की हुई। चन्द्र-भान अग्रवाल की जो डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर की बिरादरी के हैं। बनियावाद चल गया। इसलिए मंत्री जी जो बनियावाद पनप रहा है इसको रोकें।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

श्री रामलगन दूबे। ज्यादातर जो व्यवस्थित बोलेंगे उनको १५ मिनट मिलेगा और अगर इरेलेवेंट हो जायगा तो १० मिनट मिलेंगे।

श्री राम लगन दूबे (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं कृषि और सामुदायिक विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

पांच-पांच मिनट का समय सब के लिए कर दें तो सबको समय मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो १५ और १० मिनट रखे हैं, बाद में देखा जायेगा।

श्री राम लगन दूबे—

इस समर्थन के सिलसिले में मैं कुछ थोड़े से संक्षिप्त सुझाव भी माननीय मन्त्री जी को आपके माध्यम से देना चाहता हूं। कृषि और नियोजन के जो कार्यक्रम हैं उन विभागों के द्वारा या सरकार के द्वारा तय किये जाते हैं। कार्यरूप इनकी क्या स्थिति है गांवों में, इस पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है।

दूसरे हमारे यहां राज्यपाल के अभिभाषण में और सरकार की विभिन्न घोषणाओं में बार-बार यह कहा जाता है कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष व्यवस्था करने जा रही है, लेकिन सचमुच बजट जो प्रस्तुत किये जाते हैं उसमें कार्यक्रमों की रूप-रेखा ऐसी प्रतीत होती है कि पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, कुछ तराई और पूर्वी इलाके और पर्वतीय इलाकों के लिए पिछले बजट में कहा गया था कि डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जायगी उसके लिए धन की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन इस वक्त जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें उसके लिए कोई जिक्र नहीं किया गया और वह एक दम छोड़ दिया गया। इस वक्त जो तराई के, नैपाल बोर्डर पर के क्षेत्र हैं उनके विकास की कितनी आवश्यकता है और उधर कितना विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है उस की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह पिछले रविवार के "आज" अखबार में यू० पी० के पुलिस महा निरीक्षक ने एक प्रेस कानफरेंस में स्वीकार किया है, जिस पर थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा, कि तराई क्षेत्र की स्थिति क्या है —"वाराणसी से प्राप्त समाचार के अनुसार नक्सलपन्थी तत्व गाजीपुर, वाराणसी और मिर्जापुर में भी सक्रिय हैं और तराई क्षेत्र के गोरखपुर जिले के, इन क्षेत्रों में उन्होंने अपने अड्डे बनाये हैं और भूमिहीन श्रमिकों को उकसा रहे हैं।" यह गोरखपुर से भी नैपाल के बार्डर और बिहार से लेकर पर्वतीय इलाकों तक लगभग साढ़े पांच सौ मील का एरिया पड़ता है। उसी से संबंधित तराई का वह क्षेत्र भी आता है जो गोरखपुर का तराई इलाका है। लगभग दो महीने से वहां एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गयी है।

(इस समय ३ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नित्यानन्द स्वामी पीठासीन हुए।)

वहां की गरीबी का नाजायज फायदा उठा कर जो कुछ उग्रवादी तत्व हैं वह वहां भी किसी तरह की विषमता पैदा करने में लगे हुये हैं। उसका हाल वहां के देखने से ही पता चलेगा। हमने कुछ समय पूर्व आई० जी० को, मुख्य मन्त्री को और एस० पी० गोरखपुर को बताया कि दिन में सीधे-सीधे दो-दो,तीन-तीन रिवाल्वर तान कर लोग चले आते हैं और लोगों से काफी रुपया इकट्ठा करते हैं। गोरखपुर के एस० पी० ने पहले तो विश्वास नहीं किया। उसके बाद ४–५ रोज के बाद मुलाकात हुई तो कहा कि बात सही है, ये चार-छः रोज के अन्दर या तो मार दिये जायंगे या पकड़े जायंगे। पर सचमुच ऐसी बात हो नहीं सकती। अलबत्ता ४–६ रोज के बाद एक डकैती पड़ गयी जिसमें बमों का प्रयोग किया गया। हमने एस० पी० से कहा कि आपने जो आश्वासन दिया प्रतीत होता है कि उस समय कोई सुन रहा था फलतः प्रति क्रियावादियों ने आप ही को चैलेंज दे दिया और आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इस सारी स्थिति का कारण यह है कि पूरा इलाका तराई का और पिछड़ा हुआ है तथा पिछले २२–२३ वर्षों में भी जो भी देश और प्रदेश के लिये नियोजन का कार्यक्रम बनाया गया उस में इस क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस पूरे क्षेत्र की हजार बारह सौ वर्ग मील का एरिया दो तरफ नैपाल राज्य की सीमा से लगा हुआ है और एक तरफ गोरखपुर के जंगलों से घिरा हुआ है। उसकी स्थिति इतनी अजीब और भयावह

हो गयी है कि वहां के किसानों और लोगों का सामान्य ढंग से रह सकना असंभव हो गया है। वहां कृषि के प्रोत्साहन के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। न तो किसी तरह की कोई सड़कें बनायी गयीं, न किसी तरह का उद्योग ही है। अभी पिछली मर्तबा में क्षेत्र में गया एक क्षेत्र में तो कृषि विभाग के बारे में एक आश्चर्यजनक बात मालूम हुई कि यहां कृषि विभाग से डिमांस्ट्रेशन के लिये कुछ खाद वगैरह गरीब किसानों को दी जाती है। पर दी नहीं गई, दिया जाना केवल कागज में दिखलाया गया है ५६ किसानों को सौ-सौ रुपया की यानी ५६०० रुपया की खाद १९६९-७० में दी जानी दिखलायी गई, पर सचमुच ही बिल्कुल नहीं गई मैंने बी० डी० ओ० को बुला कर पूछा तो उन्होंने कहा कि यह तो दे दी गई है। पर जब मैंने किसानों से जानने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि खाद किसी को नहीं दी गई है। जब मैंने कुछ तो ढूंढना शुरू किया तो बी० डी० ओ० ने ५६ किसानों को चिट्ठी लिखी जो मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है। मैं एक किसान से लेकर आया हूं।

"आप द्वारा वर्ष १९६९-७० में किया गया कम्पोजिस्ट डिमान्स्ट्रेशन (बहुफसली प्रदर्शन) सफल पाया गया जिसके फलस्वरूप आप को चौतरवा कृषि गोदाम से १०० रु० की निम्नलिखित खाद दी गई है और आप ने प्राप्ति की रसीद भी दी है। कृपया अपने ग्रामसेवक के माध्यम से सूचित करें कि आपने क्या उक्त खाद प्राप्त कर ली है। यदि आपने खाद न प्राप्त किया हो तो दिनांक १६-६-१९७० को संबंधित गोदाम पर अपने ग्रामसेवक सहित पहुंचें और उर्वरक स० वि० अ० की उपस्थिति में प्राप्त करें।

	मात्रा किलों में
१---ए० फास्फेट	२२.१११
२---एम० पी०	१९.७७२
३---ए० एस०	१२४ ०४०,,

यह जो ५,६०० रु० की खाद बांटी गई है यह सब फर्जी कागज पर दिखाई गई है। इस तरह के नियोजन से इस देश का और प्रदेश का क्या भला हो सकता है। एक ब्लाक में एक बी० डी० ओ० और ८ ए० डी० ओ० होते हैं। उनका क्या काम है और वे क्या कर रहे हैं, इसके सर्वेक्षण का प्रयास किया जाता तो सब कुछ मालूम हो जाता कि अव्यवस्थाओं के कारण असंतोष फैल रहा है। आखिर इनके पास काम क्या है? खाद की तकावी भी बिना तहसीलदार के नहीं बांट सकते। देखा जाय तो मालूम होगा कि असंतोष इनकी वजह से फैल रहा है। काम रत्ती भर नहीं हो रहा है और कोई भी काम किसान का बिना नाजायज पैसा दिये नहीं हो रहा है।

हमारे क्षेत्र में आदिम जातियों को कुछ सहूलियतें दी गई। पानी पीने की योजना पिछले वर्ष जिलापरिषदों द्वारा रुपया मार्च तक बांटा जाना स्वीकार किया गया पर ब्लाक में उसके अन्तर्गत कुछ भी कार्य नहीं हुआ। स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गयी। कर्मचारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं इस दिशा में नौतनवा और लक्ष्मीपुर, गोरखपुर के कार्य की व्यवस्था की जानी चाहिये। शुरूशुरू में छोटे किसानों को पंपिंग सेट खरीदने के लिये कुछ सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती थीं, लेकिन अब वे समाप्त कर दी गई हैं। जो सहूलियतें दी गई हैं वह न किसानों को दी गई हैं जो पहले से ही समृद्धशाली थे, जिनके पास पैसा था। गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। सिंचाई के अभाव में छोटे किसानों को उस को जो थोड़ी बहुत खाद मिलती भी है उसका वह उपयोग सफलतापूर्वक कर नहीं पाता है। सरकार को चाहिये कि सिंचाई के जो भी सार्वजनिक साधन दिये जाने वाले हैं उनकी व्यवस्था शीघ्र कराई जाय। वरना यह जो रीजनल इम्बैलेन्सेज पैदा हो रही हैं, यह जो क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा होता जा रहा है जिससे असन्तोष की

[श्री राम लगन दुबे]

मात्रा बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि फिर उस स्थिति को संभालना कहां तक संभव होगा यह नहीं कहा जा सकता। अगर कृषि विभाग, नियोजन, सहकारिता एवं सिंचाई जिससे बड़ी और लघु सिंचाई व्यवस्थाएं की जाती हैं इनको समन्वित करके संचालित न किया गया तो पिछड़ा क्षेत्र या तराई के इलाके जहां के लोग स्वयं आगे बढ़ सकने में असमर्थ हैं उनके बारे में यह सोचा भी नहीं जा सकता कि किस तरह से वह आगे बढ़ सकेंगे।

मान्यवर, आप के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और सिंचाई मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि अगर कृषि के पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति के लिए कोई बंधनकारी व्यवस्थायें हैं तो उसमें छूट प्रदान कर विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार की घोषित नीति के अनुरूप वहां के व्यवस्था का कष्ट करें जिससे पिछड़े हुए अंचलों में बढ़ते हुए असन्तोष के कारण उग्रवादी तत्वों को आगे बढ़ने का जो मौका मिलता है वह न मिल सके और किसानों को जो सचमुच उपेक्षित हैं सुविधायें मिल सकें और वह आगे बढ़ सकें वर्ना यह पिछड़े क्षेत्र निरन्तर ही पिछड़े रह जायंगे। तराई में मान्यवर अब भी जमीन ज्यादा है। जंगलों के किनारे, गांव सभा की जमीन, सीलिंग की जमीन और बंजर की जमीन काफी है लेकिन उन जमीनों पर जो ताकतवर हैं जिनके पास खेती है आज भी वह कब्जा किये हुए हैं। कुछ तो ठीक तरह से वितरण भी नहीं हो पा रहा है। जिसके वजह से जो कमजोर हैं, पिछड़ा है, गरीब है भूमिहीन है उसको आज भी भूमि मिल नहीं पा रही है। इसके लिए हमने भी प्रयास किया जिलाधीश के माध्यम से और सरकार के माध्यम से लेकिन यह व्यवस्था आज तक सम्भव नहीं हो पाई है। इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिये। उर्वरक की व्यवस्था के सिलसिले में मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह नौलखा और लक्ष्मीपुर ब्लाक की जांच करा लें। जो तकावी पर खाद दी जाती है उसमें कर्जों नाम डाल दिये जाते हैं। जब वसूली होती है तो किसान को जानकारी होती है, संरक्षण के लिए मारा मारा फिरता है दरख्वास्त देता है कि मैंने तकावी ली नहीं, फिर भी कुछ हो नहीं पाता और उससे जबरन वसूली होती है। जिन अधिकारियों की वजह से यह गड़बड़ी होती है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इन सुझावों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री मोमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, चूंकि यह एक संसदीय परम्परा है कि कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया जाय इस मतलब से सुझाव दिये जांय और नीतियों की आलोचना की जाय इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं वरना जहां तक मैं समझता हूं वह यह है कि जितना भी रुपया ज्यादा से ज्यादा कृषि के संबंध में व्यय हो उसी से हमारी उन्नति होगी और हमारे किसानों की खुशहाली होगी। आज किसान प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित हैं। इसी वर्ष जब गेहूं की फसल पकी हुई खड़ी हुई थी, उस समय प्रदेश के कितने ही भागों में ओले पड़े और गेहूं की वह फसल जो पक कर तैयार हो गई थी, जो किसान की आशा थी और उम्मीद थी, वह आंखों के सामने नष्ट हो गई। इसके बाद जब गेहूं कटा, जहां कि ओले नहीं पड़े थे, और जो किसान जरा भी पिछड़ गये अपने गल्ले को उठाने में, मई के तीसरे सप्ताह में बे-वक्त बारिश शुरू हुई और उस वर्षा का दौर-दौरा, बूंदा-बांदी, पूर्वी हवा जो अब तक चल रहा है, उससे किसानों का लाखों क्विन्टल गल्ला तबाह हो गया, बरबाद हो गया। अगर किसान की एक भी फसल इस तरह से तबाह हो जाय, या उससे लाभ न हो तो उसका जीवन बेकार हो जाता है, उसका सारा विकास खत्म हो जाता है कि वह सोचता कि क्या करें। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां एक तरफ उन्होंने किसानों के विकास की ओर सोचा है, योजनायें बनाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, परियोजनायें बनाई हैं और मैं जानता हूं कि उन्होंने यह बात सच्चे दिल से सोची है, लेकिन क्या कभी उन्होंने इस सम्बन्ध में भी सोचा कि इस तरह से किसानों को जो क्षति पहुंचती है, किसानों को जो आफतों का मुकाबला करना पड़ता है, उससे उनकी क्या दशा होती है, उनकी क्या स्थिति होती है और वह कितना पीछे चला जाता है? मान्यवर, यह सोचने का विषय है। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ सोचा भी नहीं है। किसानों को ऐसी मुसीबतों से हर वर्ष वास्ता पड़ता है, हर वर्ष किसी न किसी जगह के किसानों को इन आफतों को सहन करना पड़ता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में पूछता हूं कि उन्होंने क्या किया और क्यों नहीं सोचा? आपको मालूम होगा, मान्यवर, कि किसान अगर अच्छी पैदावार करना चाहता है तो उसे कृषि कार्य पर कितना व्यय करना पड़ता है और कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है, और फिर जब उस को उसका फल नहीं मिले तो वह क्या कर सकता है और कहां रह सकता है।

मैं आप के द्वारा, श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी से अर्ज करना चाहूंगा कि वह इस विषय में सोचें। मैं इस सम्बन्ध में यह कह दूं कि वह क्राप इन्शोरेन्स के विषय में भी सोचें जो कि एक आवश्यक चीज है और अनिवार्य है। मैं समझता हूं कि वह जरूर इस सम्बन्ध में सोचने का प्रयास करेंगे। मुझे याद है कि सन् १९६८ में गन्ने की कीमतों में, गुड़ की कीमतों में, क्यों तेजी आ गई थी। वह कीमतें इतनी ऊंची उठीं कि आसमान को चूमने लगीं और उसका कारण केवल यह था कि गन्ना और गुड़ का अभाव था। गन्ने का अभाव था, एक तो क्षेत्र-फल घट गया था और दूसरे सूखा के कारण फसल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन उन कीमतों के इतने ऊंचे जाने को एक राजनैतिक ढंग से स्तेमाल किया गया और एक स्लोगन लगाया गया कि यह कीमतें माननीय चरण सिंह जी ने अपनी सरकार के दौरान में इतनी ऊंची उठायीं, जो बिल्कुल असत्य था। उसका परिणाम क्या हुआ? यह तो जरूर हुआ कि गुड़ और गन्ने के क्षेत्र से काफी मात्रा में भोले-भाले किसानों ने बी० के० डी० के लोगों को चुनकर यहां भेज दिया यही सोच कर कि इससे उनकी उन्नति होगी और अच्छे मूल्य मिलेंगे लेकिन उसने गन्ना बोने में भी कमाल कर दिया। गन्ने का क्षेत्र बढ़ता चला गया और इतना बढ़ा कि आज वह दुखी है और उसकी समझ में नहीं आता कि वह उस गन्ने का क्या करे। आज वर्षा आरम्भ हो गयी है और गन्ना उसका अभी तक खेत में खड़ा हुआ है। गन्ने में कितनी लागत आती है यह तो श्रीमन्, आप जानते ही होंगे। आज वह उसे ईंधन की तरह स्तेमाल कर रहा है। वह सोच रहा है कि किस तरह खेतों को गन्ने से खाली करें। जो नुकसान उसको हुआ और जो उसका व्यय हुआ वह तो अपनी जगह पर है ही। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान से खिलवाड़ न किया जाय। किसान के सम्बन्ध में राजनैतिक ढंग से न सोचा जाय। अगर वह इस तरह से किसान को बहकायेंगे तो हम कुछ पीछे की तरफ हटेंगे, आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि काफी सिंचाई के साधन बढ़ते जा रहे हैं। किसान में एक उमंग भी है। वह अच्छे-अच्छे बीज का प्रयोग भी करना चाहता है। अपने सिंचाई के साधन भी बढ़ा रहा है और सरकार भी उसको प्रोत्साहन दे रही है। और इस तरह से कहा जाता है कि प्रदेश में एक हरी क्रान्ति आने वाली है और हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ हम कृषि में ज्यादा से ज्यादा योगदान कर के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि केवल सरकार ही कर रही है, बल्कि हर किसान के दिल में एक उमंग है कि अपनी पैदावार को बढ़ाए और यह एक अच्छी उमंग है। इसमें सरकार जितना भी बढ़ावा दे सके वह दे और मैं समझता हूं कि वह जरूर देगी। आज ८० प्रतिशत हमारे प्रदेश की जनसंख्या किसानों की है और

[श्री मुमताज मोहम्मद खां]

उनको आगे बढ़ाना हम सब का कर्तव्य है। मान्यवर, बीज के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गेहूं की नई-नई जातियां आयीं मैक्सिको की। उनको किसानों ने प्रयोग किया और अनुभव किया कि उससे अच्छी पैदावार होती है तो उसको स्वयं उन्होंने अपना लिया। इसी प्रकार धान की कुछ जातियां आयीं उनको भी किसानों ने स्वयं अपना लिया। लेकिन यह संकर मक्का जिसकी ओर सरकार पूरा जोर लगा रही है कि किसान उसको बोये लेकिन अच्छे से अच्छा किसान भी उससे अच्छा उत्पादन लेने में असफल रहा है। नाकामयाब रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सरकारी राजकीय कृषि फार्म है उनमें उसकी पैदावार क्या है? अगर उन फार्मों में उनका उत्पादन सही नहीं है तो फिर क्यों किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह ज्यादा से ज्यादा संकर मक्का बोयें? जो अच्छे-अच्छे तरक्कीयाफ्ता किसान हैं वह इसका अच्छा उत्पादन लेने में असफल हो गये हैं।

इसके साथ ही मैं अमरूद के सिलसिले में भी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अमरूद उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध फल है लेकिन अमरूद के बाग उत्तर प्रदेश में खत्म होते जा रहे हैं। इसमें फुंगी बीमारी होने के कारण उत्तर प्रदेश से इसके बाग के बाग जाते रहे हैं। इसकी तरफ क्या कभी मंत्री जी का ध्यान गया है और इस डिसीज को मिटाने के लिये कोई उन्होंने उपाय सोचा है? अगर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह फल अपने प्रदेश से खतम हो जायगा।

आम के संबंध में भी मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आम एक वर्ष कम आता है या नहीं आता है दूसरे वर्ष सही आता है तो इस संबंध में क्या उनका महकमा कोई तजुर्बा कर रहा है जिससे आम की पैदावार हर वर्ष सही तौर से होने लगे और जिन लोगों के बाग हैं उनको हर वर्ष आम की फसल मिल सके। इसके साथ ही साथ मैं यह आशा करता हूं कि मंत्री जी खेती के मामले में एक रोशनी लायेंगे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देंगे विशेषकर छोटे किसानों को जो आज सबसे पीछे हैं न उनके पास सरमाया है लगाने के लिये खेतों में और न उनके पास साधन हैं अच्छा बीज पाने के लिये और न बैल ले सकते हैं। तो जब तक छोटे किसानों के यह सारी सहूलियत नहीं देंगे पर्याप्त मात्रा में उस वक्त तक उत्तर प्रदेश कृषि में उन्नति नहीं कर सकता है। इसके साथ ही मैं सिंचाई के साधनों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। आज जितने भी ज्यादा सिंचाई के साधन उनको उपलब्ध होंगे उतनी ही हमारे प्रदेश में पैदावार बढ़ेगी और हमको काफी मात्रा में गल्ला और कृषि उत्पान की चीजें प्राप्त हो सकती हैं। तो जिस तरह से भी हो सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाय। छोटे छोटे नलकूप छोटी जोतों पर लगाने के लिये जो कुछ भी सरकार कर सकती है वह अवश्य करे। जब पानी सही तरीके से कृषि के संबंध में नहीं मिलेगा उस वक्त तक कृषि का उत्पादन बढ़ना नामुमकिन है। इन अल्फाज के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हर नरायन (जिला पीलीभीत)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय के बजट के पक्ष में बोल रहा हूं। मैं केवल थोड़े से समय में कुछ अपने सुझाव मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। मुझे आशा है मंत्री जी मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे। जिले पीलीभीत में एक उपनिवेशन की योजना है। उसमें अनेक समस्याएं हैं। उन समस्याओं की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां के जितने भी अलाटी हैं उनको सीरदारी राइट नहीं दिये गये हैं। उनको ९ वर्ष हो गये हैं कि वह जमीन उनको दी गई थी।

दूसरी बात यह है कि वहां पर सरकिल रेट वहां के प्रचलित आम लगान से पचगुना है। मंत्री जी कृपा कर के वहां का लगान का रेट ठीक करायें। वहां पर जो सड़कें हैं उनमें एक छोटी सी सड़क पंजाब घाट की है जिसके बन जाने से पलिया जाने के लिये यह तीन मील का टुकड़ा

*जनता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बना दिये जाने से दस मील का चक्कर बच सकता है। इस ओर मंत्री जी ध्यान देकर इस टुकड़े को शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करें।

इसके अलावा इस क्षेत्र में बिजली की भी बहुत कमी है, जिन किसानों को वहां आबाद किया गया है उनके लिये वहां सिंचाई के साधन और बिजली का अभाव है। मंत्री जी इस ओर भी ध्यान देकर वहां के लिये बिजली की व्यवस्था कराएं और सिंचाई के लिये निजी नलकूपों के लिये कर्ज की व्यवस्था करावें, वहां पर लोगों को कोई भी कर्ज नहीं मिलता है। वह उनको दिलाया जाय।

हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने हमको इंगित किया है कि वहां पर जानवरों के अस्पताल की तो क्या पुरुषों और स्त्रियों के चिकित्सालय की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिये १८ हजार से अधिक की आबादी के लिये दोनों प्रकार के अस्पतालों की सुविधा प्रदान की जाय। वहां पर पढ़ाई के लिये लड़कों व लड़कियों के स्कूलों की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये वहां स्कूलों की और फीस माफी की गरीबों के लिये व्यवस्था की जाय।

एक सदस्य––

यह पूरे बजट पर बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता––

अपने-अपने विषय को मंत्रिगण नोट करते जायगे, माननीय हर नरायन जी को पूरी छूट है।

श्री हर नरायन––

इसके अतिरिक्त हमारे यहां शारदा नदी के कटान से काफी बड़ा क्षेत्र उजड़ गया है जिससे हजारों एकड़ भूमि बरबाद हो गई है और लाखों रुपये का किसानों का नुकसान हुआ है। इस ओर कृषि मंत्री जी सिंचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाकर व्यवस्था कराने की कृपा करें वरना इससे गरीब किसानों पर एक विशेष प्रकार का संकट आने वाला है।

इसके अलावा एक दिक्कत खास यह भी है कि माननीय वन मंत्री जी की तरफ से किसानों के लिये घास-फूंस और लकड़ी का मकान बनाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है कृषि मंत्री जी गरीब किसानों को वन मंत्री जी से ऐसी चीजें दिलाने की व्यवस्था करें।

गन्ने के लिये भी यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहां बहुत से गन्ने के किसान हैं, वहां इस समय ४ लाख क्विन्टल गन्ना खड़ा है और उसके जाने का कोई रास्ता नहीं है मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर रोड सेंटर खोले जाएं, यह हजारा व सितारगंज में खोले जाएं। वजीरगंज में खोले जाएं। मंत्री ने महोदय एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन खोले हैं और उसके द्वारा नये औजार और ट्रैक्टर किसानों को दिलाने की व्यवस्था की जाती है लेकिन हमारे यहां ट्रैक्टर्स के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, हजारों का नंबर लगा हुआ है और हजारों लाखों रुपया उस पर सरकार का प्रतिमास व्यय होता है लेकिन बिक्री में दस ट्रैक्टर भी नहीं आते। मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें और किसानों के लिये ट्रैक्टर्स की व्यवस्था कर के किसानों का भार हल्का करें ताकि खेतों की उपज बढ़े और वहां के लोग अच्छी तरह से गुजर कर सकें।

एक बात मैं आपके सामने और रखूंगा और वह यह है कि जिनकी जमीनें उपनिवेशन योजना में ले ली गई हैं वह किसान भूमिहीन हो गये हैं। वहां पर बहुत सी ग्राम समाज की जमीन पड़ी हुई है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन गरीब भूमिहीन किसानों को उनकी जमीन के बदले में यह ग्राम समाज की जमीन दी जाय और उनको वहां बसाया जाय ताकि वह बेघर-बार के न होने पाएं।

अब मैं एग्रीकल्चर फार्मों के बारे में कहूंगा। हमारे विभाग के द्वारा जितने एग्रीकल्चरल फार्म चलाये जाते हैं उनमें लगभग लाखों रुपयों का घाटा प्रतिवर्ष दिखाया जाता है। जब कि हमारे किसान खुद मेहनत करते हैं। उसमें उसे हमेशा घाटा रहता है। यह बात दीगर

[श्री हरनरायन]

रही कि इस वर्ष सैलाब आने से कुछ का गन्ना खड़ा है। कुछ वर्षा जल्दी होने से गल्ला सड़ रहा है। परन्तु एग्रीकल्चरल फार्म तो ज्यादा से ज्यादा नुक्सान में ही रहते ह। मेरा सुझाव है कि या तो इन फार्मों की देखभाल पर विशेष ध्यान दें या उन्हें बन्द कर दें। बन्द कर देने के बाद में उन्हें लीज पर दे दें, नीलाम कर दें जिससे देश की उपज बढ़ें। देश की तरक्की हो, नुक्सान न हो। इसके अलावा जितने भी सीड स्टोर्स हैं उनमें भी जो गल्ला दिया जाता है उनमें कंकड़, पत्थर मिला दिये जाते हैं और उसे मिक्श्चर करके दिया जाता है। अगर सरकार किसानों को अच्छे बीज उगाने के लिये सुविधा दे तो हमारे किसान इतनी तरक्की कर गये हैं कि वे अच्छे से अच्छा बीज पैदा करेंगे और इस प्रकार बीज की कमी नहीं रहेगी। अगर ऐसा कर दिया जाय कि कोई किसान किसी किसान से अच्छे बीज ले ले और काश्तकार को दाम दे दे तो अच्छा बीज मिल सकेगा। गोदामों से बीज लेने से नुक्सान रहता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर माध्यमिक विद्यालय, हजारा के लिये दस एकड़ जमीन अलाट हुई है। माननीय कृषि मंत्री कृपया इस ओर ध्यान दें ताकि वे वहां खेती कर सकें। इसी तरह से एक फार्म के लिये १५० एकड़ जमीन वहां रजिस्टर्ड हो गई है। वह वहां के लिये मंजूर है। कृपया वह उस फार्म के लिये जमीन दे दी जाय ताकि वह एग्रीकल्चर फार्म बन जाय और उस इलाके की जनता खेती में तरक्की कर सके।

श्री सिया राम (जिला एटा)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय शंभूनाथ चौधरी क कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को ध्यान से सुना और सुनने पर एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन्होंने जो कुछ अपने भाषण में कहा वह केवल उन्होंन अपने बदायूं जिले की समस्या को कहकर ही अपने पूरे भाषण को टाल दिया। मान्यवर, बदायूं जिले के पड़ोस में ही जिला एटा है। मैं वहां का निवासी हूं। अगर देखा जाय तो बदायूं के मुकाबिले एटा पिछड़ा हुआ है। जिला एटा के संबंध में मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मान्यवर, यह जिला गंगा नदी, काली नदी, ईसर नदी और सगर नदी, कुछ बूढ़ी गंगा की लपेट में आता है और इस प्रकार अगर इसको देखा जाय तो वहां पर काफी ऊसर और बंजर जमीन पड़ी रहती है। इस तरह से यह जिला पिछड़ा हुआ है। सिंचाई की दृष्टि से देखा जाय तो लोअर और अपर गंगा कैनाल से इसकी सिंचाई नहीं होती। इसलिय सिंचाई के अभाव और खेती की उन्नति पर ध्यान न देने की दृष्टि से यह जिला एटा पिछड़ा हुआ है।

माननीय मंत्री जी ने एटा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, हालांकि मंत्री जी तो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, उनको चाहिये था कि वे पूरे प्रदेश की स्थिति पर प्रकाश डालते और अपनी शुभकामनाएं प्रकट करते। किताबों में जो आंकड़े थे वे मंत्री जी ने पढ़ दिये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आंकड़ फर्जी और झूठे होते हैं। गांव में जो यह वी० एल० डब्ल्यू० होते हैं यह किसी बड़े किसान के यहां गांव में जाते हैं, उसक किसी अच्छे से प्लाट को चुन लेते हैं, उसको नई नई सुविधाएं आदि देते हैं, अपना परीक्षण करते हैं और उस पर उन्नति खेती की अपनी तख्ती लटका देते हैं, जब फसल पक जाती है तो उसी का आंकड़ा लेकर सारे गांव के आंकड़े तैयार कर लेते हैं। इस तरह से यह जो आंकड़े किताबों में दिखाए जाते हैं। यह फर्जी और झूठ होते ह। यह बोगस आंकड़े होते हैं। हालांकि कृषि मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी दोनों किसान के बेटे हैं, परन्तु उन्होंने किसानों के प्रति सद्भावना का एक भी शब्द प्रकट नहीं किया है। किसी ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है कि किसानों की हालत किस प्रकार से सुधारी जा सकती है। हालांकि किसानों के सुधार से ही प्रदेश का सुधार होना सम्भव है। तभी आपके कल कारखानों की भी उन्नति सम्भव है। किसान जो कच्चा माल तैयार करता है उसी के बल पर आपके कल कारखाने चलते हैं। इसलिये सरकार को किसानों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

किसानों को जो ऋण दिया जाता है वह उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण के मुकाबले ज्यादा ब्याज पर दिया जाता है। सरकार को किसानों को बहुत कम व्याज पर ऋण देना चाहिये।

बिजली भी किसानों को जो दी जाती है वह बहुत अधिक रेट पर दी जाती है जब कि वही बिजली बड़े बड़े उद्योगपतियों को उससे कहीं कम रेट पर मिलती है। किसानों को बहुत सस्ते रेट पर बिजली दी जानी चाहिये। जब आप यह करेंगे तभी किसानों की हालत का सुधार हो सकेगा। इस संबंध में मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा है।

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। ८५ फीसदी जनता कृषि पर निर्भर है। आज भी किसान वही पुराने कृषि के साधनों को अपनाता है। पहले किसानों के लिये प्रौढ़ पाठशालाएं चलायी गयीं थीं। उसी प्रकार से कृषि से संबंधित आधुनिक तरीकों को अपनाये जाने के संबंध में भी गांव गांव में किसानों को ट्रेनिंग देने के लिये सरकार को पाठशालाएं खोलना चाहिय जिसमें उनको यह बतलाना चाहिये कि इस प्रकार की खेती से यह लाभ हैं, ट्रैक्टर से यह लाभ है, इस बीज से यह लाभ है आदि। खेती के लिये, जसा कि कटौती का प्रस्ताव रखते हुए माननीय चौधरी साहब ने कहा, जमीन, मजदूरी, खाद, बीज और पूंजी की जरूरत होती है। अपने प्रदेश को बिलकुल आत्मनिर्भर करने के लिये ताकि अन्य प्रदेश व देश के सामने अन्न के लिये हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिये किसानों को यह बतलाने की जरूरत है कि ऊसर व बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये कौन कौन से साधन अपनाने चाहिये और साथ ही हमारे यहां सिंचाई के लिये कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय होने चाहिये। लेकिन इस संबंध में माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने भाषण में कोई प्रकाश नहीं डाला।

मैं माननीय मंत्री जी को बतला दूं कि आज लाखों मन गल्ला बरसात के कारण सड़ रहा है। कभी एसा होता है कि बाढ़ आने से खेती मारी जाती है, कभी सूखे से मारी जाती है लेकिन इस वक्त दुर्भाग्य की बात यह है कि किसानों का लाखों मन गल्ला पका पकाया उनके खेतों और खलिहानों में सड़ रहा है। उस गल्ले को किस तरह से बचाया जाय, इस संबंध में माननीय मंत्री जी का कोई विचार नहीं आया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों का जो इस तरह से नुकसान होता है, कभी ओले से, कभी पाले से, कभी सूखे से और बाढ़ से, इसके लिये आवश्यक है कि किसानों को उसका मुआवजा मिलें। इस संबंध में मैं सरकार से कहूंगा कि जैसे पंजाब व अन्य प्रदेशों में है, किसानों की फसल का बीमा होना चाहिये, यह मेरा सुझाव है।

यह सरकार कृषि के बढ़ावे के लिए बड़े बड़े लिटरेचर बांटती है, फिल्म शो भी दिखलाये जाते हैं लेकिन वे शहरों में ही बांटे व दिखलाये जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या खेती करने वाले किसान शहरों में ही रहते हैं या इन लिटरेचर को पढ़ने वाले किसान शहरों में ही रहते हैं? जो बात देहातों में बतलानी चाहिये, जो फिल्म देहातों में दिखलानी चाहिये, वह कुछ नहीं होता। देहातों में लिटरेचर व फिल्म शो के जरिये किसानों को बतलाना चाहिये कि इस तरह की खाद देने से आलू की पैदावार इतने मन फी एकड़ होगी, या गेहूं के लिये यह खाद दी जाय तो क्या पैदावार होगा। अगर वास्तव में सरकार कृषि की पैदावार को बढ़ाना चाहती है तो फिल्म शो वगैरह देहात वालों को दिखलाना चाहिये। जापानी ढंग से या रूसी ढंग से खेती करने के संबंध में शोध कार्य करके किसानों को दिखलाना चाहिये जिससे वे अपनी खेती की उन्नति कर सकें।

मान्यवर, मैं बीज के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। जिस तरह से कोई हलवाई दूध में पानी मिला कर बेचने पर पकड़ा जाता है और सेनेटरी इन्सपेक्टर उसे जल भज देता है

[श्री सियाराम]

या उस पर जुर्माना कर देता है उसी तरह से यदि कोई व्यापारी न मालूम कहां कहां से फर्जी बीज लाकर बेचता है और किसान को धोखा देता है तो उसे भी पकड़ा जाय और उसको सजा दी जाय। इस संबंध में मैं आपको एक उदाहरण दूं। जिला एटा का किसी व्यापारी ने मूंग नं० १ के नाम पर किसानों के हाथ ४ रु० किलो उसे बेचा लेकिन उसमें अभी तक कोई फली नहीं आई जिससे किसानों की इतनी मेहनत, मजदूरी व खाद का पैसा बेकार चला गया। इस संबंध में सरकार को चाहिये कि वह एक विशेष अधिकारी नियुक्त करे जो बीजों को परख परख कर गलत बीज देने वालों को सजा दे सकें।

अब मैं अधिक न कह कर अपनी अंतिम बात बतलाना चाहता हूं। सरकार की ओर से जो एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन है, और यह सरकार जो किसानों की सरकार होने का दावा करती है, वह अभी तक ट्रैक्टर्स की समस्या को नहीं सुलझा सकी है। अगर देखा जाय तो हजारों की तादाद में ट्रैक्टर खरीदने के अप्लीकेशन्स पड़े हैं लेकिन उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से वैस्पा स्कूटर के लिये विधायकों के लिये कोटा निर्धारित है उसी तरह से जो विधायक एक अच्छे किसान हैं, उनके लिये भी ट्रैक्टर का कोटा निर्धारित किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा जो बीज दिये जाते हैं, वे बड़ी ऊंची दरों पर दिये जाते हैं। इसमें सरकार बिलकुल धोखा देती है। इसका एक प्रमाण है--मैक्सीकन गेहूं को किसानों को ऊंची दरों पर दिया जाता है, और फिर वही नं० ३०८, २२७ व सोना कल्यानी आदि के रूप में दिया जाता है। इस तरह से किसानों का पूरी तरह से शोषण किया जाता है। तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें जो किसान पैदा करते हैं उन्हें सस्ते मूल्य पर लिया जाता है उस ओर सरकार ध्यान दे और किसानों का बीज संभाल कर रखने की व्यवस्था की जाय कि वह उसी को बाद में बोये। ढाई रुपये और पांच रुपये किलो देकर उसे ठगा जाता है। जो संकर मक्का है नं० १ व ३१, वह बिलकुल फेल हुई है। यह हमारे जिले में बिलकुल फेल हुई है। यह न तो चारा के काम में आती है और न इससे मक्के की पैदावार ज्यादा हुई है। लेकिन किसानों को जबरदस्ती ४-५ रुपये किलो दी जाती है। मान्यवर, इस प्रदेश में किसानों को जबरदस्ती बीज थोपना बड़ी गलत परिपाटी है। सरकार खेतिहर मजदूरों का कल्याण नहीं करना चाहती है। हरिजन मजदूरों का कोई भला नहीं करना चाहती है। ये हरिजन मजदूर खेतिहार मजदूर के ७५ फीसदी हैं। हरिजनों का न तो कोई विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं न उस पर कोई ध्यान दिया जाता है। उनकी मजदूरी बहुत ही कम है। परती और खाली पड़ी जमीन हरिजनों को दी जाय। इस तरह से मैं कटौती के प्रस्ताव कर समर्थन करता हूं।

श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि अनुदानों पर बोलने का मुझे अवसर दिया है। कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का मैं समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मैंने आज शंभूनाथ चौधरी का भाषण बड़े गौर से सुना और यह समझने की कोशिश कि एक विरोधी पक्ष के तरफ से कृषि के बारे में कैसे विचार प्रकट किए जाते हैं। जो उन्होंने विचार प्रकट किया है मैं उनसे सहमत नहीं हूं। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि इस सरकार का कृषि की तरफ कोई रूझान नहीं है, बिलकुल गलत बात है। जैसा कि आंकड़ों से सिद्ध है, सरकार ने कृषि को प्राथमिकता दी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सभी पंचवर्षीय योजना में कृषि कार्य को प्राथमिकता दी गई है और कृषि पर सबसे ज्यादा बजट रखा गया है। आंकड़े के देखने से हमें पता चलता है कि कृषि का उत्पादन हर साल बढ़ता गया है। सन् ५०-५१ में ११७.७५ लाख मैट्रिक टन कृषि उत्पादन हुआ है, सन् ६८-६९ में १६१.०४ और वैसे ही सन् ६९-७० में करीब १७१.६३ लाख मैट्रिक टन कृषि उत्पादन हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि कृषि में उन्नति होती जा रही है।

अब आप जरा कृषि उत्पादन पर हुए खर्च के आंकड़ों को देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में १९ करोड़ ८४ लाख रुपया खर्च हुआ, दूसरी योजना में १७ करोड़ १५ लाख, तृतीय पंचवर्षीय योजना में २९.९६ लाख और वर्ष ६८–६९ में १० करोड़ ४० लाख रुपये कृषि उत्पादन कार्यों पर व्यय हुआ। इसका मतलब यह है कि जब हम कृषि पर किये गये खर्चे को अन्य प्रदेश में किये गये खर्चे को ध्यान में रखकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि सारे देश के अन्न उत्पादन का १८.४८ हमारे प्रदेश में हुआ है। आलू में ३३.३८ परसेंट है, गन्ने में ४७.३५ इस प्रदेश में है। तो हम देखते हैं कि आजादी के बाद से इस प्रदेश में उत्पादन कम नहीं हुआ है।

मैं जिस पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं जिलों में छोटे किसान हैं और छोटे खेत हैं। जापान में आप देखेंगे कि १५ प्रतिशत जमीन पर खेती है और ६० लाख आदमी खेती करते हैं जब कि १० करोड़ आदमियों का उससे गुजारा होता है। उसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में सरकार का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये जो रवैया होना चाहिये वह नहीं है। नेशनल हेराल्ड में एक बड़े नेता ने वहां की कृषि के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। वहीं प्रति परिवार के हिसाब से आप देखेंगे तो एक परिवार के पास नैनीताल में ४ एकड़, देहरादून में ४ एकड़, उत्तरकाशी में ३.५ एकड़, पौड़ी में २.५ एकड़, चमोली में २.३ एकड़, टेहरी में २.३ एकड़, अल्मोड़े में १.९ एकड़ तथा पिथौरागढ़ में १.४ एकड़ है। इस प्रकार पर्वतीय इलाके बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं। एक आदमी के पास बहुत कम जमीन है। वहां सारे भूखण्ड के १४.७ प्रतिशत में खेती होती है और उसके १० परसेंट में सिंचाई के साधन हैं। १९०२ में जहां अल्मोड़े जिले में ७ प्रतिशत में सिंचाई होती थी वहां १९६६ में केवल ८ प्रतिशत में सिंचाई बढ़ी है यानी १ प्रतिशत। इसके अलावा पहाड़ों में १० खेतों में केवल १ खेत में सिंचाई के साधन हैं। सेटिलमेंट रिकार्ड पिथौरागढ़ के बारे में देखा तो ज्ञात हुआ कि जहां जमीन में करीब ४ इंची नमी है वहां भी उसको तालाब माना गया है और उसके लिये रकम ली गई है। इस प्रकर आर्थिक दृष्टि से गुजारे के लिये खेती लाभदायक नहीं है, उससे गुजारा नहीं हो सकता। छोटे किसानों के लिये सिंचाई के कोई न कोई साधन मुहय्या होने चाहिये। केंद्रीय सरकार ने छोटे किसानों के लिये जो योजना बनाई है इन ८ पहाड़ी जिलों में से किसी एक को, उसमें सरकार को अवश्य ले लेना चाहिये जब कि उत्तर प्रदेश में छोटे किसान ७० प्रतिशत खेती पर लगे हैं। मैं यह मानता हूं कि जहां खेती पर अधिक लोग कार्य करते हैं वहां के लोग सम्पन्न नहीं होते। फिर पहाड़ों पर तो हमारे यहां ८२ प्रतिशत लोग खेती पर हैं लिहाजा वहां के लोग तो किसी भी हालत में सम्पन्न नहीं हो सकते। एक प्रमुख नेता ने यहां तक कहा है कि "Planning from Lucknow has been futile and even harmful." पर्वतीय क्षेत्र के लिये योजना बनाई जाती हैं तो वहां के लोगों से पूछ कर बनाई जाय। मैं उत्तराखण्ड सामुदायिक इवेलुएशन कमेटी में उत्तर काशी में गया था तो वहां मैंने ब्लाकों में पंम्पिंग सेट्स पड़े हुए देखे जिनकी वहां कोई उपयोगिता नहीं ली जा रही थी। सरकार की ओर से वहां तो लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था होनी चाहिये तभी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो सकती है।

बड़े जोरों से कृषि शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में कृषि के ९ डिप्लोमा कोर्स के स्कूल हैं और ९ स्नातकोत्तर कालेज हैं। २७ डिग्री कालेज हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूलों में कृषि प्रसार अध्यापक रखे गये हैं लेकिन उन स्कूलों के पास कोई जमीन ही नहीं है, न पानी है, न पैसा है जिससे कृषि का प्रसार हो सके अथवा उसकी उन्नति हो सके। ऐसी योजनाओं से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस पर आप पुनर्विचार करें और देखें कि उस पर और क्या किया जाना चाहिये, पन्तनगर में जो ग्रेजुएट्स हैं वे साल भर में २२० दिन काम करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि आपको एक सर्वे करनी चाहिये कि कहां पर कितनी पैदावार हो सकती है। कहां पर फल का उत्पादन हो सकता है।

[श्री गोपालदत्त---]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, फलों के ऊपर यहां बहुत जोर दिया गया है । फलों के उत्पादन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है ? मान्यवर, पहाड़ों में फलों के जो पेड़ लगाये जाते हैं वे मैदान से वहां जाते हैं और वे सफल नहीं होते हैं । लोगों ने कितना ही रुपया उस पर खर्च कर दिया है । जो उत्तराखण्ड में इस बीच १८ लाख पेड़ लगाये गए हैं, मान्यवर, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस जमीन में १८ लाख पेड़ लगाये गये हों वह क्षेत्र कितना सम्पन्न होगा । परन्तु जमीन जहां खराब एवं पथरीली है वहां भी ऐसी कई पथरीली जमीन में फल के पेड़ लगाये गये हैं । माननीय मंत्री जी इस चीज को देखें कि ये जो १८ लाख पेड़ हैं ये कैसे और कहां लगाये गये हैं । हिमांचल प्रदेश में आप देखेंगे कि वहां पर कैसे फलों के बगीचे लगे हुए ह ? इससे वहां की गरीबी दूर होती है ? जगह-जगह पर फलों के बगीचे लगे हुए हैं । इसके लिये एक योजना होनी चाहिये । इसी प्रकार इस प्रदेश में भी जगह-जगह पर और हर जिले में उसी प्रकार ठोस योजना को कार्यान्वित करना चाहिये ताकि हमारे प्रदेश की गरीबी दूर हो । आप देखेंगे कि उत्तरकाशी के हरसिल में जो सेब का बगीचा है उसी प्रकार का हर जिले में हो और उसको लगाने का उन्हें प्रोत्साहन मिले । जहां-जहां इस प्रकार के फल लगाये जा सकते हों उनको लगाने में मदद देनी चाहिये किन्तु देखा यह जाता है कि बगीचे लगे हुए हैं, योजना बनाई गई है, पेड़ लगे हुए हैं किन्तु उनको कोई संरक्षण नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है । अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार के लैंड सर्व कराएं---शोध केंद्र केसर, ८ चूरा, आम आदि फलों का खोलें और देखें कि कौन फल कहां पर पैदा हो सकता है, कहां की जमीन किस फल के लिये उपयुक्त है तथा इससे हमारे प्रदेश की गरीबी किसी हद तक दूर हो सकती है । यह सोचने की बात है ।

मैं आखीर में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तराई-भावर में भूमिहीनों को जमीन देने के लिये जो सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई थी उस पर क्या कार्यवाही हुई चूंकि वहां के लोग गरीब हैं, नेपाल से मिला हुआ इलाका है, कई लोगों के पास रहने खाने के लिये जमीन नहीं है, मकान नहीं है किन्तु अभी तक उस व्यवस्था एवं संस्तुतियों को क्रियान्वित नहीं किया गया है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अन्न का और उत्पादन बढ़ाने के लिए तराई-भावर में जमीन दी जाय और कुमायुनी और गढ़वालियों को वहां कम से कम ५ प्रतिशत जमीन दी जाय । वहां के विकास के लिये हम बार-बार हल्ला करते रहे किन्तु खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं बनी है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि गरीबी को वहां की दूर करना है तो वहां पर नियोजन के साथ बिजली की योजना भी बहुत जरूरी है । पंजाब में श्री बादल ने यह घोषणा कर दी है कि हम अनाज के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गये हैं । किन्तु खेद है कि मेरा जो क्षेत्र तिब्बत और नैपाल से मिला हुआ है, उसमें आज २२ साल की आजादी के बाद भी कोई खास विकास नहीं हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि जो छोटे-मोटे किसान हैं उनको अच्छे-,अच्छे हल और बीज दिये जाएं, सोयाबीन के बीज किसानों को अनुदान के रूप में दिया जाय उन्हें कृषि यंत्र देने की योजना बनाई जाय और केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल हेतु इसका विस्तार किया जाय । उत्तराखण्ड में इसका विशेष प्रचार नहीं है । बहुत से गांव वाले तो फर्टिलाइजर के बारे में कुछ जानते भी नहीं है । वह यह नहीं जानते कि खेती की तरक्की किस प्रकार से हो सकती है । आपको इसका प्रचार करना चाहिये ताकि वहां की गरीबी कम हो सके । मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे स्वयं उत्तराखण्ड में जाकर वहां की असलियत को देखें वहां के लोगों से पूछकर, उनके कष्टों को दूर करें और नदी व नालों से वहां की घाटियों में पम्पिंग सेट लगाकर वहां की गरीबी को दूर करें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, किसानों की महत्ता तो स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जानी, जिन्होंने "जय जवान जय किसान" का नारा लगाया । आजकल युद्ध ३ जगहों पर लड़ा जाता है ---कारखानों

में, खेतों में और लड़ाई के मैदानों में। जब तक तीनों स्थानों पर जागरूकता न होगी तब तक देश और प्रदेश का विकास स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता। जहां तक हमारे जवानों का सवाल है, उनका मनोबल ऊंचा है, वह विशेष परिस्थितियों में देश की रक्षा करने में समर्थ हैं। कारखानों का जहां तक सवाल है, कारखाने भी काफी चल रहे हैं। पब्लिक सेक्टर को छोड़ कर जो भी कारखाने प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, उनमें से प्रत्येक के मालिक मोटरों पर चलते हैं, रहने के लिये उनके पास आलीशान मकान हैं, आलीशान होटलों में वे ठहरते हैं। किन्तु खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि प्रदेश के किसान के एक बड़े प्रतिशत के पास रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और भर पेट भोजन नहीं है और जो फसल वह पैदा करता है वह भी प्राकृतिक आपदाओं से अक्सर नष्ट हो जाती है। कभी सैलाब, कभी ओला, कभी पाला, कभी सूखा उसको नष्ट कर देती है। इस वर्ष भी प्रदेश में बहुत से स्थानों पर बाढ़ आई। इस वर्ष ओला भी बहुत गिरा। बदायूं, अलीगढ़, झांसी और शाहजहांपुर में उससे नुकसान हुआ। खास तौर से शाहजहांपुर के खेरा-बझेरा में बहुत बुरा हाल रहा।

सन् ६२ में जब मैं प्रथम बार इस सदन का मेम्बर चुनकर आया था तो मैंने दो सुझाव सदन के सामने रखे थे। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री और केंद्रीय सरकार को एक न एक दिन उन सुझावों का मानना ही पड़ेगा। एक ओर हाई-ईल्डिंग वैराइटी की बात कही जाती है, दूसरी ओर उनकी क्राप की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मेरा सुझाव है कि हाई-ईल्डिंग वैराइटीज के लिये क्राप इन्श्योरेंस होनी चाहिये जिससे दैवी आपदाओं के आने की दशा में किसानों को उनके नुकसान का कुछ मुआवजा मिल सके। इस वर्ष उधर तो ओले से नुकसान हुआ और इधर मई के आखिरी सप्ताह में वर्षा से हजारों मन गेहूं सड़ गया, लोग क्रेशर नहीं चला पाये। अगर क्राप इन्श्योरेंस हो जाती तो कुछ तो उनको मिल ही जाता।

दूसरी बात क्राप प्लानिंग की है। इस से गन्ने की जो दुर्दशा हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। अगर सरकार ने इससे पहले यह सोचा होता कि अगले वर्ष कितना गन्ना मिलें पर सकेंगी और कितना बाहर पिर सकेगा, तो आज गन्ने की यह दशा हुई न होती। आज दशा यह है कि हजारों क्विंटल गन्ना बेकार पड़ा हुआ है और किसानों को सिवाय जलाने के और कोई चारा नहीं है। आज १९६२ के बाद ८ वर्ष बाद, सन् ७० में मैं फिर वही सुझाव दे रहा हूं और माननीय मंत्री जी कृपा करके केंद्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी करके क्राप प्लानिंग के बारे में व्यवस्था करें। कम से कम गन्ने के रिजर्व क्षेत्र में अवश्य इसको लागू कर दिया जाय। इसके अलावा क्राप इन्श्योरेन्स को भी लागू किया जाय। एक एक काश्तकार ५–५, १०–१० हजार रुपये का खाद और बीज खेतों में डालता है और अगर ओला पड़ जाता है तो सहकारिता विभाग जहां से उसने खाद और बीज लिया है, उसके पैसे तो बरकरार रहते हैं लेकिन किसान मर जाता है। इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि इन सब स्कीम्स को, क्राप प्लानिंग को, इन्श्योरेन्स स्कीम को लागू करें।

दूसरी बात यह है कि बहुत-सी जगह ऐसी शिकायतें हैं जैसे मेरी तहसील टिलहा में हजार गायें जंगली हैं। उनके लिये मैंने चिट्ठी भी लिखी थी। वहां गायें जिस हार में पहुंच जाती हैं उसको बिलकुल नेस्तनाबूद कर देती हैं, उसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता, उसको फिर से पलटवाना पड़ता है। वह गायें रामगंगा खादर में रहती हैं। अगर आप उन गायों को पकड़वाने का प्रबन्ध कर दें और उसमें अगर मेरा सहयोग चाहें, चूंकि मेरे क्षेत्रकी बात है, विभाग वालों को कोई डिफिकल्टी हो तो मुझसे संपर्क स्थापित करें, मुझसे जितना सहयोग हो सकेगा मैं दूंगा।

दूसरी बात मैं प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में कहना चाहता हूं। यह सही है कि यह स्कीम बड़ी अच्छी है, फायदा भी हुआ है, लेकिन इससे केवल प्रगतिशील काश्तकार को ही, यानी जो

[श्री सुरेन्द्र विक्रम--]

जानकार है, जो पढ़ा-लिखा है, जिसका संपर्क बी०डी०ओ० या जिला कृषि अधिकारी से ज्यादा रहता है वे ही फायदा उठा सकते हैं, एक साधारण काश्तकार को कोई फायदा नहीं होता । तो यह विभाग की जिम्मेदारी हो कि कोई कीड़ा लगे तो उसके लिये सभी के खेतों का स्प्रेइंग वगैरह हो । यह नहीं कि मेरी पहुंच है तो कृषि अधिकारी ने मेरे ही खेत में छिड़काव करा दिया । यह ठीक नहीं है, इससे साधारण काश्तकार की हकतलफी होती है । सबको फायदा होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, पन्तनगर को छोड़कर, चाहे वह कानपुर का कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे बुलन्दशहर का एग्रीकल्चर कालेज हो, इन सब ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट पैदा कर के नौकरी की तरफ ही उनको रुजू किया है । उन्होंने एक डिफिकल्टी यह बतलाई कि वहां मेकेनाइज्ड फार्मिंग बतलायी जाती है । उसके लिये पैसा चाहिये । उनके पास इतना पैसा नहीं है, जमीन भी इतनी नहीं है इसलिये अच्छा यह है कि नौकरी कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । इसी तरह से जितने प्रदेश में बी० डी० ओज० हैं अगर उनको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स से रिप्लेस कर दिया जाय तो अच्छा हो क्योंकि बी० डी० ओज० की ब्लाक के प्रति बड़ी भारी जिम्मेदारी है और जितनी स्कीम्स प्रदेश या सेंटर से आती हैं उन सब को गांव-गांव तक फैलाना होता है । बी० डी० ओ० अगर एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट नहीं होता तो उसको जानकारी नहीं होती है । ए० डी० ओ० (एग्रीकल्चर) एक ब्लाक में रहता है । वह सारे ब्लाक को कंट्रोल नहीं कर पाता है । चाहिये यह कि जितने अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी, हाकिम परगना, ग्राम सेवक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह ये एक-एक क्षेत्र बांट लें । वैसे तो कृषि अधिकारी की सारे जिले की जिम्मेदारी है लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने हिस्से में एक-एक क्षेत्र ले लें और उसमें जो डिफिकल्टीज हों, चाहे वह पानी की हों, या बीज का हो सबको वह रफा करें ।

बीज के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि गत वर्ष शाहजहांपुर में जैतीपुर ब्लाक में गेहूं का बीज गया । डायरेक्टर साहब बैठे हैं । उनसे निवेदन है, वह नोट कर लें । बीज का ५० परसेंट जरमिनेशन नहीं हुआ । अब पद्मा बीज ब्लाक में गया है । मैंने बी० डी० ओ० से पुछवाया तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है । उन्होंने कहा कि मैंने कह दिया कि यह जमने वाला नहीं है । मैंने कहा कि यह तो पन्तनगर का है । उन्होंने कहा कि पन्तनगर का बीज तो अच्छा होता है लेकिन वह करते यह हैं कि पास-पड़ोस वाले काश्तकारों को बीज दे देते हैं और उसको सब्सिडाइज करते हैं, वह भेजते हैं । चूंकि धान का समय आ गया है । एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है । तो डायरेक्टर महोदय, आज ही कल में टेलीफोन कर के बी० डी० ओ०, जैतीपुर से यह पुछवा लें कि यह बीज जब खराब था तो उठाया ही क्यों और अगर उठाया था तो काश्तकारों से जमता कर लेते और मालूम कर लेते ।

दूसरे ए० डी० ओ० (एग्रीकल्चर) ने यह बतलाया कि डायरेक्टर महोदय का एक परिपत्र गया था जिसमें यह बतलाया गया है कि जिन लोगों पर खाद का पैसा पिछले साल का बकाया है उनको खाद नहीं दी जायगी ।

श्रीमन्, हमारे यहां एक विशेष परिस्थिति है ओले के संबंध में । राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि कृषि को सेंट परसेंट नुक्सान हुआ । उसके पहले खरीफ में सैलाब से नुकसान हो चुका है । काश्तकार के ऊपर तकावी तो बनी हुई है, वह अदा कैसे करता ? अब आइंदा अगर फसल धान या गेहूं की है, उसके लिए खाद नहीं मिलेगी तो पैदावार न होने से वह कैसे तकावी देगा ? पैसा उसके पास नहीं है, खाने को भी नहीं रहेगा । इसलिए अगर खाद नहीं डालीं गयी तो हाई ईल्ड प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में नहीं चल पायेगा । वह पिछड़ा इलाका है, इसके ऊपर मुख्य मंत्री जी और शिवराज सिंह जी घोषणा करें और हमारे इलाके का ध्यान रखें जोकि ओला-ग्रस्त रहा है, सारी फसल खराब हो गयी है, वहां

कृषि विभाग से खाद मिलेगी और तकावी उस प्रकार नहीं लगेगी जैसी डायरेक्टर वगैरह के अनुसार प्रभावी है। आज तो किसान के सामने चारे की समस्या भी पैदा हो गयी है।

कृषि के सम्बन्ध में एक समस्या यह है कि किसान फसल अपनी पैदा कर लेते हैं लेकिन भेजने का समुचित प्रबन्ध नहीं है, ट्रांस्पोर्ट का साधन नहीं है। सेठ लोग सस्ते दामों पर लेकर, गवर्नमेन्ट के यहां प्रेस्क्राइब्ड रेट पर पहुंचा देते हैं। कोआपरेटिव्स ने अपनी आढ़तें स्थापित की हैं, सरकार को भी तहसील और ब्लाक लेविल पर हैडक्वार्टर में आढ़तें कायम करनी चाहिए, उससे किसानों को काफी लाभ होगा।

इसके बाद, हमारी जमीन में काफी खेती होती है और दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अगर कोई सूरत ऐसी हो कि लोग और धंधे करें तो कृषि की ज्यादा तरक्की हो सकती है। अमेरिका में तो १९४०–४५ में ४० परसेंट खेती करते थे मगर अब १२–१४ परसेंट ही करते हैं और सब से ज्यादा ईल्ड वहां होती है।

श्रीमन्, प्लांट प्रोटेक्शन में सरकार बाग नियंत्रित करती चली जा रही है और बाग का पैसा कम मिलता है। प्रधान मिल जाते हैं और लिख देते हैं कि बाग फसल नहीं देता है, उससे बाग कट जाता है और काफी नुकसान होता है। इस प्रकार नित्य उन्नतिशील जमीन कटती चली जाती है, क्योंकि पेड़ न होने से मिट्टी वर्षा में रुक नहीं पाती है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

दूसरे, चौधरी शिवराज सिंह ने सारे ट्रैक्टर्स बदायूं को क्यों दे दिये? ज्यादा अच्छा हो कि मंत्री जी एक तालिका रख दें कि कितने ट्रैक्टर बदायूं को और कितने प्रदेश के अन्दर अन्य जिलों में दिये गये तो उन की पोजीशन भी साफ हो जायगी और पता भी चल जायगा कि जीटर ट्रैक्टर्स जो बांटे गये हैं वह किस तरह से जिलावाइज बांटे गये हैं। मैं पिछड़े जिले शाहजहांपुर का रहने वाला हूं, वह बदायूं से कितना पिछड़ा हुआ है, तो यह डबिल स्टैंडर्ड मंत्री जी ने क्यों कायम किया है? रोज विधान सभा में हल्ला होता है। शाहजहांपुर एक तरह से सरहदी जिला है, रामगंगा से वहां कटान होता है, उस ओर न ध्यान देकर बदायूं की ओर क्यों विशेष ध्यान दिया जाता है? वह अब किसी एक जिले से संबद्ध नहीं रह गये, अब तो वे सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश के लिये जिम्मेदार हैं।

अन्त में निवेदन करूंगा कि जो मैंने इतने सुझाव दिये हैं, चौधरी शिवराज सिंह अपने भाषण में अगर उन पर कुछ कहेंगे तो मुझे तसल्ली हो जायगी।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर कुछ कहने का अवसर दिया, सब से पहले मैं आप को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, पिछले साल जब इसी सदन में बजट पेश हुआ था, कृषि अनुदान के बारे में चौ० चरण सिंह ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था। उस वक्त मैंने कटौती प्रस्ताव का समर्थन किया था और आज भी समस्त विरोधी दलों की ओर से हमारी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से इस अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है। चौ० शम्भूनाथ जी ने पेश किया है। मैं फिर उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज इस प्रदेश में खेती की जो समस्या है और स्थिति है उसके बारे में मैं माननीय मुख्यमन्त्री और कृषिमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रदेश की नौ करोड़ जनसंख्या को, चाहे वह खेती के काम में लगी हो चाहे उद्योग धंधों में और चाहे सरकारी कामों में, लेकिन पूरी जनसंख्या को अनाज की आवश्यकता है। मान्यवर, अनाज इस देश की और प्रदेश की धरती से ही पैदा किया जा सकता है। आज हमारे प्रदेश की ९ करोड़ जनता की जिन्दगी खेती पर निर्भर है, लेकिन हम देखते हैं कि खेती की जो दुर्दशा की जा रही है उसका इतिहास में कहीं कोई नमूना नहीं मिलेगा। ६०० करोड़ (६ अरब) रुपये के इस सालाना बजट में कृषि पर रखा है

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

केवल १६ करोड़। कृषि की तरक्की के लिये इनके पास पैसा नहीं है। मान्यवर, इससे इस सरकार की नीयत का पता लगता है कि वह इस प्रदेश को किस तरफ ले जाना चाहती है। आज इस देश में और प्रदेश में तीन रोटियों में से एक रोटी विदेशी अनाज की लोग खाते हैं। यह सरकार के लिये कलंक की बात है कि आज २२ वर्ष की आजादी के बाद भी लोग विदेशी रोटी और अनाज पर ही जिन्दा हैं। मान्यवर, अगर आज अमरीका अनाज देना बन्द कर दे तो इस प्रदेश के करोड़ों आदमी भूखों मर सकते हैं। मान्यवर, आज हालत यह हो गई है कि इंदिरा की सरकार जो है, दिल्ली की सरकार है, अमरीका के अनाज पर जिन्दा रहना चाहती है और हमारे उत्तर प्रदेश की चौ० चरण सिंह की सरकार दिल्ली के अनाज पर जिन्दा रहना चाहती है। तो मान्यवर, आज हालत इस तरह की हो रही है। कोई भी हुकूमत हो, चाहे दिल्ली की हुकूमत हो या लखनऊ की हुकूमत हो कृषि की उपेक्षा करती जा रही है। मान्यवर, मैं आप को बता देना चाहता हूं कि अपने प्रदेश में १ एकड़ से कम जमीन वाले किसान परिवार की संख्या ३९ फीसदी है और उनके पास ढाई प्रतिशत जमीन है। इसी तरीके से ८० प्रतिशत किसान परिवार वे हैं जिनके पास ५ एकड़ से कम जमीन है और कुल जमीन का ३३ प्रतिशत उनके पास हिस्सा है और २० प्रतिशत किसान परिवार ऐसे हैं जिनके पास ६७ प्रतिशत जमीन है। मान्यवर, जमीन की हालत देखें कि जो काम करने वाले आदमी ८० फीसदी हैं उनके पास केवल ५ एकड़ से कम जमीन है और २० प्रतिशत आदमियों के पास ६० प्रतिशत से ज्यादा भूमि है। इतना बड़ा अंधेर दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं होगा। आज छोटे किसान भूखों मरते जा रहे हैं।

इसके बारे में मान्यवर, उत्तर प्रदेश की मैं एक ही मिसाल आप को देना चाहता हूं। जो बिड़ला साहब हैं, जिनके पास इस प्रदेश का सब से बड़ा उद्योग-धंधा है उनके पास लखीमपुर में ४,२०० एकड़ जमीन का फार्म है, और बिजनौर में ४,००० एकड़ का फार्म है। बिड़ला साहब के पास नैनीताल में भी हजारों एकड़ का बहुत बड़ा बगीचा है। पंजाब में भी उनके पास फार्म है, अलीगढ़ में उनका ६,००० एकड़ का फार्म है। निवृतिया जी जिनके पास चीनी मिल है लखीमपुर में ३,००० एकड़ जमीन का फार्म है। एयर मार्शल अर्जुन सिंह के पास नैनीताल में ढाई हजार एकड़ का फार्म है। तो मान्यवर, पूंजीपति भी जमीन में घुसे हुए हैं और बड़े-बड़े फार्म्स उनके कब्जे में हैं और जो प्रदेश में खेती का काम करने वाले हैं, जो किसान खेतिहर हैं उनके पास जमीन नहीं है। मान्यवर, आज खेतिहर आदमी के पास जमीन नहीं है। सरकार ऐलान करती है, इंतजाम नहीं करती। श्री चतुर्भुज शर्मा, राजस्व मंत्री, ने ऐलान किया था कि १० लाख एकड़ जमीन जून, १९७० तक बांट दी जायगी लेकिन चतुर्भुज शर्मा जी उस ऐलान को हजम कर गये और जमीन बांटी नहीं गई। चौधरी चरण सिंह ने भी ऐलान किया था कि जमीन की सीलिंग करेंगे लेकिन उस को वह हजम कर गये। सीलिंग के कानून के बारे में प्रदेशीय सरकार ने कितना बड़ा धोखाधड़ी और साजिश यहां के किसानों और भूमिहीनों के साथ किया।

आज हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक चौथाई जमीन के सींचने का ही इन्तजाम है और तीन चौथाई खेती इन्द्र के ही सहारे रहती है। मान्यवर, आप देखें हमारे यहां का करोड़ों किसान इन्द्र के सहारे रहता है और दूसरी तरफ यह ५ एम० एल० ए० पर एक मिनिस्टर वाली सरकार इन्दिरा के सहारे पर शासन करती है। इस तरह से मान्यवर, इस प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि ६०० करोड़ के बजट में से ३०० करोड़ रुपया खेती के काम में लगाना चाहिए था तब कहीं खेती की पैदावार बढ़ती। इस सरकार से पहले भी यहां कांग्रेस की सरकार रही है, १९५०–५१ में इस प्रदेश में ११७ लाख टन गल्ला पैदा हुआ है और १९६६–६७ में भी ११७ लाख टन ही गल्ला पैदा हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि १७ वर्षों में एक दाना भी अनाज का उत्पादन में नहीं बढ़ा। एक, दो वर्ष नहीं लगातार १७ वर्षों में यह कांग्रेस की सरकार खेती के उत्पादन में एक दाना भी नहीं बढ़ा सकी।

क्या कारण है मान्यवर, इसका? इसका सीधा यह कारण है कि यह सरकार खेती की तरक्की नहीं चाहती। यह सरकार गांवों की तरक्की नहीं चाहती, यह सरकार शहरों की तरक्की चाहती है, मान्यवर, आप देखें इस प्रदेश की क्या स्थिति हो गई है? एक सरकारी कमेटी की यह रिपोर्ट है कि अगर एक करोड़ रुपया लोहे के उद्योग में लगा दिया जाय तो १६ लाख रुपये का मुनाफा होगा, कपड़े में ३५ लाख रुपया का मुनाफा होगा और अगर कृषि में लगा दिया जाय तो ६९ लाख रुपया का मुनाफा होगा। मान्यवर, इतने पर भी खेती के धंधे की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। इस सरकार का पता नहीं कि इरादा क्या है? कल मैं रेल गाड़ी से आ रहा था। लोगों ने पूछा यह चरण सिंह की सरकार चलेगी? मैंने कहा अगर विलीनीकरण हो जायगा तो चलेगी नहीं तो फेल हो जायगी, इस सरकार का मर्जर होगा या मर्डर। उन्होंने पूछा कि यदि मर्डर हुआ तो यह बी० के० डी० कहां जायगी? मैंने कहा जिस कांग्रेस के पेट से निकली है उसी में फिर घुस जायगी। बी० के० डी० का अस्तित्व क्या है? आज कमलापति जी के साझे में यह सरकार है। तीन महीने अलग रह कर भी चौ० चरण सिंह ने सरकार चलाई। जितने भी वादे किये सीलिंग के, खाद-पानी के वह सब हजम कर गये और आज इस प्रदेश को फिर उसी चन्द्रभानु जी गुप्त की सरकार की तरह ही काम चलाया जा रहा है। यह चौ० चरण सिंह सरकार वचन भंगी और करम भंगी है। इसकी बात का कोई ठिकाना नहीं है। मान्यवर, मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं जो किसान के बेटे हैं वह इसमें क्यों पड़े हैं? श्री चरण सिंह जायंगे, बी० के० डी० को भी लें जायंगे और किसानों और गरीबों को तबाह करके जायेंगे। अगर मंत्री जी को कुछ करना है तो जितनी परती जमीन है, उस पर खेती करायें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

मान्यवर, मुझे थोड़ा समय और दें। मुझे कई चीजें और कहनी हैं। मैं यह कहना चाहता था कि यह सरकार अब अंगूर की खेती करायेगी। यह अंगूर की खेती ६०० एकड़ बुलन्दशहर में और ४०० एकड़ मेरठ में होगी। यह अंगूर की खेती सरकार किसके लिये करायेगी? अंगूर की खेती में, मान्यवर, साढ़े ७ हजार रु० प्रति एकड़ की लागत आती है। सरकार पपीते की खेती क्यों नहीं कराती जिस पर १०-२० रु० प्रति एकड़ से लागत आती है? यह कहा जा रहा है कि ८ प्रतिशत जमीन चरागाह के लिये छोड़ दी गई। आज जब कि इस प्रदेश में भुखमरी की हालत है, अनाज नहीं है, तो यह जमीन क्यों छोड़ी जा रही है। यह जमीन क्यों नहीं भूमिहीनों को, हरिजनों को बांट दी जाती, इससे अनाज तो उत्पन्न होगा, साथ ही साथ चारा भी होगा। मुझे यह कहना है कि इस जमाने में एक इंच भी भूमि खाली नहीं रहनी चाहिये। इस समय हमारे प्रदेश की समस्या है उत्पादन बढ़ाने की, गरीबों की आमदनी बढ़ाने की और उसके लिये सबसे जरूरी चीज है खेती का रकबा बढ़े। हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने जमीन के बंटवारे के लिये ९ अगस्त से सारे देश और प्रदेश में जबर्दस्त संघर्ष छेड़ने का ऐलान किया है। हमारी पार्टी ने यह घोषणा की है कि ९ अगस्त से हम देश और प्रदेश में जो जमीन खाली पड़ी हुई है, उस पर भूमिहीनों को कब्जा करायेंगे। अगर यह नालायक सरकार जमीन नहीं बांट सकती तो हम बांटेंगे। सरकार के पास कौन-सा ऐसा कानून है जो हमें ऐसा करने से रोके। अगर इस समस्या का समाधान यह सरकार नहीं करती तो हम विरोधी दल इसको करने के लिये तैयार हैं। हमारा दावा है कि अगर कृषि मंत्री जी यह नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं बढ़ा सकते तो इस विभाग को छोड़ दें

[चौधरी रामपाल सिंह यादव---]

हमारी सोशलिस्ट पार्टी के हाथ में, यह विभाग दे दें और अगर हम दो साल में पैदावार दुगनी न कर दें तो राजनीति करना बन्द कर देंगे।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य का समय हो चुका है, कृपया बैठ जायं।

चौधरी राम पाल सिंह यादव---

बस मैं एक बात कह कर बैठ जाऊंगा।

'भूखी जनता चुप न रहेगी,

वन और धरती बंट के रहेगी।' इन शब्दों के साथ मैं श्री शम्भूनाथ जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

मैं आप को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सामुदायिक विकास मंत्री द्वारा रखे गये अनुदान के समर्थन में बोल रहा हूं। खेती एक ऐसी चीज है जो विश्व के तमाम नागरिकों का, जितने भी जीवधारी हैं, उनका परिपालन करती है और इस अनुदान में कटौती करने का कोई औचित्य नहीं है। खेती के बारे में जितना भी खर्चा किया जाय वह हितकर ही होगा और इसमें कटौती करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस समय हमारे कृषि मंत्री जी मौजूद हैं और उनसे हमें बहुत उम्मीद है।

(इस समय ४ बज कर ४७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कि खेती की हमारी समस्याएं जो हैं, जितनी तत्परता से वह काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। परन्तु कमी के साथ मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसान की गरदन कई जगह फंसी रहती है। उनकी समस्याएं इतने तागों में फंसी हैं कि सब न सुलझें तो उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। कृषि मंत्री जी खेतों में बीज डलवा देते हैं। बीज जम जाने के बाद सिंचाई होगी या नहीं, खाद ठीक टाइम पर पहुंचेगी या नहीं, यह दूसरे विभाग देखते हैं। खेती कृषि मंत्री जी बोवा देते हैं। सिंचाई का काम सिंचाई मंत्री जी, उसके लिए बिजली का काम बिजली मंत्री जी और खेत के इन्दराज का काम माल मंत्री जी देखते हैं। इस तरह से किसान का काम इतने विभागों से और सब विभागों की कृपा बराबर न रही तो खेती की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है।

मान्यवर, मैं किसान का बेटा हूं। किसानों के बीच में काम करने के नाते और कुछ दिन ब्लाक प्रमुख रहने के नाते कह सकता हूं कि सरकार ने जितना रुपया कृषि के बारे में या विकास के बारे में खर्च किया उतना लाभ किसानों और ग्रामीण जनता को नहीं हुआ और इसीलिए गांवों में बड़ा भारी असन्तोष है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि सरकार नये-नये बीज और खाद की खोज के लिये बहुत प्रयत्न कर रही है और किये है लेकिन वह गांवों में बहुत बेटाइम पहुंचती हैं। संकर मक्का के बारे में सब मानेंगे कि ज्यादा पैदावार होती है। लेकिन वह बीज कब पहुंचेगा? जब सारे खेतों में बोवाई हो जाएगी। तो सिवाय इसके कि उसका चबेना भुना लें और क्या हो सकता है? इसी तरह से धान के बीज एक बार ऐसे गए बीज भंडार से कि वह जमा ही नहीं। किसान का नुकसान हुआ और बीज की वसूली भी उससे की गयी। लेकिन सरकार ने कड़ाई के साथ उसकी जांच नहीं की कि वास्तव में खराब बीज भेजने की जिम्मेदारी किस की थी। सुलतानपुर जिले की बात मैं कह रहा हूं। वहां बीज बांट दिया गया धान का। वह जमा नहीं

लेकिन कुल कीमत वसूल की गयी किसानों से। अगर कृषि अधिकारियों के कैरेक्टर रोल पैदावार को ध्यान में रख कर भरे जाएं तो सुधार हो सकता है। होता यह है कि कोई-कोई अधिकारी जो बड़ी मेहनत करता है, अगर स्टाफ मीटिंग में सही बात कहता है कि यह दिक्कत है तो उसका कैरेक्टर रोल खराब हो जाता है और कोई नाकारा अधिकारी भले ही काम नहीं करता लेकिन अगर स्टाफ मीटिंग में हर काम की जिम्मेदारी ले लेता है और चापलूसी की बात ज्यादा करता है तो उसका कैरेक्टर रौल अच्छा हो जाता है। इसी तरह से ग्रामसेवक के सम्बन्ध में भी, अगर उसने ज्यादा पैदावार नहीं दिखाई तो किसी सूरत से वह उस काम के लायक नहीं समझा जाना चाहिए जिसका वेतन उसे मिलता है। तो कैरेक्टर रौल पैदावार के आधार पर भरा जाना चाहिए।

मान्यवर, जब मैं प्रमुख था तो मैंने एक धान का बीज पकड़ा था। उसको कूटने के लिये दे दिया गया था। वैसे बगैर बी० डी० ओ० के लिखित आर्डर के बीज नहीं दिया जाता है लेकिन बीज भंडार के इंचार्ज ने कूटने के लिए दे दिया था। जब पकड़ा गया तो सजा चाहे जो कुछ मिली लेकिन हाईकोर्ट से वह बरी हो गया। तो वह खराबी दूर नहीं हो पाती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि जिलों के अधिकारियों द्वारा भेजे गये आंकड़ों पर ही विश्वास न करके एक बार अपनी निगाहों से और साथियों की निगाहों से भी देखें कि वास्तव में गांवों की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है? बीज भंडार में बीज के लिये ऐसा भ्रष्टाचार होता है जिससे किसान परेशान हो जाता है। जो किसान एक बार बीज भंडार से बीज ले लेता है वह कई बार अदा करने पर भी उससे मुक्ति नहीं पाता है। अदा कर देता है पर उसका हिसाब बेबाक नहीं होता है। वह बढ़ता ही रहता है। वह वापस कर देता है किन्तु बकाया रजिस्टर से उसका नाम खारिज नहीं होता है। बाद में उसके नाम जब कुर्की आती है तब उसको पता चलता है कि उसके नाम बीज का दाम बाकी रह गया है। इसलिये इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

पूंजीपतियों को आप सस्ती दर पर बिजली देते हैं। बिड़ला जी का जिक्र यहां पर किया गया कि उनको सस्ते दाम पर बिजली दी गई लेकिन खेती की सिंचाई के लिये जो किसान बिजली लेता है और गर्मी और जाड़े में दिन भर खेत में काम करता है और जिसका नलकूप चार महीने तक बेकार पड़ा रहता है। बरसात के दिनों में उस किसान से सिंचाई का दाम अधिक लिया जाता है वह खेत की सिंचाई के लिए बिजली लेता है लेकिन उसको अधिक दाम देना पड़ता है चाहे उसका नलकूप चले या न चले। बरसात के दिनों में भी उस को बिजली का दाम देना पड़ता है। इसको सब लोग मानते हैं कि किसान अन्नदाता है और उसके पैदा किये हुए अनाज पर हम सब का जीवन निर्भर करता है। इसलिये जो किसान अन्न पैदा करता है उसके सिंचाई के रेट को कम होना चाहिये। उसके लिये बिजली की दर सस्ती होनी चाहिए। बीज के दाम सस्ते होने चाहिये और खाद के दाम सस्ते होने चाहिये। इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से आप मिल मालिकों को सस्ती बिजली देते हैं उसी प्रकार से सिंचाई के दाम, खाद के दाम और बीज के दाम कम करने का प्रयास करें।

एक समस्या और है जिसकी तरफ विरोधी दल के एक सदस्य ने ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि एक जिले के अधिकारी की शिकायत की गई कि उसने भ्रष्टाचार किया उसका ट्रांस्फर हुआ तो मंत्री जी से कह कर उसका ट्रांस्फर रोका गया। इस तरह से हम खुद खद्दरधारी इसके जिम्मेदार होते हैं कि भ्रष्टाचार में मदद करें। इस प्रकार से यदि सही ट्रांस्फर होता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से राजनतिक व्यक्ति इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दें तो अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री जंग बहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश अपने भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सब से बड़ा है। उत्तर प्रदेश में जो १९६०–६१ में जन गणना हुई थी उसके आधार पर कार्य करने वाले लोगों में ७५.५ प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित थे। कृषि हमारे प्रदेश की आधार शिला है। कृषि हमारे प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से ऊंचे उठाने के लिये रीढ़ है लेकिन यदि आज हम देखें तो हमारे प्रदेश में किसानों की अवस्था बड़ी शोचनीय है। आज न उनके पास पीने के लिये पानी है, न खाने के लिये गल्ला पर्याप्त मात्रा में रहता है और न रहने लिये उनके पास मकान ही है। उनके पास खेती के लिये नये यंत्र भी मौजूद नहीं हैं। न उनको अच्छी प्रकार का बीज ही मिल पाता है। न उनको अच्छा खाद ही मिल पाता है। आज किसान की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे प्रदेश के किसानों ने हमारी आजादी की लड़ाई में सब के साथ कन्धा मिला कर साथ दिया था और लड़े थे। उन्होंने भी अपने देश के लिये कुरबानी दी थी। वह यह सोचते थे कि जब देश आजाद होगा तो हमारे बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधा होगी हमारी खेती के लिये सरकार ध्यान देगी और हमारी स्थिति सुधरेगी लेकिन देश की आजादी के बाद भी यदि हम देखें तो हमारे किसान और उनके बच्चे बहुत बड़ी संख्या में अपने परिवार, पत्नी और बच्चों को छोड़कर बड़े शहरों बम्बई और कलकत्ते आदि में चले जाते हैं। उनको क्या अपने परिवार और बच्चों से मोह नहीं है? उनका सारा परिवार खेती में लगा रहता है और उसके बाद ५ मास तक किसान को खाली बैठना पड़ता है और उसके पास उस समय कोई कार्य नहीं रहता। खेती का जो उसका पुराना ढंग है उससे उस को लाभ कम होता है, उतने से वह अपने और अपने परिवार के लिये कपड़ा, पढ़ाई की फीस और ब्याह शादी का खर्च नहीं निकाल पाता है और इसी लिये वह अपने परिवार की मोह-माया को त्याग कर, अपने पति पत्नी और बच्चों से दूर, हजारों मील दूर के बड़े शहरों में रोजगार के लिये चला जाता है।

यह भी सभी लोग जानते हैं कि बम्बई और कलकत्ते जैसे बड़े शहरों में इन गरीब मजदूरों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और एक छोटी सी कोठरी में दस-पन्द्रह व्यक्ति मिल कर बड़ी परेशानी का जीवन व्यतीत करते हैं और उसके बाद भी हजारों की संख्या में लोग रात को फुटपाथ पर ही सोते हैं। हमारे किसानों ने आशा बांधी थी कि जब देश को आजादी मिलेगी तो उसका प्रकाश उसके छप्पर तक भी पहुंचेगा लेकिन वह तो आज केवल शहरों तक ही सीमित रह गया है ठीक जिस तरह से कि राजा सगर के पुत्रों ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से गंगा आई और वह वहां स्वर्ग से नीचे आकर शंकर जी की जटा में ही अटक कर रह गई। इसी तरह से आजादी आई तो लेकिन वह किसानों के घर तक नहीं पहुंची। आज शहरों में प्रकाश बढ़ रहा है लेकिन देहात आज भी अन्धेरे पड़े हैं और देहात के लोग भाग भाग कर शहरों में जाकर बस रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सरकार की किसानों के प्रति उपेक्षा की नीति है, अपने प्रदेश को देखें तो इस देश में जितना गल्ला पैदा होता है, १९६८–६९ में जितना कुल उत्पादन देश का हुआ उसका १८.४८ भाग यहां पैदा हुआ। आलू की भी सन् ६५–६६ के आंकड़े देखने से मालूम होता है कि जितना आलू पूरे देश में पैदा हुआ उसका एक तिहाई भाग हमारे प्रदेश में पैदा हुआ। इसी तरह से गन्ने की उपज भी, कुल देश की उपज का ४७.३५ प्रतिशत यहां पैदा हुआ। इस तरह से आप देखें तो कृषि की दृष्टि से साधनहीन होने पर भी किसान के लिये सिंचाई और बिजली आदि की व्यवस्था ठीक से न होने पर भी ६५–६६ में हमारी वार्षिक बढ़ोत्तरी .३३ बढ़ी जबकि पूरे देश के स्तर पर वह बढ़ने के बजाय .९३ प्रतिशत कम ही हुई। हमारे प्रदेश में साधनों की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप इसे कल जारी रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के अतिरिक्त अनुदान

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)––

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं १९६४–६५ के अतिरिक्त अनुदानों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष––

यह नियम ५६ के अनुसार श्री नित्यानन्द स्वामी ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के हजारों कर्मचारियों द्वारा १८ तारीख से हड़ताल होने वाली है। मैंने इस को नियम ५१ में स्वीकार किया है और इसी विषय का एक श्री गोविन्द सिंह का है उसको भी मैंने इसी में मिला कर स्वीकार किया है। दोनों को एक में मिला दिया है, कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

दूसरा एक और श्री नित्यानन्द स्वामी का है––उत्तर प्रदेश के अविकसित पर्वतीय क्षेत्रों में मेघालय उपप्रदेश निर्माण करने की घोषणा के संबंध में, यह घोषणा अख़बार में छपी है। मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है चूंकि एक दिन में एक ही स्वीकार हो सकता है।

एक यह श्री हरिनाथ तिवारी का है––प्रदेश में घोर वर्षा के कारण हुई क्षति के बारे में––मैंने इसको भी अस्वीकार किया है। श्री कृष्णस्वरूप वैश्य जी की सूचना है कि आगरे में जमुना नदी के नवनिर्मित पुल को बम से उड़ाने के प्रयास के सम्बन्ध में। इसको भी अस्वीकार किया है। श्री मुमताज मोहम्मद खां की सूचना है मई-जून, १९७० में बेवक्त वर्षा के कारण लाखों मन गल्ला का नुकसान होने के बारे में। इसको भी अस्वीकार किया है। श्री सुरेन्द्र विक्रम की सूचना है ग्राम पहलोल, थाना महमूदाबाद के अन्तर्गत डाक्टर विद्या के सर को कुछ व्यक्तियों द्वारा काटे जाने से आतंक के सम्बन्ध में। इसमें चूंकि मैं नियम ५१ के अन्तर्गत एक स्वीकार कर चुका हूं इसलिये इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। श्री शम्भूनाथ चौधरी ने सूचना दी है जगदीशपुर मौजे (बलिया) के लेखपाल और कार्यवाहक शहर कानूनगो के विरुद्ध सरकारी कागजात में जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप के सम्बन्ध में। इसको भी अस्वीकार किया है। श्री डूंगर सिंह विष्ट ने सूचना दी है तराई क्षेत्र, नैनीताल के अन्तर्गत किच्छा के फैक्टरी मालिक तथा ड्राइवर श्री टेलर की हत्या से उत्पन्न परिस्थिति के बारे में २२ जून को तराई क्षेत्र में डकैतियां तथा कत्ल के विषय पर होने वाले वक्तव्य में इसे भी शामिल कर लिया है। सम्बन्धित मंत्री उसमें शामिल कर लें। श्री जगदीश गांधी ने सूचना दी है मेसर्स ए० एन० जान, हेयर ड्रेसर, हजरतगंज लखनऊ के मालिक के लड़के और बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों में १०–६–७० को झगड़ा होने के सम्बन्ध में। इसको भी अस्वीकार किया है।

हरिद्वार के हैवी इलेक्ट्रिकल्स में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)––

मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, हरिद्वार के भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कर्मचारी संघ (B. M. S) ने दिनांक २३ अप्रैल, १९७० के अपने पत्र में २७ मांगे रखी थीं तथा हैवी इलेक्ट्रिकल्स ट्रेड यूनियन (INTUC) ने १२ मांगें अपने पत्र दिनांक २२–४–७० में। इन मांगों के समर्थन में दोनों यूनियनों ने संयुक्त रूप से २८–४–७० के सायंकाल से २४–२४ घंटे की रिले भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी थी। यूनियनों की ओर से बताया गया था कि उनकी मांगें पूरी न होने पर वे ७ मई, १९७० से हड़ताल करेंगे परन्तु प्रस्तावित हड़ताल १२ मई, १९७०

[श्री राज मंगल पांडेय—]

के लिए स्थगित कर दी गई थी, किन्तु दोनों पक्षों में कोई समझौता न हो सका। फलस्वरूप श्रमिकों ने १२ मई, १९७० से हड़ताल प्रारम्भ कर दी थी। यह हड़ताल दिनांक २५–५–७० तक चलती रही।

यूनियनों की मुख्य मांगों का सारांश निम्न प्रकार है :—

(१) प्रोजेक्ट एलाउन्स में कटौती न की जाय।

(२) प्रोमोशन पालिसी सीनियरिटी तथा मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर घोषित की जाय।

(३) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों की तरह मेडिकल सुविधा दी जाय।

(४) श्रमिकों के लिए मकान की व्यवस्था की जाय।

(५) त्रिची के श्रमिकों को दिए गये ३०० व ४०० रु० में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाय।

(६) लाइनमैन का ग्रेड ठीक किया जाय।

(७) यह मांग निर्धारित रेट पर क्वार्टर रेन्ट काटने, प्रोजेक्ट एलाउन्स देने तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को यात्रा सुविधा देने के बारे में है।

(८) २०० दैनिक भोगी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाय।

(९) ग्रीवान्स कमेटियां बनाई जायें।

(१०) ट्रेनिंग का भी नया वेतन क्रम बनाया जाय व एरियर का भुगतान किया जाय।

(११) इन्सपेक्शन विभाग के श्रमिकों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर डेजिगनेशन बदला जाय, तथा

(१२) गैस प्रोड्यूसर प्लान्ट के कर्मचारियों को पौष्टिक पदार्थ देने का प्रबन्ध किया जाय।

इन मांगों में से मुख्य मांग प्रोजेक्ट भत्ता दिये जाने की है जो दिनांक १–४–७० से बन्द किया जा रहा है। इस विवाद को संराधन समिति में लिया गया था किन्तु वहां कोई समझौता नहीं हो सका था। इस विषय पर आवश्यक निर्णय लेने के लिए भारत सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा था। उस दिशा में भारत सरकार का उत्तर १२ जून, १९७० को आ गया है। इस प्रकार यह विषय अब राज्य सरकार के विचाराधीन है।

कथित प्रतिष्ठान की श्रम स्थिति पर भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री, श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने भी दिनांक १५ मई, १९७० को राज्य सभा में एक वक्तव्य देते हुए आशा व्यक्त की थी कि दोनों पक्ष पारस्परिक वार्ता हेतु सहमत हो जायेंगे।

बहरहाल, कथित हड़ताल दोनों पक्षों में २५–५–७० की शाम को एक समझौता हो जाने के फलस्वरूप समाप्त हो गई है। समझौते की मुख्य शर्त यह थी कि हड़ताल के फलस्वरूप किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जायगी और हड़ताल अवधि को अवकाश में परिवर्तित कर दिया जायगा। यदि किसी श्रमिक का सवेतन अवकाश शेष नहीं है तो उसे अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायगा। प्रतिष्ठान के श्रमिक एक सप्ताह में अपने कार्य पर आ जायेंगे। तत्पश्चात् उन्हें कार्य पर नहीं लिया जायगा।

मांगों के बारे में यह तय हुआ था कि समझौते के दिनांक अर्थात् २५ मई, १९७० से सात दिन के अन्दर पारस्परिक वार्ता द्वारा उन्हें तय किया जायगा और जिन मांगों पर कोई पारस्परिक

समझौता नहीं हो सकेगा उन मांगों को अभिनिर्णय देने में सेवायोजकों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री नित्यानन्द शास्त्री (जिला देहरादून)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वार्ता शुरू होने वाली थी, ७ दिन के अन्दर उसमें क्या प्रगति हुई?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, क्या प्रगति हुई उस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का इन्स्टीट्यूट है और इम्पलाईज की सर्विस कन्डीशन्स वगैरह वहीं से गवर्न होती हैं। इतना मालूम है कि इम्पलाइज और इम्पलायर दोनों नेगोशियेशन्स टेबिल पर आ गये हैं, अब किस स्थिति में हैं यह हमें पता नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या यह सही है कि आज भी उनकी भूख हड़ताल चल रही है और वार्ता में कोई प्रगति नही हुई है?

श्री राजमंगल पांडेय—

हमने कुछ क्वीरीज भारत सरकार से की थीं, उनका जवाब भी १२ जून को आया है। इधर १३–१६ तक छुट्टियां पड़ गयीं। उनका जो उत्तर आया है उस पर विचार हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है भूख हड़ताल हो रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

चूंकि अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है, सरकार इसको अभिनिर्णिय को देने के लिये तैयार है।

श्री राजमंगल पांडेय—

इसके कुछ कानूनी पहलू हैं जिन पर विचार करना होगा। इस में पहले तो आर० सी० ओ० के सामने प्रोसीडिंग्स चलती हैं, फिर वे अपने सजेश्चन्स भेजते हैं सरकार को। हम उसके अनुसार कार्यवाही करते हैं। अब यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का इस्टैबिलिशमेन्ट है, हम तो केवल ला एण्ड आर्डर के बारे में ही कार्यवाही करते हैं।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कन्सीलियेशन की प्रोसीडिंग्स फेल हो चुकी है तो मामले को अभिनिर्णय के लिये देने में क्या कठिनाई है?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह सब चीजें निगोशियेबिल टेबिल पर तय होंगी। जिन चीजों के बारे में समझौता नहीं हो सकेगा उनको अभिनिर्णय को भेजने के लिये सरकार के पास जब मामला आयेगा तो सरकार उसको देखेगी और अगर मुनासिब समझेगी तो उसको भेजेगी। अभी भी तो कोई बात तय हुई ही नहीं है। बातचीत चल रही है।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

जो प्रश्न पूछा जाता है उसका स्पष्ट उत्तर तो मिलना चाहिये। प्रश्न अभी नेगी जी ने पूछा कि क्या हड़ताल चल रही है। उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

हड़ताल २५ को खत्म हो गयी। जो सूचना उनको है वह उत्तर उन्होंने दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

केन्द्रीय सरकार का पत्र क्या मंत्री जी पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा था कि वह पत्र अभी मेरे सामने आया नहीं है। फिर पत्र आने के बाद १३, १४, १५ को छुट्टी थी और मैंने उस पत्र को अभी स्वयं गहराई से नहीं देखा है। देखने के बाद अगर आप कहेंगे तो उसे हाउस के सामने रखने में भी मुझे कोई एतराज न होगा लेकिन अभी तक मैंने उसे खुद नहीं देखा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मुझे आपत्ति है इस उत्तर से। माननीय मंत्री ने कहा कि अभी उन्होंने उस पत्र को पढ़ा नहीं है और बयान दे रहे हैं कि सरकार उस पर विचार कर रही है, तो यह सदन को गुमराह करना हुआ। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार के उस पत्र को सदन के सामने लाया जाय क्योंकि उसके अन्दर स्पष्ट रूप से कहा गया होगा कि जो श्रम समस्या है उसको प्रदेश की सरकार सुलझायेगी। दूसरी बात मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब कांसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स समाप्त हो गयी और आपस में समझौता नहीं हुआ तो ऐडजुडिकेशन को उसे दे देने में उनको क्या दिक्कत है और इसके लिये वे आज ही आश्वासन क्यों नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आपका यह सुझाव है कि ऐसा होना चाहिये। उन्होंने जवाब दिया है कि कानूनी तौर से उस पर कुछ विचार करना पड़ता है। और उसमें बातचीत जो होगी, इम्पलायर तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इम्पलाईज---काम करने वाले हैं, केवल वे कहते हैं कि ला ऐण्ड आर्डर का सवाल उत्पन्न होगा, इसलिये भी जरूरी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह भी गलत है। केवल ला ऐण्ड आर्डर की बात नहीं है। जो समस्या है वह श्रमिकों की है। मेरा कहना यह है कि यदि उन्होंने केन्द्रीय सरकार के पत्र को नहीं पढ़ा तो सरकार के विचाराधीन यह प्रश्न कैसे हो गया ?

श्री राजमंगल पांडेय---

जब कोई पत्र भारत सरकार का यहां आ जाता है तो उसके बाद उस पर हमारा जो सेक्रेटेरियट है, वह अपना विचार विमर्श शुरू करता है। उसके बाद उस पर गहराई के साथ कोई कार्य करता है। जब सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी उस पर अपनी कार्यवाही शुरू कर देते है तो वह पत्र विचाराधीन तो है ही।

श्री अध्यक्ष---

आप खुद उसे नहीं पढ़ सके हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मैंने उसे गहराई से नहीं पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष---

तो पहले आप इसको पढ़ लें और अगर एतराज न हो तो कल इसको दिखला दें, यही तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा।

श्री राजमंगल पांडेय—

• श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उसे सदन की टेबिल पर रखने में भी कोई एतराज न होगा। लेकिन पहले मैं उसको पढ़ तो लूं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, तो यही कीजिये।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

कांसीलिएशन प्रोसीडिंग्स समाप्त हो चुकी और कोई समझौता नहीं हुआ, और उसके बाद दोनों पक्षों में जो समझौता हुआ...

श्री अध्यक्ष—

यह कहां लिखा है?

श्री रामधारी शास्त्री—

दूसरे पृष्ठ पर नं० १२ के बाद आप देखें, तीसरी लाइन है। "इस विवाद को संराधन समिति में लिया गया था किन्तु वहां कोई समझौता नहीं हो सका था।" इस पर उन्होंने कहा था कि कांसीलिएशन के लिये भेजेंगे। २५ मई, ७० को समझौता हो गया कि ७ दिन के अन्दर पारस्परिक वार्ता द्वारा उनके मामले को तय किया जायगा और जिन मांगों पर पारस्परिक समझौता नहीं हो सकेगा उन मांगों को अभिनिर्णय में देने में सेवायोजकों को कोई आपत्ति न होगी। यह माननीय मंत्री जी के जवाब में ही है श्रीमन्। तो जब दोनों पक्षों में समझौता न हो सका तो प्रदेशीय सरकार या श्रम मंत्री जी इसे अभिनिर्णय को देने के लिये तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष—

आपका कयास है कि ७ दिन बीत गया इसलिये शायद समझौता टूट गया हो लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि समझौता नहीं हो पाया और पारस्परिक वार्ता के द्वारा कुछ तय नहीं हो सका तो अभिनिर्णय के लिये सेवायोजक शायद तैयार न होंगे। सेवायोजक का मतलब क्या है?

श्री राजमंगल पांडेय—

सेवायोजक मींस एम्प्लायर यानी सेन्ट्रल गवर्नमेंट।

श्री अध्यक्ष—

तो जब यह बात है तो इसमें इस सरकार का क्या मतलब आता है?

श्री रामधारी शास्त्री—

नियमावली में है कि जब कंसालिएशन में यह मामला तय नहीं होता है तो यह उत्तर प्रदेश सरकार को रेफर होता है और यदि वह चाहे तो उसे भी रेफर कर सकती है। तो जब यह निर्णय हो चुका है तो प्रदेश सरकार को इसे वहां भेजने में क्या आपत्ति है? श्रम मंत्री जी अभिनिर्णय में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष—

तो यह उन्होंने कब कबूल किया है कि तय नहीं हो पाया है।

श्री रामधारी शास्त्री—

आप तीसरी लाइन देखें—लिखा है 'तय किया जाएगा' इसका स्पष्ट मतलब यह है कि तय नहीं हुआ है। तो अब यह प्रदेश सरकार पर है कि वह उसे एडजूडीकेशन में भेजे। तो अब उसे क्या आपत्ति है?

श्री राजमंगल पांडेय--

श्रीमन्, यहां पर सब चीजें डिजास्टर-वे में पढ़ी जा रही हैं। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा जा चुका है। रूल्स यह है कि सिर्फ ला एण्ड आर्डर के जिम्मेदार हैं, बाकी बातों के लिए वे जिम्मेदार हैं। २५ मई के बाद में मैंने उनको लिखा है कि इस समझौते पर आपका क्या निदेश है, आपकी क्या एडवाइज है। अब वह १२ जून को प्राप्त हुआ है, उस पर विचार हो रहा है। इसके आगे यह भी है कि यदि एम्प्लायर और एम्पलाई इस बात के लिए राजी भी हो जाएं कि इसे अभिनिर्णय के लिए भेज दिया जाए, किन्तु फिर भी यदि सरकार यह समझे कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे भेजा जाए तो वह उसे रोक भी सकती है। उसे भेजने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है।

श्री गोविन्द सिंह--

क्या मंत्री जी इस बात को सूचना समझकर कि आज भी समझौता नहीं हुआ है, आज भी यूनियन के प्रधान, सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट श्री आर० के० गर्ग, भूख-हड़ताल पर बैठे हैं, इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयास करेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय--

भूख-हड़ताल और समझौते का खास कोई ताल्लुक नहीं है। भूख-हड़ताल तो कोई भी कर सकता है। भूख-हड़ताल जो बाडी वहां कर रही है वह रिकग्नाइज नहीं है। रिकग्नाइज्ड बाडी ही इस तरह की बात कर सकती है, परन्तु वह बाडी रिकग्नाइज नहीं है, उसकी कोई लोकल स्टैंन्डिग नहीं है। हम उनसे कोई समझौते की वार्ता कानूनन चला भी नहीं सकते हैं। उनसे हमारा क्या संबंध है ?

श्री रामधारी शास्त्री--

यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट इस पर लागू होता है या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

यह इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट लागू है, लेकिन रूल यह है कि उस यूनियन से हम वार्ता कर सकते हैं जो रिकग्नाइज हो, जो रिकग्नाइज न हो उससे हम वार्ता नहीं कर सकते। इसलिये हमारी उनकी वार्ता का कोई महत्व नहीं है।

श्री जे० एन० सिन्हा (जिला सहारनपुर)--

श्रम मंत्री ने जैसा अभी कहा कि भूख हड़ताल से समझौते का कोई ताल्लुक नहीं है, तो सिर्फ वह यह ताल्लुक समझें कि वह उनके प्रदेश का इतना बड़ा कारखाना है और केंद्र सरकार के कहने से हड़ताल वापस हुई थी, वह अपने संपर्क अधिकारी और श्रमाधिकारियों के जरिये यह दबाव डालें कि जब हड़ताल वापस हो गई थी तो उस समझौते का पूरी तरह पालन किया जाय ?

श्री राजमंगल पांडेय--

फिर समझने में फेर हो गया। आई० एन० टी० यू० सी० से समझौता हुआ है, लेकिन अब दूसरी यूनियन हड़ताल कर रही है। हम समझौता तो आई० एन० टी० यू० सी० से चला रहे हैं।

श्री राजित राम पांडेय--

भूख हड़ताल जो हो रही है उसका संबंध किस यूनियन से है ?

राज मंगल पांडेय—

वह एक दूसरी यूनियन है जो रिकगनाइज्ड नहीं है। कोई भी सेवा योजक कानून मालहत उसी से समझौता वार्ता कर सकता है जो रिकग्नाइज्ड यूनियन का प्रतिनिधि है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट के सेक्शन ४ के अन्तर्गत कम्पलसरी एडजुडिकेशन का हक उत्तर प्रदेश सरकार को है। अगर यह वार्ता असफल हो जाती है तो क्या माननीय मंत्री सदन को आश्वासन देंगे कि वह इसको एडजुडिकेशन को दे देंगे।

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं पहले ही बतला चुका हूं कि भारत सरकार का जो पत्र आया है जब तक उसकी स्क्रूटनी नहीं हो जाती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। यह सरकार केवल ला एन्ड आर्डर के लिये जिम्मेदार है और उनके आदेश के मुताबिक हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम ऐसी हालत में कोई आश्वासन नहीं दे सकते।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सेक्शन ४ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का पूर्ण अधिकार है वह किसी भी फैक्टरी के झगड़े को कम्पलसरी एडजुडिकेशन में दे सकती है तो क्या यह सरकार उस अधिकार का प्रयोग इस मामले में करेगी अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप पढ़ कर उस सेक्शन को सुना दें ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं आज किताब नहीं लाया। आगे इसका खयाल रखूंगा कि ए से लेकर जेड तक सब साहित्य लेकर आया करूं।

श्री गोविंद सिंह—

यह एक मोटी सी बात है जब यह प्रश्न नियम ५१ के अन्तर्गत सदन में आनेवाला था तो मंत्री जी को तैयार होकर आना चाहिये था और उनको यह जानना चाहिये था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस विवाद को एडजुडिकेशन के लिये रेफर करने का अधिकार है या नहीं। मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है तो इस पर आप व्यवस्था दें कि ऐसा करना कहां तक उनके लिये उचित है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह नहीं कहा कि पता नहीं है। ७ रोज के अन्दर बातचीत सफल होती है या नहीं होती है उसके उपरान्त वह कोई कार्यवाही करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आज ही उत्तर मिल जाय।

श्री गोविंद सिंह—

जिन बातों के लिये फैसला नहीं हो सकेगा उनके लिये एडजुडिकेशन के लिये भेज देंगे, यह उत्तर में कहा है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि अगर फैसला नहीं हुआ तो पुराने फैसले को एडजुडिकेशन के लिये भेज देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

हाई पाथिटिकल क्वेश्चन पर आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इस बात को मंजूर कर लें कि उनको एडजुडिकेशन में भेजने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष---

आप कल किताब ला कर दिखलायेंगे । अब यह प्रश्न समाप्त होता है ।

प्रदेश के आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में छात्रों द्वारा हड़ताल करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कई महीने से आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों के छात्रों की हड़ताल चल रही है और उसके निवारण के लिये पचासियों मर्तबा नियम ५१ के अन्तर्गत तथा व्यवस्था के प्रश्न उठा कर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया । सबने और आपने यह चाहा कि किसी तरह से यह मसला तय हो जाय लेकिन यह निकम्मी सरकार इस मसले को तय करने में असमर्थ रही । और सरकार ने समय समय पर आश्वासन दिये हैं । दिनांक २६ फरवरी, १९७० को स्वास्थ्य सचिव द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति में केवल आगरा, मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की बात कही गई । दिनांक ११ मार्च, १९७० को स्वास्थ्य मंत्री श्री अनवार अहमद ने इसी सदन में यह घोषणा की कि यदि आगरा और मेरठ विश्वविद्यालय इन कालेजों को सम्बद्ध करने के लिये तैयार न हुए तो कानपुर विश्वविद्यालय के अधिनियम मे संशोधन कर उसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर इसी शिक्षा सत्र के अन्दर समस्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जायगा । ३० अप्रैल, १९७० को शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश में एक बैठक में जिसमें स्वास्थ्य तथा शिक्षा मंत्रालय और मेरठ एवं आगरा के उप-कुलपतियों ने भाग लिया था, उसमें गुरुकुल विश्वविद्यालय का कोई स्थान नहीं था । १२ मई, १९७० को राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने अपना एक वक्तव्य देते हुए कहा था कि मेरठ और आगरा विश्वविद्यालय इन कालेजों से संबद्ध हेतु सहमत नहीं है, अतः कानपुर विश्वविद्यालय से ही इन्हें सम्बद्ध किया जायगा । २९ मई, १९७० को विधान सभा के अध्यक्ष कक्ष में इस समस्या को सुलझाने हेतु एक बैठक हुई । उसमें, श्रीमन्, आपने मुझे भी बुलाया था और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, श्री धर्मदत्त वैद्य, भी आए थे और आपके सामने ला-सचिव भी वहां पर आये थे । उसमें यह तय हुआ था कि २४ घंटे के अन्दर अमेन्डमेंट आ जायगा । इसकी घोषणा मान्यवर, स्वयं आपने की थी । उसमें उन्होंने कहा था कि जल्दी ही आयुर्वेदिक कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध करने का संशोधन विधेयक लाया जायगा । किन्तु इतने आश्वासनों के बावजूद भी सरकार ने झूठ बोलकर इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया है ।

श्री अध्यक्ष---

झूठ के बजाय आप असत्य शब्द का इस्तेमाल करे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

तो इस प्रकार सरकार ने असत्य बोलकर इस गुरुकुल विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध किया । मैं गुरुकुल विश्वविद्यालय का आदर करता हूं किन्तु मैं जानता हूं कि उसका स्टैन्डर्ड बहुत गिर गया है । वहां पर दो उप-कुलपति हैं, दो सचिव हैं । जो चाहते हैं वैसा ही होता है । इसकी व्यवस्था वर्षों से अस्त व्यस्त चल रही है । इसके संचालन में बी० के० डी० का हाथ है इसीलिये इसे गुरुकुल विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया है । यहां के सभी छात्र आर्य समाज से वास्ता रखते हैं । सनातन धर्मी हैं । यह विश्वविद्यालय साम्प्रदायिक विचार-धारा की है ।

इसको पोलिटिकल इश्यू बनाकर लड़कों के साथ अन्याय किया है। यह प्रश्न विधान सभा में एक बी० के० डी० के सदस्य ने उठाया था। मुझे तकलीफ होती है यह जानकर कि कितनी ही सरकारें आती हैं और जाती हैं किन्तु पिछली सरकारों के आर्डर कैसे काटे जाते हैं। पिछली सरकार में गुप्ता मिनिस्ट्री में स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह निश्चित आदेश दे दिया था कि इस कालेज को कानपुर विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध किया जाय और मुझे यह भी जानकारी है कि विद्यार्थियों को किसी तरह से मालूम हुआ कि आयुर्वेदिक कालेज को कानपुर विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध किया जा रहा है तो विद्यार्थियों ने गुप्ता मिनिस्ट्री के स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दिया था। तो मान्यवर, यह एक विषम परिस्थिति हो गई है। यह सरकार क्या कहती है, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी और कब तक झूठ बोलेगी? इस सरकार की ऐसी दशा है। एक छोटा सा किस्सा मैं गांव का सुनाना चाहता हूं। गांव के लोगों ने एक आदमी को गधे पर बैठाया और काला मुंह करके सारे गांव में घुमाया। आखिर में जब वापिस घर पर आया तो गधे से कूद कर कहने लगा कि मेरी इज्जत रह गई। लोगों ने पूछा अब भी किस प्रकार से इज्जत रह गई? उसने कहा कि गधा पर चढ़ा तो लेकिन उससे गिरा तो नहीं। इसी प्रकार से सरकार झूठ बोलकर अपनी इज्जत रख रही है। जो पालिसी एक बार तय कर लेती है, उसको दूसरी बार खत्म कर देती है। शुरू में सरकार ने घोषणा कर दी कि इन विद्यालयों को कानपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर दिया जायगा, कभी कहा जाता है इसके लिये पृथक यनिवर्सिटी बनाई जायेगी। अगर सब स्टैन्डर्ड लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसा ही होता तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता। अगर सब का वेतनक्रम एक सा होता तो भी किसी को कोई ऐतराज नहीं होता। यही कारण है कि लड़के परेशान हो रहे हैं और अभिभावक चिन्तित हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इसकी महत्ता जो देखते हुए आपने नियम ५२ में इसको स्वीकार किया है और हमें उस पर चर्चा करने का अवसर दिया है। मैं पुनः इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन कालेजेज को कानपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर दें, जैसी कि उन्होंने ११ मार्च को घोषणा की थी। इसको पौलिटिकल कलर न दिया जाय। विद्यार्थियों को पौलिटिक्स में न डाला जाय नहीं तो सारा प्रदेश जल जायगा। यह नवयुवक इस प्रदेश के आने वाले कर्णधार हैं उनमें इनडिसिप्लिन न पैदा किया जाय। सरकार भले ही इसकी महत्ता को न समझे लेकिन इतिहास लिखने वाले लिखें हैं कि इस सरकार ने निश्चय ही बड़ी भारी भूल की थी। इस सरकार ने जानबूझकर अराजकता, हड़ताल, भूख हड़ताल को न्योता दिया। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रभाव को इस्तेमाल करें। श्रीमन्, आपने इसे पहले भी दिलचस्पी और स्वास्थ्य मंत्री जी को अपने कक्ष में बुलाया। राज्य मंत्री जी भी आये भी और शायद मुख्य मंत्री जी से बिना पूछे चले गये। क्योंकि जब इस विधान सभा में यह मामला आया तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि "मुझे नहीं मालूम" इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी और क्या हो सकती है। यह कैसी ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है। या तो राज्य मंत्री जी मुख्य मंत्री से पूछकर नहीं आए या बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट उनको नहीं दी। यह तो बड़ी विस्फोटक परिस्थिति पैदा हो गई है। इसकी सबको चिन्ता है और सबसे बड़ी चिन्ता आपको है कि आपने हमें अवसर दिया कि हम इस पर विचार कर सकें। इसलिए हम आपके आभारी हैं।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कमरे में जो मीटिंग हुई, उसके बारे में बार बार जिक्र होता है। मैं आप लोगों और मंत्रिगणों की जानकारी के लिये मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के द्वारा यह बता देना चाहता हूं। उसमें यह लिखा हुआ है—

[श्री अध्यक्ष---]

"The opinion of the speaker cannot be sought in the House about any matter arising or likely to are in a committee. The speaker is always ready to advice members of all parties to consult him privatey whether upon any action which they propose to take in the House or upon any questions or order which are likely to arise in the proceedings."

मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां स्पीकर का एक रोल है और उसका दूसरा रोल ऐसा होता है जब वह सदन के बाहर हर पार्टी के लोगों को एडवाइस करता है। लेकिन अगर उस एडवाइस की कोई बात किसी रूलिंग के हिसाब से होती है तब तो उसका हाउस में जिक्र होता है लेकिन अगर रूलिंग से उसका संबंध नहीं है तो उसका जिक्र इस प्रकार से हाउस में नहीं किया जाता। आपको जो एडवाइस देता हूं अथा मंत्रिगण को कोई एडवाइस करता हूं तो उसका मतलब हाउस में आपके काम में सहायता करने का होता है। यह बात नहीं है। यह मेरा फर्ज है कि सदन में शान्ति कायम रहे, सदन में लोग व्यवस्था कायम रखें। इसलिये मैं कुछ एडवाइस दे देता हूं। आपको भी दे देता हूं, मंत्री को भी दे देता हूं। तो मेरे सामने जो चीज आ जाती है, मैंने यहां पर घोषणा कर दी थी, आपको बता दिया था कि यह बात तय हुई। लेकिन मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। जिम्मेदारी मंत्री जी की है। मैंने कह दिया था कि उन्होंने कहा कि ऐसा बिल आयेगा और इसलिये मैंने रोक रखा था नियम ५१ के इस प्रश्न को कि तसफिया हो जाय तो अच्छा है। लेकिन आप मुझसे बार बार कहते हैं कि बाध्य करिये, तो बाध्य करने का मेरा काम नहीं है। आपका नियम ५२ में यहां पर आ गया। मैंने मंत्री जी से वक्तव्य करने के लिये कहा है। वह वक्तव्य देंगे। उसके बाद फिर जो लोग बोलना चाहें बोलें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि राज्य मंत्री जो आये थे वह मुख्य मंत्री की अनुमति से नही आये थे, क्योंकि मुख्य मंत्री ने स्पष्ट यह कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो वह कितना अरुचि रखते हैं इस सब्जेक्ट से।

श्री अध्यक्ष---

वह ठीक है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मान्यवर, मुझे दुख है कि मान्यवर ने स्वयं अपने संबंध में एक प्रकार से विवषता का अनुभव किया क्योंकि मुझे यह कहने की आज्ञा प्रदान करें कि मेरी दृष्टि में आपका स्थान इससे कहीं अधिक बड़ा है। मैं इस दृष्टि से इस चीज को कहना चाहता हूं कि यदि आपका रोल ही इतनी विवशता का है तो हम लोग फिर न तो अब आपसे किसी प्रकार के इन्टरवेंशन की चेष्टा करें और न आपके सम्मुख इस संबंध में कभी जाएं, क्योंकि हमारा ऐसा ख्याल है कि आप तो हमारे सदन के प्रतीक हैं और यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य सदन की इच्छा को रखने के लिये और सदन में सद्भावना बने इसके लिये करते हैं। यदि इसका अर्थ यह हो कि वह समस्त कार्य केवल हमारे लिये है और सरकार के लिये उसका कोई अर्थ न हो तो मुझे यह कहने दीजिये कि कृपाकर के अपने को इससे ऊंचा समझें, क्योंकि हमारी दृष्टि में आप यदि हमसे कुछ कह सकते हैं तो सरकार के लिये तो वह सबसे पहले मान्य होना चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं है कि सारी की सारी एडवाइस आपकी केवल हमारे लिये हो बल्कि सरकार के लिये तो उसका बहुत बड़ा मूल्य होना चाहिये। और यदि सरकार उस एडवाइस को न माने तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे समस्त सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है क्योंकि आपके द्वारा कही हुई कोई भी बात इस सदन की प्रतिष्ठा है और यदि सरकार उसको ठुकरा देती है तो हमारा ख्याल है कि सरकार सारे सदन की इच्छा को ठुकरा देती है और इसी दृष्टि से यदि हम कभी कुछ कहते हैं तो इसलिये कहते हैं कि आपकी दी हुई कोई एडवाइस इसलये होती है कि सदन में सद्भावना रहे। इसलिये नहीं कि आप कोई राय दें और सरकार उसको ऐसा समझे जिसका कोई अर्थ न हो। मैं केवल इतना कहना चाहता था कि यह जो आपका रोल है इसको हमारे सदन की प्रतिष्ठा का प्रतीक मापदण्ड समझें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक कालेजों में हड़ताल १९ जनवरी, १९७० से चल रही है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

यह क्या बात है ?

श्री त्रिवेणी सहाय—

इसी सदन में जब-जब इस सवाल पर बहस हुई है....मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । तो अनवार अहमद साहब कभी मौजूद नहीं थे और जब वह मौजूद थे तो धर्मदत्त वैद्य नहीं थे । आपने कोई कमिटमेंट कर दिया तो उन्होंने उसकी मुखालिफत कर दी । अभी तो आपके कमरे में बैठक हुई, मैं भी मौजूद था, धर्मदत्त वैद्य मौजूद थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि कानपुर....

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज अगर कोई निर्णय उनकी तरफ से हुआ तो कल मौजूद नहीं हैं और फिर उसके खिलाफ जा सकते हैं और फिर डिले हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

जो वह कहेंगे वही ठीक है । आप बैठें ।

श्री अनवार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों में १९ जनवरी, १९७० से हड़ताल चल रही है, परन्तु अब इस मसले को जो रूप दिया गया है वह यह दिया गया है कि यह मसला जो खालिस विद्यार्थियों का मसला था अब सियासत और राजनीति के रंग में इसे ढाला जा रहा है । इससे कोई फायदा विद्यार्थियों को नहीं है । यह बात बार बार विद्यार्थियों को बता दी गई थी सरकार की ओर से कि जहां तक उनकी हड़ताल का मसला है उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा ... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मंत्री को मना करिये....

श्री अध्यक्ष—

आप बहस नहीं चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

व्यवस्था का प्रश्न है, जो हल्ला हो रहा है....

श्री अध्यक्ष—

यह मेरा काम है। आप पहले बैठें। एक दम से लोग उठकर इस तरह से बोलने लगते हैं। अगर कोई चीज नापसन्द हुई या आपके पसन्द की नहीं है या आप गलत समझते हैं तो उसके ऊपर शोर करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ उनको कहना है कह लेने दीजिए। बाद में जो आपको ठीक लगे आप कह सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इतना कहना चाहता हूं कि मंत्री जी यह खुलासा कर दें कि यह राजनीति कैसे हो गई ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मंत्री ने अभी जो कहा उस पर एक व्यवस्था चाहता हूं। क्या मंत्री जी जब स्वयं उन्हीं की दी हुई इस आदरणीय सदन के सामने एश्योरेंस के आधार पर या दफा ५२ पर बहस हो रही हो तो क्या वह मंत्री उस बात को छिपाने के लिये राजनीतिक प्रश्न का नाम लेकर सदन को उधर ले जा सकते हैं ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिये, आप अपना भाषण पूरा कीजिये और जो प्रश्न उन्होंने उठाया था कि आपने अश्योरेंस दिया है उसका उत्तर वह आना चाहिए·····

*श्री अनवार अहमद—

मैं पूरा जवाब दूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि कभी-कभी सही बात कड़वी मालूम होती है और यही इस समय देखने में आया है। मैं कह रहा था कि विद्यार्थियों के हित में नहीं है कि इस मसले को राजनैतिक ढंग से हल करने की कोशिश की जाय। इस बात को विद्यार्थियों से बार-बार साफ तौर से बतला दिया गया था कि यदि किसी सूरत से यह निकल भी सके कि इस वर्ष इन कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया जाय तब भी उनको इम्तहान देने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि वह अपना कोर्स पढ़ावें, अपने पर्चे इम्तहान के लिये दें। जब तक विद्यार्थी वह कोर्स न पढ़ें और विश्वविद्यालय के परचों से इम्तहान न दें तब तक उनको विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं मिल सकती और इस साल किसी प्रकार यह संभव नहीं था। इसलिये विद्यार्थियों की यह हड़ताल किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। इस मसले को विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने के मसले से मिलाना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। सरकार की ओर से यह कहा गया था कि पूरी-पूरी कोशिश इस बात की की जायगी कि·····

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बहस को शान्तिपूर्वक चलने दें वरना सरकार बच जायेगी।

श्री अनवार अहमद—

मैं जायसवाल साहब का शुक्रगुजार हूं कि वह बार-बार खड़े होते हैं और नियम के तहत में कहते हैं, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यह कह रहा था कि विद्यार्थियों की हड़ताल के मसले को यूनिवर्सिटी के मसले के साथ मिलाना सही बात नहीं होगी। जहां तक सरकार की बात है, यह कहा गया था कि पूरी कोशिश की जायेगी कि इस शिक्षा सत्र में इस समस्या का हल निकल आये। सबसे पहले मार्च में विश्वविद्यालयों को इस प्रकार का पत्र लिखा गया कि वे अपने यहां इन कालेजों को सम्बद्ध कर लें, परन्तु जवाब संतोषजनक नहीं आये, तो उप-कुलपतियों की एक मीटिंग २४ अप्रैल को बुलाई गई। उप-कुलपतियों ने २४ तारीख को आने में अपनी मजबूरी जाहिर की तो फिर उनकी मीटिंग ३० अप्रैल को शिक्षा मंत्री के कक्ष में हुई। उसमें आगरा और मेरठ के उप-कुलपति आये थे लेकिन कानपुर के उप-कुलपति नहीं आ सके। उस मीटिंग में जो बातचीत हुई उससे यह नतीजा निकला कि वे चाहते थे कि आयुर्वेदिक और यूनानी की रूपरेखा बिल्कुल बदल दी जाय। केवल एक पर्चा आयुर्वेदिक और यूनानी का रहना चाहिये और बाकी शिक्षा एलोपैथिक की लाइन पर दी जाये और इसके बाद भी वे तैयार नहीं थे उनको यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किया जाय। अब यह था कि कोई तरीका ऐसा निकाला जाय जिससे इनको कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय। इस पर विचार किया गया और कानूनी राय भी ली गई और कोशिश की गई कि यह मसला हल हो जाय, लेकिन छानबीन के बाद देखा गया कि इसमें बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर एक विश्वविद्यालय में उसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया जायेगा तो यह हो सकता है कि विश्वविद्यालय में भी उनका कार्यक्षेत्र बढ़ाना पड़े। उनके कांस्टीट्यूशन में संशोधन की बात हो सकती है और इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट के तरमीम करने की भी बात हो सकती है। इन बातों पर गौर करने के बाद यह सोचा गया कि आयुर्वेदिक के मामले को किसी यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करने से आयुर्वेदिक में तरक्की नहीं हो सकती है जब तक कि उसको आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध न किया जाय। इसलिये इसको गुरुकुल यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करने की बात की गई। इसी प्रकार से हिकमत के लिये भी सोचा गया कि उनके लिये भी जरूरी है कि तिब्ब को भी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किया जाय जो केवल तिब्ब की शिक्षा देती हों, क्योंकि तिब्ब और आयुर्वेद की अलग-अलग प्रणाली हैं और वे आयुर्वेद और तिब्ब कालेज में ही हो सकती हैं। इसलिये निर्णय लिया गया कि गुरुकुल कांगड़ी से आयुर्वेदिक कालेज को और तिब्बिया कालेज को दिल्ली से सम्बद्ध किया जाय। मेरे ख्याल में इसे विद्यार्थियों का भी बड़ा फायदा होगा क्योंकि जो वह चाहते थे कि यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किया जाय उनकी बात भी पूरी होगी और यह मसला पूरी तरह से हल हो जायगा।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इस आन्दोलन के विषय में जो चर्चा हुई थी उसके तीन पहलू हैं। पहली बात तो छात्रों का हित, दूसरी बात गवर्नमेंट का रवइया। कोई भी आदमी गवर्नमेंट की तरफ से आज तक जो कहा है, भाषण दिया है या एश्योरेन्स दिया है उसके विपरीत जा रही है, गवर्नमेंट इससे ज्यादा निन्दनीय कोई बात नहीं हो सकती है। इस सरकार के ऊपर कौन भरोसा करे कि जो स्टेटमेन्ट दे रही है उस लाइन पर काम करना चाहेगी। आज छात्रों का आन्दोलन चल रहा है। उसका औचित्य सभी ने माना है। यही कारण है कि चाहे इन्डीकेटी हों, बी० के० डी० के हों, सोशलिस्ट हों, जनसंघ के हों, सभी ने उसके औचित्य को माना है, क्योंकि वह किस चीज के लिए आन्दोलन कर रहे हैं वह चाहते हैं कि उनको किसी युनिवर्सिटी से संबद्ध किया जाय ताकि उनको भी वही सुविधायें मिले जो यूनिवर्सिटी वालों को मिलती है। उन्होंने किसी और चीज के खिलाफ आन्दोलन नहीं किया। इसमें कोई सियासी मसला नहीं था। उनकी मांग थी कि हमको भी रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर दिया जाय ताकि हमारी डिग्रियों को मान्यता मिले। उसकी मान्यता न होने के कारण दुर्दशा हो रही है आयुर्वेद की। कोई आदमी स्टैन्डर्ड का समझा नहीं जाता। यह सभी उनकी मांगे थीं: हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

स्वास्थ्य मंत्री बहुत स्ट्रेट बोलते थे उन्होंने न मालूम कैसे एक जुमला निकाल दिया जैसे "कैट्स आउट आफ दि बैग"। एक अच्छा कार्य हो, विरोधी पक्ष के आदमी उनका समर्थन करें, औचित्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करे तो यह सोचा जाय कि काम हो जायगा तो इसका श्रेय विरोधी पक्ष को मिल जायगा यह कितना निन्दनीय कार्य है।

सुबह मान्यवर, मैंने कहा, आप नहीं थे दूसरे सज्जन थे, कि हम कहते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री हैं और हमारी सरकार है किन्तु इनमें हिम्मत नहीं कि विरोधी पक्ष वाले जिस उचित बात को कहते हैं उसको माना जाय। मान्यवर, असल बात है, यह मूलमंत्र है कि इन्हीं कारणों से इन्होंने अपनी बात को उलट दिया कि कहीं इससे विरोधी पक्ष को ख्याति न मिल जाय। मान्यवर, आप देखें इसको हमारे एक अन्य सदस्य ने कहा है २४ तारीख को हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कानपुर में घोषणा की कि हम इन विद्यालयों को कानपुर से सम्बद्ध कर देंगे। क्यों उन्होंने एश्योरेन्स दिया, क्यों नहीं पहले सोच-समझ कर कहा, क्यों गैरजिम्मेदाराना ढंग से कहा। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह सद्भावना से कहा और उनकी इच्छा थी कि ऐसा कर दिया जाय। दूसरी बात २९ तारीख को, फिर २२ तारीख को मिनिस्टर साहब के कमरे में हुई। वहां एक वाइस चान्सलर सिर्फ कानपुर के नहीं आये, बाकी सब आये थे। सम्पूर्ण स्थिति आपके सामने थी तो आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किया कि हम गुरुकुल कांगड़ी से संबद्ध करेंगे और दूसरे से नहीं करेंगे। जब आपने वाइस चान्सलर से बात की तो वहां आप क्या बात कर रहे थे? क्या वहां सिनेमा की बात कर रहे थे? असल में वहां भी इनकी नेकनियत थी कि सब पहलू खटखटालें। दूसरी मीटिंग की १२ मई को। आपने घोषणा की कि कानपुर से संबद्ध करेंगे। कानपुर से टेलीफून से बात कर सकते थे। श्रीमन्, ज्वाइंट और कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात मंत्रिपरिषद् की होती है। अगर मिनिस्टर साहब कोई बात कह देते हैं और उसको चीफ मिनिस्टर भी उलट देते हैं तो सचमुच ज्वाइंट और कलेक्टिव रिस्पांसिबिलटी की बात नहीं रह जाती है। इसके माने इस ज्वाइंट रिसपांसिबिलटी का कुछ ज्ञान नहीं है कि बाहर जो सूचना दी गई उसकी क्या कद्र होगी? फिर २९ तारीख को आपने इसी चीज को दोहराया। आपके कक्ष में भी मिनिस्टर साहब को एडवाइज के लिये बुलाया गया। इसमें आपको भी घसीट लिया। मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि यह तो आपकी बेइज्जती होने के बराबर है। सरकार कोई एक बात ही नहीं कहती, कभी कुछ कभी कुछ। इस सरकार पर विश्वास करने योग्य नहीं है। फिर २ तारीख को हैल्थ मिनिस्टर साहब ने डिकलेयर कर दिया कि कानपुर यूनीवर्सिटी तैयार है और बिल बन रहा है। कहा गया कि २४ घंटे के अन्दर बिल तैयार हो जायगा। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता, इसमें समय लगेगा। मैंने समझा कि कोई काम्पलीकेशन्स कानून के होंगे। अगर कोई कानूनी दिक्कत पहले नजर आ गई थी तो पहले क्यों नहीं बताया गया। इस तरह एक इर्रेस्पान्सिबल स्टेटमेंट दे दिया गया। मैं तो कहता हूं इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय उतनी ही कम है। अगर विद्यार्थियों की मांग सही है तो उसको क्यों नहीं माना गया। हम भी यही कहते हैं कि आयुर्वेद को प्रोत्साहन दिया जाय, क्या कारण है, जब किसी बात को मान लिया जाता है, फिर उससे पीछे क्यों हटा जाता है।

गरुकुल कांगड़ी की दशा भी अब सुन लीजिये। पता नहीं इसमें सरकार का हाथ है या उन्हीं गरुकुल का। वहां वाइस-चान्सलर कोई नहीं है--कई महीने से नहीं है। वहां का रजिस्ट्रार 'फार वाइस-चान्सलर' करके साइन करता है। वहां दोनों में लड़ाई हो रही है। वहां विद्यार्थियों की क्या हालत है, प्रबन्धकों की क्या हालत है, कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ छीछालेदर हो रही है। जब आपने सभी वाइस-चान्सलरों को बुलाया तो उसी समय क्यों नहीं गरुकुल वालों को बुलाया। और अब आपको सुध आयी गरुकुल की कि उसको भी अटेच कर लें। आप तो स्वयं ही साम्प्रदायिक की बात जिन्दगी भर करते रहे हैं। यह 'डिवाइड एण्ड रुल' की तो आपकी नीति ही है। यह गरुकुल की बात पहले क्यों नहीं समझ

में आयी। छात्रों का भी वहां कोई इन्तजाम नहीं है। पढ़ाने वाले भी ऐसी ही हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। आज आप गरुकुल को यूनीवर्सिटी के साथ एफीलियेट करना चाहते हैं— जरूर कोई राजनीति वाली बात है। आज तो राजनीति हर जगह शामिल है।

(व्यवधान)

अगर आप इस चीज को टाल देते हैं तो विद्यार्थियों के प्रति, गुरुकुल के प्रति और आयुर्वेद सिस्टम के प्रति घोर अन्याय होगा। मान्यवर, मुझे तो फिक्र इस बात की हो गई कि आप मर्यादा भी कायम नहीं रखना चाहते हैं। अगर हमारा चीफ व्हीप कोई कमेन्ट करता है तो हम उसका समर्थन करते हैं, उसकी मर्यादा रखते हैं। मान्यवर, अगर ऐसी ही बात रही, तो न तो मुख्य मंत्री की मर्यादा रहेगी, न मिनिस्टर की और न इस सरकार की। सब समझते हैं कि अवसरवादी है। (शेम—शेम की आवाजे)। तो मैं आपकी मर्यादा के लिए भी कहता हूं कि अपनी तरफ से समझाएं और जो कमिटमेन्ट किया गया है, जो कमिटमेन्ट हैल्थ मिनिस्टर ने किया है, उसको निभाया जाय अगर ज्वाइंट रेस्पांसीबिलटी और कलेक्टिव रेस्पांसीबिलटी का कोई अर्थ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में दिये गये अपने आश्वासन को बालाए ताक रख कर आज सरकार की तरफ से यहां तक ढिठाई हो रही है कि वह कहती है कि यह आन्दोलन राजनीति से प्रेरित है और जो उसने आश्वासन दिया था उससे हटकर एक दूसरा हल भी सामने ले आई है। मान्यवर, यह आन्दोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है, किसी तरह से भी नहीं है, इस पर राजनीति का कोई असर नहीं है। है क्या, श्रीमन् ? जो तिब्बी और आयुर्वेदिक कालेज है उनमें और जो लखनऊ का आयुर्वेदिक कालेज है इसमें बड़ी भारी असमानता है। चाहे अनुदान का मामला ले लें, चाहे भवन का ले लें, चाहे छात्रवृत्ति का ले लें, चाहे छात्रावास का ले लें और चाहे चिकित्सा की क्रियात्मक अध्ययन की सुविधा को ले लें। तो यह सारी असमानताएं सभी क्षेत्रों में व्याप्त हैं। इसी के साथ-साथ जो स्नातक इन कालेजों से निकलेंगे उनका हस्र क्या होगा ? उनको हाउस जाब नहीं मिलेगा। लखनऊ का जो स्टेट आयुर्वेदिक कालेज है उसके जो छात्र है उनको हाउस जाब मिल जाता है अस्पतालों में। इसके साथ-साथ सरकारी नौकरियों में भी उनको प्राथमिकता मिलती है। स्केल में भी फर्क रहता है। लेकिन जो इन कालेजों से निकलने वाले लोग है उनको जो सार्टीफिकेट या डिग्री मिलती है उसकी कोई मान्यता नहीं है। इस प्रदेश के बाहर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो यह जो अन्तर है वह आन्दोलन के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। यह आन्दोलन इसी साल शुरू हुआ हो ऐसी बात नहीं है। पिछले दस सालों में चाहे जो सरकार रही हो, बराबर यह आन्दोलन चलता रहा है। अबकी बार इसको बल इसलिए मिला कि खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया कि चालू सत्र के चलते-चलते वह इन कालेजों को कानपुर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कर देंगे। लोगों ने उस पर यकीन कर लिया और उसी की सजा मिल रही है। उस वक्त यह नहीं समझा कि यह वचनभंगी, कुर्सी से चिपकू सरकार है। इन चीजों की तरफ बच्चों का ध्यान नहीं गया और उन्होंने आश्वासन पर यकीन कर लिया। अब स्थिति क्या है ? ११ मार्च को इसी सदन में आश्वासन दिया गया। और बहुत साफ लफ्जों में दिया गया, यह भी नहीं कि उसमें कोई शक-सुबहे की गुंजायश हो। इसके बाद आपके सामने जो माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा गया उसमें पूरा जोर देकर इस चीज को कहा गया कि चालू सत्र के चलते-चलते जरूर इसको कर दिया जाएगा। उसके बाद जो और घटनाएं हैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन जो आपकी अध्यक्षता में मंत्री जी सहित और विधान सभा के अन्य नेताओं की बैठक हुई थी उसका क्या निष्कर्ष निकला ? एक ही निष्कर्ष निकला था

[श्री अनन्त राम जायसवाल—]

कि लीगल रिमेम्ब्रेन्सर साहब यथाशीघ्र यानी २४ घंटे के अन्दर एक तरमीमी बिल बनाकर तैयार कर देंगे और सरकार उसको दूसरे हफ्ते यानी १२ तारीख को जो आखिरी बैठक हुई उस हफ्ते में सदन के समने पेश कर देगी। लेकिन १२ तारीख निकल गयी। आज १७ तारीख आ गयी। सारे आश्वासन भुला दिये गये हैं और आज बिलकुल दूसरी चीज कही जा रही है। आखिर यह लड़के चाहते क्या हैं और जो आप हल निकाल रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा? जो गुरुकुल या तिब्बी कालेज हैं उसमें आयुर्वेदिक या तिब्बी इलाज की शिक्षा दी जाती है लेकिन जो स्टेट आयुर्वेदिक कालेज है उसका इंटेग्रेटेड कोर्स होता है। उसमें आयुर्वेदिक और तिब्बी के साथ-साथ सरजरी वगैरह भी शामिल रहती है। और यहां उनको सारी सुविधा दी जाती हैं। चाहे बलरामपुर अस्पताल हो या मेडिकल कालेज हो वहां भेजकर उनको क्रियात्मक सुविधा दी जाती है। लेकिन इनको सुविधा नहीं दी गई। ये खाली आयुर्वेदिक पढ़ेंगे या तिब्बिया कालेज की तिब्बी पढ़ेंगे। इसका नतीजा क्या होगा। यह होगा कि जो एलोपैथिक की तिब्बी और आयुर्वेदिक वालों को छूट थी उस से वह महरूम रह जायेंगे। उन कालेजों से इनको महरूम करना चाहते हैं। विश्वविद्यालय को आप ले लें। क्या उनकी दशा है? दो रजिस्ट्रार हैं। वह विश्वविद्यालय किस तरह से चल रहा है इसको भगवान् जाने लेकिन उससे ये उनको सम्बद्ध करना चाहते हैं। आज वहां पर यह हालत है कि वहां का रजिस्ट्रार अनिश्चित है। वायस आन्सलर अनिश्चित है। वहां सारा का सारा मामला झगड़े में पड़ा हुआ है। जहां तक डिग्री की मान्यता का सवाल है इस प्रदेश को आज उसकी पूरी मान्यता नहीं मिली है। जिस चीज के लिये आन्दोलन चल रहा है उसी चीज को आप नकारने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद देख लें कि आज उसके खुद विश्वविद्यालय के प्रागंण में जो आयुर्वेदिक कालेज है वह उसके साथ सम्बद्ध नहीं होना चाहता है वह चाहते हैं कि मेरठ कालेज से उनको सम्बद्ध कर दिया जाय। वह मेरठ कालेज से सम्बद्ध है भी। वहां के लोग खुद इतने ऊबे हुये हैं कि भारतीय चिकित्सा परिषद् वह इम्तहान चलाये। वह विश्वविद्यालय के साथ रहना नहीं चाहते हैं। जैसे कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि "फ्राम फ्रैन्क पैन इनटू दि फायर" को लागू करके उन बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं।

मैं मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से यह कहना चहता हूं कि आप इन बच्चों के साथ, इनके बालदैन के साथ और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं यह आप समझ लीजिये। आखिर जब आप इतने कमजोर थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मुख्य मंत्री जी की सलाह लिये वगैर यहां पर आश्वासन किस ताकत के बूते पर दिया। यहां अगर आपने पूरे जोर के साथ आश्वासन दिया था तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप उस आश्वासन से भाग नहीं सकते हैं। बच्चों का वक्त चाहे आप खराब कर लें अगर सदन में दम है, अगर इस सदन की आश्वासन समिति की ताकत बनी रही तो उस आश्वासन को आपकी सरकार को या किसी अगली सरकार को पूरा करना होगा यह कानूनी हैसियत है कि एक दफा इस आश्वासन के टूटने से इस माननीय सदन का सम्मान, गरिमा सीधे तौर पर जुड़ गया है। अगर मंत्री यहां इस तरह से दिये गये आश्वासन को तोड़ दिया करें या किसी तरह से यह सदन बरदाश्त कर लिया करे या मंत्री बचकर निकल जाया करें तो यह जनतन्त्र इस तरह से चलने वाला नहीं है। मैं पूरी तकलीफ के साथ यह कहना चाहता हूं कि मैं जब से सदस्य हुआ हूं और भी सरकारें देखी हैं। मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में मैंने एक सरकार इससे पहले भी देखी थी लेकिन आज जैसा बुरा हाल नहीं था। मैं यह जोर के साथ कहना चाहता हूं कि जब मैं इनके सवालों के जवाब देखता हूं तो बड़ी हैरानी होती है। खुद मंत्री लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। जो विभाग के अध्यक्ष हैं और यहां पर चुन कर आते हैं वह अगर सही रूप में जवाब न दें तो इसका मतलब क्या है। मैं नमूना देकर बतलाता हूं। मैंने एक दफा सवाल किया कि यहां थर्ड ईयर डिफेन्स प्लान के अन्तर्गत जो लिटरल रोड बननी थी उसमें कितनी प्रगति हो चुकी है। उसका जवाब क्या था? जवाब आया कि ६९ प्रतिशत फाइनेन्स व्यय हो चुका है। कोई सचेत मंत्री होता तो वह इस सदन में कभी इस तरह का जवाब न आने देता। इस तरह से हम पूछना चाहते हैं कि

भ्रष्ट अधिकारी का ट्रान्सफर क्यों रोका गया तो आप बेशर्मी और बेहयाई के साथ जवाब देते हैं कि जनहित में ऐसा कर दिया गया। आज जन सुविधा में मुख्य मंत्री जी का जनहित बदल गया है। आज इस तरह से आप समझते हैं। जनता के आम मफाद की बातें आपके कभी खयाल में नहीं आती हैं। मैं कहूंगा कि यह जो सचिवालय है इस प्रदेश का वह षडयंत्र का अड्डा बन गया है और यदि यही स्थिति यहां की बनी रही तो प्रदेश का किसी तरह से भी भला नहीं हो सकेगा। इस सचिवालय में आज क्या हो रहा है वह मैं बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप विषय पर ही रहें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसी विषय से सम्बन्धित मैं कह रहा हूं कि जो उत्तर आते हैं वे सब सचिवालय से आते हैं, आज इस सचिवालय में प्रदेश के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका केवल एक ही काम रह गया है कि देश की और प्रदेश की जो सिकुड़ती हुई भयंकर आर्थिक स्थिति है उसमें उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कैसे होता चला जाय और आज इस के लिये कोहनी दूसरों को हटाने की नीयत से चलाई जा रही है कि श्री रामधारी शास्त्री की जगह पर कैसे पहुंच जायं और किसी का तनज्जुल हो तो हम कैसे ऊपर पहुंच जाय ? इसी में यह पूरा मंत्रिमंडल और इनका सारा सचिवालय आज डूबा हुआ है। आज राजनीति की इस चपेट में जनहित तो बिल्कुल आंख से ओझल हो गया है और व्यक्तिगत स्वार्थ ही सर्वोपरि हो गये हैं। आखिर इस सम्मानित सदन में जो आश्वासन दिया गया उसका महत्व क्या है—देखिये यह हंस रहे हैं, [* * *] इनको किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं और इनको अपने पर कोई गुस्सा नहीं, पता नहीं अपने को इन्होंने किस हालत में रख लिया है, बजाय गुस्से के अपने पर, बजाय पश्चाताप के और शरमाने के बजाय यह हंसते हैं। श्री गेंदा सिंह के मामले में स्थिति आप के सामने है, मुख्य मंत्री जी. . .

(व्यवधान)

श्री इम्तियाज हुसेन (जिला लखनऊ)—

यह बहस विषय पर नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि आप विषय से सम्बद्ध रखिये बहस को तो ज्यादा अच्छा है वर्ना जो आप कहते थे कि शान्ति से बहस हो वह नहीं हो पायेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारी ओर से और विरोधी पक्ष की ओर से तो शान्ति से ही बहस चलाई जा रही है।

(व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, हमें भी निवेदन करने का मौका दीजिये। जिन शब्दों का जायसवाल जी प्रयोग कर रहे हैं क्या उनके कहने के बाद सदन में शांति रह सकती है। बार-बार बेशर्म कहना, बेशर्माई शब्द का प्रयोग करना क्या यह शब्द संसदीय हैं?

[* * *] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्री इम्तियाज हुसैन—

मेरी व्यवस्था यह है कि आप या तो हमें भी उन की तरह इन अल्फाज का इस्तेमाल करने की इजाजत दें या उनको रोकें।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको रोक रहा हूं।

श्री इम्तियाज हुसैन—

वर्ना हम भी उनका जवाब देने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं श्री जायसवाल जी से कहूंगा कि उनके भाषण का पहला भाग तो बहुत तर्कसंगत चल रहा था लेकिन अब आप उसमें गर्मी ला रहे हैं अपने कुछ ऐसे शब्दों के प्रयोग से और थोड़ा-सा इर्रिटेट होने से, इसमें उदाहरण देने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि यह विद्यार्थियों का सवाल है और जो कालेजों को गुरुकुल कांगड़ी से सम्बद्ध करने की बात है उसके विषय में ही थोड़े में कह डालिये, संक्षेप में कह कर समाप्त करें क्योंकि ऐसी बहस में कोई लम्बे भाषण नहीं होते।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो आपने मेरे आरम्भ के भाषण की प्रशंसा की उसके लिये आपको बहुत धन्यवाद !

श्री महीलाल—

श्रीमन्, क्या सदन का कोई माननीय सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्य के लिये 'बेशर्म' या 'बेहया' का प्रयोग कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने सुना, किसी व्यक्ति के लिये ऐसे शब्द कहना उचित नहीं है लेकिन यह जरूर है कि अगर वह यह कहते हैं कि सरकार ने अपने वचन को भंग किया तो उसके लिये सरकार को शर्म आनी चाहिये, ऐसी आलोचना हो सकती है, वह सरकार के लिये है तो ठीक है लेकिन व्यक्तिगत नहीं कहा जा सकता।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, आप की हिदायत के मुताबिक मैं अपने को सुधारूंगा और आपकी हिदायत शिरोधार्य है और इसके अलावा आपने जो मेरी प्रशंसा की है उसके लिये मैं आप को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं गुजारिश कर रहा था कि मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया और उन्होंने उसे देने से पहले सोचा-विचारा भी होगा और पूरी जानकारी करके आपके पहले एक मंत्री जी ने जो फैसला लिया था वह आपने देखा होगा। क्या यह हुआ नहीं है। जब पहले स्वास्थ्य मंत्री श्री कृष्णानन्द राय ने यह फैसला ले लिया था कि इन कालेजेज को जोड़ दिया जाय कानपुर विश्वविद्यालय के साथ। इन सारी चीजों को देख कर ही आपने बहुत ही अहमियत के साथ यहां पर एलान किया था और अब आप कहते हैं कि हमने उस वक्त पूरी तरह से गौर नहीं किया था। जब आप यह बात कहते हैं, मैं यह नहीं कहूंगा—आप मुझे यहां दबा सकते हैं, विरोध पक्ष की संख्या के बल पर दबा सकते हैं लेकिन आप इस प्रदेश की जनता की जुबान कैसे रोकेंगे। आज आप ऐलान करते हैं फिर बदल जाते हैं। मैं साफ तौर से यह कहूंगा कि आपके मुंह में एक जुबान के अतिरिक्त फाजिल जुबान भी है और जब जी चाहता है तब उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इस प्रदेश की जनता खुले तौर पर कहेगी कि उस वक्त आपने सोचा था ?

सोच समझकर एलान किया? इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से व स्वास्थ्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे अपना मजाक न उड़ायें। इस सम्मानित सदन की इज्जत को बरकरार रक्खें और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रक्खें। खुद आपकी पार्टी के सदस्य ने सर्वप्रथम इस मामले को उठाया था। उसको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं। वह किसी पार्टी की राजनीति का प्रश्न नहीं है। इसमें सब लोग हैं। जहां-जहां पर ये कालेज हैं इस प्रदेश में वहां के उन जिलों की जनता ने आम हड़ताल करके अपनी दूकानें बन्द करके इस आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया है। इसलिये मेरी आप से पुनः प्रार्थना है कि जो आपने वादा किया है उसको कायम रक्खें और जिस चीज से ये राहत चाहते हैं उस सुविधा को छीनकर जहां पर ये हैं उनको वहां पर दोबारा ढकेलकर वायदा फरामोशी न करें।

श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सिर्फ एक व्यवस्था चाहता हूं। यह ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसमें कि अधिक से अधिक सदस्य राय देना चाहते हैं। आप तो देखते नहीं हैं। हमारा तो नाम था। आपकी नजर क्यों नहीं गई। हम चाहते हैं कि जो सदस्य बोलना चाहते हैं जो अपनी राय देना चाहते हैं उन्हें भी आप पांच-पांच मिनट का मौका दें।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा उसमें नाम है। आप नाम वालों को तो बुलायें।

श्री इम्तियाज हुसेन—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह गुजारिश कर रहा हूं कि असल मामले पर मंत्री जी ने जो इस माननीय सदन के सामने बयान दिया उससे यह मसला कैसे उठा और दरमियान में किस तरह से तय हुआ, किस तरह से हल हो गया, यह बात सदन के सामने आ गई। उसके बाद आज जो बात बाकी रहती है और जिस पर हमारे दोस्त को गुस्सा सवार हो गया वह सिर्फ इतना है कि इसमें सियासी हालात शामिल हो गये। मंत्री जी ने अपनी जुबानी इसे फरमाया। मंत्री जी ने यह कहा कि इस मामले पर सियासत का हाल आ गया। मैं इस बात को भी दोहराता हूं कि यह बिल्कुल हकीकत है और सिर्फ यही मसला नहीं, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हड़तालें, ज्यादा से ज्यादा एजिटेशन इसी बुनियाद पर होते हैं, उसमें किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी का हाथ जरूर होता है। और अगर पोलिटिकल पार्टीज का हाथ इस में नहीं है तो इतने एजिटेशन्स इस मुल्क में हो ही नहीं सकते। सिर्फ यही नहीं आयुर्वेदिक का ही मसला सियासत का शिकार नहीं हुआ बल्कि स्टूडेन्ट्स के मामले को ले लीजिये उसमें भी सियासी पार्टियां शामिल हो रही हैं और वे उसमें इमदाद देती हैं और फायदा उठाने की कोशिश करती हैं और उसके बाद हाउस में भी उस मसले का उसी नजरिये से उठाया जाता है। और कोई भी मसला जो इस हाउस के सामने आता है उस पर अगर गौर किया जाय तो यही पता चलेगा कि उसके पीछे पोलिटीकल पार्टीज का हाथ है जो दूसरे लोगों की तरफ से इस हाउस में उनकी मांगों को रखते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वे खुद यह नहीं चाहते कि यह मसला किसी तरह से हल हो जाय। वे यही चाहते हैं कि हम नारा बुलन्द करें, एजीटेशन हो और उसकी बात को यहां तक पहुंचायें ताकि एजीटेशन करने वालों को यह पता हो कि यह पार्टियां उनकी हमदर्दी कर रही हैं। बस इनकी यहीं तक मंजिल है, यह खुद यह नहीं चाहतीं कि कोई चीज तय हो जाय। आप किसी भी मामले को ले लें। चाहे सवा छः एकड़ वाले मामले को ले लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप फैक्ट्स पर आ जाइये। यह बताइये कि सरकार ने जो फैसला लिया है उससे क्या फायदा हुआ है विद्यार्थियों को ?

श्री इम्तियाज हुसैन—

जितने भी मामलात होते हैं उनमें पोलिटिकल पार्टीज का हाथ होता है और उन मामलात को सियासी रंग दे दिया जाता है। सरकार जो भी मुनासिब होता है वह फैसला लेती है और वह उसने लिया है। अभी मंत्री जी ने अपना बयान भी दे दिया है। उसके बाद भी जो यह लकीर पीटी जा रही है यह महज एजीटेशन करने वालों की हमदर्दी हासिल करने के लिये है।

(व्यवधान)

मंत्री जी के बयान के बाद वह मसला अपनी जगह पर खत्म हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सियासी रंग न केवल इस मामले में बल्कि हर मामलात में, जितने भी एजीटेशन होते हैं, दिया जाता है। किसी का यह मकसद नहीं होता कि मामला तय हो जाय। इससे कुछ फायदा नहीं होता। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

(व्यवधान)

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मुझे बड़े अफसोस के साथ यह बात कहना पड़ता है कि आज सदन में उस आश्वासन पर बहस हो रही है जिस आश्वासन से न मंत्रिमंडल बचा है, न आदरणीय सदन बचा है और मान्यवर, स्वयं आपने इस कुर्सी से यह एलान किया कि अगर ११ तारीख तक सरकार इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाती तो इसके ऊपर दफा ५२ में विचार के लिये आप स्वीकृति देंगे। यह एक ऐसा मसला है कि जिसका संबंध ४ हजार बच्चों तथा ६—७ आयुर्वेदिक और यूनानी कालिजों से है जिस पर गम्भीरता के साथ असेम्बली का हर शख्स आज गौर कर रहा है और उस पर फैसला करने जा रहा है। एक फैसला तो यह हो चुका कि जब मंत्री जी ने यह एलान किया था कि हम इसको बहुत जल्दी कानपुर यूनीवर्सिटी से एफिलियेट करने के लिये जा रहे हैं।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उन बच्चों की मांग क्या है ? उनकी मांग यह है कि उन्हें गुरुकुल या किसी यूनिवर्सिटी से लगा दिया जाय। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि गुरुकुल यूनिवर्सिटी कहां से आ गयी, कैसे आसमान से टपक पड़ी। उनकी मांग तो यह है कि उन्हें किसी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी से एफिलियेट कर दिया जाय। चाहे वह आगरा यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेरठ यूनिवर्सिटी हो, चाहे और कोई यूनिवर्सिटी हो लेकिन चार्टर्ड यूनिवर्सिटी से ऐफिलिएट किया जाय। माननीय मंत्री ने इसी सदन में यह बतलाया और जनता को भी बतलाया कि कानपुर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करने के लिये एक बिल बना कर इसी सत्र में लाया जा सकता है। लेकिन खेद की बात है और अफसोस की बात है कि उस एश्योरेंस के बाद न मालूम किन कारणों से वे अपने एश्योरेंस से हट गये और गुरुकुल यूनिवर्सिटी उनके सामने आ गयी और दिल्ली की तिब्बिया यूनिवर्सिटी उनके सामने आ गयी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप क्या भूल गये कि गुरुकुल यूनिवर्सिटी को कौन चलाता है और उसका मेनिफेस्टो क्या है ? उसके मेनिफेस्टो में साफ तौर पर लिखा है कि "इट विल बी डेल्ट ऐज ए यूनिवर्सिटी" यानी यह एक यूनिवर्सिटी की तरह मानी जायेगी। इस गुरुकुल यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कौन करता है ? पंजाब की आर्य प्रतिनिधि सभा इसको मैनेज करती है और यह आर्य समाजियों की यूनिवर्सिटी है। इसके एम ऐंड आब्जेक्ट्स में यह लिखा है "डेवलपमेंट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप आर्य समाज" उसमें को एजूकेशन नहीं है, लड़कियां उसमें नहीं दाखिल हो सकतीं और मुसलमान बच्चों के दाखिले का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारी बातें जानते हैं फिर न मालूम किस वजह से आप कहते हैं कि इन कालेजों को गुरुकुल यूनिवर्सिटी से ऐफिलिएट किया जायेगा। आप राजनीति की आड़ पकड़ कर एक बात जो आपने स्वयं कही थी, उससे न मालूम क्यों हट गये। जिस यूनिवर्सिटी के दो दो वाइस चांसलर हों, वहां क्या होगा। कुछ बच्चे तो एक वाइस चांसलर के साथ अटैच होंगे और कुछ बच्चे दूसरे वाइस चांसलर के साथ अटैच होंगे। फिर वहां तालीम क्या होगी। आप राजनीति की वजह से जबरदस्ती उन बच्चों के फियूचर के साथ खेल रहे हैं। यह बात आपने इस सदन के अन्दर कही थी। जो बात इस सदन में कही जाती है वह एश्योरेंस समिति के सामने जाती है। नियम के अनुसार जो भी एश्योरेंस दिया जाय वह ६ महीने के अन्दर पूरा होना चाहिये। यह एश्योरेंस सदन के सामने दिया गया कि इस सत्र के अन्दर ही कानपुर यूनिवर्सिटी से आयुर्वेदिक व यूनानी कालेजों के ऐफिलिएशन सम्बन्धी विधेयक आ जायेगा।

श्रीमन्, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने भी ऐसे गम्भीर मसलों पर हमेशा इस सदन की रहनुमाई की है और झगड़ों को निबटाने की कोशिश की है—चाहे श्री प्यारेलाल के अनशन का सवाल हो, चाहे बच्चों के अनशन का सवाल हो, आपने इसके लिये कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश की। आपने भी कहा था कि यह मसला तय हो जायेगा ११ तारीख तक और बिल २४ घंटे के अन्दर बन जायेगा। अब कुछ नहीं हुआ तब आपने इसको दफा ५२ के अन्तर्गत मंजूर किया। बड़े अदब के साथ मेरी गुजारिश है कि आपने इस पर दो घंटे के लिये बहस की मंजूरी दी लेकिन यह सरकार अपने उस एश्योरेंस से आज स्वयं मुकर रही है। मालूम नहीं किन वजूहात से, चाहे आपके रूलिंग कांग्रेस में मतभेद हो, चाहे कांग्रेस आपोजीशन में कोई मतभेद हो लेकिन राजनीति को इसमें न लाना चाहिये। मैं समझता हूं कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी हमदर्दी इन बच्चों के साथ न हो, आयुर्वेदिक कालेज के अनशन करने वाले उन ४ हजार बच्चों के साथ न हो। वे चाहे बी० के० डी० के सदस्य हों, चाहे कांग्रेस रूलिंग पार्टी के सदस्य हों, चाहे कांग्रेस अपोजीशन पार्टी के सदस्य हों। सभी चाहते हैं कि यह मामला तय होना चाहिये। वे भी जानते हैं कि लखनऊ स्टेट आयुर्वेदिक कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किताबों व पढ़ाई वगैरह की कितनी सुविधा है लेकिन जो और जगह के विद्यार्थी हैं उनको यह सुविधा नहीं मिल पाती। हर बच्चा पढ़ता है, इसलिए कि उसका फियूचर सुधरे। क्या उनकी यह मांग मुनासिब नहीं है कि उतना ही समय और उतना ही धन खर्च करने वाले स्टेट आयुर्वेदिक कालेज से निकले हुए छात्रों को कुछ दूसरी सुविधाएं मिलें, लेकिन वह वहीं पढ़ें, वहीं समय लगायें, किन्तु उसको उसके बराबर सुविधाएं न मिलें? वह दर्जा न मिले जो उनको मिला है? इसलिये मैं आपके द्वारा फिर से सरकार को जताना चाहता हूं कि यदि आपको गुरुकुल यूनिवर्सिटी को पैट्रनाईज करना है तो उसके और रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन आप उन चार-साढ़े चार हजार लड़कों के साथ खिलवाड़ न करें जो अनशन कर रहे हैं, उनको वहां न ढकेलें। यह खतरनाक बात है और यह बात आग में खेलने के समान होगी।

*श्री मोहनलाल कपूर—

आज जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है और जो ११ तारीख को वक्तव्य दिया था, मैं थोड़ा-सा उसके संबंध में प्रकाश डालना चाहता हूं। ११ तारीख को मेरे प्रश्न कि "क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे—जैसा उनके उत्तर में है कि वह सिद्धान्ततः मानते हैं कि ये विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होने चाहिये और यह भी मानते हैं कि सन् ६१ से उनकी मांग चली आ रही है और यह भी मानते हैं कि हड़ताल जारी है, तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन क्यों नहीं कर दिया जाता है"—के उत्तर में मंत्री जी ने कहा था कि "जहां तक माननीय सदस्य का सुझाव है, मैंने इस दिशा में पूरा प्रयत्न किया है और आज सुबह भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल कपूर—]

छात्रों का एक डेपूटेशन हमसे मिला है। उनसे वार्ता के बाद मुझे यकीन है कि छात्रों को यकीन हो गया होगा कि सरकार की तरफ से देर करने का कोई प्रश्न नहीं है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सरकार उसका हल निकालने को तैयार है। सभी कदम उठाए जाएंगे। अगर सब यूनिवर्सिटीज तैयार नहीं हैं तो कानपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट में तुरन्त संशोधन करने के बाद सारे आयुर्वेदिक कालेजों को उससे सम्बद्ध कर दिया जाएगा।" यह आपका आश्वासन है। फिर आगे वह रामधारी शास्त्री के एक प्रश्न कि "विश्वविद्यालयों में नई फैकल्टी खोलने के लिए जो खर्च पड़ेगा क्या उसे वहन करने के लिये सरकार तैयार है? और शासन का जो पत्र उन्हें गया था, उसमें यह उल्लेख है" के उत्तर में कहते हैं कि—"सरकार जब नई फैकल्टी खोलने की बात करती है तो सरकार के सामने सारी बातें आती हैं। सरकार सोच-समझ कर जो कार्यवाही करना उचित समझेगी करेगी।" उसके बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, लक्ष्मीरमण आचार्य के एक प्रश्न कि "क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि छात्रों से यह कह दिया गया है या नहीं कि यदि कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेगी तो निश्चित रूप से सरकार प्राविधान द्वारा या ऐक्ट के द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र को बढ़ा देगी।" सदन को आश्वासन देते हैं अपने उत्तर में कि—"मैंने अभी सदन के सामने बयान दिया है और उन छात्रों से भी कह दिया है और सरकार के इस बात को कहने के बाद उनको पूरा यकीन है और सदन को भी यकीन करना चाहिए, सरकार की बात है, हवा में उड़ने वाली नहीं है, यह निश्चित रूप से पूरी होगी और किसी सदस्य को उसके पूरा करने में भ्रम नहीं होना चाहिए।" फिर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी अन्त में श्री नित्यानन्द स्वामी के एक प्रश्न कि—"माननीय मंत्री का आश्वासन स्वागत योग्य है। परन्तु अब तक का रेकार्ड यह है कि १९६१ से लेकर अब तक लगातार आश्वासन नहीं मिला है। मुझे मंत्री जी की नीयत पर शक कोई नहीं है पर मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आपने जो आश्वासन दिया है उसमें इतना और कह दें कि इस शिक्षा सत्र के अन्त तक इस समस्या का पूरी तरह से निपटारा हो जाएगा? के उत्तर में हमारे मंत्री जी कहते हैं कि "मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि इस शिक्षा सत्र में ही यह समस्या निपट जाए।"

तो मैं यह उनसे पूछना चाहता हूं कि पहले यह श्री अनवार अहमद स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे थे, परन्तु आज ५ महीने बाद स्वास्थ्य मंत्री नहीं मुख्य मंत्री बोले, जो उनके पास बैठे हैं, और मुख्य मंत्री जी जितनी सियासत करते हैं उसकी कोई हद नहीं है। वह भी मेरठ के हैं और मैं भी मेरठ का हूं इसलिए मैं चाहता था कि आज जो भी चर्चा यहां पर हुई, मैं कोई कड़ी बात न कहूं, क्योंकि वह मेरे जिले के हैं, लेकिन आज मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, क्यों सरकार इस तरह का आश्वासन देती है? जिसे वह पूरा नहीं करना चाहती है। यह सरकार का आश्वासन था और इसे क्यों बदला गया?

यह मुझे बतलाया गया कि वह हमारी राज्य सरकार के मंत्री हैं। मैं भी मेरठ में था और वह भी मेरठ पहुंच गये। वहां पर वैद्यों तथा प्रतिष्ठित लोगों का एक डेपुटेशन मिला। उन्होंने कहा कि देखो यह जो तुम कर रहे हो तुम्हें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जायगा पर तुम चौधरी साहब से जाकर माफी मांग लो। चौधरी साहब ही इस बात का निर्णय करेंगे। विद्यार्थियों से मैं मिला तो उनसे पूछा क्या चौधरी साहब से माफी मांगने को तैयार हो? उन्होंने कहा कि हम माफी मांगने को तैयार हैं लेकिन यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध तो करें। अब सवाल यह है कि चौधरी साहब बुजुर्ग हैं। वे तब से मंत्री हैं जब सम्पूर्णानन्द मुख्य मंत्री थे। सम्पूर्णानन्द जी ने एक स्टेट आयुर्वेदिक कालेज खुलवाया था। जब बाबू दयाल खन्ना स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करा देंगे। उसके बाद जोशी आयोग बैठा और उसने सिफारिश की कि आयुर्वेदिक कालेजों का स्तर बहुत गिरा हुआ है और उनका स्तर तभी उठ सकता है जब उनको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय। उसके बाद गुप्ता जी की सरकार में कृष्णानन्द राय स्वास्थ्य मन्त्री थे उन्होंने आदेश दिया कि इनको कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया

जाय और उसके ऐक्ट में संशोधन कर दिया जाय जहां तक मेरी जानकारी है लीगल रिमेम्बेन्सर प्रेम प्रकाश ने यहां तक कहा था कि २४ घंटे में वह ऐक्ट बना देंगे। इस प्रकार लीगल रिमम्बेन्सर चाहते हैं और अनवार साहब भी चाहते हैं लेकिन मुख्य मन्त्री चरण सिंह इसको नहीं चाहते और इन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। चौधरी साहब यह न सोच कर कि मैं बोल रहा हूं यह जरा सोचें कि ये बच्चे क्यों हड़ताल कर रहे हैं? पार्लियामेंट में राम सुभग जो लीडर आफ अपोजीशन हैं मांग करते हैं कि उनको वह वेतन मिलना चाहिये जो एक मंत्री को मिलता है और यहां पर जब चौधरी साहब अपोजीशन के लीडर थे तो गुप्ता जी की सरकार ने वह वेतन पहले ही दे दिया और यहां पर अपोजीशन के लीडर को वह मान्यता मिल गयी जो एक मंत्री की होती है। इन लड़कों का दोष क्या है? राजनीतिक नहीं है?, केवल आर्थिक पहलू उनके सामने है, उस पहलू को किसी तरह से भी दूर कर दिया जाय चाहे वह सरकार उनके कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न भी करे। चौधरी साहब न उनके डेपुटेशन से मिले और न उनकी समस्या को समझा ही। चौधरी साहब का रुख देखकर मंत्री लोग जवाब देते हैं और देखते हैं कि चौधरी साहब पर क्या असर पड़ रहा है। श्री अनवार साहब ने आश्वासन दे दिया था। अब अगर वह अपने दिये आश्वासन को पूरा नहीं कर पाते हैं और उनमें जरा भी सम्मान है जो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिये जिस तरह पेंदा सिंह जी ने अपने सम्मान को ध्यान में रखते हुये त्याग-पत्र दे दिया। जो एम० बी० बी० एस० डाक्टर्स होते हैं उनको अच्छे वेतन मिलते हैं।

मेरठ में एक मेडिकल कालेज चल रहा है उसके बनाने में दसियों लाख रुपया लग गया। इसी तरह से यहां लखनऊ कालेज है। स्टेट आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ विश्वविद्यालय का चिकित्सालय भवन उन समस्त सुविधाओं से युक्त है जो एक सुव्यवस्थित चिकित्सालय में होना चाहिये। जैसे कि पर्याप्त शैय्या, पर्याप्त चिकित्सक, उपयुक्त मात्रा में औषधि सुव्यवस्थित शल्य कक्ष, नर्सिंग स्टाफ, अन्य चिकित्सालय कर्मचारी, वाहन इत्यादि। जिसके फलस्वरूप रोगियों की संख्या अधिक होती है और छात्रों को क्रियात्मक ज्ञान अधिक प्राप्त होता है। जब कि इन कालेजों के चिकित्सालयों को उपयुक्त सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जिसके फलस्वरूप रोगियों की संख्या न के बराबर रहती है। तो आप यह क्यों नहीं देखते हैं कि आपने कितनी असामनता बरत रखी है? एक डाक्टर होता और दूसरा वैद्य होता। मैं चाहूंगा कि जरा स्वास्थ्य मंत्री देखने की कृपा करें कि हमारे यहां कितनी डिस्पेन्सरीज हैं? कितने डाक्टर हैं? आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि ५० प्रतिशत डिस्पेन्सरीज खाली पड़ी हुई हैं। वहां पर कोई डाक्टर नहीं हैं। वहां पर कम्पाउन्डर काम करते हैं। आप उनके स्तर को क्यों नहीं ऊंचा करते हैं। आप उनकी समस्याओं का अध्ययन करें।

मैं आपको तुलनात्मक आंकड़े देना चाहता हूं। स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय को अनुदान की धनराशि जो प्रति वर्ष प्राप्त होती है वह १४ लाख रुपया है जब कि प्रदेश के ६ अन्य आयुर्वेदिक और २ यूनानी कालेजों को कुल मिलाकर भी इतनी धनराशि नहीं मिलती है। स्टेट आयुर्वेदिक कालेज को अनिवार्य हाउस जाब मिलता है, आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों का नहीं मिलता है। स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों को सेवाओं की प्राथमिकता मिलती है, आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों को नहीं मिलती है। स्टेट आयुर्वेदिक छात्रों को पैरा १ में पंजीकरण मिलता है आयुर्वेदिक छात्रों को पैरा २ में मिलता है। स्टेट आयुर्वेदिक वालों को बी० ए० एम० एस० एस० की उपाधि दी जाती है और आयुर्वेदिक वालों को बी० ए० एम० एस० की उपाधि दी जाती है। स्टेट आयुर्वेदिक वालों को क्रियात्मक अध्ययन की सुविधा दी जाती है, आयुर्वेदिक वालों को नहीं दी जाती है। स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों को गजेटेट रैंक २५०-५०० का ग्रेड होता है और इनको हाउस जाब मिलता है आयुर्वेदिक छात्रों को कोई जाब नहीं मिलता है।

[श्री मोहनलाल कपूर---]

स्टेट आयुर्वेदिक छात्रों को दूसरे प्रान्त मान्यता देते हैं आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों को मान्यता नहीं देते हैं। समानता क्या है यह भी आपसे बताऊं कि ये भी इन्टरमीडिएट पास होते हैं, वे भी इंटर मीडिएट पास होते हैं। इनका भी ५ साल का कोर्स होता है, उनका भी ५ साल का कोर्स होता है। मांप-बाप एक है, नाक-मुंह एक है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतनी असमानता क्यों रखी गई है। तो मैं माननीय चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने पहले कहीं हैं उनके ऊपर वे विशेष रूप से ध्यान देंगे और इस मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे और उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)---

मान्यवर, यह आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की समस्या बहुत पुरानी समस्या है। वह केवल इस प्रकार की समस्या नहीं है। यह समस्या १२-१५ वर्ष पूर्व से है। छात्रों की मांग है इन कालेजों के स्नातकों के साथ समान स्तर का व्यवहार होना चाहिए। श्रीमन्, एक ओर तो यह कहा जाता था कि ये आयुर्वेदिक कालेज के स्नातक क्वेक्स हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को क्वेक कहा गया। लेकिन जब उन छात्रों ने कहा कि हम को वही सुविधायें प्रदान की जायं, जो मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों को होती हैं, तो उसका कोई प्रबंध नहीं किया गया। १५ वर्षों से लगातार उनकी मांगों की उपेक्षा की जाती रही है और उसी परिस्थिति में आज भी इस प्रदेशीय सरकार ने उनको रखा हुआ है। आज उन्होंने जो किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने की मांग की है उसके पीछे केवल एक ही कारण है कि उनको वही प्रतिष्ठा मिले जो मेडिकल कालेज के छात्रों को मिलती है।

(व्यवधान)

उनकी मांग के पीछे अगर कोई मन्तव्य था तो केवल इतना था कि उनको वही प्रतिष्ठा, सहूलियतें प्राप्त हों जो मेडिकल कालेज के छात्रों को मिलती हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, विधायक जागा तो चरण सिंह भागा। उनको आप कृपया बुलाइये।

श्री अध्यक्ष---

यह अनुचित है। वे आपको सपोर्ट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र---

आप चौधरी चरण सिंह की ओर न देखिये बल्कि आयुर्वेदिक कालेज के उन हजारों विद्यार्थियों की ओर देखिये जो मेडिकल कालेज से समान स्तर की मांग कर रहे हैं, उनको वही सुविधा और हैसियत प्राप्त हो जो एलोपैथिक के डाक्टरों को होती है। उनकी यह मंशा नहीं थी कि उनको गुरुकुल कांगड़ी से संबद्ध कर दिया जाय।

श्रीमन्, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे माननीय मित्र रियासत हुसैन ने उसको दूसरा ही रुख दे दिया और कह दिया कि उससे संबद्ध न किया जाय, गुरुकुल कांगड़ी एक साम्प्रदायिक संस्था है। मुझे इसका बहुत अफसोस है गुरुकुल कांगड़ी किसी भी सूरत में साम्प्रदायिक संस्था नहीं है। वह सदा से राष्ट्रीय प्रवृत्ति की द्योतक रही है, राष्ट्रीय संग्रामों में सदा अग्रणी रही है। गुरुकुल कांगड़ी और गुरुकुल हरिद्वार ने ऐसे नर रत्न पैदा किये हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया, अपनी कुरबानी की। इसलिये उसके लिये यह कहना कि वह साम्प्रदायिक संस्था है, इसलिये उससे संबद्ध न किया जाय, यह

अनुचित है। उस मांग में यह भी कहा गया है कि यूनानी कालेजों के मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर दिया जाय। क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी सांप्रदायिक नहीं है और गुरुकुल कांगड़ी सांप्रदायिक संस्था हो गयी। यह बात हरगिज नहीं मानी जा सकती कि गुरुकुल कांगड़ी एक सांप्रदायिक संस्था है। यद्यपि मैं इस बात को मानता हूं कि गुरुकुल कांगड़ी से इसको संबद्ध न किया जाय, कानपुर विश्वविद्यालय से ही इसको संबद्ध किया जाय लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि गुरुकुल कांगड़ी या गुरुकुल हरिद्वार एक साम्प्रदायिक संस्था है, क्योंकि वह आर्य समाज के हाथ में है, वहां मुसलमान पढ़ नहीं सकते। इस बात को कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं शासन से यह कहना चाहता हूं कि आपका कोई भी आश्वासन इस सदन में बहुत गंभीरता से होना चाहिये। वह लोहे की लकीर होनी चाहिये, न कि पानी की लकीर। आप को पानी के अक्षरों से कोई बात नहीं लिखनी चाहिये, पत्थर पर छेनी और हथौड़ी से लिखी जानी चाहिये। अगर आप ने यह आश्वासन इस सदन में दिया था तो आप उसको बदल नहीं सकते, न आप को बदलने चाहिये। आप को अपने एश्योरेंस से पीछे नहीं हटना चाहिये। सरकार की और सदन की एक प्रतिष्ठा होती है, उस प्रतिष्ठा को आप को रखना चाहिये। इसलिये मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यह समय आ गया है जब कि सदन ने इतने विशद रूप में आयुर्वेदिक और तिब्बीय कालेजों के संबद्ध किये जाने के प्रश्न पर विचार किया है। इतना विशद विवेचन आज से पहले कभी नहीं हुआ कि आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को किसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया जाय और उनको बड़ी प्रतिष्ठा और हैसियत दी जाय जो मेडिकल कालेजेज को मिलती हैं। मेडिकल कालेजेज खुलते जा रहे हैं। मैं इसके पूर्व गामी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि झांसी में मेडिकल कालेज खोला, मेरठ में मेडिकल कालेज खोला, गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोला। सरकार मेडिकल कालेज के स्नातकों को एक हैसियत दे रही है। अगर वही बात आयुर्वेदिक कालेज के छात्र कहते हैं कि हमको भी शिक्षा की वही सुविधायें होनी चाहिये, हम को भी परीक्षाओं की वही सुविधायें होनी चाहिये, डिग्रियां पाने में हम को रिश्वत का सामना न करना पड़े, हमारा पठन-पाठन ठीक होना चाहिये तो उसमें क्यों भेद किया जाता है। इसलिये मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह तय करना पड़ेगा शासन को कि वह आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों के साथ किस तरह का बरताव करना चाहता है। यह देश और प्रदेश चाहता है कि आयुर्वेदिक कालेज के स्नातकों के साथ अच्छा बरताव हो। यह देश और प्रदेश की मांग है। और अगर हमारी सरकार भी चाहती है कि इनके साथ वैसा ही बरताव हो जैसा मेडिकल कालेज के स्नातकों के साथ होता है तो इस कन्क्लूजन से नहीं बचा जा सकता कि उन को वहीं सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये जो मेडिकल कालेज के स्नातकों को हैं। अगर वही प्रतिष्ठा उनको देनी है तो किसी ऐसी संस्था से जिसका मान हो, जिसकी इज्जत हो और जिससे सम्बद्ध कर के उनका ठीक से पठन-पाठन हो सके, उनकी डिग्रियों की मान्यता हो तो हम को यह फैसला करना ही होगा कि इन छात्रों की मांगों को पूरा किया जाय। अतः मैं पुनः अनुरोध करता हूं शासन से, माननीय मुख्य मन्त्री से कि आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों की मांगों को पूरा करें।

श्री महरम सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

अब समय थोड़ा रह गया है।

श्री महरम सिंह—

हमारा तो नियम ५२ का प्रश्न था ही। हमें तो पहले समय मिलना चाहिए था। इस बात के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने एक ऐसा अवसर दिया है कि इस

[श्री महरम सिंह—]

सदन के माननीय सदस्यों की राय सरकार को मालूम हो और सरकार तुरन्त उस पर विचार कर के प्रदेश के ४ हजार छात्रों के भविष्य के बारे में फैसला करें। मुझे तो यह जान कर ताज्जुब हुआ कि ७–८ वर्ष से मुझे भी इस माननीय सदन का सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है लेकिन यह पहला अवसर है जबकि इस तरह की बात के बाद सदन के अन्दर ही सरकार की ओर से बदली गयी है। मैं तो यह कहूंगा कि यह सरकार ही इसकी जिम्मेदार है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अगर उस दिन सदन में आश्वासन न देते और उसके बाद कुछ छात्र मुझसे बात करने न आते और उस आश्वासन की बात न बतलाते या दिखलाते तो मैं शायद कोई ज्यादा दिलचस्पी इसमें न रखता। जब मुझे यह बात मालूम हुई कि सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से आयुर्वेदिक और और यूनानी कालेज कानपुर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कर दिये जायेंगे और यह इसी शिक्षा सत्र के अन्दर कर दिया जायगा इस पर जब बहस चल रही थी तो मैंने कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत अच्छे आदमी कहे जाते थे व्यक्तिगत मेरा परिचय कोई खास नहीं है। जैसा उन्होंने ११ मार्च को सदन में कहा है कि सरकार की घोषणा होती है। पूरे उन्होंने जोर से कहा कि यह बात हवा में उड़ने वाली नहीं है, यह बात जरूर मानी जायगी। यदि ऐसी बातें बराबर चलती रहीं और बराबर आश्वासन इस तरह से बदलते रहेंगे तो इस सदन की क्या प्रतिष्ठा रहेगी? आपके कक्ष में मैं भी मौजूद था और राज स्वास्थ्य मंत्री भी उपस्थित थे। आप के प्रयास से वहां पर वार्ता हुई और न्याय सचिव को बुलाकर तय किया गया था और उन्होंने कहा था कि २४ घंटे के अन्दर इसको बना कर दे देंगे मैंने प्रोपोजल बना लिया है, कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध करने में कानूनी दिक्कत नहीं है। और राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है और यह २४ घंटे में करके दे देंगे तो दो दिन में यह बिल आ जायगा। यह बात आप के सामने हुई और उसके बाद सरकार की बात बदल जाय और दूसरे रुख पर चली जाय तो कितना अनुचित है। मुझे बड़ा खेद है और इसलिए है कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह सियासी मामला है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कि सियासी मामले क्या ऐसे चलते हैं कि ५ महीने हड़ताल चली और ४ हजार छात्र हड़ताल करने हों और उत्तर प्रदेश में कोई तोड़-फोड़ न हो, एक पैसे का कोई नुक्सान न हो, जनता को कोई कठिनाई न हो, सरकार के सामने कोई कठिनाई पैदा न की जाय और शान्तिमय ढंग से उत्तर प्रदेश में यह हड़ताल चलती रहे। आप को जानना चाहिये कि अगर यह सियासी मामला होता, किसी राजनैतिक दल ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया होता तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि करोड़ों रुपये की क्षति हुई होती। क्या आप ने नहीं देखा है कि एक-एक यूनिवर्सिटी में हड़ताल होती है और कितने नुक्सानात होते हैं, मैं अधिक याद नहीं दिलाना चाहता। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने रुख इस को बदल लें, इस विचारधारा को बदल लें कि एक सियासी या राजनैतिक दृष्टिकोण से यह बात की गयी है। मुझे यकीन है कि अगर आप आश्वासन उस दिन न देते तो लोग इतने सीरियस न होते। आपके आश्वासन के पहले किसी राजनीतिक दल के खास व्यक्तियों का कोई खास ध्यान इस ओर नहीं था लेकिन आपके वादा करने पर लोग सीरियस बने हैं। आपके वादे का महत्व है। आपका वादा सरकार का वादा है, सदन का वादा है, हमारा वादा है। आपका वादा अध्यक्ष का वादा है और जब आपका वादा सभी का वादा है तो उसी के आधार पर प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी के साथ कह सकता है कि आपका वादा पूरा होना चाहिए और आपको पूरा करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो कोई भी संघर्ष की स्थिति बनती है तो सरकार से लड़ने के लिये पूरे सदन के सदस्य यह कह सकते हैं कि हम आपसे विधिवत सही बात को मनवाने के लिए जोर से अपनी बात रख सकते हैं और संसदीय ढंग से "लड़ाई" के रूप में कह सकते हैं। यह कहने का सदस्यों को हक है। यदि यह साढ़े तीन हजार छात्र केवल प्रदेश की ९ करोड़ आबादी में बरबाद हो जाते हैं तो कोई विशेष चिन्ता न भी होती, लेकिन इसका क्या होगा कि ९ करोड़ जनता के दिलोदिमाग पर जब यह बात आयेगी कि

इस समय की सरकार के द्वारा सदन में किये गये वादों का कोई यकीन नहीं है तो बहुत बड़े से बड़ा नुक्सान हो सकता है और आपके द्वारा कहीं हुई बहुत बड़ी से बड़ी बात पर लोगों को अविश्वास हो सकता है जिसके कारण प्रदेश की जनता में अनिश्चितता पैदा हो सकती है और इस सारे सदन के ऊपर एक ऐसी धारणा बन सकती है जिसमें सदन की कोई वजन की बात लोगों की निगाहों में न रहे—तो इससे क्या जनतंत्र मजबूत होगा ? क्या इस तरीके का मोर्चा बनाकर छात्रों से कोई मुकाबला करना चाहते हैं जैसा चीन और पाकिस्तान से किया जाता है तो क्या उचित है वादे किये जाते हैं और फिर हर ऐसे आधार की खोज की जाती है जिससे वह वादा न मानना पड़े। एक ऐसा बचाव करके निकल जायं और सारा मसला छात्रों का जो उनकी न्यायोचित बात का समर्थन करते हैं उनके ऊपर थोप दें।

विरोधी दलों पर राजनीतिक दलों की बात आप गलत उस वक्त कह सकते थे जब उनकी बात न्यायसंगत पहले ही से आप न मानते। और कहते कि इन छात्रों की मांग में कोई वजन नहीं है या हम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं, या जो आप कहते हैं वह सही नहीं है, लेकिन आपने तो उसको न्यायसंगत माना है और सही माना है। इसलिये अब आपको कोई कहने का हक नहीं है। हड़ताल पांच महीने से चल रही है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी सद्भावना से भूख हड़ताल खत्म कराने की कोशिश करें और सरकार को प्रभावित करें कि जो सदन में वादा किया है उसको पूरा करें। मुझे उम्मीद है कि मुख्य मंत्री जी इसके विषय में घोषणा कर देंगे।

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना यह चाहता था कि इस मामले पर काफी गरमागरमी से इस सदन में बहस हो रही है। मैं समझता हूं कि इतने जोशोखरोश की इसमें आवश्यकता नहीं थी। सीधे साधे २, ३ बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आया कोई वादा किया गया और अगर वादा किया गया तो वह पूरा हुआ या नहीं ? और दूसरी बात यह है कि उस वादे को पूरा करने में या न पूरा करने में हमारा कोई गुरेज हो सकता है या आप यूं कह सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए जानबूझ कर ऐसा प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं जिसे हम कर सकते हैं। तीसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि किन अल्फाज में वादा किया लेकिन मैं माने लेता हूं जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारे सहयोगी ने यह वादा किया····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैं यह मानकर चलता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वादा किया कि इसी सत्र में इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे या हल कर देंगे। पहली बात तो यह है कि इस तरह के विधान के लिये मोटी सी बात यह है कि वह काबिले अमल हो। एक तो यह शर्त होती है। हमारे मित्र यह उम्मीद करते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी से एफिलियेट करा के इसी सत्र में बच्चों के इम्तहान हो जायें। यह कैसे हो सकता है ? माननीय मोहनलाल कपूर को बड़ी जल्दबाजी है जो कहते हैं कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो इसी साल बच्चों के इम्तहान दिला सकती है। तो अगर वादा से यह मतलब समझा जाता है कि यूनिवर्सिटी का एफिलियेशन हो जाता और दोनों सदनों से रेजोल्यूशन पास हो जाता और ऐक्ट का अमेंडमेंट हो जाता और गवर्नर उसको पास कर देते, स्टेट्यूट बन जाता और यूनिवर्सिटी तैयार हो जाती और एक ही दिन में इम्तहान इसी साल हो जाते तो मैं कहूंगा कि यह नामुमकिन बात थी। यह नहीं हो सकता था। लेकिन इस बात पर बराबर जोर दिया जाता है कि सरकार झूठी है, शर्म नहीं है, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। यह भी माननीय मित्र कह रहे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह---]

हैं कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण हैं। अगर हम चाहते तो भी इम्तहान नहीं हो सकता था। दूसरी बात जो वादा किया वह पूरा कर दिया। वादा यही हो सकता है। अब यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के सिलसिले में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने पूरी तरह से बतला दिया कि यूनिवर्सिटीज तैयार नहीं थी। सिर्फ कानपुर तैयार थी····

श्री नित्यानन्द स्वामी---

प्वाइंट आफ क्लेरिफिकेशन।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

शायद जो वादा किया गया वह मुख्य मंत्री की नजर से नहीं गुजरा।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा कर बैठिये। मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता।

श्री चरण सिंह---

मैं यह अर्ज कर रहा था कि कानपुर यूनिवर्सिटी तैयार थी लेकिन वह भी पूरी रजामन्द नहीं थी। उनका कहना था कि इनके एफिलिएशन से गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि इन इंस्टीच्यूशन्स का स्टैन्डर्ड बढाना होगा और तभी इनका एफिलिएशन कोई माने रख सकता है। इसके अलावा एक दूसरी बात सोचने की है कि इन इंस्टीच्यूशन्स को हम अगर कानपुर से एफिलिएट कर देते जो सारे सूबे में फैले हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि कानपुर यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र सारा सूबा हो गया एक फैकल्टी के लिये जो बनारस शहर के अन्दर, मेरठ शहर के अन्दर, मेरठ जिले के अन्दर और आगरा कमिश्नरी के अन्दर इंस्टीच्यूशन्स हैं उनका एफिलिएशन होगा कानपुर से यह एक बड़ी एनामली की बात होगी। तो इसलिये हमने बहुत विचार करने के बाद केबिनेट में यह तय किया कि खालिस आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है गुरुकुल की, उससे एफिलिएट किया जाय। अब माननीय रियासत हुसैन को उसमें कम्युनल दिखाई दिया तो यह तो जैसा कि कहा जाता है कि अगर किसी की आंख सावन में जाती रहे तो उसको हरा ही हरा दीखे वाली बात है। उसका जवाब माननीय श्री कृष्णचन्द्र जी ने दे दिया। गुरुकुल एक पुराना और मशहूर इंस्टीच्यूशन है। उसमें हमने एफिलिएट किया और उसमें भी अभी केन्द्रीय सरकार की गालिबन रजामन्दी की जरूरत होगी। अगर वहां से इजाजत नहीं मिलती है तो हमारे सामने यह भी बात है कि गुजरात की यूनिवर्सिटी जो खालिस आयुर्वेदिक है उससे एफिलिएट करें।

अध्यक्ष महोदय, शायद आपको याद होगा जब आप मिनिस्टर हेल्थ थे और मैं आपका पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी था आपने एक कमेटी मुकर्रर की थी "रिआर्गेनाइजेशन आफ आयुर्वेदिक ऐंड यूनानी सिस्टम"। मैं उसका प्रेसीडेंट था और उस वक्त हमने जीवराज मेहता जी से दरख्वास्त की थी और वह खुद तशरीफ लाये थे। तो वह उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। अध्यक्ष महोदय उन्होंने वहां गालिब आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कायम की है। तो अगर काम न चला या स्टैन्डर्ड इनका खराब हुआ तो हम उससे भी एफिलियेट कर सकते हैं और इन इंस्टीच्यूशन्स का स्टैन्डर्ड बढ़ेगा। पहले हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मध्य प्रदेश और राजस्थान के इंस्टीच्यूशन्स एफिलियेटेड थे। इलाहाबाद जिस वक्त रेजिडेंशल यूनिवर्सिटी हो गई तो आगरा यूनिवर्सिटी से मध्य प्रदेश राजस्थान के इंस्टीच्यूशन्स एफिलियेटेड रहे।

तो यह कोई आसाधारण बात नहीं होगी अगर हम गुजरात से एफिलियेटेड कर दें। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने जरा सा संकेत किया कि बहस तो तब अच्छी तरह से होती है जब हम एक दूसरे की नेक नियत मान कर चलें। अगर बात बात पर नियत पर हमला किया जाय तो गरमा गर्मी आ जाती है अगर हमारी नियत पर आक्रमण किया जाय और इस तरह की

बातें की जाय तो ठंडे दिमाग से बहस हो नहीं सकती। आप कैसे कह सकते हैं कि हम उन बच्चों से प्रिजुडिस हैं और हम उनकी शिक्षा का प्रबन्ध नहीं करना चाहते।

(शोर)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसलिये कि उन्होंने भूख हड़ताल की है। मैं तो कहता हूं कि आप उनका काम कर दीजिये मैं उनसे माफी मंगवा दूंगा।

श्री चरण सिंह—

क्यों कि उन्होंने भूख हड़ताल की है इसलिये उनका फ्यूचर बिगाड़ दें मैं माननीय मित्र से यह यह जानना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि इतनी बड़ी जटिल समस्या का तीन महीने के अन्दर हल कर लिया जाय, जब कि पूर्वगामी ४ गवर्नमेंट सन् ६१ से अब तक बदल चुकी हैं और यही सवाल उनके सामने था और वह हल नहीं कर सकी।

एक सदस्य—

आप बराबर उसमें रहे हैं (व्यवधान ... शोर)

श्री चरण सिंह—

मेरे सामने अभी यह सवाल नहीं आया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पिछली किसी सरकार ने इस तरह का आश्वासन नहीं दिया। यह पहली बार इस तरह का आश्वासन दिया गया है।

श्री चरण सिंह—

प्रश्न आश्वासन का नहीं है, प्रश्न है जटिलता का। यह समस्या इतनी आसान नहीं है। इसमे बहुत विचार की जरूरत है। आप चाहते हैं कि तीन महीने के अन्दर इस समस्या का संतोषजनक हल निकल आये। तो मेरी प्रार्थना है कि बात-बात पर नीयत पर आक्रमण करना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

मैं माननीय मोहनलाल कपूर से कहना चाहता हूं जब वह बोल रहे थे और मेरा कई बार जिक्र आया लेकिन मैं बीच में एक भी बार नहीं बोला। मोहनलाल कपूर जी ने यह कहा कि चूंकि बी० के० डी० हड़ताल नहीं मानती इसलिये कोई हल नहीं निकालना चाहती यह उनकी समझदारी है। चूंकि बच्चों ने हड़ताल कर दी इसलिये हम उनकी जिन्दगी खराब कर दें, इसमें तो कोई बहस ही नहीं हो सकती। अगर आपका ख्याल है तो ठीक है। मैं यह बात कई बार स्पष्ट कर चुका हूं यह हमारे देश के लिये घातक होगा, डेमोक्रेसी के लिये घातक होगा, अगर जातिवाद के नाम पर हड़ताल की जाय और हड़ताल के बल पर मसला हल किया जाय। इस तरह से मसले हल नहीं हो सकते।

(व्यवधान ... शोर)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार क्यों खड़े हो जाते है? मालूम होता है माननीय सदस्य को बार-बार खड़ होने की बीमारी हो गई है।

श्री चरण सिंह---

मेरी समझ में नही आता कि माननीय जायसवाल जी क्यों बीच में बिघ्न डाल रहे है। मैं उन पर कोई आक्रमण नहीं कर रहा, कोई किसी से अपशब्द नहीं कहा। मझे हक है बोलने का। हो सकता है कि मेरी राय कोई दूसरी हो। अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मैं नहीं बैठ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग कृपया शांति से सुनें।

श्री चरण सिंह---

श्रीमन्, भारतीय क्रांति दल एक्सट्रा कांस्टीट्यूशनल मेथड्स आफ एजीटेशन में विश्वास नहीं करता, चाहे वह घिराव हो किसी अफसर का, चाहे आग लगाने की बात हो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और बिल्डिंग्स में, और चाहे मास सिविल डिसओबीडियेंस हो····

(व्यवधान····सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री अध्यक्ष---

मैं हाउस को एडजर्न कर दूंगा अगर ऐसा ही शोर होता रहा तो।

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर दोहराना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, यह बता दें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

बार-बार टोकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग शांति के साथ उनकी बात सुनें।

श्री चरण सिंह---

श्रीमन्, इलेक्शन में मीटिंग करके, बैलट के जरिये चुनकर आकर यहां बहस करके और कानून और स्कीम बनाकर यह मुल्क चलने वाला है। (व्यवधान) आप अपोजीशन में हैं। आप पब्लिक को एजूकेट कर सकते हैं, मीटिंग करके प्रोसेशन निकाल के, न कि हड़ताल करके और कानून तोड़कर। तो यह हमारा सिद्धांत है। मैं इसका जिक्र न करता अगर मोहनलाल कपूर जी ने इसका जिक्र न किया होता। (व्यवधान) तो अध्यक्ष महोदय मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मित्र ने कहा कि स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ने यह कहा कि अगर लड़के मुख्य मंत्री से माफी मांग लें तो मसला हल हो जाय। मुझे नहीं मालूम कि कहा या नहीं। मैं समझता हूं कि नहीं कहा होगा।

एक सदस्य---

आप हमारा विश्वास कर लें।

श्री चरण सिंह—

मैं आपका विश्वास करता हूं लेकिन अपने हैल्थ मिनिस्टर की बुद्धिमानी का विश्वास आपके कहने से ज्यादा करता हूं । मान लीजिये माफी मांग लें । तो मैंने तो हरडिल्स बताये आपको कि क्या-क्या दिक्कतें हैं ? इस साल इम्तहान हो ही नहीं सकता । तो श्रीमन्, मैंने सारे तथ्य आपके सामने रख दिये । जहां तक गवर्नमेंट की नीयत का सवाल है, कोई आक्रमण करना चाहे तो दूसरी बात है लेकिन हम अपने बच्चों के प्रति उतने ही चिंतित हैं और उनके कैरियर को उतना ही सुधारना चाहते हैं जितना आप लोगों में से कोई चाहता है ।

एक बात और रह गयी । मैं चला गया था और साथियों से कह गया था कि मेरे सिर में दर्द है और मेरे रहने की कोई जरूरत भी नहीं थी । लेकिन एक हवा है । गोया मुझको यहां से जाने का अधिकार नहीं है और मेरे लिये जरूरी है कि जितने मसले हैं मुझे उनमें रहना चाहिये ? अगर मैं समझता कि रहना जरूरी है तो बेशक रहता लेकिन कोई जटिल बात नहीं थी इसलिये चला गया । जब मैं कमरे में पहुंचा तो माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा की बात मैंने यह सुनी कि हम चाहते हैं कि इन बच्चों को वैसी ही शिक्षा दी जाय, वही स्टैन्डर्ड रखा जाय और वही तनख्वाह दी जाय जो पी० एम० एस० के लड़के, एम० बी० बी० एस० पास करने वालों को दी जाय । अध्यक्ष महोदय, ख्याल उनका बहुत अच्छा है । हमारे तो इलेक्शन मैनीफैस्टो में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक सिस्टम का प्रोत्साहन देने की बात लिखी है और जितना आप चाहते हैं और बच्चे चाहते हैं, अगर मौका मिला तो हम उससे ज्यादा करने को तैयार होंगे (तालियों की आवाज)

किसी चीज को भी करने के लिये तैयार होंगें लेकिन इस तरह से असर डालकर, या लड़कों की हड़ताल कराकर या यहां पर रोजाना सवाल उठाकर यह मसला महीने दो महीने में हल हो जाय तो यह नहीं हो सकता ।

(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य को बोलने के लिये पुकारने पर)

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था आपको मुझे समय देना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यदि नहीं बैठते हैं तो मैं सदन को स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद सदन ७ बजकर २४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१७ जून, १९७० ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० सं० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९९ पर]

देवरिया जिले में ग्राम सेमरा, परसौनी, झांगा तथा थरुआडोह में प्रश्न गत नहर के सिलसिले में जो जमीन ली गई है उसके मुआवजे की स्थिति निम्न प्रकार है :—

ग्राम का नाम	योजना का नाम	अर्जित क्षेत्रफल (एकड़)	मुआवजे की कुल धनराशि (रु०)	१–६–७० तक जो धनराशि बांटी जा चुकी (रु०)	१–६–७० तक जो धनराशि नहीं बांटी जा सकी (रु०)
१	२	३	४	५	६
१—सेमरा	नारायनपुर रजबहा	१२.५४७	४४,१९३.८४	४१,५४८.७७	२,६४५.०७
	कप्तानगंज रजबहा	४.२४०	९,१६२.८०	९,१६२.८०	शून्य
२—परसौनी	कप्तानगंज रजबहा	१२.०००	३३,३८०.९५	३३,३८०.९५	शून्य
३—झांसा	हाटा रजबहा	१६.३५८	३१,८०५.५७	२८,८३८.७४	२९६६.८३
४—थरुआडीह	देवरिया रजबहा	१५.७६९	प्रति कर निर्धारण हेतु विशेष दर को स्वीकृति के लिये राजस्व परिषद् को २६–५–७० को लिखा गया है उसकी स्वीकृति के उपरान्त ही अधिनिर्णय घोषित किया जायगा ।		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तांराकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६११ पर)

सूची

	लम्बाई (कि० मी०)	अनुमानित लागत (रु० लाखों में)
नई सड़कों का निर्माण—		
१—गदरपुर-मिलकखानम (नैनीताल जिले में) ..	१४.०	८.७०
२—स्वार मिलकखानम	१३.०	१३.३९
३—स्वार-दढ़ियाल (काशीपुर की ओर)	१६.०	२६.४८
४—दढ़ियाल मानपुर (छूटा भाग)	८.०	८.२४
पुनर्निर्माण एवं सुधार—		
१—शाहाबाद-सिरौली टांडा	१०.०	११.१०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१२ पर)

अवक्रमित नागर क्षेत्र स्थानीय निकायों की सूची

नगर महापालिकायें		कोई भी नगर महापालिका अवक्रमित नहीं है		
		जिला	अवक्रमण की तिथि	अवक्रमण कब समाप्त होगा
१		२	३	४
नगरपालिकायें ..	१—मुरादबाद	मुरादाबाद	२०—९—५७	३१—१२—७०
	२—गाजियाबाद	मेरठ	२३—११—५९	३०—६—७०
	३—अलीगढ़	अलीगढ़	१४—१२—६२	३१—१२—७०
	४—शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	१५—६—६६	९—१२—७०
	५—बिसवां	सीतापुर	२३—१२—६७	२२—१२—७०
	६—बस्ती	बस्ती	५—१—६८	३१—१२—७०
	७—करनैलगंज	गोंडा	२७—९—६८	२९—१२—७०
	८—एटा	एटा	६—१२—६८	५—१२—७०
	९—मऊरानीपुर	झांसी	७—१२—६८	३१—१२—७०
	१०—रामनगर	वाराणसी	१८—१२—६८	१७—६—७०
	११—बांदा	बांदा	५—१—६९	४—१—७१
	१२—नगीना	बिजनौर	२२—१—६९	२१—१—७१
	१३—फतेहपुर-सीकरी	आगरा	२—२—६९	१—२—७१
	१४—नवाबगंज	गोंडा	११—२—६९	१०—२—७१
	१५—गोरखपुर	गोरखपुर	११—२—६९	१०—२—७१
	१६—बड़ौत	मेरठ	१८—२—६९	१७—२—७१
	१७—बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	२०—२—६९	१९—२—७१
	१८—जालौन	जालौन	२२—२—६९	२१—२—७१
	१९—बिन्दकी	फतेहपुर	३१—५—६९	३०—११—७०
	२०—चन्दौसी	मुरादाबाद	७—८—६९	६—८—७१
	२१—पौड़ी	पौड़ी	१—६—७०	३१—५—७२
	२२—मेरठ	मेरठ	१५—६—७०	१४—६—७२
नोटीफाइड एरियाज ..	२३—रसड़ा	बलिया	७—१२—६८	६—१२—७०
२	२४—मोहम्मदाबाद	गाजीपुर	२५—६—६९	२४—६—७०
टाउन एरियाज ..	२५—पुखरायां	कानपुर	२७—२—६९	२६—२—७१
७	२६—बेसुवा	अलीगढ़	६—६—६८	५—६—७०
	२७—कोपागंज	आजमगढ़	१२—२—७०	११—२—७१
	२८—बांगरमऊ	उन्नाव	२४—१०—६९	२३—१०—७०
	२९—बहादुरगंज	गाजीपुर	१२—६—७०	११—६—७२
	३०—डनकौर	बुलन्दशहर	३०—९—६९	२९—९—७१
	३१—एरिच	झांसी	१०—४—७०	९—४—७२

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७० के १० वें बुधवार के लिये निर्धारित श्री रामकुमार दीक्षित के तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर में सन्दर्भित विवरण:—

वर्ष १९६९–७० में कानपुर जनपद में ५ राजकीय नलकूप निम्नलिखित स्थानों में लगे:—
१—महौली ब्लाक सरसौल, २—बड़ागांव (तिवारीपुर) ब्लाक सरसौल, ३—वामनझाला, तहसील बिल्हौर, ४—बरान्डा, तहसील बिल्हौर, ५—गूजेपुर, तहसील बिल्हौर ।

चालू वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में कानपुर जनपद को १० राजकीय नलकूप दिये गये हैं । इनमें से दौर सरसौल ब्लाक में मिऊली तथा उडग खेरा नामक स्थानों पर खुद गये हैं और तीसरे की खुदाई हाथी गांव में की जा रही हैं । शेष स्थानों का चयन अभी नहीं हुआ है । नलकूपों के लिये स्थान का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है जो इनका स्थान चयन अभी नहीं कर पाई हैं ।

नये राजकीय नलकूप निर्माण के लिये शासन द्वारा निर्धारित आधार के अनुसार नलकूप वहीं लगाया जाना चाहिये जहां उनका समूह बन सके, बनने पर विद्युतीकरण सुनिश्चित हो और बनने के एक वर्ष के अन्दर ३,००० घन्टे और तीन वर्ष के अन्दर ४,००० घन्टे चलने की सम्भावना है ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १२४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२५ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर पलिका (ख) विभाग

संख्या १३९-बी/११-ख—१०१-५९
लखनऊ, दिनांक ४ मई, १९७० ई०

विविध

संख्या १३९-बी/११-ख—१०१-५९, जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ ई० (ऐक्ट संख्या १०, १८९७ ई०) की धारा २१ के साथ पठित कैटिल ट्रेस पास ऐक्ट (ऐक्ट सं० १, १८७१) की धारा १२ के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके तथा विज्ञप्ति संख्या १७३१-बी/११-ख—१०१-५९, दिनांक १८ नवम्बर, १९६७ ई० का अतिक्रमण करके राज्यपाल १ जून, १९७० ई० से शहरी स्थानीय प्राधिकारियों (जिनमें कैन्टोनमेन्ट बोर्ड्स सम्मिलित हैं) के विभिन्न वर्गों व श्रेणियों के क्षेत्राधिकार में कांजी हाउस में बन्द प्रत्येक पशु पर लगाये जाने वाले अर्थदण्ड की निम्नलिखित दर निर्धारित करते हैं :—

स्थानीय प्राधिकारी का वर्ग व श्रेणी	अर्थदण्ड की दर
१	२
	रु०
नगर महापालिका, कानपुर/इलाहाबाद/वाराणसी/आगरा/लखनऊ ।	१—हाथी ४०
	२—सांड़, बैल, गाय तथा बछड़ा .. ३०
	३—ऊंट, घोड़ा भैंस, घोड़ी, बछेड़ी खस्सी किया हुआ पशु, टट्टू तथा घोड़े का बच्चा .. ३०
	४—गाय का बछड़ा, या बछिया, भैंस का पंड़वा (जो एक वर्ष तक का हो) .. १२
	५—बकरा, बकरी, भेंड़, मेमना, बकरी का बच्चा, भेड़ा तथा भेड़ी .. ८
	६—गदहा तथा खच्चर .. १२
	७—सुअर तथा सुअर का बच्चा .. ८
प्रथम श्रेणी के समस्त म्यूनिसिपल बोर्ड्स	१—हाथी ३०
	२—ऊंट १५
	३—भैंस, घोड़ा तथा घोड़ी .. १५
	४—टट्टू, खच्चर, सांड़, बैल, गाय, बछड़ा घोड़े का बच्चा, बछेड़ी तथा खस्सी किया हुआ पशु .. १५
	५—बछड़ा गाय या बछिया, भैंस का पंड़वा (जो एक वर्ष से अधिक का न हो) .. ६
	६—बकरा, बकरी, भेड़ा, भेंड़, मेमना, बकरी का बच्चा तथा भेड़ी .. ६

स्थानीय प्राधिकारी का वर्ग व श्रेणी	अर्थदण्ड की दर	
१	२	
		रु०
	७—गदहा	६
	८—सुअर तथा सुअर का बच्चा ..	६
प्रथम श्रेणी के म्युनिसिपल बोर्ड तथा नगर महापालिकाओं के अलावा समस्त शहरी स्थानीय निकाय (कैन्टूनमेन्ट बोर्ड सहित)	१—हाथी	३०
	२—ऊंट	१५
	३—भैंस, घोड़ा तथा घोड़ी ..	१५
	४—टट्टू, खच्चर, सांड़, बैल, गाय, बछेड़ी, घोड़े का बच्चा, बछड़ा तथा खस्सी किया हुआ पशु	१५
	५—बछड़ा, गाय या बछिया, भैंस का पंड़वा (जो एक वर्ष तक का हो) ..	६
	६—बकरा, बकरी, भैंस, मेमना, बकरी का बच्चा, भेड़ा तथा भेड़ी ..	३
	७—गदहा	३
	८—सुअर तथा सुगर का बच्चा ..	६

बलराज बोहरा,
आयुक्त एवं सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 48 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 139-B/XI-Kha—101-59, dated May 4, 1970.

No. 139-B/XI-Kha—101-59

In exercise of the powers under section 12 of the Cattle Tresspass Act, 1971 (Act no. 1 of 1871), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897) and in supersession of Notification no. 1731-B/1I-Kha—101-59, dated November 18, 1967, the Governor is pleased to prescribe with effect from June 1, 1970 the scale of fine leviable on every head of cattle impounded in the pounds under the jurisdiction of the different classes and categories of urban local authories including Cantonment Boards as follows:

Class of category of local authority		Scale of fine
1		2
		Rs.
Nagar Mahapalika, Kanpur/ Allahabad/Varanasi/Agra/ Lucknow.	1. Elephant	40
	2. Bull, bullock, cow and calf	30

Class of category of local authority		Scale of fine
1		2
		Rs.
	3. Camel, horse, buffalo, mare, filly, gelding, pony and colt.	30
	4. Cows, calf or heifer, buffalo calf (up to the age of one year).	12
	5. He-goat, she-goat, sheep lamb, kid, ram and ewe.	8
	6. Ass and mule ..	12
	7. Pig and swine ..	8
All class I Municipal Boards.	1. Elephant	30
	2. Camel	15
	3. Buffalo, horse and mare	15
	4. Pony, mule, Bull, bullock, cow, calf, colt, filly and gelding.	15
	5. Calf, cow or heifer buffalo calf (not more than one year)	6
	6. He-goat, she-goat, ram, sheep lamb, kid and ewe.	6
	7. Ass	6
	8. Pig and swine. ..	6
All urban local bodies (including cantonments Boards), other than class I Municipal Boards and Nagar Mahapalikas.	1. Elephant	30
	2. Camel	15
	3. Buffalo, horse and mare ..	15
	4. Pony, mule, bull, bullock, cow, calf, colt filly and gelding.	15
	5. Calf, cow or heifer, buffalo, calf (upto the age of one year)	6
	6. He-goat, she-goat, sheep, lamb, kid and ewe.	3
	7. Ass	3
	8. Pig and swine ..	6

BALRAJ VOHRA,
Ayukt and Sachiv.

अवर पढ़ुआ

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६४३ पर)

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ में अग्रेतर संशोधन करने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रवृत्ति

१—(१) यह अधिनियम भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह संघ के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये सभी भूमि अर्जन के संबंध में लागू होगा ।

अधिनियम संख्या १, १८९४ की धारा ६ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ६ की उपधारा (१) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्ववर्ती परन्तुक में अभिदिष्ट तीन वर्ष की अवधि की गणना करने में वह समय, जिसके दौरान राज्य सरकार किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा या उसके परिणामस्वरूप ऐसी घोषणा करने से निरोधित थी, सम्मिलित नहीं किया जायगा :"

धारा २३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २३ में—

(क) उपधारा (१) में, प्रथम खंड का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय

(ख) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

(२) "भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबंधित किया गया है, न्यायालय हर मामले में ऐसे बाजार मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि अर्जन के वैवश्यिक प्रकृति होने के फलस्वरूप अधिनिर्णीत करेगा ।"

ऐक्ट संख्या १३, १९६७ की धारा ४ का संशोधन

४—लैन्ड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट ऐंड वैलीडेशन) ऐक्ट, १९६७ की धारा ४ में, उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायें और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायं, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि उक्त अवधि की गणना करने में वह समय, जिसके दौरान राज्य सरकार किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा या उसके परिणामस्वरूप ऐसी घोषणा करने से निरोधित थी, सम्मिलित नहीं किया जायगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि ऐसे हर मामले में जिसमें पूर्ववर्ती परन्तुक लागू हो, उक्त अवधि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७० के प्रारम्भ होने से तीन महीने की समाप्ति के पूर्व समाप्त हुई न समझी जायगी।"

वैधीकरण

५—किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी लैण्ड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट ऐंड वैलीडेशन) आर्डिनेंस, १९६७ के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचित की गयी किसी भूमि के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा ६ के अधीन की गयी कोई घोषणा, यदि वह एतद्द्वारा संशोधित लैण्ड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट ऐंड वैलीडेशन) ऐक्ट, १९६७ की धारा ४ की उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर की गयी हो, इस आधार पर अवैध न समझी जायेगी और सदैव से ही अवैध न समझी जायगी कि वह उक्त आर्डिनेंस के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् की गयी थी, और तदनुसार, ऐसी घोषणा के अनुसरण में किया गया कोई अर्जन और ऐसे अर्जन के संबंध में की गयी कोई कार्यवाही या किया गया कोई कार्य (जिसके अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश, किया गया अनुबन्ध या प्रकाशित अधिसूचना भी है) केवल उक्त आधार पर अवैध नहीं समझा जायगा और कभी भी अवैध रहा नहीं समझा जावेगा।

उद्देश्य और कारण

लैन्ड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट ऐंड वैलीडेशन) ऐक्ट, १९६७ द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ६ में बढ़ाये गये परन्तुक में यह व्यवस्था है कि धारा ४ के अधीन अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् धारा ६ के अधीन कोई घोषणा नहीं की जायगी। १९६७ के उक्त ऐक्ट में यह भी व्यवस्था है कि ऐसी भूमि के संबंध में, जो लैन्ड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट ऐंड वैलीडेशन) आर्डिनेन्स, १९६७ के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा ४ के अधीन अधिसूचित की गयी थी, धारा ६ के अधीन कोई घोषणा उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् नहीं की जायगी। जिन मामलों में न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश दिये गये हों, उनमें समय के भीतर ऐसी घोषणा करना सम्भव नहीं है। इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से इस आशय का उपबन्ध बनाया जा रहा है कि उक्त अवधि की गणना करने में वह समय सम्मिलित नहीं किया जायगा जिसके दौरान किसी न्यायालय के किसी आदेश के कारण घोषणा नहीं की जा सकती हो।

२—१९५४ में, उत्तर प्रदेश में किये गये संशोधन द्वारा, संघ के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जित करने के संबंध में वैवश्यिक अर्जन के बदले में बाजार-मूल्य पर १५ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिफल देने का उपबन्ध निकाल दिया गया था। चूंकि यह भेदभाव उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिये अतिरिक्त प्रतिफल से संबंधित मूल उपबन्ध को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

३—तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चतुर्भुज शर्मा,
राजस्व मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ९५ एल० ए०—१९७१—८४५।